

प्रावक्तव्य

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य सरकार के ब्रह्मशः वित्त लेखे और विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।
3. तीसरे अध्याय में विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है जबकि चौथे अध्याय में लोक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप में चल रहे वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के साथ ही लेन देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। पाँचवें अध्याय में राज्य में चयनित विभागों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर अभ्युक्तियों का वर्णन किया गया है।
4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं।
5. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2003-04 के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के समय जानकारी में आये, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर फार्याही नहीं की जा सकी, 2003-04 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 15 लेखापरीक्षा कण्डिकाएं (एक सामान्य कण्डिका सहित) और वित्त एवं विनियोग लेखे पर अभ्युक्तियों के अतिरिक्त छः निष्पादन समीक्षाएं हैं। विद्यमान व्यवस्था के अनुसार प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) तथा महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं तथा प्रारूप लेखापरीक्षा समीक्षाएं छः सप्ताह के भीतर सत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ राज्य सरकार के संबंधित सचिव के पास भेजी जाती है। प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) तथा महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सचिवों को उत्तर हेतु स्मरण भी कराया जाता है। 2 मार्च 2005 को प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) तथा महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिवों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ लेखापरीक्षा को शीघ्र उत्तर प्रेषित करने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे प्रयासों के उपरान्त भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 11 लेखापरीक्षा कण्डिकाओं तथा पाँच समीक्षाओं के उत्तर राज्य सरकार के संबंधित सचिव से प्राप्त नहीं हुये।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2002-03 में 13391 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 14289 करोड़ रुपये हो गईं। वृद्धि दर जो 2002-03 में 19.45 प्रतिशत थी 2003-04 के दौरान 6.7 प्रतिशत तक घट गई।

राजस्व व्यय 2002-03 में 14560 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 18765 करोड़ रुपये हो गया। वृद्धि दर जो 2002-03 में 1.33 प्रतिशत थी, वर्ष 2003-04 के दौरान बढ़कर 28.88 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (18765 करोड़ रुपये) राजस्व प्राप्तियों (14289 करोड़ रुपये) से अधिक हुआ परिणामस्वरूप 4476 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व घाटा 2002-03 में 1169 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2003-04 में 4476 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 283 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

राजकोषीय घाटा 2002-03 में 4062 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 7323 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 80 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

2002-03 में राज्य सकल धरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में 16.13 प्रतिशत से 2003-04 में 14.14 तक की कमी आई जबकि सकल धरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2003-04 में पूरे समय तक 18.57 प्रतिशत की उच्चता बनी रही।

वर्ष के दौरान वेतनों (5312 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (3206 करोड़ रुपये) और पेंशन (1197 करोड़ रुपये) पर ही राज्य की घुल राजस्व प्राप्तियों का 68 प्रतिशत व्यय हुआ।

सामाजिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के अंश 2002-03 में क्रमशः 33.26 प्रतिशत एवं 31.33 प्रतिशत से 2003-04 में कम होकर 27.05 प्रतिशत एवं 30.53 प्रतिशत रह गये जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश में 2002-03 में 30.34 प्रतिशत से 2003-04 में 38.74 तक बढ़ि रहे।

विभिन्न सरकारी कर्मचारियों एवं निगमों में किये गये पूंजीगत निवेश पर अत्यल्प प्रतिलाभ प्राप्त हुआ। 2003-04 के अंत में 1737.29 करोड़ रुपये के निवेश (त्रटण सहित) पर सरकार ने लाभांश/ब्याज के रूप में 8.42 करोड़ रुपये प्राप्त किये जो एक प्रतिशत (0.48 प्रतिशत) से भी कम थे। 2003-04 तक 529 करोड़ रुपये के घुल निवेश वाले तीन सांविधिक निगम एवं 14 सरकारी कर्मचारियों हानि उठा रही थीं और इन कर्मचारियों द्वारा 2003-04 तक प्रेषित लेखाओं के अनुसार संचित हानि की राशि 3886 करोड़ रुपये थी।

सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता में से 121.17 करोड़ रुपये आयुक्त नगरीय प्रशासन (84.70 करोड़ रुपये) तथा मुख्य यांत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल (36.47 करोड़ रुपये) ने आहरित किये और सिविल निक्षेप में जमा किये।

(कण्डका 1.1 से 1.10)

2. आवंटनीय प्राथमिकताओं एवं विनियोग

36467.80 करोड़ रुपये के संशोधित विनियोग के विरुद्ध 2003-04 के दौरान वास्तविक व्यय 30345.27 करोड़ रुपये हुआ परिणामस्वरूप 6122.53 करोड़ रुपये की बचत हुई। वर्ष के दौरान 7 अनुदानों/विनियोगों में सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 2.54 करोड़ रुपये अधिक हुआ। वर्ष 1990-91 से 2002-03 तक से संबंधित घुल 5569.04 करोड़ रुपये के ऐसे अधिक व्यय का

नियमन नहीं कराया गया (अक्टूबर 2004)। अधिक दृश्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन राज्य विधान मण्डल से नियमन कराये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान 54 प्रकरणों में प्राप्त किया गया 1151.54 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

49 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध कराया गया एक करोड़ रुपये और उससे अधिक बुल 416.58 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 59 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक बुल 2437.29 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें हुईं।

अनुदान/विनियोग के 144 प्रकरणों में 4231.10 करोड़ रुपये की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई और उन्हें व्यपगत हो जाने दिया गया। इसमें से 50 प्रकरण जिनमें प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये से अधिक बचत हुई, से संबंधित 4164.14 करोड़ रुपये सम्मिलित है, अभ्यर्पित नहीं किये गये।

126 प्रकरणों में वर्ष के दौरान 1936.82 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये। इनमें से 1833.51 करोड़ रुपये (94.7 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

16 प्रकरणों में अभ्यर्पित की गई 619.31 करोड़ रुपये की राशि 576.67 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों से अधिक थी परिणामस्वरूप 42.64 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ जो अक्षम बजट नियंत्रण दर्शाता है।

12 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3386.15 करोड़ रुपये का निहित व्यय जो वर्ष के दौरान बुल व्यय का 11 प्रतिशत था, से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं किया।

2003-04 के दौरान 115.45 करोड़ रुपये का आहरण किया गया और मुख्यशीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-800 अन्य निक्षेप को अन्तरित करने वाले उपरान्त विभिन्न शीर्षों (योजनाओं) के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसी प्रकार 139.14 करोड़ रुपये आहरित किये गये और शासकीय संस्थाओं के मुख्यशीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106- वैयक्तिक जमा के अंतर्गत शेष में जोड़ दिये गये।

5 प्रकरणों में बजट प्रावधान के बिना 71.88 लाख रुपये व्यय किये गये।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायतानुदान के रूप में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 22.39 करोड़ रुपये का व्यय दोषपूर्ण ढंग से वर्गीकृत किया गया और राजस्व अनुभाग के स्थान पर लेखे के पूंजी अनुभाग के अधीन लेखांकित किया गया।

राज्य सरकार तथा वित्त नियमों के अनुदेशों का उल्लंघन घर 55.25 करोड़ रुपयों का विनियोग/अभ्यर्पण किया गया।

(काण्डका 2.1 से 2.7)

3 बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 का कार्यान्वयन

बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 (अधिनियम) बच्चों को खतरनाक धन्धों में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है और कार्यों की उन स्थितियों का भी नियंत्रण करता है जिनमें बच्चों को कार्य करने से रोका नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय ने 1996 में खतरनाक धन्धों में कार्यरत बच्चों की पहचान, उनको हटाने तथा उनके पुनर्वास के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये थे। भारत सरकार ने इस प्रकार काम से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना आरम्भ की थी परन्तु बाल श्रमिकों की उच्चतर घटना वाले जिले जैसे दमोह, रायसेन, सागर एवं टीकमगढ़ जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना की विशेष शालाओं की अभिपूर्ति के लिये कार्ययोजना में समाविष्ट करने के लिये चयन नहीं किया गया। 2005 तक बाल श्रमिक उन्मूलन कार्य के लिये कार्ययोजना राज्य सरकार ने नहीं बनाई।

औद्योगिक परिसरों के निरीक्षण में 87 से 94 प्रतिशत तक कमी थी।

अधिकांश प्रकरणों में आयु के प्रमाण, साक्ष्य तथा पंचनामों के संबंध में उचित अभिलेखन होने के कारण अभियोजन में दोषमुक्त कर दिये गये जिससे प्रवर्तन तंत्र की कमज़ोरी प्रकट हुई।

क्षतिपूर्ति के रूप में अपराधी नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाले 17.65 करोड़ रुपयों में से मात्र 3.75 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना की शालाएं चलाने में परियोजना समितियों द्वारा जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देश के पालन में अत्यधिक विषमतायें पाई गईं।

ऐसे 7752 बाल श्रमिक जिनका काम छुड़ाया गया था, के परिवारों के एक वयस्क सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया।

(कंडिका 3.1)

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी संचालन को जिला आयुर्वेद अधिकारियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा पठार्मसियों के अधीक्षकों की सहायता से आयुर्वेदिक, हौम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों में शिक्षा प्रदान कर औषधियों के उत्पादन आदि के साथ राज्य में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विद्यान्वयन करना था।

औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता, औषधियों की अपर्याप्तता, अंतर्वर्ती सुविधाओं एवं खुराक आदि के अभाव में रोगियों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में चिकित्सालयों और औषधालयों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ। महाविद्यालयों में शिक्षा कर्मियों की कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा कच्ची सामग्री की कम आपूर्ति से पठार्मसियों में औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई।

1999-2004 के दौरान “चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय” अनुदान के अंतर्गत औषधियों, मशीनरी एवं उपकरणों पर हुआ व्यय बुल व्यय का केवल एक से तीन प्रतिशत तक था।

आयुर्वेद चिकित्सालय, बैहर (बालाघाट) में अंतर्वर्ती सुविधायें संस्कीर्णति के 12 वर्ष उपरान्त भी आरम्भ नहीं की गई तथा तामियाँ (छिदवाड़ा), दमोह, होशंगाबाद, झाबुआ व खरगौन में उक्त सुविधाएं बंद हो गईं।

पाँच चिकित्सालयों में 17 से 50 प्रतिशत के मध्य तथा आठ चिकित्सालयों में 67 से 100 प्रतिशत तक स्वीकृत बिस्तर क्षमता उपलब्ध नहीं कराई गई।

चार औषधालयों ने कार्य आरम्भ नहीं किया तथा 18 औषधालय सहायक कर्मचारियों के बिना चल रहे थे। 1999-2004 के दौरान 193 (36 प्रतिशत) औषधालयों में चिकित्सकों के अभाव में 22.83 लाख रोगियों का उपचार कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

महाविद्यालयों में शिक्षा कर्मियों की अपर्याप्तता से शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई तथा सम्बद्ध चिकित्सालय के न्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/के न्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे।

फार्मसियों में औषधियों का उत्पादन अत्यन्त कम रहा। 2003-04 के दौरान यूनानी फार्मसी में कोई उत्पादन नहीं हुआ।

5.10 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों के क्रय में गुणवत्ता नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहा।

(कांडिका 3.2)

5. बैतूल जिले में स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल आपूर्ति एवं रोजगार सृजन योजना

राज्य के के न्द्रीय दक्षिण भाग में स्थित बैतूल जिले में 10043 वर्ग विलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट है जिसमें से 53 प्रतिशत से अधिक वृष्टि योग्य भूमि है। 13.95 लाख जनसंख्या में 81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण हैं तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिवासी हैं। जिले के अधिकांश गाँवों के लिये चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचना सहज नहीं है। जिले में पहले से ही उपलब्ध अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सकों एवं समानान्तर चिकित्सा कर्मचारियों की कमी ने और भी वृद्धि कर दी है। जिले के 665 ग्रामों के निवासियों के लिये पेय जल की आपूर्ति एक सपना बनकर रह गई है वन्योंकि ये गाँव भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बलाई जाने वाली किसी भी पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। सरकार प्रति परिवार 100 मानव दिवस का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी जैसा कि किसी भी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित है।

जिले में 90 स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। विद्यमान स्वास्थ्य के न्द्र अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं यथा भवन एवं उपकरण आदि के साथ कार्य कर रहे हैं। बुन्ध केन्द्रों में जल एवं विद्युत जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी व्यवस्था नहीं है।

विशेषज्ञ/नैदानिक विशेषज्ञ तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों के लगभग 37 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिनसे स्वास्थ्य केन्द्रों के सामान्य क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ा।

665 गाँवों/निवास स्थानों पर पेयजल उपलब्ध नहीं है जबकि समस्त पाँच नगरों एवं 757 गाँवों/निवास स्थानों में जल की उपलब्धता

मानव से कम है। 1256 असुरक्षित जल रोत बंद न होने के कारण 1.88 लाख लोगों को दूषित जल का उपयोग करना पड़ा।

अप्रभावशाली कीटनाशकों का छिड़काव मलेरिया के प्रसार को नियंत्रित नहीं कर सका जिससे 30 लोग मर गये एवं छिड़काव पर किया गया 3.49 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हो गया।

1999-2004 के दौरान 99.85 करोड़ रुपये व्यय करने के बाबजूद प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार 100 मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 17 दिवस का औसत रोजगार सृजन हुआ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आवास इकाईयों, घुड़ओं की सम्मत एवं नालियों के निर्माण पर 1.11 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया गया।

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जलग्रहण परियोजनाएं (लागत: 1.27 करोड़ रुपये पाँच वर्षों के उपरान्त भी अपूर्ण रहीं।)

(कंडिका 3.3)

6. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण

भारत सरकार द्वारा 1000 या अधिक व्यक्तियों तथा 500 से 999 व्यक्तियों के मध्य की जनसंख्या वाली असंबद्ध ग्राम बस्तियों को क्रमशः मार्च 2003 एवं 2007 के अंत तक सर्व-ऋतु सङ्करण द्वारा संबद्धता (कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना प्रारम्भ की गई थी। राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.) की स्थापना की (23 दिसंबर 2000)। भारत सरकार ने 3367 असंबद्ध बस्तियों को संबद्धता उपलब्ध कराने के लिए 2065.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध मार्च 2001 से मार्च 2003 के दौरान 1206.93 करोड़ रुपये विमोचित किए। साढ़े चार वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात् भी मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण जुलाई 2004 तक 1088.31 करोड़ रुपये व्यय करके मात्र 1159 बस्तियों को नई संबद्धता उपलब्ध करा सका। यह निराशाजनक प्रदर्शन मुख्यतः अपर्याप्त योजनाकरण एवं कार्यान्वयन, सङ्करणों के त्रुटिपूर्ण चयन तथा निष्प्रभावी परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) के कारण था।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण को 2001-03 के दौरान व्यय में कमी (531.15 करोड़ रुपये) के कारण 2065.38 करोड़

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

रुपये की स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध मात्र 1206.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

125.27 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 33 पैकेजों के अन्तर्गत कार्यों पर 143.39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 18.12 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

अनुबंधों में विसी भी प्रावधान के बिना अग्रिमों के भुगतान से ठेकेदारों को 9.36 करोड़ रुपये मूल्य की अनुचित वित्तीय सहायता विनिर्भित हुई।

दिशा-निर्देशों के मानदण्डों के विरुद्ध, चरण-। एवं ॥ के अन्तर्गत निर्माण/उन्नयन के लिए सङ्करों के त्रुटिपूर्ण चयन के परिणामस्वरूप 200.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का व्यपवर्तन तथा 9.36 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन हुआ।

ग्राम सङ्करों के लिए त्रुटिपूर्ण रूपांकन मानदण्डों को अपनाने के कारण परत (ब्रस्ट) की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन के परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई।

आवश्यकता का आवलन किए बिना प्राइमर-कोट के निष्पादन तथा टेक-कोट एवं सी.डी.कार्य के लिए उच्चतर विशिष्टि अपनाने के कारण 22.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

अधिक महंगे भिट्टी कार्य के अनधिकृत निष्पादन के कारण 2.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

त्रुटिपूर्ण संगणन, दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू करने तथा उच्चतर दरों पर अतिरिक्त कार्य सौंपने के कारण 3.46 करोड़ रुपये का अधिक/अमान्य भुगतान हुआ तथा ठेकेदारों को 2.69 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई।

(कांडिका 3.4)

7 सिंहस्थ मेला 2004

प्रत्येक बारहवें वर्ष में 'बृहस्पति' जब 'सिंह' राशि (राशिचक्र का सिंह प्रतीक) में प्रवेश करता है तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तटों पर आयोजित होने वाला सिंहस्थ मेला मानवता को ज्ञात विशालतम् आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। इस अवसर पर तीर्थयात्री पवित्र क्षिप्रा नदी में पावन डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में उज्जैन में एकत्रित होते हैं। पिछला सिंहस्थ अप्रैल-मई 2004 के

दौरान आयोजित किया गया तथा इसमें लगभग 2.75 करोड़ व्यक्तिएँ आए।

सिंहस्थ मेला 2004 के दौरान तीर्थ यात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न गतिविधियों, यथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने, सड़कों, पुलों, रोक बाँधों, घाटों इत्यादि का निर्माण तथा आवासीय, जन स्वास्थ्य, विद्युत, पीने का पानी, स्वच्छता इत्यादि से संबंधित सुविधाएँ विकसित करने के लिए 265.28 करोड़ रुपये राशि की कार्ययोजना स्वीकृत की। जून 2004 तक 239.54 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

मंत्री-स्तरीय उपसमिति की स्वीकृति के बिना 114 कार्यों पर 26.50 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया।

मार्च 2004 में 2.76 करोड़ रुपये की राशि आहरित की गई जिसमें से सिंहस्थ मेला पूर्ण होने के समय तक मात्र 54 लाख रुपये की राशि का ही उपयोग हुआ तथा शेष 2.22 करोड़ रुपये शासन को वापिस नहीं किए गए।

पम्पिंग मेन का निष्पादन पी.एस.सी. पाइप के स्थान पर अधिक महंगे डी.आई. पाइप से करने के परिणामस्वरूप पूँजीगत लागत में 8.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

उच्चतर दरों पर कार्य आबंटन के कारण 3.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अपर्याप्त गुणवत्ता निरीक्षण के कारण 8 सड़कों के निर्माण में 26.22 करोड़ रुपये का निष्पक्ष विनियोजन हुआ।

जून 2002 एवं अप्रैल 2004 के मध्य 4.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उन्हेल-उज्जैन मार्ग (26.6 कि.मी.) की अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यावेक्षण के अभाव के कारण अपने परिकल्पित जीवन को पूर्ण करने में विफलता।

विशिष्टि का अनुसरण न करने के कारण 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अनुबंधों में प्रावधान के बिना डामर तथा निचली श्रेणी वाली (डाउनग्रेडेड) गिट्टी पर प्रतिभूत (सीव्योर्ड) अग्रिमों के भुगतान के कारण ठेकेदारों को 3.10 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता।

(कंडिका 3.5)

8. शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रचालन संबंधी एवं वित्तीय मामलों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सुरक्षा करती है। यह विभागीय नियमों एवं प्रक्रिया के अनुपालन के स्तर की जांच करती है। यह विभाग में जो खिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण रचना की पर्याप्तता पर वरिष्ठ प्रबंधन को सुनिश्चित भी करती है। स्वृत्ति शिक्षा विकास में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान के तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायतानुदान के अनियमित भुगतान के प्रकरण दृष्टिगत हुये। नमूना जांच किये गये आठ जिलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना बैंक खाते खोले। जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड अधिकारी एवं विद्यालयों के लिये किये जाने वाले विभागीय निरीक्षणों में अत्यधिक कमी पाई गई।

2000-04 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त ब्लाक ग्रांट में से अध्यापक अंशदायी भविष्य निधि के लिये 1.24 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया।

जिला मुरैना में केन्द्र प्रायोजित योजना "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को सरकार द्वारा करोई आदेश जारी किये बिना उनका वेतन 1200 रुपये से बढ़ावकर 4000 रुपये करके 70.97 लाख रुपये का भुगतान किया।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (9) ने सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बिना बैंक खाते खोले तथा मार्च 2004 तक इन खातों में 54.82 लाख रुपये की सरकारी निधियाँ जमा कीं। विभागीय अधिकारी ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्यालयों एवं कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी पाई गई।

(कांडिका 5.1)

9. लेनदेनों की लेखापरीक्षा के रूप में अन्य तथ्य कपटपूर्ण आहरण/हानियाँ

कपटपूर्ण आहरण/हानियाँ

संहितागत प्रावधानों के पालन में विफलता के कारण सरकारी धन के 21.70 लाख रुपये का गबन हुआ।

(कंडिका 4.1.1)

सरदार सरोवर परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से सम्बद्ध कार्यों पर तथा रानी अवन्ति बाई लोधी सागर परियोजना से संबंधित कार्यों में सर्वेक्षण कार्य, स्थल सफाई, नहर वा रखरखाव एवं लेखन सामग्री के क्रय आदि पर अप्रभावी वित्तीय नियंत्रण के कारण 15.78 करोड़ रुपये का अवास्तविक एवं संदेहास्पद भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.1.2)

निर्व्यक्ति/निकल व्यय एवं अधिक भुगतान

मूल्य वृद्धि के त्रुटिपूर्ण संगणन के कारण 5.50 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को जारी की गई कठड़ी चट्टान की 11.39 लाख रुपये की कम वसूली।

(कंडिका 4.2.1)

खाई की खुदाई हेतु 86 रुपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान के परिणामस्वरूप 37.89 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.2)

आई.एस.-458-1971 के स्थान पर आई.एस.-458-1988 के ह्यूम-पाइप के उपयोग के कारण दरों का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 55.56 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.3)

सूखी एवं गीली खुदाई सहित कार्यों के विभिन्न मदों के बढ़ाए हुए मापों के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4.08 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ; इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के संसाधनों को सुनिश्चित

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

किए बिना कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप भी 22.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.2.4)

खैर के वृक्षों के पातन तथा बोल्डर रोधक बाँध के संबंध में वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी, क्षेत्रीय निदेशक पेंच टाइगर रिजर्व एवं वन संरक्षक, सिवनी में कार्य दरों के गलत अनुप्रयोग/निर्धारण के कारण 55.27 लाख रुपये अतिरिक्त/परिहार्य व्यय ।

(कंडिका 4.2.5)

रसोई कर्मचारियों को 1.19 करोड़ रुपये राशि के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया जबकि अंतर्वर्ती रोगियों को पके हुये भोजन की कोई खुराक उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

(कंडिका 4.2.6)

परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

वन विभाग एवं भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कलमोड़ा सिंचाई तालाब के निष्पादन में 75.10 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया ।

(कंडिका 4.3.1)

टेक-कोट में बिटुमिन इमलशन के स्थान पर पेंचिंग बिटुमिन का उपयोग कर टेक-कोट निष्पादित करना विशिष्टियों के विपरीत था जिससे 2.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.3.2)

सीलकोट सहित ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट बिछाने के पूर्व सरफेस ड्रेसिंग की इकहरी परत का निष्पादन अनावश्यक था तथा परिणामस्वरूप 47.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.3.3)

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कारण मात्राओं में घट-बढ़ हुई तथा 49.41 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 4.3.4)

बाजार माँग का निर्धारण किये गिना भूखण्डों के विघास पर किये गये व्यय के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुये।

(कंडिका 4.3.5)

नियामक मुद्रे व अन्य बिन्दु

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना का यथापरिकल्पित क्रियान्वयन नहीं किया गया परिणामस्वरूप 5.01 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं हुआ।

(कंडिका 4.4.1)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

सारांशतः

राजस्व प्राप्तियों में केवल 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 28.88 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व घाटे में वृद्धि हुई जो 2002-03 में 1169 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 4476 करोड़ रुपये हो गई। पूंजीगत व्यय में भी 2002-03 में 2455 करोड़ रुपये से 2003-04 में 2679 करोड़ रुपये तक वृद्धि होने के कारण 9.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसके कारण 2001-02 में 3645 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2003-04 में 7323 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व में 10.12 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर हस्तांतरण में 13.89 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्रोत विक्रय कर है जो कर राजस्व का 49 प्रतिशत है। इससे कम राज्य आबकारी (16 प्रतिशत) तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन आदि (9 प्रतिशत) है। 2002-03 में 1635 करोड़ रुपये के कर भिन्न राजस्व में कमी होकर 2003-04 में यह 1480 करोड़ रुपये रह गया। सरकार द्वारा उत्कृष्ट सामग्री की आपूर्ति करने एवं सेवाएं प्रदान करने पर लागत वसूली का वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा हेतु 0.36 प्रतिशत, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा हेतु 0.36 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा हेतु 0.59 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1.59 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं सफाई में 7.94 प्रतिशत तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई में 16.87 प्रतिशत हैं।

राज्य के कुल व्यय में तीव्र वृद्धि हुई जिससे वर्ष 2002-2003 में 17496 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 21648 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय जो कि कुल व्यय का 86.68 प्रतिशत है, में 2003-04 में 28.88 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। यह विद्युत व्यय (2975 करोड़ रुपये) में वृद्धि के संबंध में राज्य विद्युत मण्डल को सहायता देने के कारण हुई।

वर्ष के दौरान वेतन (5312 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (3206 करोड़ रुपये) तथा पेशन (1197 करोड़ रुपये) पर ही राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 68 प्रतिशत व्यय हुआ। राज्य की कुल राजकोषीय देयताएं 2001-2002 में 26487 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-2004 में 37525 करोड़ रुपये हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इन देयताओं में 2001-2002 में 32.58 प्रतिशत से 2003-2004 में 37.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों की 2.64 गुणा रहीं।

राज्य द्वारा अपनी सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना को बल प्रदान करने एवं अतिरिक्त आय सर्जक परिसम्पत्तियों के सृजन में वृद्धि हेतु उधारियां लेना असामान्य नहीं है तथापि कम प्राप्तियों वाले निवेश हेतु ऊँची लागत की उधारियों का उपयोग पोषणीय नहीं है अतः राज्य को मध्यम अवधि के ढांचे में राजस्व घाटे को समाप्त करने एवं उपयुक्त स्तर तक राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्तीय लेखे में समाविष्ट जानकारी के विश्लेषण के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का विवेचन किया गया है। विवेचन राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों और व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कठिपय शब्दों की व्याख्या परिशिष्ट-I में की गई है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के क्रमांक 28) के अनुसार पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों* से “निश्चित दिवस” 1 नवम्बर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ। निश्चित दिवस के तत्काल पूर्व की संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं। इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति परिशिष्ट-II में दर्शाई गई है।

मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय लेखे उन्नीस विवरण पत्रों में दिये गये हैं जो राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजी के साथ ही राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दर्शाते हैं। वित्तीय लेखे की रूपरेखा बॉक्स-1 में दर्शाई गई है।

बॉक्स-1

वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण पत्र क्रमांक 1 में राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, लोक ऋण, प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 2 में 2003-04 के अंत में प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का सारांश विवरण समाविष्ट है।

विवरण पत्र क्रमांक 3 में सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्यचालन व्यय तथा संधारण प्रभार, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ अथवा हानि इत्यादि दर्शाए गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 4 में राज्य की ऋण स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें भारत सरकार से आंतरिक ऋण तथा उधारियाँ, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवा समाविष्ट हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 5 में वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किये गये प्रतिभुगतान तथा बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 6 में सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों आदि के प्रतिभुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश दिया गया।

* बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर, चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुद्र, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा।

विवरण पत्र क्रमांक 7 में रोकड़ शेष एवं ऐसे शेषों से किये गये निवेशों का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 8 में 31 मार्च 2004 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 9 में वर्ष 2002-03 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 10 में वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 11 में लघुशीर्षों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 12 में योजनेतर, राज्य आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पृथक रूप में लघु शीर्षों द्वारा किये गये राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 13 में वर्ष 2003-04 के दौरान एवं अंत तक किया गया विस्तृत पूंजीगत व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 14 में राज्य सरकार का 2003-04 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों इत्यादि में निवेश का विवरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 15 में 2003-04 के अंत में पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा वे मुख्य स्रोत जिनसे उक्त व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई थीं, दर्शाये गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 16 में ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 17 में सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज सहित देयताओं का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 18 में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान किये गये प्रतिभुगतान की राशि, 31 मार्च 2004 को अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 19 में आरक्षित निधियों के प्रत्यायोजित अधिशेष के विवरण दिये गये हैं।

1.2 गतवर्ष के संदर्भ में वित्त व्यवस्था की प्रवृत्ति

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

2002-03	क्रम सं.	मुख्य समूह	2003-04
13391	1.	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	14289
6165	2.	कर राजस्व	6789
1635	3.	कर भिन्न राजस्व	1480
5591	4.	अन्य प्राप्तियाँ	6020
43	5.	ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ	36

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

43	6.	जिसमें से ऋणों की वसूली	36
13434	7.	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	14325
11062	8.	योजनेतर व्यय (9+11)	15963
11040	9.	राजस्व लेखे पर	15949
2502	10.	जिसमें से ब्याज भुगतान	3206
22	11.	पूंजीगत लेखे पर	14
16	12.	जिसमें से ऋण संवितरण किया गया	8
6434	13.	आयोजनागत व्यय (14+15)	5685
3520	14.	राजस्व लेखे पर	2816
2914	15.	पूंजीगत लेखे पर	2869
465	16.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	196
	17.	अन्तर्राजीय निपटारे	
17496	18.	कुल व्यय (8+13+17)	21648
4062	19.	राजकोषीय घाटा (18-1-5)	7323
1169	20.	राजस्व घाटा (9+14-1)	4476
1560	21.	प्रारंभिक घाटा (+) बचत (-) (19-10)	4117

1.3 वर्ष की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सारांश

सारणी क्रमांक 1 में वर्ष 2003-04 हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें वर्ष के दौरान की गई राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखे प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाविष्ट हैं जैसा कि वित्त लेखे एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों के विवरण पत्र क्रमांक 1 से प्रकट होता है।

सारणी क्रमांक 1 : वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सारांश (करोड़ रुपयों में)

2002-03	प्राप्तियाँ	2003-04	2002-03	संवितरण	2003-04	
अनुभाग-क: राजस्व						
13390.40	I. राजस्व प्राप्तियाँ	14288.96	14559.80	I. राजस्व व्यय	15948.59	2816.13 18764.72
6164.55	कर राजस्व	6788.86	5444.68	सामान्य सेवायें	6536.49	37.09 6573.58
1635.48	कर भिन्न राजस्व	1479.82	5284.26	सामाजिक सेवायें	3785.13	1536.52 5321.65
3728.73	संघ करों/शुल्कों का अंश	4247.14	3424.70	आर्थिक सेवायें	5036.06	1242.52 6278.58
1861.64	भारत सरकार से अनुमोदन	1773.14	406.16	सहायतानुदान/अंशदान	590.91	-- 590.91

2002-03	प्राप्तियाँ	2003-04	2002-03	संवितरण	2003-04		
अनुभाग-ख: पूंजीगत							
-	II विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	2454.90	II पूंजीगत परिव्यय	5.99	2672.65	2678.64
42.71	III. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	35.84	480.70	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	8.42	195.94	204.36
4949.30	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	9938.42	1493.61	IV लोक ऋण का प्रतिभुगतान#	2275.08	--	2275.08
20119.55	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	22285.06	19935.23	V लोक लेखा संवितरण#	22439.02*	--	22439.02
--	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	5.56	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	--	--
--	VII आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	0.05	0.05	VII आकस्मिकता निधि से व्यय	1.00	--	1.00
94.21	प्रारंभिक शेष	91.30	91.30	अंतशेष	(-)94.21	--	(-)94.21
38832.99	योग	46457.03	38832.99	योग	40772.31	5684.72	46457.03

* अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष समाविष्ट नहीं हैं।

आयोजना एवं योजनेतर का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वर्ष 2003-04 हेतु वित्त लेखे के विवरण पत्रों से वित्त लेखे लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में प्राप्तियों एवं व्यय के प्रमुख राजकोषीय कुलयोगों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ इन्हें समय श्रंखला द्वारा और आवधिक तुलना के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है (परिशिष्ट III से VI)।

इस उद्देश्य हेतु व्यवहृत मुख्य संदर्शक हैं- (1) परिमाण एवं स्रोतों से संसाधन (2) संसाधनों का उपयोग (3) परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं तथा (4) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में संसाधन गतिशीलन प्रयास, ऋण सेवा तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संचयी प्रभाव को भी समाविष्ट किया गया है। संस्थागत निकाय के रूप में राज्य सरकार का समग्र वित्तीय निष्पादन, राजकोषीय कुलयोग की संबंधित व्याख्या हेतु सामान्य रूप में स्वीकार किये गये अनुपात समूहों को लागू करते हुये प्रस्तुत किया गया है।

संसूचक मानदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाये गये हैं

बॉक्स 1.2
संसूचक मानदण्ड
राजकोषीय कुलयोग जैसे कर एवं करभिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग व्यूरो ने 1993-94 को आधार मानकर यथा प्रकाशित नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रंखला का उपयोग किया है।

कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व तथा राजस्व व्यय इत्यादि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में घट बढ़ की सीमा के आगामी अनुमान के लिये भी उत्पादकता प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये हैं।

1999-2004 के दौरान अधिकांश श्रंखलाओं के लिये प्रवृत्ति वृद्धि दर्शाई गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में अनुपात भी दर्शाये गये हैं। प्रयुक्त कतिपय शब्दों की परिशिष्ट-I में व्याख्या की गई है।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं। (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखे। बॉक्स 1.3 में उनको परिभाषित किया गया है।

बॉक्स 1.3	
राज्य सरकार की निधियाँ एवं लोक लेखा	
समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, कोषालय देयकों को जारी करके लिये गये समस्त कर्ज, आंतरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों के प्रतिभुगतान के रूप में प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत बनाई गई राज्य की समेकित निधि 'शीर्षान्तर्गत एक समेकित निधि' के रूप में रहेगा।	संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित करने हेतु विधानमण्डल से बाद में अनुमोदन कराया जाता है जिस पर आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर भरपाई की जाती है।
लोक लेखा	
समेकित निधि से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा सरकार के लेखाओं में अंकित कतिपय अन्य लेन देन होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधि, लघु बचतें अन्य निक्षेप इत्यादि इसके कतिपय उदाहरण हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया गया सार्वजनिक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा इसमें से संबंधित संवितरण किया जाता है।	

1.5 मुख्य संदर्शकों से वित्त व्यवस्था

1.5.1 समूहों एवं स्रोतों से संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान समाविष्ट हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ कर्जों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण जैसे बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ तथा भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम व इसके साथ ही लोक लेखाओं से उपार्जन समाविष्ट हैं।

सारणी 2 दर्शाती है कि वर्ष 2003-04 के लिये राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 46548 करोड़ रुपये थीं, इनमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 14289 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्राप्तियों का 31 प्रतिशत थीं। शेष प्राप्तियाँ, उधारियों एवं लोक लेखा प्राप्तियों से हुईं।

सारणी 2 : मध्यप्रदेश के संसाधन

	(करोड़ रुपये में)
I राजस्व प्राप्तियाँ	14289
II पूँजीगत प्राप्तियाँ	9974
क विविध प्राप्तियाँ -	--
ख कर्ज़ एवं अग्रिमों की वसूली	36
ग लोक ऋण प्राप्तियाँ	9938
III लोक लेखा प्राप्तियाँ	22285
क लघु बचतें भविष्य निधि आदि	1200
ख आरक्षित निधि	367
ग निक्षेप एवं अग्रिम	4126
घ उचंत एवं विविध	12156
ड. प्रेषण	4436
कुल प्राप्तियाँ	46548

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्र-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया गया है। सारणी 3 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इन प्राप्तियों का अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)


	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्तियाँ	13204	12839	11211	13391	14289
स्वयं के कर	43.89	43.93	41.74	46.04	47.51
कर भिन्न राजस्व	18.70	13.43	14.29	12.21	10.36
केन्द्रीय कर अंतरण	24.70	30.80	30.68	27.85	29.72
सहायतानुदान	12.71	11.84	13.30	13.90	12.41
वृद्धि दर	16.38	नगण्य	नगण्य	19.45	6.70
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13.37	14.52	13.79	16.13	14.14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की प्रतिशतता	8.851	नगण्य	नगण्य	2.122	21.703
राजस्व उत्पादकता	1.851	नगण्य	नगण्य	9.166	0.309

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धिदर जो कि 2002-2003 के दौरान 19.45 प्रतिशत थी वर्ष 2003-04 के दौरान घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई। राज्य के स्वयं की कर प्राप्तियों एवं केन्द्रीय करों के निर्धारण में क्रमशः 10.12 एवं 13.89 की वृद्धि हुई जबकि कर भिन्न प्राप्तियाँ तथा सहायतानुदान कम हो गये।

औसतन लगभग 58 प्रतिशत राजस्व, राज्य के स्वयं के स्रोत केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायतानुदान से प्राप्त हुआ जो कुल राजस्व का लगभग 42 प्रतिशत बना रहा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व का मुख्य स्रोत विक्रय कर रहा जो कर राजस्व का 49

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

प्रतिशत है जिसके बाद राज्य आबकारी (16 प्रतिशत) तथा मुद्रांक एवं पंजीयन (9 प्रतिशत) इत्यादि हैं। कर भिन्न राजस्व के स्रोतों के मुख्य योगदानकर्ता अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग मुख्यतः खनिज से प्राप्त होने वाला राज्यांश (43 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्यजीव (33 प्रतिशत) हैं। कर भिन्न राजस्व 2002-03 में 1635 करोड़ रुपये से घटकर 2003-04 में 1480 करोड़ रुपये रह गया। सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवाओं की लागत की वसूली का वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.36 प्रतिशत, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिए 0.30 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा हेतु 0.59 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1.59 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं सफाई में 7.94 प्रतिशत तथा वृहत एवं मध्यम सिंचाई में 16.87 प्रतिशत है।



1.6 संसाधनों का उपयोग

1999-2004 के दौरान सरकारी लेखाओं के विभिन्न शीर्ष/अनुभागों के अंतर्गत प्राप्तियों के मुख्य स्रोत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद सारणी 4 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 4 : प्राप्तियों के स्रोत : प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋणेतर प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखे में उपार्जित		
1999-00	13204	314	3462	17170	34150	98768
2000-01	12839	13	3101	16520	32480	88445
2001-02	11211	1588	3281	15013	31093	81286
2002-03	13391	43	4949	20120	38503	83011
2003-04	14289	36	9938	22285	46548	101027

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति


वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय दर्शाये गये हैं। राज्य का कुल व्यय वर्ष के दौरान 24 प्रतिशत बढ़ गया।

निम्नांकित सारणी 5 में राज्य का कुल व्यय, इसकी प्रवृत्ति तथा वार्षिक वृद्धि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी 5: कुल व्यय-आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कुल व्यय	17429	16391	16444	17496	21648
वृद्धि दर	12.23	--	--	6.40	23.73
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.65	18.53	20.23	21.08	21.43
राजस्व प्राप्तियों/कुल व्यय	75.76	78.33	68.18	76.54	56.00

चालू वर्ष में कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतः राजस्व परिव्यय के अंतर्गत 4205 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2001-02 में 68.18 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 66 प्रतिशत रह गया जो यह दर्शाता है कि राज्य के कुल व्यय का केवल 66 प्रतिशत इसके चालू राजस्व से पूरा किया गया। तथा 34 प्रतिशत की उधारियों से पूर्ति की गई।




गतिविधियों के रूप में कुल व्यय, ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवा सहायतानुदान तथा कर्जे एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का योग माना जा सकता है। कुल व्यय में उक्त संघटकों का सापेक्षिक अंश सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : (व्यय के संघटक- सापेक्षिक अंश (प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य सेवायें	30.18	32.57	30.80	31.33	30.53
सामाजिक सेवायें	36.75	36.43	28.92	33.26	27.05
आर्थिक सेवायें	27.38	25.97	34.30	30.34	38.74
सहायतानुदान	3.72	3.22	2.27	2.32	2.73
कर्जे एवं अग्रिम	1.97	1.81	3.64	2.75	0.95

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

व्यय के उक्त संघटकों के सापेक्षिक अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवा का अंश 2002-03 में 33.26 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 27.05 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं का सापेक्षिक अंश 2002-03 में 30.34 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 38.74 प्रतिशत हो गया जो कि आर्थिक आधारिक संरचना विकास पर व्यय में वृद्धि दर्शाता है।



1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों एवं सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाये रखने में किया जाता है। निम्नांकित सारणी 7 में कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं:

सारणी 7: राजस्व व्यय -आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व व्यय	16136	14985	14369	14560	18765
वृद्धि दर	13.49	नगण्य	नगण्य	1.33	28.88
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	16.34	16.94	17.68	17.54	18.57
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	92.58	91.42	87.38	83.22	86.68
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	122	117	128	109	131

राज्य का राजस्व व्यय 2002-03 में 14560 करोड़ रुपए से बढ़कर 2003-04 में 18765 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः विगत वर्ष की तुलना में विद्युत (2975 करोड़ रुपए), ब्याज भुगतान (704 करोड़ रुपये), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (114 करोड़ रुपये) तथा सामान्य शिक्षा (68 करोड़ रुपये) पर अधिक व्यय के कारण हुई। “विद्युत” (2975 करोड़ रुपए) पर व्यय में वृद्धि राज्य विद्युत मण्डल को सहायता पर अधिक व्यय के कारण हुई।

राजस्व व्यय 2003-04 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 87 प्रतिशत लेखांकित हुआ। यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंश से अधिक था जिसके कारण राजस्व

घाटा हुआ। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात 2002-03 में 109 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 131 प्रतिशत हो गया तथापि राज्य को अपने चालू व्यय को पूरा करने हेतु उधारियों पर निर्भरता मुख्यतः इस तथ्य के कारण जारी रहीं कि वेतन (5312 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (3206 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (1197 करोड़ रुपये) पर ही वर्ष के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों का 68 प्रतिशत व्यय हुआ।

(क) उच्च वेतन व्यय

केवल वेतन पर ही राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 37 प्रतिशत व्यय लेखांकित किया गया। वेतन पर व्यय 2002-03 में 5258 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 5312 करोड़ रुपये हो गया। विगत पाँच वर्षों में वेतन पर वर्षवार व्यय सारणी 8 में दर्शाया गया है:

शीर्ष	सारणी 8					(करोड़ रुपये में)
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	
वेतन व्यय	6662	5715	4669	5258	5312*	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	6.75	6.46	5.74	6.33	5.26	
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	50.45	44.51	41.65	39.27	37.17	

(ख) पेंशन भुगतानों पर व्यय

मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवा निवृति भत्तों तथा अवकाश नगदीकरण लाभ इत्यादि पर अधिक व्यय के कारण पेंशन भुगतान 2002-03 में 1083 करोड़ रुपये से 10.58 प्रतिशत बढ़कर 2003-04 में 1197 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

सारणी 9

वर्ष	व्यय	कुल राजस्व का प्रतिशत	
		करोड़ रुपये में	
1999-2000	1195.74		9
2000-2001	962.65		7
2001-2002	1010.76		9
2002-2003	1082.68		8
2003-2004	1197.27		8

2000-01 में सेवानिवृत्त जनों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन देयताओं में भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की तीव्रता से बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने हेतु कोई निधि गठित नहीं की है। जिस दर पर पेंशन देयताएं बढ़ रही हैं उसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार विवेचनात्मक महत्व का परिलक्षित होता है।

* स्रोत: औरें वित्त विभाग द्वारा दिये गये


31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

(ग) ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है (अगस्त 2000) कि मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में राज्य राजस्व प्राप्तियों के 18 प्रतिशत अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए तथापि यह देखा गया कि वर्ष 2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 22 प्रतिशत रहा।

सारणी 10

वर्ष	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपये में)	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
		राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
1999-2000	2139	16.20	13.26
2000-2001	2411	18.78	16.09
2001-2002	2254	20.11	15.69
2002-2003	2502	18.68	17.18
2003-2004	3206	22.43	17.08



ब्याज भुगतान की वृद्धि दर जो 2002-03 के दौरान 11 प्रतिशत थी वह 2003-04 में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई। अत्यधिक ब्याज भुगतान, वर्ष दर वर्ष प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय के कारण व्यय में भारी वृद्धि हुई।

(घ) सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता

यद्यपि सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में रही तथापि सरकार ने अपने विद्युत मण्डल एवं सड़क परिवहन निगमों को आर्थिक सहायता का भुगतान जारी रखा। विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता का निम्नानुसार भुगतान किया:-

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	1170.79	410.33	2037.08	933.88	3924.78
2	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1.20	1.20	1.08	0.00	2.00
	योग	1171.99	411.53	2038.16	938.88	3926.78
3	विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि(+)/हास(-)	(+)168.87	(-)64.89	(+)395.26	(-)53.93	(+)318.24
4	कुल व्यय की तुलना में आर्थिक सहायता की प्रतिशतता *	6.72	2.51	12.40	5.37	18.14

वर्ष 2003-04 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को आर्थिक सहायता में तीव्र वृद्धि अहलूवालिया समिति की अनुशंसाओं के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देयताओं के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को सहायता के कारण हुई।

टिप्पणी:- अन्य नियमों एवं निकायों को भुगतान की गई आर्थिक सहायता के विवरण वित्त विभाग के पास तुरंत उपलब्ध नहीं।

प्रसंगवश, राज्य सरकार ने राज्य विद्युत मण्डल को सहायता/आर्थिक सहायता बढ़ाकर 2003-04 में 3924.78 करोड़ रुपये कर दी है।

(ड) त्रुटिपूर्ण बजट पद्धति तथा व्यय का वर्गीकरण

नियमानुसार^{*} परिसम्पत्तियों के सूजन के उद्देश्य के लिए भी स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये सहायतानुदान पर व्यय को सामान्यतः राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना था तथापि 2003-04 के दौरान राज्य सरकार ने निम्नानुसार शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत पूंजीगत लेखा अनुभाग में स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायतानुदान पर व्यय 22.38 करोड़ रुपये पुस्तांकित किया:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मुख्य/लघुशीर्ष	निम्न वो/के लिये सहायतानुदान	बजट प्रावधान	व्यय
2	4217-01-191-1201-8294	भोज वेट लेण्ड संरक्षण	25.00	22.38
		योग	25.00	22.38

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण केवल पूंजीगत परिव्यय 22.38 करोड़ रुपये बढ़ाकर ही नहीं बताया गया बल्कि राजस्व घाटा भी उस सीमा तक कम हो गया।

(च) आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि कोषालय से किसी भी राशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि इसके तत्काल संवितरण की अथवा किसी स्थाई अग्रिम से संवितरित निधियों की पूर्ति करने हेतु आवश्यकता हो। ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु भी अग्रिम राशि आहरित करने की अनुमति नहीं है जिसके पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगने वाला हो। किसी भी व्यय नहीं की गई राशि का तत्परता से कोषालय में वापस किया जाना भी आवश्यक है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अप्रयुक्त निधियों सामान्य अथवा विशिष्ट नियमों में बैंक अथवा डाकखाने में जमा करने हेतु प्राधिकृत नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के चार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लेखाओं की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (फरवरी 2003 से जून 2004) कि विभिन्न योजनाओं/विकास कार्यों हेतु 14.03 करोड़ रुपये राशि की निधियाँ आहरित की गई। इसमें से 10.53 करोड़ रुपये (78.50 प्रतिशत) बैंक एवं डाकखानों में अप्रयुक्त पड़े थे जिनके विवरण परिशिष्ट VII में दिये गये हैं।

* सरकारी लेखा नियमावली 1990 के नियम 30 एवं 31

1.7 निर्धारित प्राथमिकताओं से व्यय

वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 से प्रकट होने वाले आयोजनागत व्यय, पूँजीगत व्यय तथा विकासात्मक व्यय के रूप में राज्य के वास्तविक व्यय से राज्य की निर्धारित प्राथमिकताएं प्रतिबिम्बित होती हैं। कुल व्यय की तुलना में उपरोक्त घटकों के उच्च अनुपात से, व्यय की गुणवत्ता मानी जाती है। निम्नलिखित सारणी 12 में राज्य के कुल व्यय में उपरोक्त व्यय के उपरोक्त घटकों के प्रतिशत के अंश दिये गये हैं।

सारणी 12: व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय से प्रतिशत)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आयोजनागत व्यय	22.92	24.79	26.22	36.77	26.26
पूँजीगत व्यय	5.45	6.77	8.95	14.03	12.38
विकासात्मक व्यय	64.13	62.40	63.22	63.60	65.79

आयोजना व्यय जोकि 2002-03 के दौरान कुल व्यय का 36.77 प्रतिशत था वह घटकर वर्ष के दौरान 26.26 प्रतिशत रह गया। यद्यपि पूँजीगत व्यय में 224 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथापि कुल व्यय में इसके अंश में दो प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय (5857 करोड़ रुपये), विकासात्मक व्यय (14243 करोड़ रुपये) का 41 प्रतिशत लेखांकित किया गया। सामाजिक सेवा पर व्यय में से 41 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछङ्ग वर्ग कल्याण पर 17 प्रतिशत, सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार पर 14 प्रतिशत, जल प्रदाय एवं सफाई पर 14 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 14 प्रतिशत व्यय किया गया।

सारणी 13

सामाजिक क्षेत्र व्यय (करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य शिक्षा	3059 (3.10)	2763 (3.12)	2126 (2.62)	2312 (2.84)	2376 (2.35)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	881 (0.89)	862 (0.97)	688 (0.85)	779 (0.90)	7.99 (0.79)
जल आपूर्ति एवं सफाई	715 (0.72)	701 (0.79)	608 (0.75)	792 (0.97)	820 (0.81)
अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्य पिछङ्ग वर्ग कल्याण	1121 (1.13)	1007 (1.14)	753 (0.93)	937 (1.15)	979 (0.97)
सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	534 (0.54)	547 (0.62)	501 (0.62)	911 (1.12)	794 (0.79)
योग	6310	5880	4676	5731	5768

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कोष्ठकों में

इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पर व्यय (8386 करोड़ रुपये) विकासात्मक व्यय का 59 प्रतिशत लेखांकित किया गया जिसमें से उपभुक्त ऊर्जा 51 प्रतिशत (अधिकांशतः राज्य विद्युत मण्डल को सहायता/आर्थिक सहायता के रूप में) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप 14 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास 10 प्रतिशत था।

सारणी 14
आर्थिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	1424	1258	1131	1259	1198
ग्रामीण विकास	788	970	768	855	833
ऊर्जा	1326	649	2210	1327	4283
योग	3538	2877	4109	3441	6314

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

➤ स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों सहित स्वशासी निकाय एवं प्राधिकरण सामान्यतः लोक उपयोगी सेवाओं के गैर वाणिज्यिक कार्य सम्पन्न करने हेतु स्थापित किये जाते हैं। ये निकाय तथा प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। सरकार मुख्यतः नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं के संधारण, विद्यालय एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं संधारण, सड़कों के सुधार तथा अन्य संचार सुविधाओं हेतु अनुदान देती है।

2003-04 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये विभागों द्वारा विभिन्न निकायों इत्यादि को उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता की मात्रा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निकायों/प्राधिकरणों इत्यादि का नाम	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	शिक्षण संस्थाएं	132.43	156.20	154.80	134.56	173.96
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	105.02	190.72	430.72	506.00	557.35
3.	पंचायती राज संस्थाएं	238.52	218.89	431.90	526.29	524.58
4.	विकास अभियान	1.63	9.08	153.05	253.29	21.30
5.	अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा संस्थाएं	0.17	18.90	4.60	7.08	13.71
6.	अन्य संस्थाएं	1027.23	170.36	29.65	121.22	136.10
	योग	1505.00	764.15	1204.72	1548.44	1427.00
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता	31 (+)	संभव* नहीं	संभव** नहीं	29 (+)	8 (-)
	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता	11	संभव* नहीं	11	12	10
	राजस्व व्यय की तुलना में सहायता की प्रतिशतता	9	संभव* नहीं	8	11	8

^T कंडिका 1.6.2(ज) में दर्शाए 22.38 करोड़ रुपए समाविष्ट।

* राज्य के पुनर्गठन के कारण।

** राज्य पुनर्गठन के उपरांत प्रथम पूर्ण वित्तीय वर्ष होने के कारण।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

➤ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुति में विलम्ब

वित्तीय नियमों में यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्रहीताओं से अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिये तथा सत्यापन के उपरान्त उन्हे आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की ओर अग्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

छह विभागों के अंतर्गत 23 संस्थाओं से 1997-98 से 2003-04 की अवधि हेतु 3901.09 करोड़ रुपये के 2271 उपयोग प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्राप्त नहीं हुये।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	संस्थाओं की संख्या	1997-98 से 1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-03		2003-04		गोल	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शिक्षा	05				—	70	139.98	59	70.05	134	92.11	263	302.14
2.	नगर निगम	01				—	321	430.42	305	504.03	336	557.33	962	1491.78
3.	पंचायती राज	04				—	90	422.80	152	524.23	127	523.75	369	1470.78
4.	विकास अभियान	02				—	92	152.27	89	249.91	32	21.30	213	423.48
5.	चिकित्सा	01				—	—	—	—	—	04	13.71	04	13.71
6.	अन्य विभाग	10	31	40.77	9	2.09	37	3.87	89	66.15	294	86.32	460	199.20
		23	31	40.77	9	2.09	610	1149.34	694	1414.37	927	1294.52	2271	3901.09

➤ स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

अक्टूबर 2004 को स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	निकायों का नाम	लेखाओं की प्रस्तुति	वर्तमान स्थिति
1.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल	1998-99	1999-2000 से 2003-04 तक की अवधि के लेखे अप्राप्त
2.	मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल	2001-2002	2002-03 से 2003-04 तक के लेखे अप्राप्त
3.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2002-2003	2003-04 के लेखे अप्राप्त

➤ लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायों (नगर पालिका, नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियां) के कतिपय शिक्षण संस्थाओं, एवं कतिपय पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि की लेखापरीक्षा संचालक स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा, मध्यप्रदेश गवालियर ने संपन्न की थी। सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल ने संपन्न की।

➤ अन्युक्त अनुदान

2003-2004 के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन (84.70 करोड़ रुपए) और मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल (36.47 करोड़ रुपए) ने 121.17 करोड़ रुपए आहरित किए तथा संबंधित संस्थाओं को अनुदान के रूप में राशियां उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें सिविल निक्षेप में जमा कर दिया।

1.7.2 दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि

राज्य सरकार ने सरकारी धन के दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि से संबंधित 4.88 करोड़ रुपये के 858 प्रकरण सूचित किये। ये प्रकरण 1965-66 से मार्च 2004 तक की अवधि से संबंधित हैं, जिन पर जून 2004 के अंत तक अंतिम कार्यवाही लंबित है। लंबित प्रकरणों के विभागवार/वर्षवार तथा संवर्गवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट VIII और IX में दिये गये हैं।

1.7.3 हानियों इत्यादि का अपलेखन

जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया वर्ष 2003-04 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 74 प्रकरणों में चोरी, अग्नि एवं वसूली न हो सकने वाले राजस्व इत्यादि के कारण हानियों से संबंधित 12.87 लाख रुपये अपलेखित किये। संबंधित विवरण परिशिष्ट-X में दिये गये हैं।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं

सरकारी लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसम्पत्तियों अर्थात् सरकार के स्वामित्व वाले भूमि, भवन का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता तथापि सरकारी लेखाओं में व्यय से सृजित सरकार की वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का लेखाकरण किया जाता है। वित्तीय लेखे के विवरण पत्र 17 के विवरणों के साथ पठित विवरण पत्र 16 में ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के अंत के अधिशेष दर्शाये गये हैं जिनसे देयताएं एवं परिसम्पत्तियाँ संगणित की जाती हैं। परिशिष्ट-III में 31 मार्च 2003 की ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की तुलना में तत्संबंधी 31 मार्च 2004 की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इस विवरणपत्र में देयताओं में मुख्यतः सरकार के स्वत्व का धन जैसे कि आंतरिक उधारियाँ, भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियां सम्मिलित हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा रोकड़ शेष समाविष्ट रहते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की देयताओं में, जो कि वर्ष के दौरान 24 प्रतिशत बढ़ गई, इसमें कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गारंटियाँ/समाश्वासन पत्र समाविष्ट नहीं हैं। परिशिष्ट VI में अप्रैल 1999 से 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2004 तक की अवधि हेतु उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रंखलाबद्ध आंकड़े दर्शाये गये हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 270.13 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ 13 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया कि 2003-04 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (45.02 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय का 16.66 प्रतिशत था जो संधारण पर किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त नहीं था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2004 के अनुसार 7447 करोड़ रुपये के संचयी निवेश सहित 453 अपूर्ण परियोजनाएं थीं। यह दर्शाता है कि सरकार अपने खोतों का विस्तार विरलता से कर रही थी जो कि कोई प्रतिलाभ प्राप्त करने में विफल रही।

1.8.3 निवेश एवं विवरणियाँ

31 मार्च 2004 के अनुसार सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में 1737.29 करोड़ रुपये का निवेश किया था तथापि इस निवेश पर सरकार का प्रतिलाभ अत्यल्प (एक प्रतिशत से कम) था जैसा कि निम्नांकित सारणी 17 में दर्शाया गया है। इनमें से 2003-04 तक कुल मिलाकर 529 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3 सांविधिक निगम एवं 14 सरकारी कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं तथा इन कम्पनियों द्वारा 2003-04 तक प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियाँ 3886 करोड़ रुपये की थीं (परिशिष्ट- XI)।

इस प्रकार सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु उच्च लागत की उधारियों का अधिक विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करना ही आवश्यक नहीं है अपितु ऐसी इकाईयों का विनिवेश करते हुये बीमार इकाईयों के संबंध में हानियों का समाधान भी करना चाहिये। 1996-98 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में 710 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जिसे छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया गया (नवम्बर 2000), परंतु इसकी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का अभी पुनर्वितरण किया जाना है।

मार्च 2004 के अंत तक 1737.29 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित 1619.56 करोड़ रुपये थे परन्तु आबंटन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोक कर रखे गये तथा अभी भी इसका मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सांविधिक निगमों (935.57 करोड़ रुपये), सरकारी कम्पनियों (199.54 करोड़ रुपये), सहकारी बैंकों एवं समितियों (482.91 करोड़ रुपये) तथा संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों (1.54 करोड़ रुपये) के मध्य आबंटन किया जाना है।

सारणी 17 : निवेश पर प्रतिलाभ (करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ की प्रतिशतता
1999-2000	1637.94	1.81	0.11
2000-2001	1679.09	0.31	0.02
2001-2002	1687.08	1.64	0.10
2002-2003	1702.39	4.09	0.24
2003-2004	1737.29	8.42	0.48

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सरकार द्वारा उक्त निवेशों के अतिरिक्त यह कई निकायों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को कर्जे एवं अग्रिम भी उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2004 के अनुसार कर्जे एवं अग्रिमों का कुल बकाया 2608 करोड़ रुपये था (सारणी 18)। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम प्राप्ति के कारण उक्त अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त कुल ब्याज 2001-2002 में 11.84 प्रतिशत से तीव्र गति से घटकर 2003-2004 के दौरान 0.42 प्रतिशत रह गया। इसके साथ ही अधिकांश प्रकरणों में सरकार के ऋण संस्थीकृति आदेशों में इन ऋणों की शर्तों और निबंधनों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सारणी 18: सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज (करोड़ रुपयों में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
प्रारंभिक शेष	2816	2845	2991	2002	2440
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	343	295	599	481	204
वर्ष के दौरान प्रतिभुगतान की गई राशि	314	13	1588	43	36
अंतिम शेष	2845	2991* ^g	2002	2440	2608
निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	29	146	(-989	438	168
प्राप्त ब्याज (करोड़ रुपये में)	247	157	237	24	11
बकाया कर्जे एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	8.68	5.25	11.84	0.98	0.42
राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की औसत दर	8.24	10.69	8.51	8.25	8.54
प्रदत्त एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर	0.44	(-5.44	3.33	(-7.27	(-) 8.12

* छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित 136 करोड़ रुपये का अंतर।

@ उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य आगामी विभाजन हेतु मध्यप्रदेश में रोककर रखे गए 2191 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं।

2001-02 को छोड़ कर प्रतिभुगतानों में 2000-2004 की अवधि के दौरान दिये कर्जे का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही समाविष्ट है। इन कर्जों पर प्राप्त ब्याज भी बहुत कम है जो न केवल अविवेकपूर्ण है अपितु खराब कर्ज संचालन का परिचायक भी है।

1.8.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतः यह अपेक्षित है कि राज्य के आर्थिक स्रोतों का प्रवाह इसके व्यय उत्तरदायित्वों के अनुरूप होना चाहिये तथापि स्रोतों के प्रवाह एवं व्यय उत्तरदायित्वों में किसी अस्थाई अंतर के संबंध में सावधानी बरतने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशागियों के लिये एक तन्त्र व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश की 1 अप्रैल 2002 से 275 करोड़ रुपये एवं 3 मार्च 2003 से 345 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशागियों की सीमा निर्धारित है। राज्य ने विगत वर्ष के 251 दिनों की तुलना में वर्ष के दौरान इस व्यवस्था का केवल 200 दिनों का ही उपयोग किया यद्यपि इसने आठ अवसरों पर बाजार से 2406 करोड़ रुपये की उधारियाँ लीं। अर्थोपाय पेशागियों की सीमा से अधिक अधिविकर्ष का सहारा प्राप्त करना नितांत अवांछित है। राज्य ने विगत वर्ष के 22 अवसरों पर 176 दिनों के अधिविकर्ष की सुविधाओं के उपयोग की तुलना में वर्ष के दौरान 35 अवसरों पर 60 दिनों के लिये इसका उपयोग किया। सारांश में राज्य के

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

दिन प्रति दिन के व्यय की वित्त व्यवस्था हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष पर सरकार की निर्भरता में वृद्धि हो रही है।

सारणी 20: राज्य की अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष तथा उस पर भुगतान किया गया ब्याज (करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
अर्थोपाय पेशगियाँ					
वर्ष के दौरान ली गई	2926.03	2246.46	2491.64	2306.65	5330.26
बकाया	171.62	--	--	--	266.78
भुगतान किया गया ब्याज	10.06	8.22	10.51	11.55	14.06
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य ने अर्थोपाय पेशगियाँ ली*	165	165	117	103	200
अधिविकर्ष					
वर्ष के दौरान लिए गए	2273.74	1220.14	3722.79	4140.40	1083.54
बकाया	--	--	--	--	--
भुगतान किया गया ब्याज	2.47	2.79	5.08	6.69	3.41
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य पर अधिविकर्ष था	100	47	172	176	60

1.8.6 अमुक्त देयताएं

राजकोषीय देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं गारंटियाँ

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत, यदि कोई हो, जैसी कि राज्य विधायिका ने पारित अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की हों, उधार ले सकता है तथापि राज्य विधायिका ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विधान पारित नहीं किया है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 एवं 17 के साथ पठित विवरण पत्र 4 ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्ष जिनसे देयताओं का परिगणन किया जाता है, के अंतर्गत वर्ष के अंत में शेष दर्शाते हैं।

यह दृष्टव्य है कि राज्य की 2001-02 में 26487 करोड़ रुपये की कुल राजकोषीय देयताएं बढ़कर 2003-04 में 37785 करोड़ रुपये हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ये देयताएं 2001-02 में 32.58 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 37.40 प्रतिशत हो गई तथा यह इसके स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का 2.64 गुना एवं स्वयं के स्रोतों का 4.56 गुना हो गयीं। राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियाँ एवं स्वयं के स्रोतों की तुलना में इन देयताओं का अनुपात निम्नांकित सारणी 21 में दिया गया है।

* भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार दी गई जानकारी।

सारणी 21: राजकोषीय असंतुलन - आधारभूत मानदण्ड (रूपये करोड़ में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजकोषीय देयताएं *	25948	22548	26487	30340	37525
वृद्धि दर	18.17			14.55	23.68
निम्नांकित की तुलना में राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	26.27	25.49	32.58	36.55	37.14
राजस्व प्राप्तियाँ	196.52	175.62	236.26	226.57	262.61
स्वयं के स्रोत	313.99	306.19	421.70	388.97	453.80

* राजकोषीय देयताएं- लोक ऋण एवं लघु बचतें, आरक्षित निधियों तथा निक्षेप इत्यादि जैसी अन्य देयताएं।


इन देयताओं के अतिरिक्त सरकार ने अपने विभिन्न निगमों एवं अन्यों द्वारा लिये गये कर्जों पर 2003-04 में 12131 करोड़ रुपये की गारंटियाँ दीं। गारंटियाँ राज्य की आकस्मिक देयताएं हैं तथा कर्जों का भुगतान न करने की स्थिति में राज्य का इन वर्चनबद्धताओं को पूर्ण करने का दायित्व बनता है। राज्य की प्रत्यक्ष राजकोषीय देयताएं इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ीं।

बढ़ती हुई देयताओं के कारण राज्य सरकार की पोषणीयता का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। राजकोषीय देयताएं तब पोषणीय मानी जाती हैं जब इन देयताओं पर भुगतान किया गया औसत ब्याज सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रहता है।

सारणी 22 में अधिक ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तथा बढ़े हुये ब्याज के संदर्भ में ऋण की पोषणीयता दर्शाई गई है।

सारणी 22: ऋण पोषणीयता- ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	औसत
बढ़ी हुई ब्याज दर	8.93	9.94	9.19	8.81	9.41	9.26
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	8.85	(-)10.45	(-)8.09	2.12	21.70	2.83
बढ़ा हुआ ब्याज	(-)0.08	(-)20.39	(-)17.29	(-)6.68	12.29	(-)6.43



ऋण पोषणीयता का अन्य महत्वपूर्ण संकेत पूर्ववर्ती अनुबंधित देयताओं तथा ब्याज के कारण मूलधन के भुगतान के उपरान्त निधियों की निवल उपलब्धता है। निम्नांकित सारणी 23 में विगत पाँच वर्षों में आंतरिक ऋणों की प्राप्तियों एवं प्रतिभुगतान की स्थिति दर्शाई गई है। 2001-2004 के दौरान आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के कारण ब्याज भुगतान एवं प्रतिभुगतान के उपरान्त उपलब्ध निवल निधियाँ 31 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई।

सारणी 23: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आंतरिक ऋण*					
प्राप्तियाँ	2104	1876	1830	3169	7949
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	692	843	906	1105	1857
उपलब्ध निवल निधियाँ	1412	1033	924	2064	6092*
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत)	67	55	50	65	77
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम					
प्राप्तियाँ	1358	994	1451	1780	1723
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	1527	1494	1368	2468	3158
उपलब्ध निवल निधियाँ	(-)169	(-)500	83	(-)688	(-) 1435
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत)	(-)12	(-)50	6	(-)39	(-) 83
कुल लोक ऋण					
प्राप्तियाँ	3462	2870	3281	4949	9672
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	2219	2337	2274	3573	5015
उपलब्ध निवल निधियाँ	1243	533	1007	1376	4657
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत)	36	19	31	28	48

* अर्थोपाय पेशगियों को छोड़कर आंतरिक ऋण

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 2405.82 करोड़ रुपये के बाजार ऋण लिये। वर्ष के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.11 प्रतिशत थी जबकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 2429.04 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1723 करोड़ रुपए उधार लिये। राज्य सरकार ने दर आमंत्रणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर बाजार से उधारियाँ लेने के विकल्प का उपयोग नहीं किया। 31 मार्च 2004 के अनुसार राज्य सरकार के विद्यमान बाजार कर्जों के 56 प्रतिशत कर्जे 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर के हैं। इस प्रकार उनके पूर्ववर्ती कर्जों पर उधारियों की प्रभावकारी लागत उस दर से बहुत अधिक है जिस पर सरकार बाजार से वर्तमान में स्रोत जुटाने में सक्षम है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की भुगतान तिथि की रूपरेखा दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों के लगभग एक तिहाई का आगामी पाँच वर्षों में भुगतान किया जाना है जबकि शेष दो तिहाई ऋणों का 5 से 10 वर्षों की अवधि में प्रतिभुगतान किया जाना वांछित है।

1.8.7 आंतरिक ऋण एवं राजकोषीय घाटे को दबाया जाना

2001-02 एवं 2002-03 के दौरान मध्यप्रदेश अधोसंरचना मण्डल के माध्यम से लिये गये 379.95 करोड़ रुपये के कर्जों का “आंतरिक ऋण” के अंतर्गत लेखांकन नहीं किया गया परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक आंतरिक ऋण एवं राजकोषीय घाटा दबाया गया।

सरकार ने आधारिक परियोजना हेतु कर्जे लेने के लिये अप्रैल 2001 में मध्यप्रदेश आधारभूत निधि योजना 2001 अधिसूचित की। कर्जे मध्यप्रदेश अधोसंरचना मण्डल (मण्डल) के माध्यम से लिये जाने थे। कर्जों हेतु सरकार द्वारा गारंटी दी जानी थी। कर्जों के नियोजकों को मूलधन एवं ब्याज के समय पर प्रतिभुगतान हेतु सरकार को वार्षिक बजट में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करनी थी।

आयुक्त संस्थागत वित्त व्यवस्था के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2004) से प्रकट हुआ कि मण्डल ने 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान क्रमशः बंधपत्र जारी करते हुये (79.95 करोड़ रुपये) तथा आवास एवं शहरी विकास निगम से (300 करोड़ रुपये) 379.95 करोड़ रुपये के कर्जे लिये। बंधपत्र जारी करते हुये लिये गये 79.95 करोड़ रुपये मण्डल के एक बैंक खाते में जमा किये गये तथा हुड़को से लिये गये 300 करोड़ रुपये व्यक्तिक जमा खाते में जमा किये गये जिसे आयुक्त संस्थागत वित्त व्यवस्था (निधि प्रबंधक) द्वारा परिचालित करना था। बंधपत्र जारी करते हुये लिये गये 79.95 करोड़ रुपये के कर्जों एवं तथा हुड़को से लिये गये 300 करोड़ रुपये के कर्जों में से 151.09 करोड़ रुपये की राशि मध्यप्रदेश सेतु निगम को आबंटित की गई। बंधपत्र एवं हुड़को के माध्यम से ली गई कर्ज राशियों का सरकार नियमित रूप में प्रति भुगतान कर रही है। इस संबंध में निम्नांकित अभ्युक्तियाँ हैं-

- चूंकि सरकार द्वारा कर्जों का प्रति भुगतान किया जाना था अतः बैंक खाते/व्यक्तिक जमा खाते में कर्ज राशि का जमा किया जाना तथा राज्य सरकार के “6003-आंतरिक ऋण” शीर्ष के अंतर्गत सरकारी खाते में इसका लेखाकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार के आंतरिक ऋण को छुपाया गया एवं संबंधित वर्षों में उस सीमा तक राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।
- बंधपत्रों के माध्यम से प्राप्त की गई 79.95 करोड़ रुपये की राशि को सरकार के उपयुक्त शीर्ष में रखने के बजाय बैंक खाते में जमा करने के कारण संबंधित वर्षों हेतु राज्य सरकार की अर्थोपाय पेशागियों की वस्तुस्थिति सरलता से अवगत कराने में खाते ने राज्य सरकार को वंचित रखा। अर्थोपाय पेशागियों/अधिविकर्ष पर ब्याज के भुगतान को उक्त सीमा तक टाला जा सकता था।
- यह दृष्टिगत हुआ कि कर्जे लेने से पूर्व भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया गया।
- बंधपत्रों/कर्जों एवं उस पर ब्याज के प्रति भुगतान के संबंध में 58.88 करोड़ रुपये की राशि बैंक खाते में (मार्च 2002 में: 10.20 करोड़ रुपये, मार्च 2003 में: 21.04 करोड़ रुपये तथा मार्च 2004 में: 27.63 करोड़ रुपये) जमा की गई। यह देखा गया कि उक्त राशियों का बंधपत्र धारकों/हुड़को को भुगतान करने हेतु एक माह से

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

अधिक पूर्व कोषालय से आहरण कर लिया गया। 31 मार्च 2004 को आहरित 21.04 करोड़ रुपये की राशि बैंक खाते में अभी भी मण्डल के सावधि जमा के रूप में पड़ी है। निर्धारित प्रति भुगतान के दिनांक के अत्यधिक पूर्व कोषालय से 58.88 करोड़ रुपये के आहरण के परिणामस्वरूप सितम्बर 2004 तक 1.87 करोड़ रुपये के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

मामला अक्टूबर 2004 में सरकार की ओर भेजा गया, उनका अंतिम उत्तर अप्राप्त है।

1.9 घाटे का प्रबंधन


1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय में अंतर प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता दर्शाती है। इसके साथ ही घाटे का जिस प्रकार से वित्तपोषण किया जाता है वे भी राजकोषीय सुदृढता के महत्वपूर्ण परिचायक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरणपत्र 1) जो कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में इसके राजस्व व्यय का आधिक्य होता है, 2001-02 में 3158 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 4476 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा जो कि सरकार की कुल उधारियाँ एवं इसके कुल स्रोतों के अंतर को दर्शाता है वह भी 2001-02 में 3645 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 7323 करोड़ रुपये हो गया। सरकार का प्रारंभिक घाटा भी 2001-02 में 1391 करोड़ रुपए से बढ़कर 2003-04 में 4117 करोड़ रुपये हो गया जैसा कि सारणी 24 में दर्शाया गया है।

सारणी 24: राजकोषीय असंतुलन- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व घाटा	2932	2146	3158	1169	4476
राजकोषीय घाटा	3911	3539	3645	4062	7323
प्रारंभिक घाटा	1772	1128	1391	1560	4117
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.97	2.43	3.89	1.41	4.43
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.96	4.00	4.48	4.89	7.25
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.79	1.28	1.71	1.88	4.08
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	74.97	60.64	86.64	28.78	61.12



राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा 2001-2002 में 87 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 61 प्रतिशत रह गया। 2003-04 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा बढ़कर 4.43 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा 7.25 प्रतिशत तथा प्रारंभिक घाटा 4.08 प्रतिशत हो गया।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्तीय व्यवस्था पोषणीय, लचीली एवं अभेद्य रहनी चाहिये। निम्नांकित सारणी 25 में कतिपय संदर्शकों के संदर्भ में 1999-2004 में सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जो उपलब्ध स्रोतों की पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा उसकी प्रयोज्यता के आकलन में सहायक है तथा महत्व के क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है और अपने महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों एवं सरकार के स्वयं के कर का अनुपात स्रोतों की पर्याप्तता का परिचायक है। ये अनुपात स्रोतों की गतिशीलता एवं पोषणीयता इंगित करते हुए 1999-2004 के दौरान सतत सुधार दर्शाते हैं।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इनके स्रोत जुटाने के संबंध में इनके व्यय की गुणवत्ता एवं पोषणीयता दर्शाते हैं। 1999-2004 के दौरान विकासात्मक व्यय कुल व्यय का लगभग दो तिहाई रहा जबकि कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय 1999-2000 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 12 प्रतिशत हो गया।

सारणी 25: राजकोषीय क्षमता का अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय अनुपात	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्तियों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13.37	14.52	13.79	16.13	14.14
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.867	6.377	5.756	7.427	6.720
व्यय प्रबंधन					

व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.65	18.53	20.23	21.08	21.43
राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय	75.76	78.33	68.18	76.54	60.00
राजस्व व्यय/कुल व्यय	92.58	91.42	87.38	83.22	86.68
पूँजीगत व्यय	5.56	6.90	9.29	14.43	12.49
विकास व्यय/कुल व्यय (राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय)	65.42	63.55	65.63	65.40	66.41
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	2932	2146	3158	1169	4476
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	3911	3539	3645	4062	7323
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	1772	1128	1391	1560	4117
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	74.97	60.64	86.64	28.78	61.12
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	26.27	25.49	32.58	36.55	37.14
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	196.52	175.62	236.26	226.57	262.61
उपलब्ध निवल निधि	36	19	31	28	48
अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता के संदर्शक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.06	0.11	0.02	0.39	0.48
चालू राजस्व का शेष (करोड़ रुपये में)	(-)1556	(-)793	(-)1811	791	(-) 3057
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.73	0.80*	0.71*	0.71*	0.65*

* परिसम्पत्तियों एवं कतिपय देयताओं का अभी विभाजन किया जाना है तथा छत्तीसगढ़ राज्य को इसका अंतरण किया जाना है।

बढ़ता हुआ राजस्व एवं राजकोषीय घाटा राज्य का बढ़ता हुआ राजकोषीय असंतुलन दर्शाता है। इसी प्रकार राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि दर्शाती है कि उधार ली गई निधियों का अधिकांशतः चालू खपत को पूरा करने में उपयोग किया गया है। राजकोषीय असंतुलन के समस्त संदर्शक राज्य की वित्त व्यवस्था की विलम्ब दोष के साथ ही बढ़ती हुई अपोषणीयता एवं भेद्यता में सतत हास दर्शाते हैं।

राज्य के लिये अपनी सामाजिक एवं आर्थिक आधारिक संरचना के विकास तथा अतिरिक्त आय सर्जक परिसम्पत्तियाँ सृजित करने हेतु उधार लेना असामान्य नहीं है तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं के बढ़ते अनुपात के साथ ही बढ़ता हुआ राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार शनैः शनैः ऋण के पाश में आबद्ध हो रही है। उधारियों की निधियों के बड़े भाग का ऋण सेवा में उपयोग किये जाने के कारण इन निधियों की निवल उपलब्धि में हास भी हो रहा है। निवेश पर राज्य का कम प्रतिलाभ अस्पष्ट आर्थिक सहायता तथा निवेश हेतु बड़ी लागत वाली उधारियों का उपयोग दर्शाता है जिससे इसकी उपलब्धि अत्यधिक कम रही। राज्य की देयताओं से कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात भी कम हुआ है जो दर्शाता है कि देयताओं के बड़े अंश के समर्थन में परिसम्पत्तियों का अभाव है। यह दर्शाता है कि राज्य को या तो अपनी विद्यमान परिसम्पत्तियों से अधिक राजस्व सृजित करना चाहिये अथवा इसे ऋण दायित्व को पूरा करने हेतु अपने वर्तमान राजस्व से धन उपलब्ध कराना चाहिये। राज्य को अपनी योजना के आकार का निर्धारण करने में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ऋणात्मक सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस पर विपरीत प्रभाव डालता है और अतिरिक्त आधारभूत अवलम्बन व राजस्व सृजन निवेश हेतु निधियों की उपलब्धि कम कर देता है।

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आंबटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसमें विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की भारित एवं दत्तमत दोनों मदों से संबंधित विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय दर्शाया जाता है।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2003-2004 के दौरान 96 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I. राजस्व	13661.00	4522.40	18183.40	15375.59	-2807.81
	II. पूंजीगत	3623.13	723.68	4346.81*	2812.34*	-1534.47
	III. कर्जे एवं पेशगियाँ	745.75	69.19	814.94	204.36	-610.58
कुल दत्तमत		18029.88	5315.27	23345.15	18392.29	-4952.86
भारित	IV. राजस्व	3288.98	496.91	3785.89	3530.02	-255.87
	V. पूंजीगत	1.12	-	1.12	0.87	-0.25
	VI. लोकऋण	6158.09	3177.55	9335.64	8422.09	-913.55
कुल भारित		9448.19	3674.46	13122.65	11952.98	-1169.67
महायोग		27478.07	8989.73	36467.80	30345.27	-6122.53

* स्थानीय निकायों/संस्थाओं के सहायतानुदान से संबंधित 25 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 22.39 करोड़ रुपये का व्यय सम्मिलित है जो राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजी अनुभाग में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया गया।

टिप्पणी:- व्यय में, राजस्व व्यय के अंतर्गत 140.90 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 134.57 करोड़ रुपये व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं।

6122.53 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत, विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत 185 प्रकरणों में हुई 6125.07 करोड़ रुपये की बचत का निवल परिणाम थी जिसे 7 प्रकरणों में हुए 2.54 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रति संतुलित किया गया।

क्तिपय नमूना जाँच किये गये अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियाँ कंडिका 2.7 में समाविष्ट की गई हैं।

विनियोग लेखे की संवीक्षा में निम्नांकित तथ्य और भी प्रकट हुए:

व्यय अधिक बताया गया:

- व्यय न किये गये 115.45 करोड़ रुपये (राजस्व अनुभाग: 111.44 करोड़ रुपये एवं पूंजी अनुभाग: 4.01 करोड़ रुपये) निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्यशीर्ष-8443 सिविल जमा- 800 अन्य जमाओं में अंतरित किये गये।
- शासकीय संस्थाओं से संबंधित 139.14 करोड़ रुपये (जमा: 545.59 करोड़ रुपयों में से 406.45 करोड़ रुपये के संवितरण घटाकर) मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा, 106 वैयक्तिक जमा खाते के शेष से अधिक थे। वर्ष के दौरान जमा 545.59 करोड़ रुपयों में से 143.82 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किये गये।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित किए गए 20 लाख रुपये की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

कुल व्यय का अधिकथन इसके न्यूनकथन द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया:

- विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया 18.09 करोड़ रुपये तक का व्यय जिसके प्रमाणक वर्ष के दौरान कोषालयों से प्राप्त नहीं हुए, राशि तदनुसार लेखांकित नहीं हो सकी तथा इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम की आपत्ति पुस्तिकाओं में रखा गया।
- वर्ष के दौरान आकस्मिक व्यय निधि से आहरित तथा वर्ष के अंत में अनुदान संख्या 94 में मुख्यशीर्ष 2217-शहरी विकास के एक करोड़ रुपये की भरपाई नहीं की गई।

बचतों/आधिकयों के विवरण (विस्तृत विनियोग लेखे) नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किये गये थे जिसमें उनसे महत्वपूर्ण भिन्नताओं का स्पष्टीकरण अपेक्षित था। विनियोग लेखे में कुल 983 उपशीर्षों पर की गई अभ्युक्तियों में से बचतों/आधिकयों के 857 उपशीर्षों (87.2 प्रतिशत) के संबंध में स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा तथ्यपरक नहीं थे।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

आबंटनीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से निम्नानुसार प्रकट हुआ:

अनुदान संख्या 6- वित्त विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	1476.24		
अनुपूरक	212.50	1688.74	438.83

बचतें मुख्यतः 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-नये जिलों के गठन के कारण प्रशासनिक व्यवस्थाएं (30 करोड़ रुपये), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु एक मुश्त प्रावधान (10 करोड़ रुपये), अन्य व्यय (97.56 करोड़ रुपये), ब्रह्मस्वरूप समिति की सिफारिशें (75 करोड़ रुपये), पेंशन राहत (33.28 करोड़ रुपये), तथा 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- सेवानिवृत्त वेतनभोगी व्यक्तियों को देय (37.03 करोड़ रुपये), भारत में निवृत्ति वेतन की संराशि का भुगतान (117.90 करोड़ रुपये), सेवा एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (10.81 करोड़ रुपये) तथा परिवार पेंशन (11.98 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

अनुदान संख्या 12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	616-00			
अनुपूरक	120.00	736.00	102.81	633.19

यद्यपि मूल प्रावधान के 83 प्रतिशत से भी अधिक बचतें हुईं फिर भी 120.00 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान लिया गया। बचत मुख्यतः 4801-विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- एशियन विकास बैंक से प्राप्त परियोजना ऋण में अंशपूंजी के रूप में अनुदान के भाग का भुगतान (120 करोड़ रुपये) तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण-राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)-विद्युत मण्डलों को अन्य ऋण (512.19 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

अनुदान संख्या 24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	422.34			
अनुपूरक	54.00	476.34	297.53	178.81

बचतें मुख्यतः 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य)- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत मुख्य पुलों का निर्माण (9.42 करोड़ रुपये), नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्राम्य सड़कों का निर्माण (10.21 करोड़ रुपये), बंधपत्र- राशि का प्रतिभुगतान (11.25 करोड़ रुपये), स्तरोन्नयन, डामरीकरण एवं नवीकरण (62.02 करोड़ रुपये), केन्द्रीय क्षेत्र योजना सामान्य- केन्द्रीय सड़क निधि (43.72 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- सड़क निर्माण कार्य (40 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

अनुदान संख्या 30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	310.20			
अनुपूरक	-	310.20	59.29	250.91

बचतें मुख्यतः 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य- मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास अधिकरण को अनुदान (250.90 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। इसके कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

अनुदान संख्या 39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	234.47			
अनुपूरक	सांकेतिक	234.47	63.30	171.17

बचतें मुख्यतः 2408- खाद्य, भंडारण, भंडार गृह केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं सामान्य- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान (150 करोड़ रुपये) तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं (सामान्य)- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के विक्रय हेतु सहकारी समितियों को हानि की भरपाई (13.09 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। 150 करोड़ रुपये की बचत के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को सीधे ही सहायता जारी करना बताया गया जबकि 13.09 करोड़ रुपये की बचत का भाग (11.05 करोड़ रुपये) अनिवार्य मितव्ययता कटौती तथा नवीन बजट प्रणाली का यथोपयुक्त चालन न होने के कारण था।

अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उप योजना

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	545.61			
अनुपूरक	100.91	646.52	378.11	268.41

बचतें मुख्यतः 2029- भू राजस्व- निजी भूमि के क्रय की योजना एवं भूमिहीनों को पट्टा देना (14.23 करोड़ रुपये), 2202- सामान्य शिक्षा- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- सर्व शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) (90.55 करोड़ रुपये), 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना हेतु भारत सरकार से उपलब्ध निधियों में से वित्तपोषित योजना- कृषि भूमि के पुनर्स्थापन हेतु आदिवासियों को सहायता (12.24 करोड़ रुपये), आदिवासी समुदाय हेतु रोक बांध, कुएं, नलकूपों, परिवर्तित जलमार्ग, जल छिड़काव यंत्र

आदि (11.49 करोड़ रुपये), आदिवासी हितग्राहियों को कुओं, नलकूपों, सिंचाई पम्पों एवं कृषि तालाबों हेतु सहायता (10.10 करोड़ रुपये), आदिवासियों की भूमि पर भू-संरक्षण उपायों के रूप में अनाज एवं फलों का पौधरोपण (10.90 करोड़ रुपये), लघु वनोपज का रोपण तथा आदिवासी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों का संग्रहण (8.09 करोड़ रुपये), 2401 फसल संरक्षण- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- कृषि कार्यक्रम (बृहद प्रबंधन) (17.65 करोड़ रुपये), के अंतर्गत हुई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 90.55 करोड़ रुपये की बचत भारत सरकार द्वारा मिशन को सीधे ही केन्द्रीय अंश जारी करने तथा उपलब्ध केन्द्रीय राशि के अनुपात में 25 प्रतिशत का समनुरूपी राज्यांश जारी करने के कारण थी। कृषि कार्यक्रम (बृहद प्रबंधन) के अंतर्गत 17.65 करोड़ रुपये की बचत अंशतः खरीफ 2000 के फसल बीमा दावों के भुगतान (6 करोड़ रुपये) हेतु निधियां उपलब्ध कराने के कारण थी। अन्य बचतों के लिए कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

अनुदान संख्या 48- नर्मदा घाटी विकास

(करोड़ रुपयों में)

पूँजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	986.19			
अनुपूरक	287.09	1273.28	765.96	507.32

चार⁸ योजनाओं के अंतर्गत हुई 25.34 करोड़ रुपये, 87.85 करोड़ रुपये, 100.93 करोड़ रुपये एवं 11.97 करोड़ रुपये की बड़ी बचतें मुख्यतः निर्माणकर्ता अभियानों के संबंध में अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण थीं। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40.87 करोड़ रुपये की बचत आबंटन में अंशतः कटौती करने (7.00 करोड़ रुपये) के कारण थी जबकि 166.56 करोड़ रुपये की बचत मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत भूमि अर्जन तथा सरदार सरोवर के ढूब क्षेत्र में (मुख्य शीर्ष 4801) पुनर्वास कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। अन्य बचत/अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अक्टूबर 2004)।

कई अन्य शीर्षों में भी निम्नानुसार बचतें/अधिक व्यय परिलक्षित हुए :-

- अन्य 89 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कुल 2092.88 करोड़ रुपये की बचतें हुई जैसा कि परिशिष्ट XII में दर्शाया गया है। इनमें से 4 प्रकरणों (क्रम संख्या 38, 43, 50 एवं 66) में कुल 50.90 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
- 49 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 416.58 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि परिशिष्ट XIII में विवरण दिया गया है।

⁸ राज्य आयोजनागत योजनाएं-बरगी नहर डायर्वर्शन परियोजना, बांध एवं संबद्ध निर्माण कार्य, इंदिरा सागर परियोजना इकाई 1 (मुख्य शीर्ष 4701) तथा इंदिरा सागर नहर-बेद विद्युत गृह (मुख्य शीर्ष 4801)।

- 12 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में व्यय, स्वीकृत प्रावधानों से 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक कुल 595.46 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट XIV में दिए गए हैं।
- 59 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और प्रत्येक प्रकरण में 80 प्रतिशत से अधिक कुल 2437.29 करोड़ रुपये की सारभूत बचत परिलक्षित हुई। इनमें से 38 योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। विवरण परिशिष्ट XV में दिए गए हैं।

2.3.2 सतत बचतें

अनुदानों/विनियोगों के 37 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की सतत बचतें हुईं। सतत बचतें अनुप्रयुक्त अनुमानों पर बजट का होना दर्शाती हैं। विवरण परिशिष्ट XVI में दिये गये हैं।

2.3.3 अधिक व्यय का अपेक्षित नियमन

(i) विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिये किसी अनुदान/विनियोग में हुए अधिक व्यय का राज्य विधानमण्डल से नियमन कराया जाना अनिवार्य होता है तथापि 1990-91 से 2002-03 तक के वर्षों के दौरान हुए 5569.04 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अभी तक (अक्टूबर-2004) नियमन नहीं कराया गया है। यह विनियोगों पर विधान मण्डल के नियंत्रण का उल्लंघन है।

विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या/विनियोग	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिये लोक लेखा समिति के समान स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये
1990-91	22	119.51	प्रस्तुत
1991-92	16	258.58	प्रस्तुत
1992-93	21	189.32	प्रस्तुत
1993-94	21	258.11	2.05
1994-95	15	407.46	0.39
1995-96	21	251.59	प्रस्तुत
1996-97	18	224.17	प्रस्तुत
1997-98	13	302.79	0.97
1998-99	17	1276.45	1.84
1999-2000	17	1584.94	प्रस्तुत
2000-2001	07	265.07	265.07
2001-2002	03	6.26	6.26
2002-2003	08	424.79	424.79
योग		5569.04	701.37

(ii) 2003-04 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष के दौरान अनुदानों एवं विनियोगों के 7 प्रकरणों के अंतर्गत हुए 2.54 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन कराये जाने की आवश्यकता है। विवरण नीचे दिये गये हैं:

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय		अधिक व्यय (अधिक व्यय का प्रतिशत)
			राशि रुपयों में		
क- राजस्व (दत्तमत)					
1.	68- रायारहवे वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- पंचायत एवं ग्रामीण चिकास	54,27,75,000	55,51,41,250	1,23,66,250 (2.3)	
2.	84- रायारहवे वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- राजस्व	5,16,000	9,88,538	4,72,538 (91.6)	
योग (क)		54,32,91,000	55,61,29,788	1,28,38,788	
ख- राजस्व (भारित)					
3.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20,00,000	20,26,547	26,547 (1.3)	
4.	67- लोक निर्माण-भवन	10,00,000	14,64,171	4,64,171 (46.4)	
योग (ख)		30,00,000	34,90,718	4,90,718	
ग- पूंजीगत- (भारित)					
5	35- पुर्वास	21,95,000	23,17,639	1,22,639(5.6)	
6	94- सिहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	1,04,98,88,000	1,06,15,93,217	1,17,05,217 (1.1)	
योग- (ग)		1,05,20,83,000	1,06,39,10,856	1,18,27,856	
घ- पूंजीगत (भारित)					
7	23- जल संसाधन विभाग	40,00,000	42,28,894	2,28,894(5.7)	
योग- (घ)		40,00,000	42,28,894	2,28,894	
योग- (क+ग) दत्तमत		1,59,53,74,000	1,62,00,40,644	2,46,66,644	
योग- (ख+घ) भारित		70,00,000	77,19,612	7,19,612	
योग (क+ख+ग+घ)		1,60,23,74,000	1,62,77,60,256	2,53,86,256	

सरकार ने अधिक व्ययों के लिये अक्टूबर 2004 तक कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।

2.3.4 मूल बजट और अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान (8989.73 करोड़ रुपये) मूल प्रावधान (27478.07 करोड़ रुपये) के 32.72 प्रतिशत थे जबकि विगत वर्ष ये 26.75 प्रतिशत थे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 54 प्रकरणों में किये गये 1151.54 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान, 3575.81 करोड़ रुपये की कुल बचत (प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक

बचत) के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक सिद्ध हुए जिनके विवरण परिशिष्ट XVII में दिये गये हैं।

16 प्रकरणों में केवल 6060.87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 7771.33 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल 1710.46 करोड़ रुपये की बचतें हुईं। इन प्रकरणों के विवरण परिशिष्ट XVIII में दिये गये हैं।

4 प्रकरणों में 17.85 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे 2.46 करोड़ रुपये का असमाविष्ट अधिक व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट XIX में दिये गये हैं।

2.3.6 सतत आधिक्य

विनियोग के एक प्रकरण में सतत अत्यधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विनियोग का विवरण	आधिक्य की राशि (रुपयों में) एवं प्रतिशत कोष्ठक में		
पूंजीगत (भारित)	2001-2002	2002-2003	2003-2004
23- जल संसाधन विभाग	5,73,333 (28.7)	80,985 (4)	2,28,894 (5.7)

सतत अत्यधिक व्ययों में जाँच की आवश्यकता है।

2.3.7 निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

पुनर्विनियोग एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है। वे प्रकरण जिनमें (क) पहले से ही अधिक व्यय हो चुका था ऐसे शीर्षों से निधियों के आहरण, (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों के आहरण (ग) बचत के बाबजूद भी निधियों का अनावश्यक आवर्द्धन तथा (घ) अधिक व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यकता से अधिक निधियों के आवर्द्धन करने के कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण (परिशिष्ट XX में दर्शित) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जिससे हीन वित्तीय प्रबंधन परिलक्षित हुआ।

2.3.8 प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

नियमानुसार, व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों/विनियोगों की राशि अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें तथापि वर्ष 2003-04 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 144 प्रकरणों में हुई बड़ी बचतें, विभागों ने अभ्यर्पित नहीं कीं जिनमें 4231.10 करोड़ रुपये की राशि अन्तनिर्हित थी। इनमें से 50 प्रकरणों में उपलब्ध बचतों की प्रचुर राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) जो कुल 4164.14 करोड़ रुपये थीं, अभ्यर्पित नहीं की गई। विवरण परिशिष्ट XXI के अनुसार हैं।

इसके अतिरिक्त, 126 प्रकरणों में 1936.82 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 1833.51 करोड़ रुपये (94.7 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2004 के अंतिम दिन किया गया जिससे व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रकट होता है।

2.3.9 निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

16 प्रकरणों में अभ्यर्पित की गई राशि, उपलब्ध बचत से अधिक थी जो बजट संबंधी नियंत्रण की अक्षम स्थिति का घोतक है। 576.67 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध बचतों की तुलना में अभ्यर्पित राशि 619.31 करोड़ रुपये की थी, परिणामस्वरूप 42.64 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण परिशिष्ट XXII में दिये गये हैं।

3 प्रकरणों में 21 लाख रुपये अभ्यर्पित किये गये यद्यपि इनमें 2.42 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हो गया था। विवरण परिशिष्ट XXIII में दिये गये हैं।

2.3.10 बजट प्रावधान के बिना व्यय

बजट में निधियों का प्रावधान किये बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिये। तथापि यह देखा गया कि 5 प्रकरणों में किया गया 71.88 लाख रुपये का व्यय मूल अनुमानों/पूरक माँग में प्रावधान किये बिना किया गया। विवरण परिशिष्ट XXIV में दर्शाये अनुसार हैं।

2.4 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा लेखांकित आंकड़ों से समयबद्ध रूप से मिलान करना चाहिये तथापि कई विभागों में 12 मुख्य शीर्षों से संबंधित 33 अनुदानों में अन्तर्गत 3386.15 करोड़ रुपये के व्यय का मिलान करना बकाया था जो वर्ष के दौरान कुल व्यय का 11.2 प्रतिशत था। विवरण परिशिष्ट XXV में दिये गये हैं।

2.5 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों हेतु समस्त संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिये और लेखाओं में उनके समाविष्टीकरण हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिये, (ii) 'कार्यालय व्यय शीर्ष' के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग द्वारा बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, (iii) भारित से दत्तमत तथा राजस्व से पूंजीगत और इसके विलोमतः किसी राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता, (iv) "वेतन एवं मजदूरी" शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष में तथा विलोमतः पुनर्विनियोग करना अनुमत्य नहीं हैं, (v) जिस शीर्ष से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण संस्वीकृत किये गये हों, उसमें बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिये, (vi) जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/विनियोग संस्वीकृत किये गये हों, उनके

पर्याप्त विवरण दिये जाने चाहिये तथा पुनर्विनियोग संस्थीकृति के दोनों पक्षों का योग मेल खाना चाहिये। इन अनुदेशों का उल्लंघन कर वर्ष के दौरान 55.25 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण किये गये। इसके विवरण परिशिष्ट **XXVI** में दिये गये हैं।

2.6 व्यय की अत्यधिकता

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिये। व्यय की अधिकता, विशेषकर वित्त वर्ष के अंतिम माहों में होना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चार तिमाहियों से संबंधित व्यय तथा माह मार्च 2004 में किये गये व्यय से भी यह प्रकट होता है कि सात प्रकरणों में मार्च 2004 में किया गया व्यय वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का 45 और 100 प्रतिशत के मध्य रहा जो वित्त वर्ष के अंत में बजट प्रावधान के उपयोग की प्रवृत्ति दर्शाता है। स्थिति परिशिष्ट **XXVII** में अंकित की गई है।

2.7 बजट नियंत्रण

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा तथा आठ अनुदानों² के प्रकरण में अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

व्यय नियंत्रण पंजियां संधारित न करना:

अनुदान संख्या 2, 23, 36, 45, 59, 86, 92 एवं 94 के मासिक व्यय विवरण पत्रक नियंत्रण अधिकारियों को उनकी अधीनस्थ इकाईयों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुए अथवा ये मंगाए नहीं गए। इनमें से किसी भी कार्यालय में व्यय नियंत्रण पंजियां भी संधारित नहीं की गई थीं। अस्तु नियंत्रण अधिकारियों द्वारा माहवार व्यय के अद्यतन प्रगामी योग संगणित नहीं किए जा सके। इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ, जिसके कारण (क) कतिपय उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों से बहुत अधिक व्यय/बड़ी बचतें हुई, (ख) अपर्याप्त/अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान किए गए और (ग) अनियमित पुनर्विनियोग हुआ एवं निधियों का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि पूर्व में विवेचन किया गया है। अनुदान संख्या 36, 59 एवं 92 से संबंधित विभागों ने स्वीकार किया और बताया कि भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजी संधारित की जाएगी।

2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व-दत्तमत), 23- जल संसाधन विभाग (पूँजीगत-दत्तमत), 36- परिवहन (राजस्व-दत्तमत), 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य (राजस्व एवं पूँजीगत-दत्तमत), 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत-दत्तमत), 86- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- जेल (पूँजीगत-दत्तमत), 92- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- संस्कृति (राजस्व-दत्तमत) तथा 94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय (पूँजीगत-दत्तमत)।

दोषपूर्ण बजट अनुमान बनाना

उपर्युक्त नमूना जांच किए गए अनुदानों में अपनाई गई प्रक्रिया तथा 2003-04 के विनियोग लेखे से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों हेतु माँगें तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं। बजट तैयार करने एवं बजट प्रवर्तन की हीन गुणवत्ता के ये परिणाम हुए:

राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत चार अनुदानों (2, 36, 45 एवं 92) में 1.31 करोड़ रुपये से 20.88 करोड़ रुपये तक के अधिक प्रावधान किए गए तथा पूंजीगत दत्तमत भाग में भी चार अनुदानों (23, 45, 59 एवं 86) में 1.10 करोड़ रुपये से 84.01 करोड़ रुपये तक के अधिक प्रावधान हुए। इसके अतिरिक्त पूंजीगत दत्तमत भाग की अनुदान संख्या 94 में 1.17 करोड़ रुपये का अपर्याप्त बजट प्रावधान था। विभाग (अनुदान संख्या 59) ने बताया कि प्रावधान का उपयोग न होना मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण था। नमूना जांच किए गए अनुदानों की 13 योजनाओं के अंतर्गत 2003-04 के दौरान 2 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक कुल 168.07 करोड़ रुपये की, परिशिष्ट **XXVIII** में दिए गए विवरण के अनुसार सारभूत बचतें हुई (11 योजनाओं में सतत बचत हुई थी)। जबकि 7 योजनाओं के अंतर्गत 2003-04 के दौरान परिशिष्ट **XXIX** में दिये गये विवरण के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक कुल 16.66 करोड़ रुपये का प्रचुर आधिक्य होना पाया गया (2 योजनाओं में सतत आधिक्य रहे)।

अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

नमूना जांच किये गये अनुदानों की 3 योजनाओं में कुल 6.96 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए जबकि 3 योजनाओं के पूरक प्रावधान 34.71 करोड़ रुपये तक अधिक थे तथा 2 योजनाओं में 29.75 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान 5.59 करोड़ रुपये के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुए। विवरण परिशिष्ट **XXX** में दिये गये हैं।

जमा शीर्ष में वित्त वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अंतरण

अनुदान संख्या 92 में शीर्ष 2205-800-1301-5062- ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत संग्रहालयों का स्तरोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के अंतिम दिन 2.42 करोड़ रुपये आहरित किए गए और बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने हेतु व्यय के रूप में लेखाओं में दर्शाते हुए 31 मार्च 2004 को मुख्य शीर्ष 8443- सिविल जमा- 800 अन्य जमाओं में जमा किए गए। इसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक व्यय में अनुचित आवृद्धि भी हुई।

बैंक खाते में निधियों का अवरोधन

राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) सिंहस्थ मेला 2004 हेतु व्यवस्था के अंतर्गत अनुदान संख्या 94 में 31 मार्च 2004 को 51 लाख रुपये की राशि आहरित की गई और व्यय के रूप में लेखाओं में दर्शाते हुए बैंक खाते में जमा की गई। केवल बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिये ही उक्त त्रुटिपूर्ण व्यय का लेखांकन किया गया। विभाग ने बताया कि मेला अवधि में हुए व्यय के भुगतान हेतु राशि बैंक खाते में

रखी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यकता की प्रत्याशा में निधियों का आहरण करना वर्जित है।

व्यय आंकड़ों का मिलान न करना

अनुदान संख्या 2, 23, 36, 45, 59, 86, 92 एवं 94 से संबद्ध नियंत्रण अधिकारियों ने वर्ष 2003-04 के विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से नहीं किया जिसका परिणाम व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण के रूप में प्रकट हुआ। नियंत्रण अधिकारियों ने तथ्य स्वीकार किया और बताया कि समाधान किया जायेगा/किया जा रहा है।

मार्च में व्यय की अत्यधिकता

अनुदान संख्या 23 एवं 45 की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2004 के दौरान व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार था:

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष/योजना	व्यय का प्रतिशत
23	4701-01-202-3264- वृत्त स्थापना	39
23	4701-03-209-0101-823- कालिया सोत	44.3
23	4701-80-005-0101-3363- मध्यम परियाजनाओं का सर्वेक्षण	79.3
23	4711-01-103-0101-6358- न्यूटन विचली ग्राम की पेंच नदी को कटाव से बचाना	68.8
45	4702-800-0101-3803- लघु एवं अतिलघु सिंचाई योजना	34.6
45	2702-80-800-7051-बांध सुरक्षा	34.2

विभाग ने बताया कि तथ्य यह है कि मार्च में व्यय की अत्यधिकता, सरकार द्वारा निधियां पूरक अनुदान के रूप में मार्च में ही उपलब्ध कराने के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई पूरक बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था, अस्तु मार्च 2004 में व्यय का होना औचित्यपूर्ण नहीं था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने को नकारा नहीं जा सकता।

पूंजीगत शीर्ष से राजस्व प्रकृति की मदों के पुनराबंटन आदेश करना।

पूंजीगत शीर्ष में से राजस्व की मदों पर तथा इसके विलोमतः व्यय करना वित्तीय नियमों में प्रतिबन्धित है। मेला अधिकारी, उज्जैन द्वारा अनुदान संख्या 94 के अंतर्गत पूंजीगत शीर्ष 4217 सिंहस्थ मेला 2004 का आयोजन मद से व्यय हेतु जारी पुनराबंटन आदेशों की नमूना जांच (अगस्त 2004) से प्रकट हुआ कि उपर्युक्त प्रतिबंधों के प्रतिकूल राजस्व प्रकृति यथा स्वयंसेवियों को गणवेश, भोजन, नाश्ते की व्यवस्था, विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिजली, शामियाना, दवाओं, टेलीफोन, फर्नीचर, स्टेशनरी, यात्रा भत्ते, व्यय आदि हेतु मदों के लिए 5.63 करोड़ रुपये राशि के पुनराबंटन आदेश अनियमित रूप से जारी किए गए।

अनुदान संख्या 94 के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक पुनराबंटन आदेश जारी करना वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि आबंटन आदेश उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए। मेला अधिकारी, उज्जैन द्वारा विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए गए पुनराबंटन आदेशों की जांच से प्रकट हुआ (अगस्त 2004) कि 104.99 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध 106.24 करोड़ रुपये के पुनराबंटन आदेश जारी किए गए थे परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये का अधिक आबंटन हुआ।

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

इस अध्याय में पाँच निष्पादन समीक्षाएं यथा 3.1 बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986, 3.2 भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, 3.3 बैतूल जिले में स्वास्थ्य रक्षण, पीने की पानी की आपूर्ति एवं रोजगार सृजन योजना, 3.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 3.5 सिंहस्थ मेला 2004 हैं।

श्रम विभाग

3.1 बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 का कार्यान्वयन

विशेषताएं

बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 (अधिनियम) बच्चों को खतरनाक धन्धों में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है और कार्यों की उन स्थितियों का भी नियंत्रण करता है जिनमें बच्चों को काम करने से रोका नहीं जाता। उच्चतम न्यायालय ने 1996 में खतरनाक धन्धों में कार्यरत बच्चों की पहचान, उनको हटाने तथा उनके पुनर्वास के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये थे। भारत सरकार ने इस प्रकार काम से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना आरम्भ की थी परन्तु बाल श्रमिकों की उच्चतर घटनाओं वाले जिले जैसे दमोह, रायसेन, सागर एवं टीकमगढ़ जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना की विशेष शालाओं की अभिपूर्ति के लिये कार्ययोजना में समाविष्ट करने के लिये चयन नहीं किया गया। 2005 तक बाल श्रमिक उन्मूलन कार्य के लिये कार्ययोजना राज्य सरकार ने नहीं बनाई।

औद्योगिक परिसरों के निरीक्षण में 87 से 94 प्रतिशत तक कमी थी।

(कण्डिका 3.1.8)

अधिकांश प्रकरणों में आयु के प्रमाण, साक्षा तथा पंचनामे के संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण अभियोजन में दोषमुक्त कर दिये गये जिससे प्रवर्तन तंत्र की कमजोरी प्रकट हुई।

(कण्डिका 3.1.9)

क्षतिपूर्ति के रूप में अपराधी नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाले 17.65 करोड़ रुपयों में से मात्र 3.75 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके।

(कण्डिका 3.1.7)

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना की शालायें चलाने में परियोजना समितियों द्वारा जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशन के पालन में अत्यधिक विषमताएं पाई गईं।

(कण्डिका 3.1.11)

ऐसे 7752 बाल श्रमिक जिनका काम छुड़ाया गया था, के परिवारों के एक वयस्क सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया।

(कण्डिका 3.1.7)

3.1.1 प्रस्तावना

अत्यधिक निर्धनता, लाभप्रद रोजगार के अवसरों का अभाव, आय का रुक जाना तथा निम्न जीवन स्तर बाल श्रमिकों के व्यापक प्रसार के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रमिकों की समाप्ति और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र की चिंता का प्रमुख विषय है। तदनुसार ही बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 (अधिनियम) का अधिनियमन किया गया। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये मध्यप्रदेश के ग्वालियर, उज्जैन तथा मंदसौर जिलों में तीन राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं आरम्भ की गईं। खतरनाक कार्यों तथा उद्योगों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिये 1997 में एक सर्वेक्षण किया गया था।

3.1.2. संगठनात्मक संरचना

अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य में मध्यप्रदेश सरकार का श्रम विभाग प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है जिसके प्रमुख प्रधान सचिव एवं श्रम आयुक्त होते हैं और जिनकी सहायता सहायक श्रम आयुक्त एवं जिलों के श्रम अधिकारी करते हैं। क्षेत्रीय कर्मचारियों में श्रम निरीक्षक समाविष्ट हैं।

3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा के निम्नांकित उद्देश्य हैं:-

- उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की जाँच,
- अधिनियम के अधीन नियंत्रण एवं निषेध संबंधी कार्यों के प्रवर्तन की जाँच,
- विभिन्न परियोजनाओं में आरम्भ की गई पुनर्वास संबंधी कार्यवाही की जाँच और
- परिवेक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र की पर्याप्तता की जाँच।

3.1.4 लेखापरीक्षा समावेशन

समीक्षा में फरवरी से सितम्बर 2004 के दौरान श्रम आयुक्त इंदौर तथा सहायक श्रम आयुक्त एवं 45 जिलों में से 15 जिलों* के श्रम अधिकारी और राष्ट्रीय बाल श्रमिक

* भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, रायसेन, सतना, शहडोल, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा।

परियोजना के परियोजना संचालकों के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर 1999-2004 तक की अवधि में अधिनियम का क्रियान्वयन समाविष्ट है।

3.1.5 वित्तीय प्रबंधन

बच्चों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय बाल-श्रमिक परियोजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

अवधि (1999-2004) के दौरान अशासकीय संगठनों द्वारा चलाई जा रही तीन राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं (ग्वालियर, उज्जैन तथा मंदसौर) के लिये भारत सरकार ने कुल 4.55 करोड़ रुपये के अनुदान विमोचित किये और उक्त अनुदान में से 4.45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

कार्यक्रम का प्रबंधन

3.1.6 केन्द्र तथा राज्य के अधिनियमों के मध्य असंगतता

केन्द्र एवं राज्य के अधिनियम में असंगतता

मध्यप्रदेश दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है जबकि बाल श्रमिक अधिनियम 1986 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसी स्थापनाओं में नियुक्त किया जा सकता है जो खतरनाक न हों। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्य के अधिनियमों के मध्य असंगतता है जिससे इन्हें लागू करने में कभी-कभी कठिनाई होती है। और अधिक प्रत्यक्ष उलझन यह है कि अधिनियम में उन बच्चों को समाविष्ट नहीं किया गया है जो अपने परिवार के साथ कार्य करते हैं। इससे अनेक प्रकरणों में अधिनियम का उल्लंघन सिद्ध करने में कठिनाई हुई। अनेक अभियोजन प्रकरणों में इसलिये सफलता नहीं मिली क्योंकि अभियोजन बच्चों की आयु के कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा। अधिनियम में इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

3.1.7 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर 1996 के अपने निर्णय में खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत बच्चों को हटाने और ऐसे उद्योग जो खतरनाक नहीं है उनकी कार्य स्थिति के नियमन एवं सुधार के साथ पुनर्वास के संबंध में कुछ निर्णय दिये थे।

➤ अवास्तविक सर्वेक्षण

मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में अप्रैल 1997 में किये गये बाल श्रमिक सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य में केवल 11820 बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी निराशा व्यक्त की क्योंकि 1991 की जनगणना से प्रकट हुआ था कि बाल श्रमिकों की संख्या 13.53 लाख है। जिलाध्यक्ष ग्वालियर (50,000) एवं उज्जैन (27,957) ने राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं की स्थापना करते हुये अपनी परियोजना में अधिक बाल श्रमिकों के अस्तित्व की पुष्टि भी की।

सर्वेक्षण और जनगणना के 1991 के आंकड़ों में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्ध अंतर पाया गया।

सर्वेक्षण क्रमबद्ध,
प्रामाणिक और वास्तविक
नहीं था।

17.65 करोड़ रुपये की
क्षतिपूर्ति के विरुद्ध मात्र
3.75 लाख रुपये ही
संग्रहीत किये गये।

खतरनाक कामों से
हटाये गये 7752 बच्चों
के परिवारों के एक
वयस्क सदस्य को काम
नहीं दिलाया गया।

2005 तक बाल श्रमिक
उन्मूलन के लिये
कार्ययोजना कार्यान्वित
नहीं की गई थी।

यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को नियुक्त किया था जिन्होंने नियोक्ता का पूरा नाम एवं पता, आयु प्रमाण पत्र सहित बच्चे की जन्मतिथि और गवाहों के पूरे डाक पते आदि अंकित किये बिना लापरवाही से सर्वेक्षण किया था। इस प्रकार किया गया सर्वेक्षण क्रमबद्ध, प्रामाणिक और वास्तविक नहीं था। भारत सरकार ने बाल श्रमिकों के पुनर्सर्वेक्षण के आदेश (नवम्बर 1999) दिये परन्तु निधियों के अभाव में सितम्बर 2004 तक सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

➤ खतरनाक व्यवसायों में नियोजित बच्चों हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली न करना

बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि जिला अथवा क्षेत्रवार बनानी थी और उन नियोक्ताओं से जिन्होंने खतरनाक धन्धों में बच्चों को नियोजित किया था, निरीक्षकों द्वारा प्रति बच्चे 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति संग्रहीत की जानी थी और उसे उक्त निधि में जमा किया जाना था। यह पाया गया कि बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि बनाई नहीं गई क्योंकि अधिकांश प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल ही नहीं किया गया। संबंधित नियोक्ताओं से 20,000 रुपये प्रति बच्चे की दर से क्षतिपूर्ति वसूली के लिये कारण बताओ सूचना जारी की गई थी परन्तु सभी प्रकरणों में नियोक्ताओं ने अपनी देयताओं पर विवाद किया और 17.65 करोड़ रुपये (8826 बच्चों के लिये) के विरुद्ध अपराधी नियोक्ताओं से मात्र 3.75 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके। अर्थदण्ड वसूल न कर सकने का कारण न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय में विलम्ब और विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी स्थगन आदेश बताया गया।

सरकार को खतरनाक व्यवसाय से मुक्त कराये गये बाल श्रमिक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को काम दिलाना था। खतरनाक काम से हटाये गये 8826 बच्चों के विरुद्ध राज्य सरकार ने मात्र 1074 बाल श्रमिकों के परिवारों को काम प्रदान किया। शेष 7752 प्रकरणों में राज्य सरकार ने बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि में प्रति बालक 5,000 रुपये का अंशदान नहीं दिया।

➤ कार्ययोजना तैयार न करना, खतरनाक उद्योगों तथा प्रक्रियाओं की पहचान एवं सर्वेक्षण

भारत सरकार 1997 में किये गये बाल श्रमिक सर्वेक्षण के परिणामों से संतुष्ट नहीं है और उसने राज्य सरकार को पुनर्सर्वेक्षण तथा खतरनाक उद्योगों तथा प्रक्रियाओं की पहचान के लिये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये थे जिससे कि 2005 तक बाल श्रमिक की समस्या से मुक्ति पाई जा सके। लोक सभा में उस समय की जानकारी के लिये प्रश्न (2001 की संख्या 5) उठाया गया था जिस समय तक निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में बनाई गई कार्य योजना के स्तर के साथ बाल श्रमिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होने की सम्भावना है। उत्तर में श्रम आयुक्त द्वारा यह सूचना दी गई थी (जुलाई 2001) कि सभी 45 जिलों के लिये कार्य योजना तैयार की जायेगी और उसे राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जायेगा एवं तत्पश्चात उसे भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा। पूछताछ करने पर श्रम आयुक्त ने उत्तर दिया (सितम्बर 2004) कि सभी 45 जिलों के लिये कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्य योजना के अनुसार बाल श्रमिकों का एक सर्वेक्षण किया जाना था और उपलब्ध साधनों के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाना था। समस्त जिलाध्यक्षों से निवेदन किया गया था कि योजना को कार्यान्वित

करने के लिये अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी तदुनसार भारत सरकार को अनुदान के प्रस्ताव भेजे गये थे परन्तु दिसम्बर 2004 तक कोई अनुदान विमोचित नहीं किया गया था अतः न तो कोई सर्वेक्षण किया गया और न कार्य योजना ही कार्यान्वित की गई।

3.1.8 नियंत्रण संबंधी कार्य

➤ नियम न बनाना

अधिनियम की धारा 3 से 9 खतरनाक धन्धों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार का निषेध करती है तथा ऐसी स्थापनाओं में जो खतरनाक नहीं है बच्चों के कार्य की स्थितियों का नियंत्रण करती है। अभिलेखों की नमूना जाँच से खतरनाक धन्धों एवं प्रक्रियाओं से हटाये गये बच्चों के निरीक्षण, पहचान एवं पुनर्वास में कमियाँ प्रकट हुईं।

भाग-3 (बच्चों के कार्य की स्थितियों का नियंत्रण) को छोड़कर अधिनियम के प्रावधान दिसम्बर 1986 से लागू किये गये। अधिनियम का भाग-3 26 मई 1993 से प्रभावी हुआ परन्तु भाग-3 प्रभावी करते हुये 26 मई 1993 की यह विज्ञप्ति श्रम आयुक्त के पास उपलब्ध नहीं थी और 1997 के दौरान ही इस संबंध में दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किये गये। परिणामतः ऐसे उद्योग जो खतरनाक नहीं हैं, में कार्यरत बच्चों के कार्य की स्थितियों के नियंत्रण में विलम्ब हुआ।

अधिनियम की धारा 18 में अधीन राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में विज्ञप्ति निकाल कर अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये नियम बनाने का अधिकार रखती है। यह पाया गया कि उपर्युक्त धारा के अधीन अब तक नियम नहीं बनाये गये (सितम्बर 2004)।

➤ निरीक्षण में कमी

निरीक्षण एक महत्वपूर्ण नियंत्रण संबंधी कार्य हैं जिसके माध्यम से अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारी प्रणाली एवं नियमित सर्वेक्षण एवं परिसरों के मालिकों के निरीक्षण की प्रक्रिया के मानदण्ड निर्धारित किये जाने थे परन्तु कर्मचारी प्रणाली के मानदण्ड बनाये नहीं गये तथापि राज्य सरकार ने अक्टूबर 1999 में निरीक्षण की कुछ शर्तें तय की थीं। श्रम आयुक्त ने प्रतिमाह प्रति निरीक्षक दस निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित किया था (जनवरी 2001)। 45 जिलों में से नमूना जाँच किये गये 15 जिलों में निरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है:

निरीक्षण में 87 से 94 प्रतिशत तक कमी रही।

वर्ष	खतरनाक स्थापनाओं की संख्या	ऐसी स्थापनाओं की संख्या जो खतरनाक नहीं है	उपलब्ध श्रम निरीक्षकों की संख्या	मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित निरीक्षणों की संख्या	किये गये निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण में कमी (प्रतिशतता)
1999-2000	32,838	1,39,980	114	निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे।	851	--

2000-01	32,838	1,39,980	109	निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे।	401	
2001-02	32,838	1,39,980	118	14160	1556	89
2002-03	32,838	1,39,980	122	14640	1971	87
2003-04	32,838	1,39,980	119	14280	885	94

* 1997 में किये गये बाल श्रमिक सर्वेक्षण के अनुसार आंकड़े (बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

अधिनियम के अधीन एक महत्वपूर्ण नियंत्रण संबंधी कार्य का कार्यान्वयन अप्रभावी हो गया क्योंकि निरीक्षण में सम्पूर्णतः कमी आई जो 2001-04 के दौरान वार्षिक रूप से 87 से 94 प्रतिशत के मध्य थी।

> निरीक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब

ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब हुआ।

अधिनियम की धारा 17 के अधीन मध्यप्रदेश सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के सुरक्षित अनुपालन के उद्देश्य के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति करनी थी। राज्य सरकार ने दिसम्बर 1987 में निरीक्षकों की नियुक्ति की। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पालन के लिये अन्य विभागों के कर्मचारी भी मार्च 1997 में निरीक्षक घोषित किये गये। ग्रामीण क्षेत्र समावेशित करने के लिये समर्त ग्राम सभायें भी जनवरी 2001 में निरीक्षक के रूप में घोषित की गई परन्तु कोई शासकीय राजपत्र विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। इस प्रकार अधिनियम के अधीन निरीक्षक के रूप में ग्राम सभाओं को घोषित करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी न करने के कारण अधिनियम का कार्यान्वयन प्रतिरुद्ध हुआ।

> धारा 9, 11 एवं 12 के अधीन नियोक्ताओं द्वारा अभिलेखों का संधारण न करना

जिला कार्यालयों द्वारा अधिनियम की धारा 9, 11, 12 का पालन नहीं किया गया।

अधिनियम का भाग-3 जो बच्चों के कार्य की स्थितियों का नियंत्रण करता है, के अनुसार एक स्थापना के प्रत्येक उस मालिक द्वारा जो बच्चों को रोजगार देता है अथवा कार्य करने की अनुमति देता है, रोजगार देने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर उस निरीक्षक के पास जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर स्थापना स्थित है, पूर्ण विवरण यथा स्थापना का नाम उसकी स्थिति, मालिक का नाम एवं पता तथा व्यवसाय की प्रकृति सहित लिखित सूचना भेजी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मालिक द्वारा धारा 11 के अधीन बाल श्रमिकों के अभिलेख रखना भी अपेक्षित है और धारा 3 एवं 14 (खतरनाक कार्यों में बाल श्रमिकों का निषेध) की एक सूचना तथा दण्डात्मक प्रावधान भी शीघ्रता से प्रदर्शित करना चाहिये। अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने पर धारा 14(3)(क) से (घ) के अधीन अर्थदण्ड की व्यवस्था है। नमूना जाँच किये गये जिलों में यह पाया गया कि धारा 9 के अधीन मालिकों द्वारा अपेक्षित सूचना श्रम विभाग को अग्रेषित नहीं की गई। आकस्मिक रूप से की गई जाँच के दौरान मालिक उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अपराधी पाये गये। नमूना जाँच किये गये जिलों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है-

वर्ष	अधिनियम की धारा	पाये गये उल्लंघन के प्रकरणों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें न्यायालय में प्रकरण आरम्भ किया गया	निर्णीत प्रकरणों की संख्या	आरोपित एवं संग्रहीत अर्थदण्ड की राशि (रुपयों में)
1999-2000	3,9,11,12	29	29	22	38,750
2000-01	3,9,11,12	22	22	19	56,500
2001-02	3,9,11,12	22	21	14	37,500
2002-03	3,9,11,12	22	22	29	1,35,500
2003-04	3,9,11,12	31	31	02	6,000

नियमित निरीक्षण न करने के संबंध में पूछताछ करने पर श्रम आयुक्त ने सूचित किया (सितम्बर 2004) कि अधिनियम के भाग-3 को लागू करने के संबंध में भाग-1 धारा 1(3) के अधीन जारी विज्ञप्ति उनके पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान लागू न करने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता नहीं लगाया जा सका और बाल श्रमिकों के रोजगार एवं कार्य की स्थिति का नियंत्रण नहीं किया जा सका तथा मालिक अधिनियम की धारा 14(3) क से (घ) के अधीन अर्थदण्ड से बच गये।

3.1.9 निषेध संबंधी कार्य

अधिनियम की धारा 3 के अधीन 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को अधिनियम की अनुसूची भाग के एवं ख में व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार देने का निषेध किया गया है। चूककर्ता मालिकों पर अर्थदण्ड लगाया जाना है। नमूना जाँच किये गये जिलों के न्यायालयीन प्रकरणों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान न्यायालय में आरम्भ किये गये प्रकरण	वर्ष के दौरान निर्णीत प्रकरण		उन प्रकरणों की संख्या जिनमें विभाग द्वारा अपील की गई	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण
			दोषी गये	पाये गये		
1999-2000	2393	540	01	271	--	2661
2000-01	2661	60	01	43	--	2677
2001-02	2677	170	04	66	--	2777
2002-03	2777	17	10	15	--	2769
2003-04	2769	24	02	1296	--	1495

आरम्भ किये गये तथा लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की वर्षवार एवं जिले वार स्थिति श्रम आयुक्त द्वारा नहीं रखी गई। जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बरी होने के प्रकरण अपर्याप्त अभिलेखों यथा आयु के प्रमाण, गटाह एवं पंचनामे के न होने के कारण घटित हुये। यह भी देखा गया कि सागर में सहायक श्रम आयुक्त 890 प्रकरणों में से 249 प्रकरणों में न्यायालय में केस दायर ठरने में विफल

अपर्याप्त अभिलेखों के कारण मुकदमे में सफलता नहीं मिली।

रहे। उल्लेख करने पर श्रम आयुक्ता ने सूचित किया (सितम्बर 2004) कि जिलों से विवरण संग्रहीत किये जा रहे हैं। मुकदमे दायर न करने एवं अपराधी सिद्ध करने में विफलता के कारण अधिनियम का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा।

फेकट्री अधिनियम के अधीन दायर बाल श्रमिकों के प्रकरण श्रम विभाग को बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अधीन कार्यवाही करने के लिये हस्तांतरित नहीं किये गये।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन फेकट्री अधिनियम 1948 की धारा 67 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के अपराधी पाये गये एवं सजा पाये गये दोषी को अधिनियम की धारा 14(1) एवं (2) के अधीन दण्डित किया जाना था। यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये जिलों में ऐसे कोई प्रकरण नहीं पाये गये। पूछताछ करने पर सहायक श्रम आयुक्त ने उत्तर दिया कि बाल श्रमिकों को रोजगार देने के प्रकरण उप संचालक औद्योगिक सुरक्षा जिन्होंने फेकिट्रियों का निरीक्षण किया था, द्वारा हस्तांतरित नहीं किये गये। इससे नियंत्रण तंत्र के मध्य समन्वय का अभाव परिलक्षित हुआ।

3.1.10 पुनर्वास कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना

खतरनाक कामों से बाल श्रमिकों की मुक्ति एवं शिक्षा के माध्यम से उन्हें शारीरिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से पुनर्वास के लिये भारत सरकार ने अगस्त 1987 में बाल श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अधीन आरम्भ की गई मुख्य गतिविधियों में विशेष शालाओं की स्थापना है जो खतरनाक रोजगार से हटाये गये बच्चों को शिष्यवृत्ति, स्वास्थ्यरक्षण आदि सहित कल्याणकारी उपायों का एक पैकेज पहले से ही तैयार करेंगी। विशेष शालाओं में बच्चों को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिये औपचारिक/औपचारिकेतर पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा प्रदान की जायेगी जिसके पश्चात छठवीं कक्षा में बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जायेंगे।

➤ बाल श्रमिकों की अत्यधिक व्यापकता वाले जिलों का ध्यान न रखना

बाल श्रमिकों की अत्यधिक व्यापकता वाले जिले राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं के लिये चुने नहीं गये।

मध्यप्रदेश में तीन जिलों के लिये राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संस्थीकृत की गई थी और उसने मंदसौर* (मई 1988), ग्वालियर* (मार्च 2000) एवं उज्जैन* (जनवरी 2001) में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। 1997 के सर्वेक्षण के दौरान पहचान किये गये खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों की संख्या और भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की संस्थीकृति के मध्य कोई संबंध नहीं था। बाल श्रमिकों की अत्यधिक व्यापकता वाले जिलों यथा दमोह (4079), रायसेन (1000), सागर (890) एवं टीकमगढ़ (719) का कार्ययोजना में सम्मिलित करने के लिये चयन नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिये एक परियोजना स्तरीय समिति का गठन किया गया था। परियोजना संचालक (समिति का सचिव) स्थाई रूप से राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लेकर बनाया जाना था तथापि ग्वालियर में एक सेवानिवृत्त उप जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उज्जैन में कोई नियमित संचालक नियुक्त नहीं किया गया था परन्तु नारी निकेतन के अधीक्षक के पास दोनों का प्रभार था और वह बिना कर्मचारियों के कार्यालय की व्यवस्था कर रहा था।

* मंदसौर: 19 ग्वालियर: 180, उज्जैन: 18

भारत सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 1996) कि राज्य सरकार और विशेष रूप से श्रम विभाग जिलों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे। इस उद्देश्य के लिये श्रम विभाग द्वारा खतरनाक स्थापनाओं का नियमित सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा पहचान करनी थी और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ से बाल श्रमिकों को हटाना था तथा उनका पुनर्वास विशेष शालाओं में करना था। खतरनाक कार्य से इस प्रकार हटाये गये बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को वैकल्पिक कार्य दिलाया जाना था।

➤ नामांकन के लिये बच्चों की अपूर्ण पहचान

ग्वालियर एवं उज्जैन की राष्ट्रीय बाल श्रमिक शालाओं की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि श्रम विभाग के स्थान पर परियोजना समितियों ने नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया और वह भी मालिकों के सही पते अंकित किये बिना अनियमित ढंग से चिकित्सा अधिकारी से आयु के प्रमाण की एकत्रित नहीं किये गये और अधिकांश बच्चे अधिनियम की धारा 3 के अभिप्राय के भीतर समाविष्ट नहीं हो पाये। वस्तुतः बच्चे अपने पिताओं के साथ उनके कार्य में सहायता करते पाये गये। यहाँ तक कि नियमित शालाओं में नामांकित बच्चे विशेष शालाओं में भी नामांकित किये पाये गये। सर्वेक्षण सूची श्रम विभाग से सत्यापित तक नहीं कराई गई और बच्चों के परिवारों के पुनर्वास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका उल्लेख करने पर श्रम आयुक्त ने सूचित किया (सितम्बर 2004) कि न तो उनने सर्वेक्षण किया और न उन्होंने सत्यापन ही किया।

➤ शालाओं से हटने की उच्च दर

उन तीन जिलों में जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रवर्तित की गई थीं, में नामांकित बच्चों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

जिले का नाम	वर्ष	नामांकित बच्चों की संख्या	उत्तीर्ण बच्चों की संख्या	शाला से हटने वाले बच्चों की संख्या/प्रतिशत (%)	औपचारिक शालाओं में भर्ती बच्चों की संख्या	शाला से हटने वाले/अनुच्छीण बच्चों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
ग्वालियर	2000-01	1590	--	50 (3)	--	
	2001-02	1698	49	513 (30)	49	
	2002-03	1795	283	268 (15)	283	
	2003-04	1820	359	454 (25)	359	
	योग	6903	691	1285 (19)	691	90
मंदसौर	1999-2000	282	55	27 (10)	55	
	2000-01	398	40	55 (14)	38	
	2001-02	404	50	46 (11)	50	
	2002-03	364	14	46 (13)	14	
	2003-04	325	27	64 (20)	27	
	योग	1773	186	238 (13)	184	90
उज्जैन	2001-02	1574	15	201 (13)	15	
	2002-03	1575	263	185 (12)	263	
	2003-04	1575	356	113 (7)	356	
	योग	4724	634	499 (11)	634	87
	महायोग	13400	1511	2022 (15)	1509	

ग्वालियर उज्जैन तथा
मंदसौर में शालाओं से
बच्चों का हटने का
प्रतिशत 87 से 90
प्रतिशत के मध्य था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अनुत्तीर्ण/शालाओं से हटने के प्रकरण ग्वालियर एवं उज्जैन में 90 प्रतिशत और मंदसौर जिले में 87 प्रतिशत थे। शालाओं से हटने का कारण पालकों का देशान्तर गमन तथा पालकों द्वारा बच्चों को शालाओं से निकालना था अतः यह स्पष्ट है कि बच्चों का सावधानी से चयन नहीं किया गया। इस प्रकार योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

3.1.11 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं के कार्य करने में कमियाँ

मंदसौर में परियोजना मई 1988 से आरम्भ हुई थी और प्रारम्भ में स्लेट पेसल उद्योग में कार्यरत 1299 बच्चों की पहचान की गई थी तथा 8 शालाएं खोली गई थीं परन्तु वर्तमान में केवल 4 शालाएं चल रहीं हैं। इन शालाओं में जिलाध्यक्ष द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या नगण्य थी और उस क्षेत्र के बच्चे जो वस्तुतः बाल श्रमिक नहीं थे (अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में) इन शालाओं में भर्ती किये गये थे। इस प्रकार परियोजना से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी जिसके लिये यह थी।

फरवरी 2004 से सितम्बर 2004 के दौरान की गई नमूना जाँच में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुये-

- उज्जैन एवं मंदसौर जिलों में प्रति बच्चे प्रति माह 100 रुपये की दर से शिष्यवृत्ति का संवितरण करना बताया गया था परन्तु वैध प्रमाणक/पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त शिष्यवृत्ति की राशि बैंक के आवर्ती जमा खातों में जमा की गई थी और विद्यार्थियों को शाला छोड़ने तक राशि वापस लेने की अनुमति नहीं थी।
- ग्वालियर, उज्जैन तथा मंदसौर जिलों में नमूना जाँच की गई शालाओं में पोषण पंजी संधारित नहीं की गई थीं। पूरक भोजन के वास्तविक वितरण को अभिलेखों के अनुसार बच्चों की उपस्थिति से उस समय कभी भी परस्पर सम्बद्ध नहीं किया गया जब समिति के निरीक्षकों ने उसकी जाँच की थी।
- अध्ययन में निरन्तरता एवं आगे की उन्नति सुनिश्चित करने के लिये बच्चों की वैयक्तिक जानकारी संधारित नहीं की गई थी।
- पुस्तकें तथा लेखन सामग्री या तो विलम्ब से वितरित की गई थी अथवा वितरित ही नहीं की गई थी। वितरण के सम्यक अभिलेख नहीं रखे गये थे।
- बच्चों की कक्षानुसार उपस्थिति पंजियाँ संधारित नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के माध्यम से पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य में सम्पूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार के दिशा निर्देशों से भटक गये थे तथा अभिप्रेत हितग्राहियों का समावेशन नहीं किया गया था।

3.1.12 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य समन्वयन समिति फरवरी 2001 में गठित की गई थी। बैठक प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी थी परन्तु केवल दो बैठकें (1999 एवं 2002) ही आयोजित की गई थीं। जिले में अभियोग संबंधी प्रकरणों की गति धीमी थी और जिला अधिकारियों द्वारा अर्थदण्ड की वसूली आरम्भ नहीं की गई थी। न तो संचालनालय ने और न विभाग ने ही नियमित कारण बताओ सूचना तथा अभियोजन के लिये अंतिम रूप से प्रेषित प्रकरणों की संख्या के संबंध में आंकड़ों के मासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा यहाँ तक कि वार्षिक संकलन निर्धारित ही किये थे। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं की कार्यपद्धति के परिवीक्षण के लिये श्रम विभाग तथा जिलाध्यक्षों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा शालाओं के नियमित के लिये कोई पंजी तैयार नहीं की गई थी।

3.1.13 निष्कर्ष

बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम खतरनाक स्थापनाओं में बाल श्रमिकों को लगाया जाना प्रतिबंधित करता है। नियमित सर्वेक्षण तथा नियमित कार्यक्रम नहीं किये गये। 2005 तक राज्य से बाल श्रमिकों के उन्मूलन हेतु कार्ययोजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया। खतरनाक स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई। उन रोजगारों में बच्चों के कार्य की स्थितियां, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जहाँ उन्हें कार्य करने से रोका नहीं जाता, का भी नियमन नहीं किया गया। खतरनाक कार्यों से बच्चों को हटाने एवं उनके पुनर्वास के लिये एपेक्स कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। दोषी नियोक्ताओं से अर्थदण्ड अधिकांश प्रकरणों में वसूल नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कार्य करने वाले बच्चों के परिवारों के लाभ के लिये समूह निधि का निर्माण नहीं किया जा सका। अपर्याप्त अभिलेख यथा आयु का प्रमाण, गवाह एवं पंचनामे के अभाव के कारण अपराधी सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाये। श्रम विभाग राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शालाओं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाया।

3.1.14 अनुशंसाएं

- इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रावधानों का नियमन सुनिश्चित करते हुये पदांकित पदाधिकारियों के रूप में अन्य कार्यकर्ताओं को अधिकार प्रदान कर सम्यक् विज्ञप्ति जारी करके कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- औद्योगिक परिसरों तथा प्रक्रियाओं के नियमित सर्वेक्षण एवं नियमित कार्यक्रम नियतकालिकता पर सम्यक् परिवीक्षण के उद्देश्य से जोर दिया जाना चाहिये।
- बाल श्रमिकों की पहचान के लिये एक समयबद्ध तथा नियमित सर्वेक्षण किया जाना चाहिये जिससे कि उनके पुनर्वास के लिये स्रोतों का नियंत्रण एवं बाल श्रमिकों का मुख्य धारा में उचित रूप से संकेन्द्रन सुनिश्चित किया जा सके।
- अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिये पालन किये जाने वाले नियम बनाये जायें और प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित किये जायें।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.2 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

विशेषताएँ

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालक को जिला आयुर्वेद अधिकारियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा फार्मेसियों के अधीक्षकों की सहायता से आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों में शिक्षा प्रदान कर औषधियों के उत्पादन आदि के साथ राज्य में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना था।

औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता, औषधियों की अपर्याप्तता, अंतर्वर्ती सुविधाओं एवं खुराक आदि के अभाव में रोगियों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में चिकित्सालयों और औषधालयों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ। महाविद्यालयों में शिक्षा कर्मियों की कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा कच्ची सामग्री की कम आपूर्ति से फार्मेसियों में औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई।

कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में परिलक्षित हुई महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं।

1999-2004 के दौरान “चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय” अनुदान के अंतर्गत औषधियों, मशीनरी एवं उपकरणों पर हुआ व्यय कुल व्यय का केवल एक से तीन प्रतिशत तक था।

(कंडिका 3.2.6)

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बैहर (बालाघाट) में अंतर्वर्ती सुविधाएँ संस्कीर्ति के 12 वर्ष के उपरान्त भी आरम्भ नहीं की गई तथा तामियाँ (छिंदवाड़ा), दमोह, होशंगाबाद, झाबुआ व खरगोन में उक्त सुविधाएँ बंद हो गईं।

(कंडिका 3.2.7)

पाँच चिकित्सालयों में 17 से 50 प्रतिशत के मध्य तथा आठ चिकित्सालयों में 67 से 100 प्रतिशत तक स्वीकृत विस्तर क्षमता उपलब्ध नहीं कराई गई।

(कंडिका 3.2.7)

चार औषधालयों ने कार्य आरम्भ नहीं किया तथा 18 औषधालय सहायक कर्मचारियों के बिना चल रहे थे। 1999-2004 के दौरान 193(36 प्रतिशत) औषधालयों में चिकित्सकों के अभाव में 22.83 लाख रोगियों का उपचार कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था।

(कंडिका 3.2.7)

महाविद्यालयों में शिक्षाकर्मियों की अपर्याप्तता से शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई तथा सम्बद्ध चिकित्सालय केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के आनुरूप नहीं थे।

(कण्डिका 3.2.8)

फार्मसियों में औषधियों का उत्पादन अत्यन्त कम रहा। 2003-04 के दौरान यूनानी फार्मसी में कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(कण्डिका 3.2.9)

5.10 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों के क्रय में गुणवत्ता नियंत्रण करने में विभाग विफल रहा।

(कण्डिका 3.2.9)

3.2.1 प्रस्तावना

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालनालय की स्थापना राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राज्य कार्यक्रमों तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु की गई है और वह राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है।

जिला एवं तहसील स्तरों पर नौ चिकित्सा महाविद्यालयों (आयुर्वेद-7, यूनानी-1 एवं होम्योपैथी-1) के साथ ही आठ सम्बद्ध चिकित्सालय (आयुर्वेद-7 एवं होम्योपैथी-1), 22 अन्तर्वर्ती रोगी अस्पताल (आयुर्वेद-20 एवं होम्योपैथी-2), ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1623 औषधालय (आयुर्वेद-1427, यूनानी-50 एवं होम्योपैथी-146), दो फार्मसियाँ (आयुर्वेद एवं होम्योपैथी-एक-एक) तथा छः प्रशिक्षण केन्द्र (कम्पाउण्डर-4 एवं दाई-2) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 28 गैर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (आयुर्वेद-7, यूनानी-3 एवं होम्योपैथी-18) तथा नौ अशासकीय दाई प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं।

3.2.2 उद्देश्य

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- राज्य में चिकित्सालयों तथा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों के माध्यम से रोगों के निवारण हेतु स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।
- आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
- औषधियों का उत्पादन, अधिप्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था करना।

3.2.3 संगठनात्मक संरचना

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रधान होते हैं। संचालक, उच्चतम क्षेत्र-प्राधिकारी के रूप में कार्यक्रमों के समग्र क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। इनके कार्य संचालन में 45 अधीक्षक-सह-जिला आयुर्वेद अधिकारी भी सहयोग करते हैं और जो अपने जिलों में स्थित चिकित्सालयों एवं औषधालयों के कार्यचालन पर नियंत्रण रखते हैं। दो फार्मेसी अधीक्षक, आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के उत्पादन में संलग्न हैं तथा नौ महाविद्यालय प्राचार्य[†] जो संस्थाओं के प्रमुख हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करते हैं।

3.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि:-

- क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से संबंधित राज्य कार्यक्रमों तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन स्वास्थ्य रक्षण सेवायें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में यथोपयुक्त रूप से प्रदान की जा रही हैं।
- उक्त चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना की पर्याप्तता एवं उपयोग।
- औषधियों के उत्पादन एवं अधिप्राप्ति में मितव्ययता एवं दक्षता।
- राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु परिवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली।

3.2.5 लेखापरीक्षा समावेशन

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संचालनालय की कार्यप्रणाली की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 3.20 में विवेचना की गई थी। लोक लेखा समिति द्वारा इसकी चर्चा (अगस्त 2004) की गई थी, तथापि लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2005)। आगे 1999-2000 से 2003-04 तक की अवधि का समावेशन करते हुये संचालनालय से संग्रहीत जानकारी तथा 45 में से 11^{*} जिलों के जिला आयुर्वेद अधिकारियों, दो फार्मेसियों (भोपाल एवं ग्वालियर) और नौ में से चार महाविद्यालयों (आयुर्वेद-भोपाल व ग्वालियर, यूनानी एवं होम्योपैथी भोपाल) के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से फरवरी-सितम्बर 2004 के दौरान समीक्षा की गई थी। प्रकाश में आये तथ्यों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

[†] आयुर्वेद-भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा व उज्जैन, यूनानी एवं होम्योपैथी-भोपाल

* 1. बालाघाट 2. छिंदवाड़ा 3. दमोह 4. ग्वालियर 5. होशंगाबाद 6. झावुआ 7. खरगौन 8. मण्डला 9. मुरैना 10. शहडोल व 11. शाजापुर

3.2.6 वित्तीय प्रबंधन

➤ बजट आबंटन एवं व्यय

बजट आबंटन, उसके विरुद्ध किया गया व्यय, वेतन, भत्तों एवं पारिश्रमिक पर हुये व्यय की तुलना में “चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय” अनुदान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं पर किया गया व्यय संचालनालय द्वारा यथासूचित निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	वेतन एवं भत्तों तथा पारिश्रमिक पर व्यय		औषधियाँ, मशीनरी एवं उपकरण	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)
1999-2000	75.11	74.38	0.73	70.18	94	1.08	1
2000-01	81.14 + 5.10*	74.70 + 5.10*	6.44	65.93	88	1.80 + 5.10*	2
2001-02	70.28	58.53	11.75	53.52	91	1.27	2
2002-03	67.55	60.66	6.89	54.91	91	1.75	3
2003-04	70.06	62.53	7.53	56.91	91	1.99	3
योग	369.24	335.90	33.34	301.45		12.99	

➤ चिकित्सा सुविधाओं पर अपर्याप्त व्यय

औषधियों, मशीनरी एवं उपकरणों पर व्यय केवल एक से तीन प्रतिशत ही था जबकि वेतन एवं भत्तों तथा पारिश्रमिक पर व्यय 1999-2004 के दौरान 88 एवं 94 प्रतिशत के मध्य था। पाँच वर्षों के दौरान औषधियों और उपकरणों तक हेतु कुल आबंटित निधियाँ 17.59 करोड़ रुपये थीं फिर भी इनका उपयोग केवल 12.99 करोड़ रुपये तक सीमित रहा जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। इसका मुख्य कारण क्रयों के अंतिम निर्धारण में विलम्ब होना था।

जाँच में परिलक्षित हुआ कि चिकित्सा सुविधाओं पर हुआ व्यय अनुदान का केवल एक से तीन प्रतिशत ही था जबकि वेतन एवं भत्तों तथा पारिश्रमिक पर व्यय 1999-2004 के दौरान 88 एवं 94 प्रतिशत के मध्य था। पाँच वर्षों के दौरान औषधियों और उपकरणों हेतु कुल आबंटित निधियाँ 17.59 करोड़ रुपये थीं फिर भी इनका उपयोग केवल 12.99 करोड़ रुपये तक सीमित रहा जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। इसका मुख्य कारण क्रयों के अंतिम निर्धारण में विलम्ब होना था।

➤ व्यय पर नियंत्रण

बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय पर उचित नियंत्रण रखने हेतु संचालनालय को अधीनस्थ इकाईयों से प्राप्त मासिक व्यय विवरण पत्रों को व्यय नियंत्रण पंजी में संकलित करना और अद्यतन प्रगामी व्यय की संगणना करना अपेक्षित था, तथापि ऐसा यथोचित रूप में नहीं किया गया तथा बजट आबंटन और माहवार एवं प्रगामी व्यय, पंजी में अंकित नहीं किये गये। अस्तु प्रावधानों का पूर्ण उपयोग तथा बचतों का अभ्यर्पण सुनिश्चित नहीं किया जा सका, परिणामतः व्यय पर परिवीक्षण एवं यथोचित नियंत्रण का अभाव परिलक्षित हुआ।

* ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों के लिये दवाईयाँ क्रय करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता।

3.2.7 कार्यक्रम प्रबंधन

➤ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना

राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

➤ चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली

1999-2004 के दौरान कोई नया चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया। राज्य में 990 बिस्तरों की संस्वीकृत संख्या के साथ 27 आयुर्वेदिक तथा तीन होम्योपैथी चिकित्सालय हैं। 14 नमूना जाँच किये गये चिकित्सालयों में 1999-2004 के दौरान संस्वीकृत एवं उपलब्ध बिस्तर-संख्या, वस्तुतः उपयोग किये गये बिस्तर, कर्मचारी संख्या और किये गये व्यय की स्थिति परिशिष्ट- XXXI में दर्शाये अनुसार है। विश्लेषण से प्रकट हुआ कि चिकित्सालयों में कर्मचारियों की कमी एवं अनिवार्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण कर्मचारियों की कमी थी तथा उपलब्ध बिस्तर क्षमता का भी कम उपयोग हुआ।

➤ कर्मचारियों की कमी

चिकित्सालयों में विशेषज्ञों एवं महिला चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

संचालक ने राज्य के चिकित्सालयों में मार्च 2004 को कार्यरत कर्मचारियों की समग्र स्थिति प्रेषित नहीं की। नमूना जाँच किये गये चिकित्सालयों में 61 चिकित्सकों, 114 पैरामेडीकल स्टाफ एवं 193 अन्य कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों के विरुद्ध मार्च 2004 को क्रमशः 9 चिकित्सकों, 51 पैरा मेडीकल कर्मचारियों एवं 42 अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त थे जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। बालाधाट, छिदवाड़ा (तामियाँ), दमोह, मण्डला व मुरैना जिलों के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं की गई थी (मार्च 2004 को) तथा दमोह, होशंगाबाद एवं मण्डला जिलों में विशेषज्ञ पदस्थ नहीं थे, यद्यपि पद संस्वीकृत किये गये हैं। संचालक ने बताया (सितम्बर 2004) कि भर्ती नियमों में विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधी शर्तें एवं निबंधन समाविष्ट न किये जाने के कारण विशेषज्ञों के 20 संस्वीकृत (मई 1992) पद नहीं भरे जा सके। इस प्रकार रोगियों को महिला चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के परामर्श से वंचित रखा गया।

➤ अंतर्वर्ती सुविधाएं आरंभ न होना तथा बंद हो जाना

बिस्तर आदि प्रदाय न किये जाने के कारण 6 चिकित्सालयों में अंतर्वर्ती सुविधाएं बंद करना पड़ी।

विभाग द्वारा पलंग, गद्दे आदि प्रदाय न किये जाने के कारण बैहर (बालाधाट) के 30 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अंतर्वर्ती सेवाएं इसकी संस्वीकृति के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त भी आरम्भ नहीं की गई। नर्सिंग स्टाफ की कमी, भवनों में स्थान एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसी सुविधाएं इन चिकित्सालयों में बंद कर दी गई थथा तामियाँ (छिदवाड़ा) (दिसम्बर-2002 में), दमोह (जनवरी-2000 में), होशंगाबाद (जनवरी -2002 में), झाबुआ (1986 में) एवं खरगौन चिकित्सालय (अगस्त 1995 में)। अंतर्वर्ती सुविधाएं बंद हो जाने के बावजूद भी वहाँ पूर्व में पदस्थ कर्मचारी अमला जारी रहा। कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर नियुक्त वार्ड बॉय (7), सफाई कर्मी (5), पानी वाले (2) एवं धुलाई कर्मचारियों (4) के पारिश्रमिक पर किया गया (1999-

2004) 15.67 लाख रुपये का व्यय तथा लेखापरीक्षा में समावेशित अवधि के दौरान केवल अंतर्वर्ती रोगियों के लिये ही नियुक्त स्टाफ नर्स (1) के बेतन एवं भत्तों पर हुआ 4.47 लाख रुपये का व्यय अंतर्वर्ती सुविधाओं के अभाव में निष्कल सिद्ध हुआ।

➤ बिस्तर क्षमता उपलब्धता और उसके उपयोग में कमी

अपर्याप्त सुविधाओं के कारण चिकित्सालयों में उपलब्ध बिस्तर क्षमता का उपयोग नहीं हुआ।

पर्याप्त अधिवास स्थान, फर्नीचर आदि की अनुपलब्धता के कारण पाँच चिकित्सालयों (भोपाल- आयुर्वेद एवं होम्योपैथी, ग्वालियर, झाबुआ व शहडोल) में 17 से 50 प्रतिशत तथा आठ चिकित्सालयों (बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा- आयुर्वेद एवं होम्योपैथी, दमोह, होशंगाबाद, मण्डला व मुरैना) में 67 से 100 प्रतिशत तक स्वीकृत बिस्तर क्षमता अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। चिकित्सालयों में अपर्याप्त औषधियों, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सीय, प्रयोगशाला आदि सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सालयों में उपलब्ध बिस्तर क्षमता का 44 से 100 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग नहीं हुआ। इससे चिकित्सालयों में अत्यधिक सुविधाओं का होना परिलक्षित हुआ। इनकी स्थिति सुधारने हेतु कोई उपाय नहीं किये गये।

➤ स्वास्थ्य रक्षण सेवाओं का विस्तार न करना

पूर्व में स्वीकृत चार औषधालयों ने कार्य आरम्भ नहीं किया।

राज्य में कुल 1623 औषधालय (ग्रामीण: 1471 तथा शहरी: 152) कार्यरत होना बताए गये। विभाग ने नये औषधालय खोलने हेतु कोई नियम नहीं बनाये हैं। संचालनालय द्वारा सूचित किये अनुसार सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य सरकार ने 1999-2004 के दौरान कोई औषधालय संस्वीकृत नहीं किया। अपितु चिकित्सकों एवं अधीनरक्ष कर्मचारियों की पदस्थापना न होने के कारण पूर्व में संस्वीकृत तीन होम्योपैथी औषधालयों (बड़वानी: 2 जुलाई 1999, झाबुआ: 1 मार्च 1986) तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय सिवनी: सितम्बर 1990) ने कार्य आरम्भ नहीं किया यद्यपि 1999-2004 के दौरान संचालनालय को प्रतिवर्ष बजट प्रावधानों से बचतें हुईं। अस्तु उक्त पद्धति के अंतर्गत 1999-2004 के दौरान स्वास्थ्य रक्षण सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ।

➤ स्टाफ की कमी एवं प्रबंधन

राज्य में मार्च 2004 को औषधालयों में कर्मचारी अमले की स्थिति निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	पद	संख्या		कमी	कमी का प्रतिशत
		संस्वीकृत	कार्यरत		
1	चिकित्सा अधिकारी	1298	1140	158	12
2	सहायक चिकित्सा अधिकारी	464	312	152	33
3	कम्पाउण्डर	1632	1365	267	16
4	दाई	1384	744	640	46
5	दवासाज	1562	1441	121	8

कमी के बाबजूद भी कुछ औषधालयों ने अपनी संस्थीकृत पद संख्या में वृद्धि की।

राज्य में चिकित्सकों (चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी) की कमी के बाबजूद भी छः जिलों में स्थित औषधालयों में 12 चिकित्सा अधिकारी (दतिया:1, खण्डवा:1, रीवा:6, सागर:1, सीधी:1 व टीकमगढ़:2) संस्थीकृत संख्या से अधिक पदस्थ किये गये थे। यह भी देखा गया कि होशंगाबाद से टीकमगढ़ स्थानांतरित (जुलाई 1998) हुये एक चिकित्सा अधिकारी के नवम्बर 1999 से जून 2004 तक के वेतन एवं भत्ते जिला आयुर्वेद अधिकारी, होशंगाबाद ने आहरित किये, यद्यपि चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण की तिथि से होशंगाबाद स्थित औषधालय बिना किसी चिकित्सक के चल रहा था। कर्मचारियों की कमी एवं विसंगति से औषधालयों का कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ जिससे स्वास्थ्य रक्षण सेवायें प्रदान करने तथा जनशक्ति तैनाती एवं उपयोग की गुणवत्ता की हीन दशा परिलक्षित हुई।

➤ स्टाफ का अन्य विभागों में अनियमित संयोजन

तीन जिलों में 14 कर्मचारी अनियमित रूप से अन्य विभागों में संयोजित किये गये।

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के अन्य विभागों में संयोजन की प्रथा को समाप्त करने के अनुदेश जारी (जनवरी 2000) किये थे। यह देखा गया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के बाबजूद भी तीन जिलों (छिदवाड़ा, होशंगाबाद व मुरैना) में 14 कर्मियों (कम्पाउण्डर:3, दवासाज/औषधालय सेवक:4, रसोईया:1, रसोई सेवक:1, पानीवाले:3, स्टाफ नर्स:1 एवं वाहन चालक:1) को 1999-2004 के दौरान अन्य विभागों यथा पंचायत, राजस्व, आदिम जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में संयोजित किया गया जिसमें उनके वेतन एवं भत्तों पर 17.46 लाख रुपये का व्यय हुआ। लम्बी अवधि तक उनका संयोजन जारी रखने के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की आवश्यकता है।

➤ सहायक कर्मचारियों के बिना आयुर्वेदिक औषधालयों का कार्यचालन

18 औषधालय सहायक कर्मचारियों के बिना चल रहे थे।

आयुर्वेदिक औषधालयों को चलाने के लिये नियमों के अनुसार प्रत्येक औषधालय हेतु एक चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर, दाई, औषधालय सेवक तथा अंशकालिक सफाई कर्मी का एक पद संस्थीकृत किया जाना आभीष्ठ होता है। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा 1988-89 के दौरान जनपद पंचायत से अधिग्रहीत किये गये 18 आयुर्वेदिक औषधालयों (बालाघाट:12 एवं होशंगाबाद:6) हेतु केवल चिकित्सा अधिकारी का ही पद संस्थीकृत किया गया। अस्तु उक्त औषधालय कोई सहायक कर्मचारी अमला संस्थीकृत किये बिना चल रहे थे।

➤ अप्राधिकृत/अयोग्य व्यक्तियों द्वारा उपचार

13 जिलों में 193 औषधालय बिना चिकित्सकों के चल रहे थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिये मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिवेदन क्रमांक 3 (सिविल) की कंडिका 3.24 के संबंध में लोक लेखा समिति ने अपने 300वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी कि चिकित्सकों की पदस्थापना की जहाँ आवश्यकता हो, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य केन्द्रों से सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये। प्रतिवेदनों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि

1561[@] में से 414 औषधालयों (ग्रामीण:391 एवं शहरी:23) में सितम्बर 2003 तक चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं की गई थी। अस्तु औषधालय बिना चिकित्सकों के चल रहे थे। नमूना जाँच किये गये जिलों (11) तथा यूनानी फार्मसी भोपाल में 486 औषधालयों में से 170 (ग्रामीण:157 एवं शहरी:13) (35 प्रतिशत) औषधालय मार्च 2004 को बिना चिकित्सकों के चल रहे थे, परिणाम यह हुआ कि वहाँ कम्पाउण्डर (तृतीय श्रेणी) तथा “औषधालय सेवक/दवासाज” दाई, अंशकालिक सफाईकर्मी (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा उपचार किया जा रहा था यद्यपि वे ऐसा करने हेतु प्राधिकृत अथवा योग्यता प्राप्त नहीं थे। 152 औषधालयों में 17.97 लाख रोगियों को उपचार कम्पाउण्डरों द्वारा दिया गया और रोगियों को 48.56 लाख रुपये मूल्य की औषधियाँ प्रदाय की गई। इसके अतिरिक्त 18[¶] औषधालयों (ग्रामीण:16 एवं शहरी:2) में 2.79 लाख रोगियों को उपचार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा दिया गया और 1999-2004 अवधि के दौरान 5.90 लाख रुपये मूल्य की औषधियाँ प्रदाय की गई जबकि चिकित्सक पदस्थ नहीं थे। बेतूल जिले में 1.86 लाख एवं 0.21 लाख रोगियों का उपचार क्रमशः कम्पाउण्डरों (17 औषधालय) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (6 औषधालय) द्वारा किया गया और उन्होंने 5.98 लाख रुपये एवं 1.23 लाख रुपये मूल्य की औषधियाँ रोगियों को चिकित्सकों के अभाव में प्रदाय कीं।

11 नमूना जाँच किये गये जिलों में 170 औषधालयों जो बिना चिकित्सकों के थे (मार्च 2004), में से 96 औषधालयों में एक से पाँच वर्ष तक, 38 औषधालयों में पाँच से 10 वर्ष तक तथा 9 औषधालयों में 10 वर्ष से भी अधिक समय तक चिकित्सक पदस्थ नहीं किये गये, शेष 27 औषधालय एक वर्ष से कम अवधि तक बिना चिकित्सकों के चल रहे थे।

संचालक ने बताया (सितम्बर 2004) कि चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव समय-समय पर राज्य सरकार को भेजे गये थे।

➤ आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता

औषधालयों में आवश्यक सुविधाओं तथा चिकित्सीय उपकरणों का अभाव था।

1623 औषधालयों में से 622 औषधालय सरकारी भवनों में, 596 पंचायत/बिना भाड़े के/दान में प्राप्त भवनों में तथा 405 (25 प्रतिशत) औषधालय किराये के भवनों में अवस्थित थे। किराये के भवनों में चल रहे अधिसंख्य औषधालयों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। नमूना जाँच किये गये जिलों में स्थित औषधालयों (486) में आवश्यक सुविधाओं यथा बिजली (331), पानी (378) तथा चिकित्सीय उपकरणों जैसे स्थेटिस्कोप (463), थर्ममीटर (464) व रक्तचाप उपकरणों (454) का अभाव था।

[@] कुल 1623 औषधालयों में से केवल 1561 की ही जानकारी उपलब्ध कराई गई।

[¶] बालाघाट:2, भोपाल:1, छिंदवाड़ा:4, दमोह:1, खरणौन:3, मण्डला:1, मुरैना:1 व शाजापुर:5

➤ भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को लोकप्रिय करने के प्रयासों का अभाव

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को लोकप्रिय करने हेतु प्रयासों का अभाव

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को लोकप्रिय करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा एक माह में कम से कम पाँच औषधालयों का निरीक्षण करने, प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों में “हाटों” में चार चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने तथा चिकित्सकों द्वारा स्कूलों में उक्त पद्धति के विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिये संचालक ने अनुदेश जारी किये थे (जनवरी 2001)। नमूना जाँच में यह पाया गया कि अधीक्षक, यूनानी फार्मेसी भोपाल तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी खरगोन ने औषधालयों का निरीक्षण बिल्कुल ही नहीं किया तथा 2000-2004 अवधि के दौरान अन्य जिलों में ऐसी कमी 81 प्रतिशत रही। अधीक्षक यूनानी फार्मेसी, भोपाल तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी, बालाघाट एवं होशंगाबाद ने चिकित्सा शिविर आयोजित नहीं किये। अन्य जिलों में कमी 52 प्रतिशत रही। 2000-2004 के दौरान स्कूलों में भी व्याख्यान आयोजित नहीं किये गये। कमी का कारण इकाईयों द्वारा वाहन और निधियाँ उपलब्ध न कराना बताया गया।

➤ फर्जी चिकित्सकों का सर्वेक्षण न करना

फर्जी चिकित्सकों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

एक जिले में हुये सर्वेक्षण में 13 अपंजीकृत तथा 75 झूठे एवं फर्जी उपाधिधारक पाये गये।

चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े अप्राधिकृत व्यक्तियों की रोकथाम करने हेतु अपंजीकृत चिकित्सकों तथा झूठे एवं फर्जी उपाधि धारकों (नीम हकीमों) का सर्वेक्षण करने और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार ने अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1997)। जाँच में परिलक्षित हुआ कि 1999-2004 के दौरान राज्य में शहडोल जिले को छोड़कर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, उक्त जिले में 1999-2000 के दौरान 113 चिकित्सकों का सर्वेक्षण किया गया जहाँ चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न 13 अपंजीकृत तथा 75 झूठे एवं फर्जी उपाधि धारक पाये गये। तथापि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। संचालनालय ने सर्वेक्षण न करने का कारण निधियों की कमी बताया (अक्टूबर 2004)।

3.2.8 शिक्षण क्रियाकलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में शिक्षा आयुर्वेदिक महाविद्यालयों (7), यूनानी (1) व होम्योपैथी (1) महाविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है। पंजीकृत समितियों द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होने वाले महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध चिकित्सालयों को स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया था (मार्च 1997)।

➤ शिक्षण कर्मियों की कमी

महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मियों की संस्थीकृत एवं कार्यरत संख्या मार्च 2004 को निम्नानुसार थी-

* गाँवों में साप्ताहिक बाजार

	संख्या		कमी
	संस्वीकृत	कार्यरत	
प्राचार्य	9	7	2
प्राध्यापक	31	22	9
सहायक प्राध्यापक	55	31	24
व्याख्याता	117	77	40
प्रदर्शक	67	41	26
योग	279	178	101

शिक्षा कर्मियों की कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में चार प्राचार्य, 19 प्राध्यापक, 26 सहायक प्राध्यापक, 61 व्याख्याता तथ 43 प्रदर्शकों के संस्वीकृत पदों के विरुद्ध मार्च 2004 को क्रमशः एक, नौ, सात, 25 तथा तीन पद रिक्त थे। कमी के कारण शिक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस तथ्य को आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्यों ने भी स्वीकार किया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल व ग्वालियर में 17 चिकित्सा अधिकारी व दो सहायक चिकित्सा अधिकारी, व्याख्याता (5) व प्रदर्शक (14) पदों के विरुद्ध तैनात किये गये थे, इनमें से एक सहायक चिकित्सक वस्तुतः आयुर्वेदिक औषधालय “विधानसभा परिसर” भोपाल में कार्यरत था और उसके बेत्तन एवं भत्ते महाविद्यालय (भोपाल) से आहरित किये गये। उपरोक्त चिकित्सकों में से अधिकांश चिकित्सकों को उनके अनुरोध पर महाविद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया जबकि कई औषधालय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना चिकित्सकों के चलाये जा रहे थे।

➤ संबद्ध चिकित्सालयों का केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के अनुरूप न होना।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 50 छात्रों की भर्ती की तुलना में छात्र-बिस्तर अनुपात 1:2 होना चाहिये और संबद्ध चिकित्सालय में बिस्तर अधिवास संख्या किसी भी स्थिति में 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के अनुसार छात्र-बिस्तर अनुपात 1:1 होना चाहिये।

संबद्ध चिकित्सालय में बिस्तर अधिवास न्यूनाधिक 13 व 17 प्रतिशत था।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल और ग्वालियर तथा होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल में छात्रों की संस्वीकृत भर्ती संख्या क्रमशः 50, 45 तथा 50 थी। संबद्ध चिकित्सालय केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे क्योंकि आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल व ग्वालियर से संबद्ध चिकित्सालयों में 100 व 90 की अपेक्षित संख्या की तुलना में क्रमशः 25 और 48 बिस्तर उपलब्ध थे तथा बिस्तर- अधिवास के अपेक्षित 60 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 13 व 17 प्रतिशत बिस्तर अधिवास था। होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल के चिकित्सालय में 25 बिस्तर उपलब्ध थे, यद्यपि आवश्यकता 50 बिस्तरों की थी।

➤ औषधीय उद्यान का स्थापन

सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग करने के बाद भी औषधीय उद्यान अपूर्ण रहा।

भारत सरकार ने औषधीय पौधे विकसित करने एवं उपजाने की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत प्राचार्य, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल को औषधीय पौध उद्यान स्थापित करने के लिये 5 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता संस्थीकृत कर जारी की थी (मार्च 2001)। प्राचार्य ने अनुदान का उपयोग बाढ़ लगाने, सायबान का निर्माण, नलकूप का अधिष्ठापन आदि कार्य करने पर किया किन्तु नलकूप का विद्युत संयोजन प्रत्याशित था तथा उद्यान की बाढ़ भी ध्वस्त होने के साथ ही 171 पौधों में से 141 पौधे नष्ट हो गये। इस प्रकार अनुदान राशि का उपयोग बृहदरूप से निष्फल रहा।

इसी प्रकार भारत सरकार ने प्राचार्य, आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर को औषधीय पौध उद्यान स्थापित करने हेतु 3.70 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता संस्थीकृत कर (मार्च 2002) जारी की (अप्रैल 2002)। सहायता राशि का उपयोग 2002-03 के दौरान किया जाना था तथापि उद्यान का स्थापन नहीं हुआ (दिसम्बर 2004)।

3.2.9 औषधियों का उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण

➤ फार्मेसियों की कार्यप्रणाली में कमियाँ

फार्मेसियों में औषधियों का उत्पादन अत्यन्त कम हुआ।

“शास्त्रोक्त” औषधियों के निर्माण हेतु विभाग के अधीन ग्वालियर में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा भोपाल में एक यूनानी फार्मेसी कार्यरत है। संचालक औषधियों के निर्माण हेतु अपेक्षित कच्ची सामग्री का क्रय करता है। संचालनालय ने निर्मित की जाने वाली औषधियों का सूचीबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया अथवा कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। फार्मेसियों के अधीक्षकों ने औषधि उत्पादन के लक्ष्य तथा कच्ची सामग्री की आवश्यकता प्रस्तावित करते हुये वार्षिक कार्ययोजना संचालनालय को भेजी तथापि प्रस्तावित लक्ष्यों के लिये संचालक का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

यह देखा गया कि वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित लक्ष्यों की तुलना में दोनों फार्मेसियों में हुआ उत्पादन अत्यन्त कम था। यूनानी फार्मेसी, भोपाल में 2003-04 के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ। संचालनालय ने उत्पादन में हुई कमी का कारण मशीनें पुरानी होना तथा 2002-03 के दौरान कच्ची सामग्री एवं यौगिकों की कम आपूर्ति होना बताया। संचालनालय ने यह भी बताया कि कच्ची सामग्री का क्रय उपलब्ध बजट राशि के अनुसार किया गया था। संचालनालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि “औषधि” मद के अंतर्गत फार्मेसियों में निधियों की बचत हुई थी।

➤ फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण में असामान्य विलम्ब

भारत सरकार ने आयुर्वेदिक फार्मेसी, ग्वालियर और यूनानी फार्मेसी, भोपाल का सुदृढ़ीकरण करने के लिये 90 लाख रुपये का सहायता अनुदान (भवन-25 लाख रुपये एवं मशीनरी/उपकरण-65 लाख रुपये) स्वीकृत किया (मार्च 2001) और प्रत्येक को 75 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी की थी (अप्रैल 2001)। परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना था। दोनों फार्मेसियों के भवनों के नवीनीकरण हेतु अक्टूबर-2001 से मार्च 2004 के दौरान लोक निर्माण विभाग को 50 लाख रुपये की राशि तथा इन

अनुदान राशि की उपलब्धता के बाद भी फार्मेसी का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ।

फार्मेसियों में मशीनरी/उपकरणों की आपूर्ति हेतु हास्पीटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन इण्डिया, नोएडा को 99.02 लाख रुपये का भुगतान (नवम्बर 2003) किया गया था। 91.93 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी/उपकरण उक्त नोएडा कारपोरेशन से नवम्बर 2003 से मार्च 2004 के दौरान प्राप्त हुये। भवन एवं विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण होने के कारण आयुर्वेदिक फार्मेसी, ग्वालियर में मशीनों का अधिष्ठापन नहीं हुआ (दिसम्बर 2004)। अधीक्षक, आयुर्वेदिक फार्मेसी ग्वालियर ने सूचित किया (दिसम्बर 2004) कि नवीनीकरण कार्य को पूरा करने के लिये 8.36 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। फार्मेसियों ने भारत सरकार को परियोजना के प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये यद्यपि यह आवश्यक था। इस प्रकार ग्वालियर स्थित फार्मेसी के सुदृढ़ीकरण में विलम्ब हुआ।

फार्मेसियों के अधीक्षकों ने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्णता के उपरान्त उपयोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिये जायेंगे।

➤ औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के आरम्भ करने में विलम्ब तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की हीनता

अनुदान जारी करने के दो वर्ष से अधिक समय के उपरान्त भी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई।

भारत सरकार ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत ग्वालियर स्थित उक्त प्रयोगशाला के संचालक को परियोजना के एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर उसे कार्यक्षम बनाने की शर्त के साथ एक करोड़ रुपये का सहायता अनुदान (भवन-25 लाख रुपये, मशीनरी/उपकरण-65 लाख रुपये व जनशक्ति 10 लाख रुपये) संस्वीकृत किया (मार्च 2002) और प्रथम किस्त के रूप में 95 लाख रुपये जारी किये (मार्च 2002)। योजना में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी जनशक्ति तैनात करना तथा प्रतिवर्ष औषधियों के 500 नमूनों का परीक्षण करना परिकल्पित था।

संचालक ने आयुर्वेदिक फार्मेसी, ग्वालियर के भवन जहाँ औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जानी थी, के नवीनीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को 22.44 लाख रुपये (नवम्बर 2002) तथा मशीनरी/उपकरण की आपूर्ति हेतु हॉस्पीटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन इण्डिया, नोएडा को 57.36 लाख रुपये का भुगतान किया (नवम्बर 2003)। दिसम्बर 2003 - जुलाई 2004 के दौरान उक्त कारपोरेशन से प्राप्त 52.37 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी एवं उपकरणों का प्रतिष्ठापन नहीं हुआ। भवन का नवीनीकरण कार्य दिसम्बर 2004 को अपूर्ण था। राज्य सरकार ने निर्धारित जनशक्ति भी संस्वीकृत नहीं की थी। परियोजना के प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को नहीं भेजे गये, यद्यपि यह आवश्यक था। इस प्रकार औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आरंभ नहीं हुई (दिसम्बर 2004) यद्यपि मार्च 2003 तक इसका पूर्ण होना अपेक्षित था।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों के नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण करना, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 (अधिनियम) में अवधारित है। जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं पदेन आयुर्वेद औषधि निरीक्षक जिले में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं। नमूना जाँच किये गए जिलों में यह देखा गया कि औषधियों के नमूने किसी परीक्षण के लिये नहीं लिये गये।

➤ औषधियों के क्रय के समय गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव

5.10 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों के क्रय में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया।

संचालक ने आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के क्रय हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को 5.10 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2003 में 2.50 करोड़ रुपये एवं फरवरी 2004 में 2.60 करोड़ रुपये) का भुगतान किया। विभिन्न क्षेत्रों में गठित की गई समितियों को, प्रदाय की जा रही औषधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना था और पूर्व में अनुमोदित नमूनों के साथ उनकी जाँच पड़ताल करना थी। कुछ नमूनों का प्रयोगशाला से परीक्षण भी कराया जाना था। ग्वालियर क्षेत्र हेतु गठित समिति ने आयुर्वेदिक-औषधियों के 23 नमूने लिये और उन्हे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजने की अपेक्षा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के सुपुर्द कर दिया। प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर जो समिति के अध्यक्ष हैं, ने स्वीकार किया कि नमूने अनुमोदित नमूनों की गुणवत्ता के नहीं थे। यह देखा गया कि आठ नमूना जाँच किये जिलों में आपूर्तिकर्ताओं ने 9.23 लाख रुपये मूल्य की नमूनाकृत औषधियां वस्तुतः प्रदाय की थीं। भोपाल क्षेत्र में भी समिति ने 74 नमूने लिये थे किन्तु उनके परीक्षण संबंधी आगामी जानकारी, कोई हो तो अभिलेख में अंकित नहीं थी।

संचालनालय ने उत्तर में बताया कि संग्रहीत किये गये नमूने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास रखे थे और अगर आवश्यक हुआ तो उनके द्वारा उनका विश्लेषण कराया जायेगा। उत्तर में औषधियों के क्रय के समय संचालनालय का स्पष्ट रूप से गुणवत्ता सुनिश्चित करने में नितान्त अभाव प्रकट होता है।

3.2.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

चिकित्सालयों, औषधालयों, फार्मसियों आदि के कार्य निष्पादन की देख-रेख हेतु संचालनालय में किसी परिवीक्षण प्रकोष्ठ की व्यवस्था नहीं की गई थी तथा नियतकालिक प्रतिवेदनों के माध्यम से भी कार्यक्रमों के निष्पादन संबंधी परिवीक्षण की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं थी, परिणामतः राज्य में स्वास्थ्य रक्षण प्रणाली पर हुये प्रभाव का मूल्यांकन नहीं हुआ। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था तथापि लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये और 1999-2003 अवधि के दौरान केवल 18 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। 56 इकाईयों के लक्ष्य की तुलना में 2003-04 के दौरान केवल आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई जिससे 86 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई।

संचालक ने 1999-2002 के दौरान अधीनस्थ इकाईयों का निरीक्षण नहीं किया था। 58 इकाईयों के लक्ष्य की तुलना में 2002-04 के दौरान संचालक ने केवल 12 इकाईयों का निरीक्षण किया। निरीक्षणों के सम्पन्न न होने तथा कमी (79 प्रतिशत) का कारण प्रशासनिक बताया गया।

3.2.11 निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त औषधियों, उपयुक्त अंतर्वर्ती सुविधाओं, खुराक के अभाव तथा औषधालयों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान करना अपर्याप्त था। महाविद्यालयों में

शिक्षा कर्मियों की कमी से शिक्षण कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालय केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे। फार्मसियों में औषधियों का उत्पादन अत्यन्त कम हुआ। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई क्योंकि औषधियों के नमूनों का औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कराया गया।

3.2.12 अनुशंसाएं

निम्नांकित अनुशंसाएं की गईं-

- औषधियों, मशीनरी एवं उपकरणों के लिये उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं, फर्नीचर, उपकरण आदि उपलब्ध कराते हुये चिकित्सालयों एवं औषधालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये।
- जहाँ औषधालय बिना चिकित्सकों के चल रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिकता के आधार पर औषधालयों में चिकित्सक तैनात किये जाने चाहिये।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु औषधियों का परीक्षण करना आवश्यक है तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को क्रियाशील किया जाना चाहिये।

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण विकास
तथा महिला एवं बाल विकास विभाग**

3.3 बैतूल जिले में स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल आपूर्ति एवं रोजगार सृजन योजना

विशेषताएँ

राज्य के केन्द्रीय दक्षिण भाग में स्थित बैतूल जिले में 10043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट है जिसमें से 53 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि है। 13.95 लाख की जनसंख्या में 81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण हैं तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिवासी हैं। जिले के अधिकांश गाँवों के लिये चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचना सहज नहीं है। जिले में पहले से ही उपलब्ध अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सकों एवं समानान्तर चिकित्सा कर्मचारियों की कमी ने और भी वृद्धि कर दी है। जिले के 665 गाँवों के निवासियों के लिये पेयजल की आपूर्ति एक सपना बनकर रह गई है क्योंकि ये गाँव भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। सरकार प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 मानव दिवस का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी जैसा कि किसी भी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित है।

जिले में 90^o स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। विद्यमान स्वास्थ्य केन्द्र अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं यथा भवन एवं उपकरण आदि के साथ कार्य कर रहे हैं। कुछ केन्द्रों में जल एवं विद्युत जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी व्यवस्था नहीं है।

(कांडिका 3.3.6)

विशेषज्ञ/नैदानिक विशेषज्ञ तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों के लगभग 37 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिससे स्वास्थ्य केन्द्रों के सामान्य क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ा।

(कांडिका 3.3.6)

665 गाँवों/निवास स्थानों पर पेयजल उपलब्ध नहीं है जबकि समस्त 5 नगरों एवं 757 गाँवों/निवास स्थानों में जल की उपलब्धता मानक से कम है। 1256 असुरक्षित जल स्रोत बंद न होने के कारण 1.88 लाख लोगों को दूषित जल का उपयोग करना पड़ा।

(कांडिका 3.3.9)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा लोक स्वास्थ्य केन्द्र

अप्रभावशाली कीटनाशकों का छिड़काव मलेरिया के प्रसार को नियंत्रित नहीं कर सका
जिससे 30 लोग मर गये एवं छिड़काव पर किया गया 3.49 करोड़ रुपये का व्यय
निष्कल रहा।

(कंडिका 3.3.7)

1999-2004 के दौरान 99.85 करोड़ रुपये व्यय करने के बाबजूद प्रतिवर्ष गरीबी रेखा
के नीचे के प्रति परिवार 100 दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 17 दिवस का औसत
रोजगार सृजन हुआ।

(कंडिका 3.10)

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आवास इकाईयों, कुओं की मरम्मत एवं
नालियों के निर्माण पर 1.11 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3.12)

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जलग्रहण परियोजनाएं (लागत: 1.27
करोड़ रुपये) पांच वर्षों के उपरान्त भी अपूर्ण रहीं।

(कंडिका 3.3.13)

3.3.1 प्रस्तावना

10043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला बैतूल जिला महाराष्ट्र की सीमा के साथ-साथ राज्य के केन्द्रीय दक्षिण भाग में स्थित है। 1007800 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में से 399406 हैक्टेयर (40 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र है। 113211 हैक्टेयर (11 प्रतिशत) वनाच्छादित है। जबकि 495183 हैक्टेयर (49 प्रतिशत) भूमि अन्य प्रकार की भूमि है। कृषि भूमि में से 2002-03 के दौरान समस्त स्रोतों से सिंचित क्षेत्र 99305 हैक्टेयर (25 प्रतिशत से कम है)।

जिले की 13.95 लाख की कुल जनसंख्या (2001 की जनगणना) में से 50 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा 81 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

जिलाध्यक्ष जिले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है जो कि जिले में कार्यान्वित की जा रही समस्त योजनाओं के समन्वय हेतु उत्तरदाई है। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (अब जिला पंचायत) का प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जो उन कई योजनाओं के कार्यान्वयन एवं समन्वय हेतु उत्तरदाई है जिनके लिये उसके माध्यम से निधियां परिवालित होती हैं तथापि निर्माण कार्य संबंधित कार्यात्मक विभागों द्वारा निष्ठादित किये जाते हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जिला बैतूल की लेखापरीक्षा निम्नांकित आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु की गई थी-

- जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य रक्षण सुविधाओं की गुणवत्ता
- नगरों एवं गांवों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता तथा
- लाभकारी रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं के विस्तार की सीमा

3.3.4 लेखापरीक्षा समावेशन

लेखापरीक्षा समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल आपूर्ति एवं रोजगार सृजन के क्षेत्रों में 1999-2004 के दौरान किये गये निवेश, कार्यक्रम, क्रियाकलापों की मात्रा इत्यादि समाविष्ट हैं। बैतूल जिले के विभिन्न कार्यालयों* में फरवरी से सितम्बर 2004 के दौरान विश्लेषण किया गया।

3.3.5 कार्यक्रम प्रबंधन

1999-2004 के दौरान स्वास्थ्य रक्षण सुविधाओं एवं बच्चों और महिलाओं के लिये पोषाहार सहायता हेतु किये गये निधियों के आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार हैं-

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विभाग	1999-2004			
		कुल आयोजना एवं योजनेतर		आयोजना	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67.22	47.52	39.09	24.45
2.	महिला एवं बाल विकास	15.05	13.73	14.42	13.25
	महायोग	82.27	61.25	53.51	37.70

जिला पंचायत ने विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु 1999-2004 के दौरान 99.85 करोड़ रुपये का व्यय किया जैसा कि परिशिष्ट-XXXII. में दर्शाया गया है। जहाँ तक पेयजल आपूर्ति का संबंध है, शहरी क्षेत्रों में दो योजनाएं क्रियान्वित की गईं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गतिवर्द्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

* मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल, सिविल सर्जन बैतूल, जिला मलेरिया अधिकारी बैतूल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बैतूल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना भैसदेही बैतूल एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी बैतूल।

➤ कार्यान्वयन

बैतूल जिले के एकीकृत विकास हेतु जिला योजना समिति ने 2002-03 और 2003-04 के लिये जिला योजना तैयार की थी।

जिले में कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों ने कल्याण हेतु विभिन्न विकास योजनाएं तथा साथ ही कार्यक्रम क्रियान्वित किये। क्रियाकलापों का (क) स्वास्थ्य रक्षण सुविधाएं (ख) बाल एवं महिलाओं को पोषाहार सहायता (ग) सुरक्षित पेयजल तथा (घ) गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है।

3.3.6 स्वास्थ्य रक्षण सुविधाएं

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभागों ने स्वास्थ्य रक्षण सुविधाओं का विस्तार किया।

➤ स्वास्थ्य रक्षण संस्थाओं की अपर्याप्त संख्या

मानक के अनुसार 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 17 लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कम थे।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति 5000 की जनसंख्या (आदिम जाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या पर) पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों अर्थात् प्रति 30000 की जनसंख्या (आदिम जाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 20000) पर एक लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रति 80000 से 1.20 लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वस्तुतः 4 लोक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु प्रेषक संस्था के रूप में बनाये गये थे। बैतूल जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षण हेतु ऐसी 301 इकाईयाँ (2003-04) थीं जिसमें 328 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 41 लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 34 लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 261 उप स्वास्थ्य केन्द्र समाविष्ट थे। इस प्रकार 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 17 लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी थी। यातायात सुविधाओं की कमी तथा 90 प्रतिशत से अधिक गांवों के जुड़े न होने के कारण अंतरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग आवश्यकता पड़ने पर उक्त इकाईयों का लाभ उठाने में असमर्थ थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल ने सूचित किया (फरवरी 2004) कि उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्र जिला पंचायत की मांग के अनुसार खोले गये थे तथापि जिले के अधिकांश गाँवों की चिकित्सा सेवाओं तक निर्बाध पहुंच नहीं थी।

➤ बिस्तरों की उपलब्धता एवं अधिभोग

जिला अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तरों के कारण 20 से 50 रोगियों को बलात् फर्श का उपयोग करना पड़ा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यशील संवर्ग की अनुशंसाओं के अनुसार एक लाख की जनसंख्या हेतु कम से कम 100 बिस्तर होने चाहिये इसमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला अस्पतालों में क्रमशः 30 और 40 बिस्तर होने चाहिये। इस प्रकार 13.95 लाख की जनसंख्या हेतु 1400 बिस्तरों की आवश्यकता की तुलना में 1174 बिस्तरों की कमी थी। 1999 में 150 से बढ़ाकर 160 बिस्तर करने के बाबजूद जिला अस्पतालों में बिस्तरों की कमी थी जिसके कारण प्रतिदिन 20 से 50 रोगियों को बिस्तर उपलब्ध नहीं कराये जा रहे थे तथा उन्हें बलात् फर्श पर लेटने के साथ ही वैकल्पिक साधनों का

उपयोग करना पड़ता था। जिला अस्पताल में अंतः रोगियों की अधिक संख्या होने के बाबजूद बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

➤ बड़ी बीमारियों हेतु सुविधाओं की अनुपलब्धता

जिला अस्पताल में 1991 में लोक निर्माण विभाग ने एक भवन का निर्माण किया तथा मार्च 1992 में हस्तांतरित किया। यद्यपि उपकरणों के क्रय एवं गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना हेतु 1995-96 के बजट अनुमान में 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था तथापि न तो उपकरण/साधनों का क्रय किया गया न गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना ही की गई। इसी प्रकार जिला अस्पताल में हवदय रोग, गुर्दा, केंसर, एड्स जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन रोगों से ग्रस्त रोगियों को उपचार हेतु भोपाल भेजा जाता था।

➤ स्वास्थ्य रक्षण हेतु अपर्याप्त आधारभूत व्यवस्थाएं

स्वास्थ्य रक्षण इकाईयों में भवन, विद्युत, पेयजल एवं नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

34 लोक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 261 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 11 लोक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 186 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के पास उनका स्वयं का भवन नहीं था तथा लोक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों एवं पंचायत भवनों इत्यादि में कार्यरत थे तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों के भवनों तक में कार्यरत थे। साईखेड़ा (मुलताई) में 2001-02 के दौरान 9.65 लाख रुपये की लागत से 10 बिस्तरों का सुविधायुक्त लोक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्मित किया गया परन्तु लोक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के अभाव में भवन अगस्त 2004 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा। इसके साथ ही 9 लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत की सुविधा नहीं थी जबकि 15 लोक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 62 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल सुविधा भी नहीं थी। लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में एकसरे सुविधा (25), शल्यक्रिया कक्ष (21), प्रसव पीड़ा कक्ष (19), प्रसूती कक्ष (21) एवं आवश्यक उपकरणों (23) की कमी थी। मार्च 1972 और जून 1998 के मध्य दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चार लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में 8.08 लाख रुपये की लागत पर क्रय की गई एवं स्थापित की गई छ: एकसरे मशीनें, तीन प्रकरणों में रेडियोग्राफरों के पद संस्वीकृत न होने तथा तीन प्रकरणों में रेडियोग्राफरों के पद पर नियुक्ति न किये जाने के कारण निष्क्रिय पड़ी हुई थीं। इस प्रकार अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण जिले की जनसंख्या आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित थी।

➤ नैदानिक विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियों की कमी

जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नैदानिक विशेषज्ञों के 37 प्रतिशत पद रिक्त थे।

नौ लोक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों के बिना चल रहे थे।

जिला चिकित्सालयों हेतु संस्वीकृत 10 विशेषज्ञों के पदों में से तीन पद 1997-2004 के दौरान रिक्त थे इसके साथ ही स्नातकोत्तर एवं अन्य चिकित्सा अधिकारियों के संस्वीकृत 22 पदों में से 10 पद रिक्त थे। इसी प्रकार छ: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्ति किये जाने हेतु आवश्यक 14 नैदानिक विशेषज्ञों के विरुद्ध 1992 से कोई विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी एवं नैदानिक विशेषज्ञों के 46 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध 17 पदों (37 प्रतिशत) की कमी थी। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की रिक्तियों की निरन्तरता से स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा। विभाग चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के बारे में पता लगाने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम के अंतर्गत नौ लोक स्वास्थ्य केन्द्र^{*} तीन से सात वर्षों के मध्य की अवधि तक बिना चिकित्सकों के कार्यरत थे। चिकित्सकों के अभाव में कम्पाउण्डरों से रोगियों का उपचार करने को कहा गया जो न तो प्राधिकृत थे और न उन पर निर्भर रहा जा सकता था। इस प्रकार अप्रैल 1997 से जनवरी 2004 के दौरान कम्पाउण्डरों, ड्रेसरों, वार्डबॉय, चपरासी इत्यादि जैसे सहायक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 46.23 लाख रुपये का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

➤ सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक कर्मचारियों की संख्या मानक के अनुसार नहीं थी।

छ: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 34 लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थीकृत एवं नियुक्त सहायक कर्मचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे जैसा कि परिशिष्ट-XXXIII और XXXIV में दिया गया है। मानक में जो पद नहीं दिये गये हैं उन्हें संस्थीकृत किया गया व भरा गया जबकि स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों का अभाव था। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकों के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति न किये जाने तथा अंतः शैयाओं एवं अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण सहायक कर्मचारियों के वेतन पर किया गया व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा। स्वास्थ्य रक्षण संस्थाओं, अंतः शैयाओं, नैदानिक सुविधाओं, नैदानिक विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, समानान्तर चिकित्सा एवं सहायक कर्मचारियों की अपर्याप्तता के कारण ग्रामीण निर्धन अयोग्य चिकित्सा व्यवसाइयों से उपचार की समस्या से मुक्त नहीं हो सके।

3.3.7 मलेरिया नियंत्रण

➤ अप्रभावी कीटनाशकों का छिड़काव

प्रभावकारिता सुनिश्चित किये बिना डी.डी.टी.के छिड़काव के परिणामस्वरूप 61.65 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

मलेरिया के नियंत्रण हेतु 1999 की कार्ययोजना के अनुसार अत्यधिक जोखिम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 901 गांवों की अनुमानित जनसंख्या 8.82 लाख थी तथा दो चक्रों के छिड़काव हेतु 1.323 टन कीटनाशकों/नाशी कीटमारों की आवश्यकता निर्धारित की गई थी जिसका मूल्य 18.98 लाख रुपये था। यद्यपि 1999-2001 के दौरान डी.डी.टी. 50 प्रतिशत के छिड़काव पर 61.65 लाख रुपये व्यय किये गये तथापि 2000-01 के दौरान मलेरिया के 16764 सकारात्मक प्रकरणों का पता लगा। अगस्त - दिसम्बर 2000 के दौरान मलेरिया से 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 2001-02 के दौरान पाये गये सकारात्मक प्रकरणों में 18440 तक वृद्धि हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया (जून 2004) कि डी.डी.टी. 50 प्रतिशत पर्याप्त प्रभावकारी नहीं है। इस प्रकार डी.डी.टी. (50 प्रतिशत) की प्रभावकारिता सुनिश्चित किये बिना 1999-2001 के दौरान इसके छिड़काव से न केवल मलेरिया का नियंत्रण विफल हुआ अपितु इसके परिणामस्वरूप 61.65 लाख रुपये का निष्फल व्यय भी हुआ।

बरवी (4/01), धनोरा (4/97), धुनावा (4/03), हिंदली (10/02), हीरापुर (4/02), खेड़ीकोट (4/97), माण्डवी (4/97) मोहता (4/97) एवं विशनूर (4/98)।

> अप्रभावकारी नाशी कीटमार (डेस्टामेलाथ्रिन 2.5 प्रतिशत) का छिड़काव

अप्रभावकारी
नाशीकीटमारों के
छिड़काव के
परिणामस्वरूप 2.87
करोड़ रुपये का निष्फल
व्यय हुआ।

संचालक स्वास्थ्य सेवा ने भारत सरकार से पूर्व में मांगे गये डेस्टामेलाथ्रिन नाशीकीटमार 2.5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की मांग की (जुलाई 2002)। यह जैव जॉच परीक्षण के कारण था जिससे यह प्रकट हुआ कि डेस्टामेलाथ्रिन 2.5 प्रतिशत अप्रभावकारी था तथापि भारत सरकार से 35 टन डेस्टामेलाथ्रिन 2.5 प्रतिशत (2.86 करोड़ रुपये मूल्य का) प्राप्त हुआ जिसमें से सितम्बर 2002 तक छ: विकासखण्डों में 17.70 टन का छिड़काव भी किया गया। 30 सितम्बर 2002 को हुई जिला योजना समिति की बैठक में लोक प्रतिनिधियों ने नाशीकीटमारों की अप्रभावकारिता के संबंध में गंभीर असंतोष व्यक्त किया। तदनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल ने संचालक स्वास्थ्य सेवा से नाशीकीटमार बदलने हेतु अनुरोध किया। इस बीच जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल ने अक्टूबर 2003 तक छिड़काव हेतु 16.16 टन डेस्टामेलाथ्रिन 2.5 प्रतिशत (मूल्य 1.32 करोड़ रुपये) का और उपयोग कर लिया। छिड़काव हेतु मजदूरी के भुगतान पर भी 10.67 लाख रुपये का व्यय किया गया। इस प्रकार अप्रभावकारी नाशीकीटमार के छिड़काव पर किया गया कुल 2.87 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा। जिला चिकित्सा अधिकारी बैतूल ने सूचित किया (मार्च 2004) कि डेस्टामेलाथ्रिन 2.5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत के उपयोग हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवा से कोई अनुदेश प्राप्त न होने के कारण 2003-04 के दौरान इस नाशीकीटमार का उपयोग किया गया।

3.3.8 बाल एवं महिलाओं को पोषाहार

जिले में 10 परियोजनाओं के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यान्वित की गई थी। योजना का उद्देश्य छ: वर्ष तक के वय वर्ग में बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु आधार बनाना, बाल मृत्यु विकृति, कुपोषण एवं शाला छोड़ने को कम करना तथा माताओं की क्षमता को बढ़ाना था।

> अपर्याप्त हितग्राहियों का समावेशन

1999-2004 के दौरान पहचान किये गये (प) तथा सहायता प्रदत्त (स) हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है:-

(संख्या लाख में)

संवर्ग	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
	प	स	प	स	प	स	प	स	प	स
0-6 वर्ष तक के बच्चे	1.21	0.61	1.34	0.87	1.30	0.87	1.29	0.89	1.28	0.91
कमी की प्रतिशतता		50		35		33		31		29
गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताएं	0.24	0.11	0.24	0.15	0.24	0.16	0.26	0.18	0.23	0.18
कमी की प्रतिशतता		54		37		33		31		22

जिला कार्यक्रम अधिकारी बैतूल ने हितग्राहियों की सहायता में कमी के कारण सूचित नहीं किये।

➤ शिशुओं को पंजीरी उपलब्ध कराना

शिशुओं को 1.70 करोड़ रुपये मूल्य की (1361 टन) पंजीरी उपलब्ध कराई गई।

प्रति शिशु 300 केलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन, प्रति गर्भवती महिला/दूध पिलाने वाली माता 500 केलोरी एवं 15-20 ग्राम प्रोटीन तथा गंभीर रूप से कुपोषित प्रति बच्चे पर 600 केलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना था जिसकी सीमा प्रति गर्भवती महिला/दूध पिलाने वाली माताएं तथा कुपोषित बच्चे के लिए 2 रुपए प्रति दिवस तथा अन्य सभी प्रकरणों में प्रति बच्चा प्रति दिवस एक रुपए थी। यह देखा गया कि 1999-2004 के दौरान समस्त परियोजनाओं में (एक वर्ष के वय तक के) शिशुओं को दूध छुड़ाने वाला खाद्य उपलब्ध कराने के बजाय 56723 शिशुओं को 1.70 करोड़ रुपये की 1361 टन पंजीरी (प्रति शिशु प्रति दिवस 80 ग्राम पंजीरी) उपलब्ध की बताई गई। शिशुओं द्वारा पंजीरी का उपभोग न तो परामर्शयोग्य था न उपयुक्त ही था। जिला कार्यक्रम अधिकारी बेतूल ने सूचित किया (जून 2004) कि यद्यपि इसका औचित्य नहीं था तथापि सरकार के आदेशों के अनुपालन हेतु शिशुओं को पंजीरी का वितरण किया गया। चूंकि शिशुओं द्वारा पंजीरी के उपयोग का औचित्य नहीं था अतः व्यय (1.70 करोड़ रुपए) अनुपयुक्त एवं निष्फल था।

3.3.9 सुरक्षित पेयजल

➤ नगरों को पेयजल की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त योजना

भारत सरकार ने 20000 हजार से कम (1991 जनगणना) जनसंख्या वाले नगरों हेतु केन्द्र प्रायोजित "गतिवर्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम आरंभ (1993) किया। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 70 लिटर से कम जल आपूर्ति वाले नगरों को प्राथमिकता दी जानी थी। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 135 लिटर से कम जल आपूर्ति वाले 20000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को राज्य सरकार द्वारा शहरी जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत लिया जाना था। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 25 लिटर से प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 42.50 लिटर के मध्य पेयजल की उपलब्धता वाले 9605 और 63694 के मध्य जनसंख्या के पांच नगर (सारणी जहां कि पेयजल आपूर्ति मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संधारित की जा रही थी, को छोड़कर) थे। जैसा कि परिशिष्ट-XXXV में दर्शाया गया है। 2004 के दौरान समस्त नगरों में पेयजल की उपलब्धता प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 21 और 68 के मध्य रही। मुलताई (5.75 करोड़ रुपए) एवं भैंसदेही (1.95 करोड़ रुपए) में क्रमशः 1995 एवं 1997 में पेयजल आपूर्ति योजनाएं (7.70 करोड़ रुपए की लागत से) आरंभ की गई। यह देखा गया कि मुख्यतः सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं अग्रिम भुगतान पर मार्च 2004 तक 1.35 करोड़ रुपए मुलताई 0.90 करोड़ रुपए एवं भैंसदेही 0.45 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। लगभग 8 से 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी दोनों योजनाओं की वास्तविक प्रगति निरंक है। इस प्रकार विभाग द्वारा दोषपूर्ण योजना एवं निष्पादन के कारण 1.60 लाख शहरी जनसंख्या को पर्याप्त पेयजल से वंचित रहना पड़ा।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

➤ पेयजल हेतु गांवों को प्राथमिकता न दी जाना

प्राथमिकता न दी जाने के कारण 1422 गांवों के 7.38 लाख निवासी न्यूनतम पेयजल से बंचित रहे।

भारत सरकार ने समस्त गांवों एवं निवासियों को प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 40 लिटर सुरक्षित एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति की विद्यमान केन्द्र प्रायोजित योजना को समावृत करने हेतु राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन आरंभ (फरवरी 1986) किया। यद्यपि 1996-2004 के दौरान 1528 गांवों को समावृत किया गया तथापि मार्च 2004 तक 1422 गांवों को समावृत नहीं किया गया। समावृत किए गए, समावृत किए जाने वाले तथा नये जुड़े गांवों के नाम तथा निवासी दर्शाने वाली जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार योजनाओं के दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण समावृत नहीं किए गए संवर्ग के 665 गांवों सहित 738380 जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले 1422 गांव एवं निवासी अभी भी प्रतिदिन प्रतिव्यति 40 लिटर पेयजल की सुविधा की प्रतीक्षा में हैं।

➤ असुरक्षित जल वाले जल स्रोतों का परीक्षण न करना एवं उन्हें बंद न करना

1256 प्रदूषित जलस्रोत बंद नहीं किये गये

प्रगति प्रतिवेदन से प्रकट हुआ (जून 2004) कि बैतूल जिले में जुलाई 1990 से जून 2004 के दौरान 7868 जलस्रोतों में से 7812 जल स्रोतों का परीक्षण किया गया। शेष 56 स्रोतों का परीक्षण नहीं किया गया। इसके साथ ही विभागीय प्रयोगशाला में परीक्षण में पीने हेतु असुरक्षित पाए गए जल के 1274 स्रोतों में से केवल 18 स्रोत बंद किये गये। संबंधित गाँवों के निवासी 1256 जल स्रोतों से प्रदूषित जल का उपयोग कर रहे थे जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बैतूल ने बताया (जुलाई 2004) कि वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरांत उक्त जल स्रोतों को बंद कर दिया जायगा।

3.3.10 गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत सृजित रोजगार गरीबी रेखा से नीचे प्रति परिवार प्रतिवर्ष केवल 17 दिवस था।

ग्रामीण विकास विभाग गरीबी निवारण हेतु लाभ दायक मजदूरी रोजगार⁸ उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। 1999-2004 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर 99.85 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिसके विवरण परिशिष्ट-XXXII में दिए गए हैं। जिला पंचायत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, निधियां जारी करने तथा परिवीक्षण हेतु केन्द्रक ऐजेन्सी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 195935 परिवार में से 87148 परिवार (44.48 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के हैं, जिसमें से 56981 परिवार (65 प्रतिशत से अधिक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हैं। 1999-2004 के दौरान पांच योजनाओं में सृजित रोजगार 73.10 लाख मानवदिवस अर्थात् प्रतिवर्ष प्रति गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हेतु निर्धारित 100 दिवस की तुलना में 17 दिवस था जिसका विवरण परिशिष्ट- XXXII में दिया गया है।

⁸ ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें काम की तलाश हो उन समस्त युवकों को क्षीण कृषि मौसम के दौरान 100 दिवस का मजदूरी कार्य उपलब्ध कराना।

3.3.11 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

भारत सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इस उद्देश्य के साथ आरंभ की(अप्रैल 1999) कि गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब परिवार ऋण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए वे आय सृजन परिसम्पत्तियों की सहायता से तीन वर्षों में कम से कम 2000 रुपए की निवल मासिक आय अर्जित करने में सक्षम होंगे तथा पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक विकासखंड के 30 प्रतिशत गरीब परिवारों को समावृत करने का लक्ष्य रखा गया था। निधियों (75:25 के अनुपात में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान) को आर्थिक सहायता (59 प्रतिशत) आधारिक संरचना (20 प्रतिशत), प्रशिक्षण (10प्रतिशत) परिक्रामी निधि (10 प्रतिशत) तथा जोखिम निधि (1 प्रतिशत) पर व्यय किया जाना था। 1999-2004 के दौरान 10.77 करोड़ रुपए की उपलब्ध निधियों में से 10.46 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

1999-2004 के दौरान सहायता हेतु अभिवांछित 26145 परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे के 87148 परिवारों के 30 प्रतिशत) की तुलना में केवल 7748 परिवारों (लक्ष्य के 30 प्रतिशत) को आर्थिक सहायता दी गई जिसमें से योजना में निर्दिष्ट 40 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांग संवर्ग के लक्ष्य के विरुद्ध 38 प्रतिशत महिला एवं 1 प्रतिशत विकलांग थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेतूल ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुरूप हितग्राहियों को समावृत किया गया/सहायता दी गई थी।

लक्ष्य के केवल 30 प्रतिशत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता दी गई।

प्रशिक्षण पर 83 लाख रुपए का कम व्यय किया गया जबकि 13.75 लाख रुपए का दुरुपयोग किया गया।

प्रशीतन केन्द्र की स्थापना नहीं की गई।

1999-2004 के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 1.05 करोड़ रुपए की निधियों में से समस्त 7748 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिए जाने पर केवल 22 लाख रुपए का व्यय किया गया जबकि सरकार को भेजी गई सूचना के अनुसार 11.04 लाख रुपए की लागत पर केवल 6659 हितग्राहियों को ही प्रशिक्षण दिया गया था। यह भी देखा गया कि वर्ष 2001-02 हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वार्षिक लेखाओं के अनुसार प्रशिक्षण हेतु निर्धारित निधियों में से 13.75 लाख रुपए का प्रशासकीय/कार्यालय व्यय पर व्यय किया गया।

प्रशीतन केन्द्र संस्थापित करने हेतु 1999-2000 के दौरान दुग्ध महासंघ भोपाल को 29 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। उक्त केन्द्र स्थापित नहीं हुआ तथा स्वरोजगारी लाभ से वंचित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि दुग्ध महासंघ को केन्द्र स्थापित करने अथवा ब्याज सहित राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।

3.3.12 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक मजदूरी की आवश्यकता वाले समस्त ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगारपरक मजदूरी, खाद्यान्नसुरक्षा, पोषाहार स्तर में सुधार उपलब्ध कराने तथा स्थाई सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियाँ सृजित करने एवं आधारिक संरचना विकास के संवर्धन के उद्देश्यों के साथ 2002-04 के दौरान 23.40 करोड़ रुपए की लागत पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वयन किया गया था। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने 75:25 के अनुपात में योजना का वित्तपोषण किया।

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

2002-04 के दौरान 26.48 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 2002-04 के दौरान 17.84 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश के विरुद्ध 5.70 करोड़ रुपए का राज्य अंश जारी किया गया। यह राज्य सरकार के देय अंश से 0.25 करोड़ रुपए कम था।

➤ योजना दिशानिर्देशों की उपेक्षा करते हुए निर्माण कार्य आरम्भ करना

1200 निर्माण कार्यों में से 546 कार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निष्पादित किए गए तथा 7.94 करोड़ रुपए का व्यय वास्तविक सत्यापन के बिना सूचित किया गया।

2002-04 के दौरान धारा^{*} 1 के अंतर्गत 7.94 करोड़ रुपए की लागत पर निष्पादित 1200 निर्माण कार्यों में से विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि पूर्णता प्रतिवेदन के साथ वास्तविक व्यय का सत्यापन प्रगत्याधीन है। उत्तर यह इंगित करता है कि अधिकारियों को व्यय की सूचना वास्तविक सत्यापन के बिना दी गई। इससे अप्रभावकारी परिवीक्षण प्रकट हुआ। निशानिर्देशों के अनुसार धारा 1 के अंतर्गत भू एवं नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल स्रोतों के कायाकल्प तथा भूजल संवर्धन पारंपरिक जल संचय संरचनाएं गांव के जलाशयों, तालाबों के तलछटीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने थे। ग्राम पहुंच मार्ग, पथ नालियों आदि के निर्माण कार्य प्राथमिकता के निर्माण कार्यों में सम्मिलित नहीं किये गये तथापि 2002-04 के दौरान निष्पादित 1200 निर्माण कार्यों में 500 निर्माण कार्य सड़कों एवं पुलियों के निर्माण से संबंधित थे जो प्राथमिकता की मदों में नहीं आते। इसके साथ ही निष्पादित 46 निर्माण कार्य नहरों के नवीकरण से संबंधित थे जिनका वित्त पोषण राज्य के स्रोतों से किया जाना था तथा इससे संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना के स्रोतों का व्यपवर्तन परिलक्षित हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया कि निर्माण कार्यों की संस्वीकृति जिला परिषद की साधारण सभा ने दी थी और नहरों का नवीकरण इसलिये किया गया क्योंकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्रोतों में राज्य का अंशदान भी सम्मिलित था। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि निर्माण के कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृत किए जाने थे।

➤ व्यक्तिक हितग्राही योजनाओं का अपर्याप्त समावेशन

1.11 करोड़ रुपए का व्यय अस्वीकार्य निर्माण कार्य मदों पर किया गया।

धारा 1 के अंतर्गत खाद्यान्नों सहित 22.5 प्रतिशत तक वार्षिक आबंटन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति व्यक्तियों की व्यक्तिक हितग्राही योजनाओं के लिए रखा जाना था। 2002-03 के दौरान 4.80 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के लिए व्यक्तिक हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत केवल 81.31 लाख रुपए (16.94 प्रतिशत) व्यय किये गये जो 26.68 लाख रुपए कम थे। 2002-04 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति हेतु व्यक्तिक हितग्राही योजनाओं पर कुल 2.66 करोड़ रुपए के व्यय में से 1.11 करोड़ रुपए (42 प्रतिशत) आवास इकाइयों कुओं की मरम्मत एवं नालियों के निर्माण पर व्यय किये गए जिसका योजना में प्रावधान नहीं था जबकि शौचालयों के निर्माण पर 26.86 लाख रुपए (10 प्रतिशत) का व्यय किया गया जो केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किये जाने थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि 2002-03 के दौरान व्यय की उचित प्रतिशतता का अनुपालन नहीं किया

* (31.3.2002 तक कार्यान्वित) रोजगार आश्वासन योजना अब धारा 1 के रूप में जारी जाती है।

जा सका क्योंकि यह नई योजना थी तथा कुओं एवं आवास इकाइयों की मरम्मत तथा शौचालयों के निर्माण कार्य पर व्यय हितग्राहयों की उत्सुकता तथा इच्छा के कारण किया गया।

➤ आवश्यकता आधारित अधारिक संरचना सृजित न करना

धारा II^{*} के अंतर्गत खाद्यान्य सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत आबंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति आवासस्थलों में ग्राम आधारित आधारिक संरचना सृजन हेतु अलग रखा जाना था। 2002-03 के दौरान 4.82 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति आवास स्थलों में आवश्यकता आधारित आधारिक संरचना पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2003-04 के दौरान 7.98 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति आवासस्थलों में आवश्यकता आधारित आधारिक संरचना पर किया गया व्यय 5.23 करोड़ रुपए (66 प्रतिशत) था परंतु निष्पादित कार्यों के विवरण संधारित नहीं किए गए। ग्राम पंचायतों का रोजगार परक मजदूरी कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित सार्वजनिक संपत्तियों के संधारण पर 7.98 करोड़ रुपए की निधियों के अधिकतम 15 प्रतिशत तक का व्यय करने की स्वीकृति दी गई थी। 2003-04 के दौरान परिसम्पत्तियों के संधारण पर स्वीकृति योग्य 1.20 करोड़ रुपए के व्यय के विरुद्ध 1.71 करोड़ रुपए का अधिक व्यय योजना के अंतर्गत अप्राधिकृत रूप से किया गया। 0.51 करोड़ रुपये के इस अधिक व्यय को योजना के अंतर्गत उचित रूप में प्राधिकृत नहीं किया गया।

➤ मजदूरी हेतु उद्दिष्ट निधियों का दुरुपयोग

यद्यपि श्रमिकों को देयक नकद राशि में से 74 लाख रुपए के बीज एवं छिड़काव पंपों का क्रय किया जाना था तथापि मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम बेतूल के माध्यम से 5000 हितग्राहियों को संकर बीज एवं छिड़काव पंपों के क्रय पर 74 लाख रुपए का व्यय किया गया जो कि अवमानक बताए गए। श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित नकदी के भाग में से बीज एवं छिड़काव पंपों का क्रय करना अनियमित था। संबंधित अभिलेख संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि संबंधित अभिलेख बीजों एवं छिड़काव यंत्रों की अवमानक गुणवत्ता के विषय में जाँच हेतु सरकार को भेजे गये हैं तथा प्रकरण सरकार के पास लंबित है। इस प्रकार हितग्राही 1.33 लाख मानव दिवस रोजगार के लाभों से वंचित रहे।

3.3.13 सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम

प्रत्येक गांव में लगभग 500 हैक्टेयर के प्रत्येक जलग्रहण का पता लगाया जाना था तथा इन्हें विकसित किया जाना था। इन्हें चरणबद्ध ढंग से उस अवधि के भीतर तथा समूह में आरम्भ किया जाना था जो सामान्यतः चार वर्षों से अधिक न हो। निर्धारित निधि व्यवस्था पद्धति के अनुसार प्रथम वर्ष (25 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष (40 प्रतिशत), तृतीय वर्ष (25 प्रतिशत) तथा चौथे वर्ष (10 प्रतिशत) की किस्तों में निधियाँ जारी की

* जवाहर ग्राम सनुद्धि योजना (31.03.2002 तक कार्यान्वित) अब धारा II के रूप में जानी जाती है।

जानी थीं। परियोजना के अंतर्गत प्रदत्त निधियां जलग्रहण उपचार/संवर्द्धन (80 प्रतिशत), सामुदायिक संगठन (5 प्रतिशत), प्रशिक्षण (5 प्रतिशत) तथा प्रशासकीय व्यय (10 प्रतिशत) में विभाजित की गई थीं। 1999-2004 के दौरान 20.61 करोड़ रुपए के आंबंटि निधियों में से कार्यक्रम के अंतर्गत 19.44 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

➤ **निर्माणकार्य पूर्ण न किए जाना तथा मानकों के प्रतिकूल निधियां जारी करना।**

नवम्बर-दिसम्बर 1997 के दौरान संस्वीकृत आठ जलग्रहण परियोजनाएं (क्षेत्र: 3830 हैक्टेयर, 1.27 करोड़ रुपए) पांच वर्षों में भी पूरी नहीं हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया कि आम चुनाव के कारण ये जलग्रहण पूर्ण नहीं हो सके। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं को चार वर्षों में पूर्ण किया जाना था। यह भी देखा गया कि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों एवं जलग्रहण समितियों को छः से आठ समूहों हेतु चयनित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 2001-04 के दौरान कई किस्तों में निधियां जारी करने के मानकों के प्रतिकूल एक किस्त में 7.49 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सूचित किया कि पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के कारण निधियां जारी की गईं। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के प्रतिकूल है।

➤ **अव्ययित राशियां वापस न करना और अधिक व्यय**

जिला पंचायतों को 0.66 करोड़ रुपए की बचत का प्रतिभुगतान नहीं किया गया तथा जलग्रहण उपचार पर 1.29 करोड़ रुपए का अधिक व्यय।

चरण 1 के अंतर्गत जलग्रहण विकास हेतु 11.53 करोड़ रुपए की संस्वीकृत परियोजना लागत की तुलना में 10.87 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया। इस प्रकार 0.66 करोड़ रुपए की बचत हुई जिसे जिला पंचायत को वापस किया जाना था परंतु यह नहीं किया गया (सितम्बर 2004)। यह भी देखा गया कि जलग्रहण उपचार क्रियाकलापों हेतु 9.22 करोड़ रुपए की स्वीकृतीयोग्य सीमा की तुलना में किया गया व्यय 10.51 करोड़ रुपए था अर्थात् 1.29 करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ जबकि उपचारित क्षेत्र 38109 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 1486 हैक्टेयर कम अर्थात् 36623 हैक्टेयर था। धनराशि का भुगतान न करने तथा कम क्षेत्र समावृत्त करने के कोई कारण नहीं बताए गए।

3.3.14 निष्कर्ष

स्वांस्थ्य रक्षण संस्थाओं, अंतःशैयाओं, नैदानिक सुविधाओं, नैदानिक विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, समानांतर चिकित्सा एवं सहायक कर्मचारियों की अपर्याप्ता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी उचित स्वास्थ्य रक्षण सुविधाओं से वंचित रहे। पहिचान किए गए हितग्राहियों (2.70 लाख) को पोषाहार सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। जिले की न तो शहरी जनसंख्या को और न ग्रामीण जनसंख्या को ही मानदण्डों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जा सका। 70 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम जल आपूर्ति वाले नगरों को गतिवर्द्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वरीयता नहीं दी गई। ग्रामीण विकास विभाग गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस के मानक की तुलना में 17 दिवस का रोजगार ही उपलब्ध करवा सका। मजदूरी

हेतु उद्दिष्ट 74 लाख रुपए की निधियों का संकर बीज तथा छिड़काव पंपों के क्रय में दुरुपयोग किया गया जिससे हितग्राही रोजगार से वंचित रहे।

3.3.15 अनुशंसाएं

- रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षण उपलब्ध कराए जाने हेतु कर्मचारियों की संख्या पद्धति के अनुसार नैदानिक विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जिला अस्पताल में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कर सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य रक्षण सुविधाओं हेतु पहिचान किए गए समस्त हितग्राहियों तक पोषाहार सहायता का विस्तार करने हेतु पर्याप्त निधियाँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे कि विद्यमान असुरक्षित पेयजल स्रोत यथाशीघ्र बंद किया जा सके।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत अभी भी न्यूनतम पेयजल सुविधा की प्रतीक्षा करने वाले गांवों/आवासस्थलों को वरीयता दिए जाने की आवश्यकता है।
- लाभदायक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं के दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है तथा आरंभ किए गए कार्यों में यह सुनिश्चित करने के लिये पग उठाए जाय कि मजदूरी हेतु उद्दिष्ट निधियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है।
- योजना निधियों में से सृजित आधारिक संरचना तथा परिसम्पत्तियों के उचित अभिलेख का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ग्राम विकास विभाग

3.4 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना

विशेषताएँ

भारत सरकार द्वारा 1000 या अधिक व्यक्तियों तथा 500 एवं 999 व्यक्तियों के मध्य की जनसंख्या वाली असंबद्ध ग्राम बस्तियों को क्रमशः मार्च 2003 एवं 2007 के अंत तक सर्व ऋतु सङ्करण को द्वारा संबद्धता (कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.) की स्थापना की (23 दिसम्बर, 2000)। भारत सरकार ने 3367 असंबद्ध बस्तियों को संबद्धता उपलब्ध कराने हेतु 2065.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध मार्च 2001 से मार्च 2003 के दौरान 1206.93 करोड़ रुपये विमोचित किए। म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. साढ़े चार वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात भी जुलाई 2004 तक 1088.31 करोड़ रुपए व्यय करके मात्र 1159 बस्तियों को नई संबद्धता उपलब्ध करा सका। यह निराशाजनक प्रदर्शन मुख्यतः अपर्याप्त योजनाकरण एवं कार्यान्वयन, सङ्करण के त्रुटिपूर्ण चयन तथा निष्प्रभावी परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) के कारण था।

समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं-

म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. को 2001-03 के दौरान व्यय में कमी (531.15 करोड़ रुपये) के कारण 2065.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध मात्र 1206.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

(कंडिका 3.4.4)

125.27 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध, 33 पैकेजों के अन्तर्गत कार्यों पर 143.39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 18.12 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(कंडिका 3.4.6)

अनुबंधों में किसी भी प्रावधान के बिना अग्रिमों के भुगतान से ठेकेदार को 9.36 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता विनिर्भित हुई।

(कंडिका 3.4.7)

दिशा-निर्देशों के मानदण्डों के विरुद्ध चरण । एवं ॥ के अंतर्गत निर्माण/उन्नयन हेतु सड़कों के त्रुटिपूर्ण चयन के परिणामस्वरूप 200.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का व्यपवर्तन तथा 9.36 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन हुआ ।

(कंडिका 3.4.9)

ग्राम सड़कों हेतु त्रुटिपूर्ण रूपांकन मानदण्डों को अपनाने के कारण परत (क्रस्ट) की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन के परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई ।

(कंडिका 3.4.10. 1)

आवश्यकता का आकलन किए बिना प्राइमर-कोट के निष्पादन तथा टेक-कोट एवं सीडी कार्य हेतु उच्चतर विशिष्टि अपनाने के कारण 22.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 3.4.11)

अधिक महंगे मिट्टी कार्य के अनधिकृत निष्पादन के कारण 2.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

(कंडिका 3.4.11)

त्रुटिपूर्ण संगणन, दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू करने तथा उच्चतर दरों पर अतिरिक्त कार्य सौंपने के कारण 3.46 करोड़ रुपए का अधिक/अमान्य भुगतान हुआ तथा ठेकेदारों को 2.69 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई ।

(कंडिका 3.4.10, 11, 12)

3.4.1 प्रस्तावना

चूंकि देश में 40 प्रतिशत बस्तियां अभी भी सर्व-ऋतु मार्गों द्वारा जुड़ी नहीं हैं, अतः ग्राम सड़क संबद्धता, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने एवं इसके द्वारा कृषि आय बढ़ाने तथा उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने में ग्राम विकास का एक मूल अवयव है । इस स्थिति के निवारण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" (प्र.म.ग्रा. स.यो.) नाम का एक शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम प्रारंभ किया (25 दिसम्बर 2000); हाई स्पीड डीजल पर उपकर का पचास प्रतिशत इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षित किया गया ।

राष्ट्रीय मानक की तुलना में मध्यप्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई अत्यल्प है । 74.90 कि.मी.प्रति 100 वर्ग कि.मी.के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध यह 45.10 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी. है । वाटर बाउण्ड मेकेडम-श्रेणी -1 एवं डामरीकृत सड़कों का 35.55 कि.मी.एवं 21.4 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी.के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध औसत क्रमशः 18.71 कि.मी.एवं 8.48 कि.मी.प्रति 100 वर्ग कि.मी. है ।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नीति एवं दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय ग्राम सङ्क विकास अभिकरण से सहयोग प्राप्त ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्राधिकारी एवं समन्वयक मंत्रालय है। प्रत्येक योजना का योजनाकरण तथा कार्यान्वयन राज्य शासन का उत्तरदायित्व है। मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण (एतत्पश्चात् प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) नाम वाले एक कार्यकारी अभिकरण की स्थापना की (23 दिसंबर, 2000) जिसके प्रमुख एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिन्हें 2 मुख्य महाप्रबंधक सहयोग प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सङ्क कार्यों के निर्माण का निष्पादन 27 परियोजना क्रियान्वयन इकाइयाँ[#] जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक महाप्रबंधक है, के माध्यम से हो रहा है। प्राधिकरण ने (i) सर्वेक्षण/अनुसंधान एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा (ii) सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परामर्शदात्री सेवाएं भी नियुक्त कीं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार महाप्रबंधक, कार्यपालन यंत्री के नीचे की श्रेणी का न होना अपेक्षित था। तथापि विभिन्न विभागों के 18 सहायक यंत्रियों को सहायक महाप्रबंधक एवं परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के प्रमुख के रूप में पदस्थ किया गया था। इनमें से दो को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शक्ति-प्राप्त समिति (एम्पॉवर्ड कमेटी) द्वारा निर्धारित (18 जून 2002) 15 वर्षों से अधिक के अपेक्षित अनुभव के विपरीत सहायक यंत्री के रूप में 8 वर्षों[§] से कम का कार्यानुभव था।

उत्तर में शासन ने तथ्य स्वीकार किया (फरवरी 2005) तथा बताया कि जैसे ही अपेक्षित अनुभव वाले कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री उपलब्ध होंगे, कम अनुभव वाले 2 सहायक यंत्रियों को बदल दिया जाएगा।

3.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

- सङ्कों के चयन की कार्य प्रणाली
- योजनाकरण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावकारिता
- ग्राम सङ्कों के निर्माण हेतु किस सीमा तक विशिष्टियों का पालन हुआ था, तथा
- पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण की प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का आकलन करना था।

[#] जुलाई 2004 से 33 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ हैं।

[§] सहायक महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई छत्तरपुर 7 वर्ष 4 माह, सहायक महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मण्डला 7 वर्ष 6 माह।

यह समीक्षा 2000-04 की अवधि से संबंधित 33 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में से 13 इकाइयों** के अभिलेखों की फरवरी, 2004 से सितम्बर, 2004 एवं दिसंबर, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान की गई नमूना जाँच पर आधारित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्राम सङ्करण के कार्यालय से भी सूचना तथा ऑकड़े एकत्रित किए गए।

3.4.4 वित्तीय परिव्यय एवं खर्च

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निधियां भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। तथापि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लागत यथा स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय, ब्लाक/जिलेवार मास्टर प्लान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य, लागत अधिक्य यदि कोई हो, तथा निविदा प्रीमियम आदि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन की जानी थी।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपयुक्त किस्तों में विमोचित की जानी थी। 2000-04 के मध्य भारत सरकार से प्राप्त निधियों तथा प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	चरण*	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	प्राप्ति			संचयी व्यय	व्यय में कमी का प्रतिशत
			भारत सरकार द्वारा विमोचित	अर्जित व्याज	संचयी योग		
2000-01	I	217.64	213.00	निरंक	213.00	निरंक	--
2001-02	I II	निरंक 513.68	4.64 <u>228.00</u> <u>232.64</u>	15.11	460.75	26.23	94.40
2002-03	II III	निरंक 609.19	324.49 <u>145.90</u> <u>470.39</u>	26.21	957.35	426.20	55.48
2003-04	III IV	निरंक 724.87	290.90 निरंक <u>290.90</u>	26.15	1274.40	914.92	28.21
योग		2065.38	1206.93	67.47	1274.40	914.92	-

* चरण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के समूहों के अनुरूप है।

अनुपयुक्त योजनाकरण, अभिकरणों की नियुक्ति में विलम्ब एवं 2001-03 के दौरान धीमी प्रगति के कारण प्राधिकरण उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में विफल रहा।

उपरोक्त ऑकड़ों से प्रकट होता है कि प्राधिकरण 2001-04 के दौरान उपलब्ध निधियों के कम उपयोग के कारण 2065.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध मात्र 1206.93 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सका। यह मुख्यतः अनुपयुक्त योजनाकरण एवं कार्यान्वयन, अभिकरणों को नियुक्त करने में विलम्ब तथा धीमी भौतिक प्रगति के कारण हुआ। विमाचित राशि के विरुद्ध 2001-02 एवं 2002-03

** उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, व्यावरा, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, सागर, धार, झाबुआ, भोपाल तथा शिवपुरी।

के दौरान प्रगामी व्यय में कमी क्रमशः 94.40 प्रतिशत तथा 55.48 प्रतिशत रही। शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि एक नवगठित संगठन होने के नाते मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां स्थापित करने में समय लगा। तथापि सड़क कार्य की विशालता को देखते हुये पूर्णता हेतु दिया गया समय भी अपर्याप्त था। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस समयबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की गई।

3.4.5 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का व्यपर्वत्तन

राज्य के दायित्वों के परिशोधन हेतु 56.72 करोड़ रुपये की राशि का व्यपर्वत्तन किया गया।

दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ ही निर्बन्धित है कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग निविदा प्रीमियम को छोड़कर केवल कार्यों पर ही किया जाना चाहिए तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए व्यपर्वत्तन नहीं किया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि:

- वर्ष 2001-04 के दौरान 54.50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग अनधिकृत रूप से निविदा प्रीमियम के भुगतान हेतु किया गया। तथापि, इस राशि का समायोजन, राज्य-निधि से मार्च 2003 (8.82 करोड़ रुपये) एवं मार्च 2004 (45.68 करोड़ रुपये) में उस पर ब्याज के समायोजन के बिना किया गया। निविदा प्रीमियम के भुगतान की यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया जारी रही क्योंकि प्रारंभिक विकलन (डेबिट) म.प्र.शासन की निधियों के बजाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को किया जा रहा था।
- 14.23^{††} लाख रुपये की राशि का व्यपर्वत्तन तथा उपयोग (जनवरी 2003 से मई 2004) सड़कों के निर्माण के लिए विद्युत लाइनों एवं खंभों के स्थान परिवर्तन की लागत के रूप में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को भुगतान हेतु किया गया यद्यपि दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राज्य शासन का दायित्व था। उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि विद्युत लाइनों तथा खंभों का स्थान परिवर्तन कार्यों का भाग था। दिशा-निर्देशों, जिनमें स्पष्ट रूप से निर्बन्धित है कि सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध करवाना राज्य का उत्तरदायित्व था, को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।
- भारत सरकार ने सड़कवार लागत प्राक्कलन अनुमोदित किए थे अतः प्रत्येक सड़क पर व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित किया जाना था एवं आधिक्य यदि कोई हो, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाना था जबकि बचत भारत सरकार को जमा की जानी थी। परन्तु 13 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के 58 पैकेजों के अन्तर्गत प्रारंभ कर पूर्ण की गई 322 सड़कों पर हुई बचत को भारत सरकार को जमा किये जाने के बजाय उन्हीं पैकेजों के अन्तर्गत अन्य सड़क-कार्यों पर व्यपर्वत्तन तथा उपयोग किया गया। दृष्टान्तः परियोजना कार्यान्वयन इकाई सागर में 20 सड़कों पर हुई 2.08 करोड़ रुपये की बचत को 25 सड़कों पर व्यपर्वत्तित एवं

^{††} गुना 1.44 लाख रुपये (01/2003), सिवनी -5.03 लाख रुपए (06 / 2003), सागर - 6.69 लाख रुपए (08 / 2003 से 04/ 2004), धार - 0.60 लाख रुपए (01 /2003) तथा छिंदवाड़ा- 0.47 लाख रुपए (05/2004)

उपयोग किया गया जहाँ परिशिष्ट XXXVI में दिए गए विवरणानुसार 3.55 करोड़ रुपये की राशि का अधिक व्यय हुआ था ।

- दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने कार्यालय एवं यात्रा व्यय हेतु क्रमशः 35,000 रुपये प्रतिमाह एवं 10000 रुपये प्रतिमाह प्रति समर्पित परियोजना कार्यान्वयन इकाई की दर से निधियों का प्रावधान किया था। तथापि यह देखा गया कि मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु 1.46 करोड़ रुपये की स्वीकार्य राशि के विरुद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 1.89 करोड़ रुपये की राशि समायोजित की गई । इस प्रकार 43 लाख रुपये की आधिक राशि जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था, को व्यपर्तित कर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2005) कि व्यय का समायोजन 27 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के स्थान पर 45 जिलों के विरुद्ध किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि दिशा-निर्देशों में प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के लिए कार्यालय एवं यात्रा व्यय की सीमा स्पष्टतः विनिर्दिष्ट की गई है। चूंकि इस अवधि के दौरान मात्र 27 समर्पित परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित की गई थीं, अतः 43 लाख रुपये का अधिक व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना था ।

3.4.6 अनधिकृत व्यय

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से 18.12 करोड़ रुपये की राशि अनधिकृत रूप से अधिक व्यय की गई ।

दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की लागत में किसी भी कारण से कोई भी वृद्धि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी ।

12 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि 33 पैकेजों के अन्तर्गत निष्पादित हुए कार्यों पर 125.27 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरुद्ध निविदा प्रीमियम को छोड़कर 143.39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया । इस प्रकार परिशिष्ट XXXVII में दिए गए विवरणानुसार कार्यों पर स्वीकृत लागत से 18.12 करोड़ रुपये की राशि अधिक व्यय की गई तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पर अनधिकृत रूप से भारित की गई । लागत में वृद्धि, मुख्यतः अवास्तविक प्राक्कलन, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा अतिरिक्त मदों को सम्मिलित किए जाने के कारण रही ।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने तथ्य स्वीकार किया एवं बताया (फरवरी 2005) कि भारत सरकार से पुनरीक्षित स्वीकृति अभी प्रतीक्षित थी ।

3.4.7 अग्रिमों का अनियमित/अनधिकृत भुगतान

कार्यक्रम के चरण-। तथा ॥ (मार्च 2001 से जुलाई 2002) के अन्तर्गत अनुबंधों में मोबिलाइजेशन, मशीनरी तथा प्रतिभूत अग्रिमों के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं थे । तत्पश्चात् प्राधिकरण ने चरण ॥॥ एवं IV (सितंबर 2002 से जुलाई 2004) के निविदा प्रलेखों में ये प्रावधान प्रवर्तित किए (मई 2002) ।

अनुबंध में किसी भी प्रावधान के बिना ठेकेदार को 9.36 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए।

तथापि नमूना जाँच में देखा गया कि 5 परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों में चरण । एवं ॥ के अन्तर्गत ये प्रावधान चल रहे थेकों के लिए भी अनियमित रूप से तथा अनुबंधों के कार्यक्षेत्र से बाहर लागू किए गए। इस प्रकार जून 2002 से जून 2003 के दौरान किए गए अग्रिमों के भुगतान के परिणामस्वरूप न केवल 13 ठेकेदारों को 9.36 करोड़ रुपये[#] की अनुचित सहायता पहुंची अपितु प्रतिस्पर्धात्मक बोली का तत्व भी लुप्त हो गया क्योंकि अनुबंधों की शर्तों का पुनरीक्षण थेकों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया गया था।

शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि चल रहे अनुबंधों में ये प्रावधान शक्ति-संपन्न (एम्पॉवर्ड) समिति (12 वीं एवं 13 वीं बैठक) के अनुमोदन की स्थिति में लागू किए गए। उत्तर सही नहीं है क्योंकि शक्ति-संपन्न समिति द्वारा, चल रहे अनुबंधों के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया गया था। साथ ही कार्यान्वयन के दौरान बीच में अग्रिमों के प्रावधान का प्रवर्तन ठेकेदारों को अनुचित सहायता थी क्योंकि उनके द्वारा अग्रिमों की अनुपलब्धता सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात थेकों को अंतिम रूप दिया गया था।

3.4.8 योजनाकरण

➤ लक्ष्य एवं उपलब्धियां

मध्यप्रदेश में पहले से ही सङ्क से संबद्ध बस्तियों तथा उन बस्तियों जिन्हें कार्यक्रम प्रारंभ होने (दिसंबर 2000) के पूर्व संबद्धता अपेक्षित थी, की स्थिति नीचे दी गई है:-

बस्तियों की जन संख्या आधारित श्रेणी	कुल बस्तियाँ	संबद्ध बस्तियाँ				असंबद्ध बस्तियाँ		
		डामरीकृत	वाटर बाउण्ड मेकडम	संख्या	सङ्क की लंबाई (कि.मी)			
संख्या	सङ्क की लंबाई (कि.मी)	संख्या	सङ्क की लंबाई (कि.मी)	संख्या	सङ्क की लंबाई (कि.मी)	संख्या	सङ्क की लंबाई (कि.मी)	
1000 एवं अधिक	10489	27704	3855	4779	2676	10200	3958	12725
500 से 999	15225	39613	2284	2585	3112	8621	9829	28406
250 से 499 पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए	26092	61311	1883	1944	2994	8194	21215	51173

धार पैकेज -1104-0.44 करोड़ रुपए (06/2002 से 03/2003), शहडोल पैकेज - 3802, 3803, 3804, 3805, 4402, 5401 तथा 6001-7.51 करोड़ रुपये (06/2002 से 6/2003) सिवनी-एक पैकेज 1.06 करोड़ रुपए (06/2002 से 10/2002), देवास पैकेज- 3903 एवं 3905-0.30 करोड़ रुपए (01/2003) तथा भोपाल पैकेज-2905 तथा 3503-0.05 लाख रुपये (08/2002 एवं 12/2002)

यद्यपि बस्तियों को कार्यक्रम के अंतर्गत लाने हेतु प्राथमिकताएँ नियत की गई थीं तथापि एक व्यापक कार्यान्वयन समय-सारिणी तैयार नहीं की गई थी फिर भी प्राधिकरण ने भारत सरकार की स्वीकृति के अंतर्गत परियोजना को चरणबद्ध ढंग से प्रारंभ किया एवं निम्नांकित विवरणानुसार जुलाई 2004 तक 5750 कि.मी. (उन्नयन सहित) सड़क लंबाई से 1159 बस्तियों को नई संबद्धता उपलब्ध कराई गई:-

चरण (स्वीकृति का वर्ष)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं (उन्नयन सहित लक्ष्य)			उपलब्धियाँ			कमियाँ		
	बस्तियों की संख्या	सड़कों की संख्या	लंबाई (कि.मी.)	बस्तियों की संख्या	सड़कों की संख्या	लंबाई (कि.मी.)	बस्तियों की संख्या	सड़कों की संख्या	लंबाई (कि.मी.)
चरण I (2000-01)	183	387	1726.60	169	353	1584.90	14	34	141.70
चरण-II (2001-02)	1169	801	4048.23	766	683	3397.12	403	118	651.11
चरण III (2002.03)	836	572	2915.00	224	172	768.20	612	400	2146.80
चरण- IV (2003-04)	1179	743	3526.00	0	0	0	1179	743	3526.00
योग	3367	2503	12215.83	1159	1208	5750.22	2208	1295	6465.61

प्राधिकरण मार्च 2003
के अन्त तक पूर्ण करने
हेतु लक्षित बस्तियों को
भी मुख्यतः सड़कों के
त्रुटिपूर्ण चयन एवं
अभिकरणों के निर्धारण
में विलम्ब के कारण
जुलाई 2004 तक
संबद्धता उपलब्ध कराने
में विफल रहा।

कार्यक्रमानुसार 1000 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाली 3958 बस्तियों को संबद्धता उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2003 के अन्त तक 12725 कि.मी.लम्बाई की 6531 सड़कें निर्मित की जानी थीं। इसके विरुद्ध मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण 303 सड़कें (1301.5 कि.मी.) पूर्ण कर मात्र 481 बस्तियों को ही संबद्धता उपलब्ध करा सका। तथापि जुलाई 2004 तक 1208 सड़कें (5750 कि.मी.) पूर्ण कर 1159 बस्तियाँ संबद्ध की गई। इस प्रकार कार्यों का निर्माण मुख्यतः योजनाकरण के अभाव, प्रत्येक जिले के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के मानदण्ड के विरुद्ध अपेक्षित परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (जनवरी 2001 में 17 फरवरी 2002 में 10 तथा जुलाई 2004 में 6) के समय पर स्थापित न किए जाने अभिकरणों के निर्धारण में असामान्य विलम्ब, चरण-I के लिए जून 2002 तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के समय पर तैयार न किए जाने (कार्यों को सौंपने के पश्चात तैयार किए गए), सड़कों के त्रुटिपूर्ण चयन, भूमि विवादों के चलते स्थानीय बाधाएं एवं कार्य की अनुपातिक प्रगति देने में ठेकेदारों की विफलता के कारण विलंबित हुआ तथा कार्य समय-सारिणी (शेड्यूल) से पिछ़ड़ रहा था। इनमें से अधिकांश कारकों हेतु उत्तरदायित्व प्राधिकरण पर आता था जैसा कि ठेकेदारों को नाम-मात्र की शास्तियों सहित स्वीकृत की गई समय-

वृद्धियों से स्पष्ट है। प्राधिकरण चूकों (स्लिपेजेज) को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप 2000-02 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए 460.75 करोड़ रुपये में से मार्च 2002 तक मात्र 26.23 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए। यह भी कि 2002-03 के दौरान प्राप्त हुए 496.60 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) में से मार्च 2003 तक मात्र 399.97 करोड़ रुपये का ही व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त चरण-। में प्रारंभ की गई 387 सड़कों में से जुलाई 2004 तक 34 सड़कें अधूरी रहीं।

इस प्रकार समय-सारणी के अनुसार कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त न करने से निवासी लाभों से वंचित रहे।

3.4.9 सड़कों का त्रुटिपूर्ण चयन

निर्माण/उन्नयन के लिए सड़कों का चयन नियत मानदण्डों के प्रतिकूल था जिसके कारण 200.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का व्यपवर्तन भी हुआ।

- दिशा-निर्देशों तथा मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियमावली के अनुसार नई संबद्धता को प्राथमिकता दी जानी थी। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कार्यक्रम के चरण । एवं ॥ (मार्च 2001 से जुलाई 2002) के अन्तर्गत सभी 45 ज़िलों की 427 सड़कें उन्नयन हेतु चयनित की गई थीं जबकि 1000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाली 3958 बस्तियों को वांछित संबद्धता प्राप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विफल हुआ तथा जुलाई 2004 तक 190.27 करोड़ रुपये^{ss} की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अधिकांश भाग सड़कों के उन्नयन हेतु व्यपवर्तित किया गया।
- यद्यपि दिशा-निर्देशों में मात्र 0.5 कि.मी.से अधिक लम्बाई की सड़कों के चयन की शर्त दी गई है तथापि यह देखा गया कि चार परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में 0.5 कि.मी.से कम लम्बाई की नौ सड़कों का इन सड़कों की लम्बाई 0.5 कि.मी. से अधिक दर्शकर निर्माण किया। फलतः परिशिष्ट XXXVIII में दिये गए अनुसार 50.82 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का व्यपवर्तन हुआ।
- वन प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना वन क्षेत्र से गुजरने वाली 7 सड़कों का चयन किया गया। परिणामस्वरूप वन विभाग ने या तो कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी (3 कार्य) अथवा चल रहे कार्यों को रोक दिया (4 कार्य) फलतः न केवल समयाधिक्य हुआ वरन् 3.76 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन भी हुआ (परिशिष्ट XXXVIII)।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत नवंबर 2001 से मार्च 2004 के दौरान चयनित एवं आरंभ की गई 13 सड़कें अतिक्रमण तथा भूमि विवादों के कारण पूर्ण नहीं की जा सकीं, फलतः 5.60 करोड़ रुपये का व्यय करने (नवंबर 2001 से जून 2004) के पश्चात भी प्रस्तावित संबद्धता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। (परिशिष्ट XXXVIII)
- दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य जिला सड़कों को उनके ग्राम क्षेत्रों में होने पर भी कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया जाना था। तथापि 5 मुख्य जिला सड़कों को उन्हें

^{ss} यद्यपि सड़कों के उन्नयन पर दुर वास्तविक व्यय का संकलन नहीं किया गया था, तथापि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रगति प्रतिवेदन में चरण-। एवं ॥ के अन्तर्गत क्रमशः 129.95 करोड़ रुपये (68.56 प्रतिशत) तथा 60.32 करोड़ रुपये (10.70 प्रतिशत) का व्यय उन्नयन पर दर्शाया रखा।

अन्य जिला सङ्कों के रूप में दर्शाते हुए उन्नयन हेतु चयनित एवं प्रारंभ किया गया तथा उन पर 9.70 करोड़ रुपये (परिशिष्ट XXXVIII) का व्यय किया गया।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2005) कि संबद्धता को प्राप्त करने के लिए उन्नयन हेतु सङ्कों का चयन भारत सरकार के अनुमोदन से किया गया था। दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।

3.4.10 कार्यान्वयन

➤ दर-अनुसूची की तदर्थ आधार पर विवेकहीन वृद्धि

दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित प्राक्कलन लागत से ऊपर निविदा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। तथापि इस दायित्व से निपटने के लिए शक्ति-संपन्न समिति ने अपनी 16 वीं बैठक (11 फरवरी 2003) में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क को योजना के कार्यों से संबंधित दर-अनुसूची (सङ्कों) की सभी मदों (मिट्टी कार्य को छोड़कर) की दरें इस तरह पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया जिससे कि सौंपी गई (अवार्डेड) दरें दर-अनुसूची की दरों से अधिक न हों।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि वर्तमान में प्रचलित बाजार दरों पर दरों का विश्लेषण करने के स्थान पर दर-अनुसूची के अध्याय-III से VII*** में दी गई दरों में तदर्थ आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई (सितम्बर 2002)। परिणामस्वरूप चरण-III एवं IV (2002-03 एवं 2003-04) के अन्तर्गत कार्यों के लिए निविदाएँ दर-अनुसूची से 25 प्रतिशत नीचे तक प्राप्त हुई जिससे इंगित होता है कि तदर्थ वृद्धि युक्तिसंगत नहीं थी। योजना के दिशानिर्देशों में स्वीकृत राशि तक ही व्यय किए जाने का प्रावधान है तथा व्यय स्वीकृत राशि से अधिक होने की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। 10 प्रतिशत की अयुक्तिसंगत वृद्धि वाली दर-अनुसूची अपनाए जाने के कारण जैसा कि 3 परियोजना इकाइयों^{†††} की नमूना जाँच में देखा गया, पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं रही परिणामस्वरूप यद्यपि निविदाएँ 8 से लेकर 10.8 प्रतिशत कम के मध्य के निविदा प्रतिशत पर सौंपी गई थी तथापि जैसा कि दृष्टांत प्रकरणों में देखा गया, लागत में वृद्धि की स्थिति में मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण को स्वीकृत राशि तक पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही।

*** अध्याय- IIII अ-डामरीकृत उप-आधार एवं आधार अध्याय IV डामरीकृत आधार तथा सरफेस कोर्स, अध्याय-V सामग्रियों की आपूर्ति, अध्याय -VI - सामग्री का परिवहन तथा अध्याय VII - विविध।

†††

(लाख रुपये में)

पैकेज	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	स्वीकृत राशि	निविदा प्रतिशत	संविदा राशि	किए गए कार्य का मूल्य	भौतिक प्रगति (%)
3806	शहडोल	360.87	(-) 9	328.39	358.11	93.31
2208	खरगोन	381.25	(-) 8	350.75	362.27	63.75
0715	छिंदवाड़ा	202.48	(-) 10..8	180.61	197.00	95.73

शासन ने इससे सहमत होते हुए (फरवरी 2005) कि दर-अनुसूची की वृद्धि तदर्थ आधार पर की गई है, बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय निधि प्राप्त योजना है तथा कार्य पर हुआ वास्तविक व्यय ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को विकलित किया जा रहा है। कम निविदा प्रीमियम के कारण हुई बचत या तो भारत सरकार को समर्पित की जानी चाहिए थी अथवा उनके निर्देशों के अनुसार उपयोग की जानी थी। उत्तर में लेखापरीक्षा के इस अभिमत पर ध्यान नहीं दिया गया कि अयुदित्संगत दर-अनुसूची अपनाने से स्वीकृत राशियां अधिक हो गई तथा लागत में वृद्धि होने की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि व्यय स्वीकृत राशि से कम था।

➤ अतिरिक्त कार्यों का उच्चतर दरों पर सौंपा जाना – अधिक भुगतान

अनुबंध में प्रावधान था कि ठेकेदार संविदा राशि के 25 प्रतिशत तक किसी परिवर्तित, अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित कार्य को अपनी निविदत दरों पर निष्पादित करने के लिए बाध्य था।

अनुबंधों के प्रावधानों के विपरीत, अतिरिक्त कार्य का निष्पादन उच्चतर दरों पर करने के परिणामस्वरूप 39.15 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पैकेज एम.पी.-5901 (परियोजना क्रियान्वयन इकाई, उज्जैन) के अन्तर्गत यद्यपि क्रासड्रेनेज (सी डी) के अतिरिक्त कार्य संविदा राशि के 25 प्रतिशत से अन्दर के मूल्य के थे तथापि ठेकेदार को निविदत दरों के स्थान पर इन्हें अतिरिक्त मद मानते हुए उच्चतर दरों से भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 20.09 लाख (लगभग) का अधिक भुगतान हुआ।

इसी तरह परियोजना कार्यान्वयन इकाई सागर में एम पी-4801 एवं 4802 पैकेजों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्रास ड्रेनेज के कार्यों, जिनका मूल्य संविदा राशि के 25 प्रतिशत से अत्यधिक कम था, का निष्पादन भूल ठेकेदार के बदले अन्य ठेकेदारों के माध्यम से अतिरिक्त मदों के रूप में उच्चतर दरों पर करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप 19.06 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2005) कि अतिरिक्त कार्यों की लागत अनुबंधों में प्रावधानित क्रास ड्रेनेज कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत से अधिक थी, अतः इन्हें अतिरिक्त मदें माना गया। उत्तर सही नहीं है क्योंकि अनुबंध में उपबंधित है कि कुल निविदत राशि पर अतिरिक्त कार्यों की संगणना की जानी है न कि उन मदों की लागत पर जहाँ अतिरिक्त कार्य कार्यान्वित किए गए थे।

➤ परामर्श सेवाओं हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर निष्फल व्यय

अवास्तविक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने एवं उनके विलम्बित प्रस्तुतिकरण के फलस्वरूप 43.90 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता-नियंत्रण के कार्य परामर्शदाताओं को सौंपे। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि अनुबंधों के अनुसार परामर्शदाताओं को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य पूर्ण करने के लिए तीन माह दिए गए थे तथापि 5 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में परामर्शदाताओं ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन 3 माह की नियत अवधि में, नीचे दिए गए विवरणानुसार प्रस्तुत नहीं किए:-

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	अनुबंध क्रमांक/ परामर्शदाता	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के कार्यादेश का दिनांक	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का निर्धारित दिनांक	अंतिम विस्तृत परि.प्रतिवेदन की प्रस्तुति करण की वास्तविक तिथि	कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना का दिनांक	सङ्क कार्य के लिए कार्यादेश जारी किए जाने का दिनांक	परामर्शदाताओं को भुगतान की गई राशि (लाख रुपये में)
गुना	14/2001 महेन्द्र राज	7.12.2001	6.3.2002	जुलाई 02	दिसंबर 2001	अप्रैल 2002	7.32
खरगोन	10/ 2001 सनग्रेस इन्जीनियरिंग	22.11.2001	21.2.2002	23.2.02 खरगोन 23.3.02 बड़वानी	30.1.02	अप्रैल 2002	9.66
शिवपुरी	5/2002 इन्नोवेटिव सी.ए.डी.डी.	11.1.2002	10.4.2002	6.4.02	31.1.02	अप्रैल 2002	3.49
	8/2002 टेक्नोजेम कन्सल्टेंट्स	10.12.2001	9.3.2002	6.4.02	31.1.02	मई 2002	3.08
छिन्दवाड़ा	16/2001 आर्टिफेक्ट प्रोजेक्ट	10.12.2001	9.3.2002	29.4.02	31.1.02	अप्रैल 2002	14.85
मंदसौर	7/2001 टेक्नोजेम कन्सल्टेंट्स	10.12.2001	9.3.2002	11.6.02	24.12.01	अप्रैल 2002	5.50
--	--	--	--	--	--	योग	43.90

चूंकि कार्य के निष्पादन के लिए निविदाएँ परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बहुत पहले ही आमंत्रित कर ली गई थीं, अतः स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधियाँ एवं कार्य जिनके लिए निविदाएँ बुलाई गई थीं, प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त इस ढंग से तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी वास्तविक आँकड़ों पर आधारित नहीं थे क्योंकि वास्तविक निष्पादन के दौरान लागत-प्राक्कलन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के प्रावधानों में व्यापक रूप से भिन्नता थी। इस तरह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के तैयार किए जाने पर 43.90 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया '(फरवरी 2005) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यों के निष्पादन हेतु उपयोग में लाए गए एवं इस तरह व्यय निष्फल नहीं रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आमंत्रित की गई निविदाएँ प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित थीं जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार, निविदाएँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन के पश्चात ही तैयार की जानी थीं।

3.4.11 निष्पादन

➤ त्रुटिपूर्ण रूपांकन-मापदण्ड अपनाए जाना

चरण- I, II एवं III के अन्तर्गत ग्राम सड़कों के निर्माण/ उन्नयन पर सड़कों की परत (क्रस्ट) के रूपांकन हेतु केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू 7 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत अपनाने के कारण 2.56 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों एवं ग्राम सड़क नियमावली (एस.पी.-20) के अनुसार सड़क की परत मोटाई सब ग्रेड में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू तथा परियोजित (प्रोजेक्टेड) यातायात घनत्व के आधार पर रूपांकित की जानी चाहिए । तथापि यह देखा गया कि प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम के चरण- I, II एवं III (मार्च 2001 से सितम्बर 2003) के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु सब ग्रेड की वास्तविक वैल्यू (7 प्रतिशत से अधिक) के स्थान पर 5 प्रतिशत वैल्यू मानकर परत-मोटाई के रूपांकन हेतु मनमाने प्रावधान बनाए गए (अप्रैल 2002) । तथापि चरण-IV के अन्तर्गत कार्यों के लिए यह मानदण्ड सुधार दिया गया (जुलाई 2003) ।

6 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि नई सड़कों के निर्माण हेतु परत-मोटाई 5 प्रतिशत या कम की केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू को गणना में लेते हुए 360 मि.मी. या अधिक पर रूपांकित की गई यद्यपि नियमावली के अनुसार सब ग्रेड के निर्माण में वास्तव में उपयोग की गई मिट्टी की केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू 7 प्रतिशत मानने पर परत-मोटाई मात्र 300 मि.मी. संगणित होती थी । साथ ही सड़कों के उन्नयन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दी गई विद्यमान परत की मोटाई को ध्यान में रखे बिना सब बेस/बेस कोर्स की अतिरिक्त परतें (लेयर्स) बिछाई गई । परत की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन के परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रुपये^{###} की परिहार्य लागत आई ।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि चरण- I एवं II के कार्यों में सब ग्रेड हेतु परिवहन की गई मिट्टी की केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू 7 प्रतिशत माने बिना परत की मोटाई रूपांकित की गई है । सब ग्रेड में उपयोग की गई वास्तविक मिट्टी की सही केलीफोर्निया बेयरिंग रेशियो वैल्यू का विचार नहीं किया गया, यह उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ही स्वीकरण है ।

^{##} देवास- 0.45 करोड़ रुपये , होशंगाबाद- 0.29 करोड़ रुपये, ब्यावरा - 0.35 करोड़ रुपये, छिंदवाड़ा- 0.28 करोड़ रुपये, सिवनी- 0.03 करोड़ रुपये तथा शहडोल- 1.16 करोड़ रुपये ।

➤ प्राइमर-कोट की अनावश्यक मद का निष्पादन -- अतिरिक्त लागत

सड़कों की सम्पूर्ण
डब्ल्यू.बी.एम.सतह पर
आवश्यकता का निर्धारण
किए बिना प्राइमर-कोट
बिछाने के परिणामस्वरूप
20.76 करोड़ रुपये की
परिवार्य लागत आई।

भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार प्राइमर-कोट बिछाया जाना वहाँ आवश्यक होता है जहाँ विद्यमान दानेदार (ग्रेनुलर) आधार अत्यधिक छिद्रयुक्त एवं अवशोषक हो या जब डामरीकृत कोर्स काफी विलम्ब से बिछाया जाए। अतः इसकी आवश्यकता का निर्धारण तथा निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व विशिष्ट अनुमति के अन्तर्गत किया जाना था। सामान्यतः, दर-अनुसूची (सड़कों) के प्रावधानों के अनुसार दानेदार सतह (प्राइम्ड नहीं) पर टेक-कोट का प्रावधान एवं बिछाने की मद, सीधे ही लागू की जाती है। इन प्रावधानों के होते हुए भी सभी सड़कों (5750 कि.मी.) की लागू की जाती है। इन प्रावधानों से सम्पूर्ण सतह पर प्राइमर-कोट, अविवेकपूर्ण ढंग से टेक-कोट (प्राईम्ड) के अनुप्रयोग से सम्पूर्ण सतह पर प्राइमर-कोट, अविवेकपूर्ण ढंग से टेक-कोट (प्राईम्ड) के पूर्व प्राइमर ठीक पहले बिछा दिया गया। यदि दानेदार सतह पर टेक-कोट (प्राईम्ड) के पूर्व प्राइमर के स्थान पर मात्र टेक-कोट (प्राईम्ड नहीं) दिया गया होता तो अतिरिक्त लागत टाली जा सकती थी। प्राइमर-कोट की अनावश्यक मद के निष्पादन के परिणामस्वरूप जुलाई

2004 तक 20.76 करोड़ रुपये^{§§§} लागभग (टेन्डर प्रीमियम को छोड़कर) की अतिरिक्त लागत आई।

शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि प्राइमर-कोट असंबद्ध कर्णों को बांधने तथा दानेदार आधार को जल-अवरोधी बनाने हेतु अपेक्षित था। उत्तर विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि प्राइमर-कोट उसकी आवश्यकता का निर्धारण किए बिना जैसा कि भारतीय रोड कांग्रेस की विशिष्टियों में निर्दिष्ट था, सम्पूर्ण सतह पर बिछाया गया। यह भी कि प्राइमर-कोट के उपयोग से पहले सक्षम अधिकारी की विशिष्ट अनिवार्य अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

➤ अधिक महंगी विशिष्टियां अपनाना तथा त्रुटिपूर्ण दरें लागू करना

चरण-। एवं ॥ के अंतर्गत अनुबंधों के लिए कार्य के मदों की अनुसूची में क्रास ड्रेनेजों के निर्माण में दर-अनुसूची (पुल) पर आधारित विभिन्न व्यासों क आई एस-458-1971 विशिष्टि वाले एन.पी-3 व्यूम पाइपों के प्रदाय एवं लगाने की एक मद का प्रावधान था परन्तु इन विशिष्टियों के पाइप विशिष्टियों के आई.एस.-458-1988 में पुनरीक्षित हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं थे। नए मानकों की न्यूनतर विशिष्टियों को देखते हुए दरों का विश्लेषण किया गया तथा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा 1000 मि.मी.तथा 1200 मि.मी. व्यास के लिए, क्रमशः 350 रुपये प्रति चल-मीटर एवं 528 रुपये प्रति चल-मीटर (दर-अनुसूची- 1990) तथा 452 रुपये प्रति चल-मीटर एवं 722 रुपये प्रति चल-मीटर (दर-अनुसूची - 2001) तक दरों को घटाकर नये मानकों के एन पी- 3 पाइपों का (दर-अनुसूची - 2002) तथा पाइपों के उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया (मई 2002)। तथापि उच्चतर विशिष्टियों वाले एन पी-4 पाइपों के उपयोग को भी पुराने एन पी-3 मानक के बराबर मानते हुए बिना कोई कटौती किए अनुमति दी गई।

^{§§§} चरण । एवं ॥- 4982 कि.मी. (लम्बाई) X 1000 X 3.75 मी. (चौड़ाई) 9.50 रुपये की दर से = 17.75 करोड़ रुपये।

चरण-॥। - 768 कि.मी.(लम्बाई) X 1000X3.75 मी.(चौड़ाई) 10.45 रुपये की दर से = 3.01 करोड़ रुपये।

उच्चतर विशिष्टियों के एन.पी.-4 ह्यूम पाइपों के उपयोग के कारण 1.02 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत

13 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि चरण-। एवं II के अन्तर्गत क्रास-ड्रेनेजों के निर्माण में एन.पी.-3 के स्थान पर उच्चतर विशिष्टियों के एन.पी.-4 पाइपों का उपयोग किया गया जिसके फलस्वरूप दरों में कटौती किए बिना नए मानकों के एन.पी.-3 पाइपों के उपयोग के कारण 17.08 लाख रुपये^{****} के अधिक भुगतान के अतिरिक्त 1.02 करोड़ रुपये ******** की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

आगे यह भी देखा गया कि पश्चातवर्ती चरण-III एवं IV में दर-अनुसूची की दरों में कोई कमी किए बिना जैसा कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया गया था, मदों के नामकरण में मात्र आई.एस.-458-1971 की विशिष्टियाँ ही आई.एस.-458-1988 से प्रतिस्थापित की गई, इसके परिणामस्वरूप 60.92 लाख^{####} रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी हुआ।

शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि नई विशिष्टियों वाले एन.पी.-4 ह्यूम पुरानी विशिष्टियों वाले एन.पी.-3 के समतुल्य मानकर प्रयोग में लाए गए थे तथा चरण-III एवं IV के अंतर्गत नए मानक के एन.पी.-3 हेतु भुगतान मदों की संशोधित अनुसूचियों के अनुसार किए गए थे।

अपेक्षित एन.पी.-3 पाइपों के बदले उच्चतर विशिष्टियों वाले अधिक महंगे एन.पी.-4 ह्यूम पाइपों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

➤ टेक-कोट का विशिष्टियों के विरुद्ध निष्पादन -- अतिरिक्त लागत

विशिष्टियों के अनुसार बिटुमिनस इमलशन के स्थान पर बिटुमिन से टेक-कोट के निष्पादन के कारण 45.50 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत।

सङ्क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार डामरीकृत कोर्स बिछाने के लिए मात्र बिटुमिनस इमलशन से ही टेक-कोट लगाया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में चरण-। के कार्यों में टेक-कोट बिटुमिनस इमलशन के स्थान पर बिटुमिन (अधिक महंगी मद) से लगाया गया। विशिष्टियों के क्षेत्र से परे महंगी मद के प्रयोग के परिणामस्वरूप 45.50 लाख रुपये^{#####} की अतिरिक्त लागत आई।

**** गुना -1.89 लाख रुपये, धार -11.79 लाख रुपये तथा झाबुआ - 3.40 लाख रुपये

**** उज्जैन - 8.67 लाख रुपये, देवास -13.30 लाख रुपये, होशंगाबाद -6.76 लाख रुपये, ब्यावरा - 9.66 लाख रुपये, गुना-8.92 लाख रुपये, छिंदवाड़ा -22.36 लाख रुपये, सिवनी -4.84 लाख रुपये, शहडोल -2.38 लाख रुपये, सागर-0.62 लाख रुपये, झाबुआ - 2.14 लाख रुपये, भोपाल - 4.72 लाख रुपये, एवं शिवपुरी- 17.73 लाख रुपये।

देवास - 2.62 लाख रुपये, ब्यावरा - 6.41 लाख रुपये, गुना -4.75 लाख रुपये, छिंदवाड़ा -8.95 लाख रुपये, सिवनी -7.64 लाख रुपये, शहडोल -5.16 लाख रुपये, सागर - 4.82 लाख रुपये, धार -6.09 लाख रुपये, झाबुआ -5.47 लाख रुपये, भोपाल - 2.21 लाख रुपये, तथा शिवपुरी - 6.80 लाख रुपये।

उज्जैन - 5.31 लाख रुपये, देवास - 4.41 लाख रुपये, गुना - 10.53 लाख रुपये, छिंदवाड़ा - 6.34 लाख रुपये, सागर - 13.55 लाख रुपये तथा धार -5.36 लाख रुपये।

शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के प्रावधानों के अनुसार टेक-कोट प्रयुक्त किया गया। सङ्क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों की दृष्टि से जो टेक-कोट को मात्र बिटुमिन इमलशन से बिछाना ही स्पष्टतः निर्दिष्ट करती हैं, उत्तर मान्य नहीं है।

➤ मिट्टी कार्य की अधिक महंगी मद का अनधिकृत निष्पादन

अनुमोदन के बिना
मिट्टी कार्य की अधिक
महंगी मद के निष्पादन
के परिणामस्वरूप 2.70
करोड़ रुपये का
अनधिकृत भुगतान
हुआ।

दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि राज्य तकनीकी अभिकरण तथा मंत्रालय की अनुमति के पश्चात कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पर आधारित चरण-। हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार एम्बेंकमेन्ट / सबग्रेड हेतु मिट्टी कार्य, दर-अनुसूची (सङ्केत) की मद 2.2 (एम्बेंकमेन्ट के लिए मिट्टी की खुदाई 43 रुपये प्रति घनमीटर की दर से) तथा 2.3 (खोदी गई उपलब्ध मिट्टी के उपयोग से निर्माण 43.20 रुपये प्रति घनमीटर की दर से) के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना था।

तथापि 12 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि एम्बेंकमेन्ट /सबग्रेड का निर्माण 2.2 एवं 2.3 की अनुमोदित मदों के स्थान पर राज्य तकनीकी अभिकरण/भारत सरकार के अनुमोदन के बिना मद 2.4 (चयनित मिट्टी से एम्बेंकमेन्ट का निर्माण 133 रुपये प्रति घनमीटर की दर से) के अन्तर्गत अधिक महंगी चयनित मिट्टी से किया गया। इसके फलस्वरूप न केवल अनधिकृत निष्पादन ही हुआ अपितु 2.70 करोड़ रुपये***** का अतिरिक्त भुगतान भी हुआ। उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि मद 2.4 के अन्तर्गत मिट्टी कार्य 250 मीटर से अधिक की लीड सहित निष्पादित किया गया एवं उसका भुगतान किया गया।

राज्य तकनीकी अभिकरण/भारत सरकार के अनुमोदन के बिना अधिक महंगी मद के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।

3.4.12 अधिक/अग्राह्य भुगतान

➤ मापों की त्रुटिपूर्ण पद्धति एवं निर्धारित जाँचों का प्रयोग न करना

भारतीय सङ्क कांग्रेस की विशिष्टियों (सङ्क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय एवं एस.पी.-20) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान योग्य मात्रा के निर्धारण के लिए उपयुक्त अंतरालों पर क्रास-सेक्शन बनाकर प्रारंभिक एवं निष्पादित स्तरों के आधार पर मिट्टी कार्य की माप ली जानी तथा माप-पुस्तिकाओं में दर्ज की जानी चाहिए।

***** उज्जैन - 0.32 करोड़ रुपये, देवास - 0.61 करोड़ रुपये, व्यावरा -0.25 करोड़ रुपये, गुना - 0.14 करोड़ रुपये, छिंदवाड़ा - 0.02 करोड़ रुपये, शहडोल - 0.23 करोड़ रुपये, सागर - 0.23 करोड़ रुपये, धार - 0.36 करोड़ रुपये, झाबुआ - 0.33 करोड़ रुपये, भोपाल -0.19 करोड़ रुपये, एवं शिवपुरी - 0.02 करोड़ रुपये।

मिट्टी कार्य की मात्रा
की त्रुटिपूर्ण संगणना एवं
परियोजना कार्यान्वयन
इकाइयों के अभियंताओं
द्वारा उसके मापों की
जाँच न करने के
परिणामस्वरूप 1.08
करोड़ रुपये का अधिक
भुगतान तथा ठेकेदार को
2.69 करोड़ रुपये की
अनुचित आर्थिक
सहायता

परामर्शदाताओं द्वारा माप लिए जाने तथा माप पुस्तिकाओं में दर्ज किए जाने चाहिए जिनकी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रतिशत तक जाँच भुगतानों को प्राधिकृत करने के पूर्व परामर्शदाताओं के अभियंताओं एवं परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्राधिकरण ने माप लेने एवं दर्ज करने तथा देयक बनाना सरलीकृत करने के लिए साफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में समय-समय पर विविध निर्देश जारी किए। परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित देयक राशि के 75 प्रतिशत को तुरन्त जारी (बिना जाँच) किए जाने के लिए महाप्रबंधक को अधिकृत करने की कंडिका (क्लाज) भी अनुबंध में सम्मिलित की गई।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि चल-भुगतान वास्तविक मापों के स्थान पर या तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दी गई प्राककलित मात्रा के प्रतिशत अथवा एक-मुश्त राशि के आधार पर किए गए। कार्यस्थल (फील्ड) पर वास्तव में लिए गए स्तर (लेविल्स) तथा माप अभिलेखों में नहीं पाए गए। तथापि कार्य पूर्ण होने के पश्चात सड़कों के सेक्षन की समग्र मात्रा की संगणना साफ्टवेयर द्वारा मापों की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर की गई। मात्रा के माप पुस्तिकाओं में चिपकाए गए/अभिलिखित किए गए सार (एबस्ट्रेक्ट) की जाँच को छोड़कर कम्प्यूटर में दर्ज किए गए स्तरों एवं मापों की जाँच की जाना नहीं पाया गया। मापों की जाँच की प्रतिशतता के सत्यापन हेतु परामर्शदाताओं के अभियंताओं एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा मापों की जाँच की पंजी का संधारण भी नहीं किया गया।

इस प्रकार मापों की त्रुटिपूर्ण रीति/मिट्टी-कार्य की मात्रा की त्रुटिपूर्ण संगणना एवं मापों की जाँच न किए जाने के परिणामस्वरूप नीचे दर्शाए अनुसार 96.08 लाख रुपये का अधिक भुगतान होने के अतिरिक्त ठेकेदार को 2.69 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता भी मिली:

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज	राशि (लाख रु.में)	स्वरूप	कारण
सिवनी	एम०पी.3602, 3607, 3603,2603	34.44	अधिक भुगतान	मिट्टी कार्य की समग्र मात्रा में से उपयोग की गई मिट्टी, पूर्व में भुगतान की गई मात्रा, कल्वर्ट पोर्शन आदि की कटौती न किया जाना एवं मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण।
व्यावरा	4502,4504	3.79	अधिक भुगतान	उपयोग की गई मिट्टी की कटौती न किया जाना,हार्ड शोल्डर के संघनन के लिए दोहरा भुगतान तथा प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के लिए हार्ड शोल्डर का मिथ्या भुगतान।
सागर	4802	15.50	अधिक भुगतान	भुगतान योग्य निवल मात्रा निकालने के लिए समग्र मात्रा में से, बिछाए गए सब-बेस/बेस/वियरिंग कोर्स की कटौती न किए जाने के कारण मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण।
झाडुआ	2602,1903	17.92	अधिक भुगतान	प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के लिए दोहरा भुगतान तथा निष्पादित मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण।
गुना	1303	0.56	अधिक भुगतान	सेन्सर पेवर-फिनिशर का उपयोग न करने के कारण दर-अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दरों में कटौती न की जाना।
शिवपुरी	4013	11.65	अधिक भुगतान	भुगतान योग्य मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण तथा दोहरा भुगतान।

छिंदवाड़ा	0705 0703, 0706, 0705, 0707	12.22 223.12	अधिक भुगतान अनुचित सहायता	उपयोग की गई मिट्टी की कटौती न किया जाना। मापों का प्रतिशतता के आधार पर अभिलिखित किया जाना।
शहडोल	6001	45.75	अनुचित सहायता	माप पुस्तिका के बजाय पृथक् पत्रक पर एकनुश्त मापों के आधार पर भुगतान।

यह भी कि 5 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में रिटर्न/विंग्स एवं एबटमेंट्स के पृष्ठ के मध्य दानेदार मिट्टी की भराई की मद हेतु 165 रुपये प्रति घनमीटर की दर के स्थान पर हॉन्चेज ##### में मुरम-भरवाई हेतु 467 रुपये प्रति घनमीटर की दर वाली त्रुटिपूर्ण मद प्रयुक्त किए जाने के कारण ठेकेदार को रुपये 12.17 लाख #### रुपये का अधिक भुगतान भी किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अतिरिक्त भुगतान होना स्वीकार किया (फरवरी 2005) तथा ठेकेदारों से उसकी वसूली करने की सहमति दी।

➤ लीड का त्रुटिपूर्ण भुगतान

चूंकि दर-अनुसूची (सङ्कें) में प्रावधान संपूर्ण मदों हेतु है अतः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में सामग्री की लीड के लिए पृथक् भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त अनुबंध के अनुसार किसी भी कारण से लीड भुगतान योग्य नहीं होगी। तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार को मिट्टी की लीड के कारण 92.65 लाख रुपये ##### के अमान्य भुगतान किए गए। शासन ने बताया (फरवरी 2005) कि कार्य की लागत में बचत करने हेतु मिट्टी की 250 मीटर से अधिक लीड के लिए भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दर-अनुसूची (सङ्कें) एवं अनुबंधों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए लीड बिल्कुल भी भुगतान योग्य नहीं थी।

➤ खोदी गई चट्टान के लिए वसूली न की जाना

दर-अनुसूचियों (पुल तथा सङ्कें) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार खोदी गई समस्त चट्टान कार्य में उपयोग करने के लिए ठेकेदार को क्रमशः 200 रुपये तथा 100 रुपये प्रति घनमीटर की दर से जारी की जानी चाहिए। तथापि 7 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि भारी मात्रा में चट्टान खोदी गई थी परंतु ठेकेदारों से उसके लिए वसूली नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप

पाइपों की दो निकटवर्ती कतारों के मध्य का स्थान।

होशंगाबाद - 3.15 लाख रुपये, व्यावरा - 1.64 लाख रुपये, गुना - 2.70 लाख रुपये, छिंदवाड़ा - 2.88 लाख रुपये, तथा धार - 1.80 लाख रुपये।

सिवनी - 21.20 लाख रुपये, शहडोल - 33.07 लाख रुपये, सागर - 5.55 लाख रुपये, धार - 4.98 लाख रुपये, तथा शिवपुरी - 27.85 लाख रुपये।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

ठेकेदारों को 28.34 लाख रुपये***** का अधिक भुगतान हुआ। उत्तर में शासन ने अधिक भुगतान की वसूली हेतु सहमति दी (फरवरी 2005)।

3.4.13 परिवीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

उद्देश्यों तथा लाभों की समय पर उपलब्धि हेतु कार्यक्रम का प्रभावी परिवीक्षण मुख्य घटक है, अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में त्रिस्तरीय परिवीक्षण प्रणाली परिकल्पित थी। इसे ऑन-लाइन प्रबंधन तथा परिवीक्षण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा था जिसके लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित किया गया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में सन्निहित है, गुणवत्ता नियंत्रण परिवीक्षण भी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों, राज्य तकनीकी अभिकरण एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण ने परियोजना की कार्य-दक्षता एवं प्रगति के परिवीक्षण हेतु सावधिक प्रतिवेदन एवं विवरणियां (रिटर्न्स) निर्धारित की हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जा रहा था।

राष्ट्रीय गुणवत्ता
परिवीक्षकों द्वारा 1478
सड़कों के निरीक्षण के
दौरान 160 तथा 18
सड़कों को क्रमशः:
औसत एवं निम्नस्तरीय
श्रेणीकृत किया गया जो
परामर्शदाताओं/
परियोजना कार्यान्वयन
इकाइयों की निम्नस्तरीय
कार्यदक्षता का सूचक था

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2004) कि राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों ने जुलाई 2004 तक 1478 सड़कों का निरीक्षण किया जिसमें से 160 एवं 18 सड़कों क्रमशः औसत एवं निम्नस्तरीय श्रेणीकृत की गईं जो परामर्शदाताओं की निम्न-स्तरीय कार्यदक्षता का सूचक था। शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2005) कि पूर्वर्ती निरीक्षणों में निम्न-स्तरीय या औसत के रूप में श्रेणीकृत अधिकांश प्रकरण अनुवर्ती निरीक्षणों में परिशोधित कर दिए गए थे। सितम्बर 2004 के प्रस्थिति (स्टेट्स) प्रतिवेदन में भी 131 तथा 9 सड़कों को क्रमशः औसत एवं निम्नस्तरीय के रूप में श्रेणीकृत दर्शाया गया था जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय गुणवत्ता परिवीक्षकों के द्वारा सड़कों के निर्माण को निम्नस्तरीय एवं औसत के रूप में श्रेणीकृत किए जाने से भी होती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए उत्तर विश्वास योग्य नहीं है।

3.4.14 निष्कर्ष

राज्य में बस्तियों की संबद्धता की प्रगति, मुख्यतः विद्यमान सड़कों के उन्नयन के प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों के दुरुपयोग के साथ ही परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के गठन में विलंब के कारण मंद रही और सड़कों के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण भी ऐसा हुआ। योजना निधि को भी उस व्यय के लिये प्रत्यावर्तित किया गया जिसे राज्य निधियों के नामे डाला जाना था। कार्य त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर प्रारंभ किया गया। विशिष्टियों से विचलन, त्रुटिपूर्ण रूपांकन मानदण्ड अपनाए जाने एवं अधिक महंगी विशिष्टियाँ प्रयुक्त किए जाने के प्रकरण भी देखने में आए तथा इनके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। उपरोक्त कमियाँ अपर्याप्त परिवीक्षण तथा समुचित गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रणाली के अभाव की द्योतक थीं।

***** उज्जैन - 1.69 लाख रुपये, गुना - 0.43 लाख रुपये, छिदवाड़ा - 1.88 लाख रुपये, सिवनी - 16.04 लाख रुपये, सागर - 1.45 लाख रुपये, धार - 4.09 लाख रुपये, तथा झाबुआ - 2.76 लाख रुपये।

3.4.15 अनुशंसाएँ

- निधियों का समुचित उपयोग करने हेतु परियोजना कार्यान्वयन के परिवीक्षण का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित प्रतिशतता में की गई जाँच के सत्यापन हेतु परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों एवं परामर्शदाताओं के अभियंताओं द्वारा मापों के जाँच की पंजियों का संधारण किया जाना चाहिए। मदों की मात्राओं की संगणना के लिए साफ्टवेयर को मानकीकृत किया जाना चाहिए।
- निविदा प्रीमियम का आधिक्य एवं स्वीकृति राशि के विरुद्ध व्यय-आधिक्य को राज्य निधियों पर भारित किया जाना चाहिए।
- दर-अनुसूची की तदर्थ वृद्धि की समीक्षा की जानी चाहिए।
- कार्य अनिवार्य रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप ही निष्पादित किया जाना चाहिए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

3.5 सिंहस्थ मेला 2004 उज्जैन

विशेषताएँ

प्रत्येक बारहवें वर्ष में "बृहस्पति" जब "सिंह" राशि (राशि चक्र का सिंह प्रतीक) में प्रवेश करता है तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तटों पर आयोजित होने वाला सिंहस्थ मेला मानवता को ज्ञात विशालतम आध्यात्मिक सम्मेलनों में से एक है। इस अवसर पर तीर्थ-यात्री पवित्र क्षिप्रा नदी में पावन डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में उज्जैन में एकत्रित होते हैं। पिछला सिंहस्थ अप्रैल-मई, 2004 के दौरान आयोजित किया गया तथा इसमें लगभग 2.75 करोड़ व्यक्ति आए।

सिंहस्थ मेला 2004 के दौरान तीर्थ-यात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न गतिविधियों यथा शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने, सड़कों, पुलों, रोक बाँधों, घाटों इत्यादि का निर्माण तथा आवासीय, जन-स्वास्थ्य, विद्युत, पीने का पानी, स्वच्छता इत्यादि से सम्बन्धित सुविधाएँ विकसित करने के लिए 265.28 करोड़ रुपये राशि की कार्ययोजना स्वीकृत की। जून 2004 तक 239.54 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

समीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

मंत्री-स्तरीय उप-समिति की स्वीकृति के बिना 114 कार्यों पर 26.50 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया।

(कंडिका 3.5.5)

मार्च, 2004 में 2.76 करोड़ रुपये की राशि आहरित की गई जिसमें से सिंहस्थ मेला पूर्ण होने के समय तक मात्र 54 लाख रुपये की राशि का ही उपयोग हुआ तथा शेष 2.22 करोड़ रुपये शासन को वापस नहीं किए गए।

(कंडिका 3.5.5)

पम्पिंग-मेन का निष्पादन पी.एस.सी. पाइप के स्थान पर अधिक महंगे डी.आई.पाइप से करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत लागत में 8.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.5.7)

उच्चतर दरों पर कार्य आवंटन के कारण 3.62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.10)

अपर्याप्त गुणवत्ता निरीक्षण के कारण 8 सङ्कों के निर्माण में 26.22 करोड़ रुपये का निवेश निष्कल हुआ।

(कांडिका 3.5.10)

जून, 2002 एवं अप्रैल, 2004 के मध्य 4.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उन्हेल- उज्जैन मार्ग (26.6 कि.मी.) की अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण अपने परिकल्पित जीवन को पूर्ण करने में विफलता।

(कांडिका 3.5.10)

विशिष्टि का अनुसरण न करने के कारण 1.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कांडिका 3.5.11)

अनुबंधों में प्रावधान के बिना डामर तथा निचली श्रेणी वाली (डाउनग्रेडेड) गिट्टी पर प्रतिभूत (सीक्योर्ड) अग्रिमों के भुगतान के कारण ठेकेदारों को 3.10 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता।

3.5.1 प्रस्तावना

(कांडिका 3.5.11)

सिंहस्थ मेला, 2004 का आयोजन 5 अप्रैल से 4 मई 2004 के मध्य हुआ था। तदनुसार 21 मार्च से 19 मई 2004 तक की अवधि "मेला" अवधि के रूप में अधिसूचित की गई थी। 2152 हैक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को जिसमें पूरा उज्जैन शहर 14 गाँव और 4 रेलवे स्टेशन (चिंतामनगणेश, पिंगलेश्वर, विक्रमनगर तथा नईखेड़ी) अंतर्निहित थे, को तीन करोड़ श्रद्धालुओं, "संतों" और "अखाड़ों", को समायोजित करने के लिए 5 परिक्षेत्रों और 19 खंडों में बाँटा गया था।

3.5.2 संगठनात्मक स्वरूप

उज्जैन में सिंहस्थ मेला 2004 की समुचित व्यवस्था हेतु रूपरेखा तैयार करने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण करने तथा जिला प्रशासन एवं मेला अधिकारी को दिशा-निर्देश एवं परामर्श देने के लिए विभिन्न समितियों⁹ का गठन

समिति का नाम	अध्यक्ष
1. केन्द्रीय समिति	मुख्यमंत्री
2. मंत्रिमंडलीय उप समिति	मुख्यमंत्री
3. सचिव स्तरीय समिति	मुख्य सचिव
4. रथानीय समिति	उज्जैन जिले का प्रभारी मंत्री
5. निधि प्रबंधन समिति	मंत्री लोक निर्माण विभाग
6. उच्चाधिकार समिति	कमिशनर उज्जैन

किया गया था। शासन ने प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति को वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित कीं (सितम्बर 2001)।

सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व 18 कार्यान्वयन अभिकरणों को जिनमें शासकीय विभाग, स्थानीय एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं सम्मिलित थीं, को सौंपा गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:-

विभाग का नाम	सौंपे गए दायित्व
शहरी प्रशासन एवं विकास	मेला के समग्र पर्यवेक्षण और व्यवस्थाओं के अनुवीक्षण सहित निधियों का विमोचन।
लोक निर्माण	उज्जैन शहर की नगर पालिका सीमा से बाहर की सड़कों और पुलों का निर्माण/सुधार।
लोक स्वास्थ्य योग्यताकी	पीने के पानी का भण्डारण एवं प्रदाय तथा स्वच्छता सुविधाएँ।
जल संसाधन	सिंहस्थ स्नानों के लिए क्षिप्रा नदी को पर्याप्त जल की व्यवस्था तथा क्षिप्रा नदी के तट पर घाटों का निर्माण।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना।
गृह विभाग	मेला क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निगाह रखना एवं बम खोजने के अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात एवं भीड़ पर नियंत्रण रखना।
विद्यालय एवं उच्चशिक्षा	बलों के आवास के लिए विद्यालय/महाविद्यालय भवनों का रख-रखाव तथा स्वयं सेवकों की सेवा प्रदान करना।
पर्यटन विभाग	पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
सामान्य प्रशासन	मेला के लिए भू-अर्जन करना तथा समग्र प्रशासनिक नियंत्रण।
धर्मस्व	मेलाक्षेत्र के अन्दर धार्मिक भवनों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव।
जन सम्पर्क	आयोजन को विस्तृत प्रचार देना तथा विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व सृजित करना।
II-स्थानीय एवं स्वायत्तशासी निकाय	
नगर निगम	सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव तथा नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना।
म.प्र.राज्य विद्युत मंडल	विद्युत का प्रदाय एवं रख-रखाव।
एप्को	उज्जैन में पर्यावरण अनुरक्षण के लिए अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करना।
विकास प्राधिकरण एवं नगर पंचायतें	सिंहस्थ से संबंधित निर्माण कार्य।
महाकालेश्वर मंदिर समिति	मंदिर का सुधार एवं नवीनीकरण।
कालिदास अकादमी	सांस्कृतिक गतिविधियाँ

3.5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

मेले की व्यवस्था करने के लिए निधियां 23 शासकीय विभागों (कार्यालयों) एवं 11 स्थानीय तथा स्वशासी निकायों को उपलब्ध कराई गई थीं। इनमें से 16 कार्यालयों ***** के 2001-04 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच अक्टूबर 2003 से जनवरी 2004 तथा मई से जुलाई 2004 तक की गई थी। नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी निकायों को सौंपे गए कार्यों को इस समीक्षा के अन्तर्गत नहीं लिया गया था।

3.5.4. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य जाँच करना था:-

- कार्य-योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली एवं निधियों का जारी होना।
- कार्यों पर किए व्यय की प्रभावकारिता।
- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला तंत्र।
- सिंहस्थ मेला 2004 के उपरान्त सृजित अधोसंरचना की उपयोगिता और उपयोग।

3.5.5. वित्तीय प्रबंधन

मेला के दौरान व्यवस्थाएं करने के लिए विभागीय प्रस्तावों एवं योजना को क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित प्राक्कलित राशि को समाविष्ट करते हुए कार्य-योजना, विभागों द्वारा मेला अधिकारी एवं कमिशनर नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के माध्यम से मंत्री-स्तरीय उप समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई। मंत्री-स्तरीय उप समिति द्वारा 265.28 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण कार्य-योजना स्वीकृत की गई थी (2001-2004)। जून 2004 तक 239.54 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका था।

***** कमिशनर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल 2- कमिशनर जनसम्पर्क भोपाल 3-मेला अधिकारी उज्जैन 4-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन, 5- पुलिस अधीक्षक, उज्जैन, 6- प्राचार्य, पॉलिटेक्निक, उज्जैन, 7-प्राचार्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय उज्जैन, 8-मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, 9- मुख्य अभियंता, लो. नि. वि. उज्जैन, 10-कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग क्र. 1, 11- संभाग क्र. II, 12- ब्रिज संभाग, 13-जल संसाधन संभाग, 14- लो. स्वा. यां. परियोजना संभाग, 15- लो. स्वा. यां. ग्रामीण संभाग, 16- लो. स्वा. यां. (यांत्रिक) संभाग, उज्जैन।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

यद्यपि सिंहस्थ मेला मई, 2004 में समाप्त हो गया तथाप व्यय के लेखाओं को सितम्बर 2004 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। मेला अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित विभागों से लेखे प्राप्त न होने के कारण लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

कमिशनर जनसंपर्क, जिला सम्पर्क अधिकारी उज्जैन तथा पुलिस अधीक्षक उज्जैन के कर्मचारियों एवं उनके साथ कार्य कर रही सहयोगी एजेंसियों को 2002-2004 के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई 4.04 करोड़ रुपये की ##### राशि अगस्त 2004 तक अंतिम रूप से समायोजित नहीं की गई थी। तीन माह की निर्धारित समयावधि में अग्रिमों का समायोजन न होना कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

➤ मंत्री-स्तरीय उप समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का निष्पादन

परिशिष्ट XXXIX में दिए गए विवरणानुसार 26.50 करोड़ रुपये की लागत के एक सौ चौदह कार्य यद्यपि स्वीकृत कार्य-योजना में सम्मिलित नहीं थे तथापि विभागों द्वारा मंत्री-स्तरीय उप-समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निष्पादित करा दिए गए थे। इनमें से 13.16 करोड़ रुपये की लागत के 84 कार्य अन्य स्वीकृत कार्यों की बचत को व्यपवर्तित करते हुए निष्पादित कराए गए थे तथा 13.34 करोड़ रुपये की लागत के 30 कार्य वित्तीय संहिता के प्रावधानों की उपेक्षा कर बजट-प्रावधानों की उपलब्धता के बिना निष्पादित कराए गए थे। मंत्री-स्तरीय उप समिति ने जनवरी 2005 में 17.67 करोड़ रुपये की लागत के 107 कार्यों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया तथा 18 कार्यान्वयन एजेंसियों को 10.79 करोड़ रुपये के आबंटन की अनुशंसा की।

➤ अनियमित अग्रिम भुगतान

सिंहस्थ मेला, 2004 के दौरान तात्कालिक स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आवश्यक कार्यों के समय पर पूर्णता के उद्देश्य से शासन द्वारा "सिंहस्थ मेला, 2004 आकस्मिकता निधि नियम, 2004" (मार्च 2004) के अंतर्गत राज्य स्तर पर तीन करोड़ रुपये के अनुदान से आकस्मिकता निधि का सृजन किया गया था। निधि से लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत "निधि व्यवस्थापन समिति" द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय किया जाना था। कमिशनर, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई तथा सितम्बर, 2004) से प्रकट हुआ कि तीन करोड़ रुपये की राशि कोषालय से आहरित की गई एवं एक बैंक में इसी उद्देश्य से खोले गए (मार्च 2004) एक चालू (करेंट) खाते में रखी गई। कमिशनर, उज्जैन द्वारा जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, उज्जैन को मेले के दौरान तैनात किए गए होमगार्ड्स के मानदेय, भोजन राशि आदि का भुगतान करने के लिए 1.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई एवं अग्रिम के रूप में "निधि व्यवस्थापन समिति" के अनुमोदन के बिना भुगतान की गई (मई 2004)। विभाग द्वारा अग्रिम की राशि की भरपाई सितम्बर, 2004 तक नहीं की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा

कमिशनर जनसम्पर्क: 1.92 करोड़ रुपए 2) जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उज्जैन: 0.20 करोड़ रुपए 3) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन: 1.92 करोड़ रुपए।

के आग्रह पर शेष राशि 1.76 करोड़ रुपये कोषालय में जमा करा दी गई (जुलाई, 2004)। इस प्रकार सक्षम समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 1.24 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अनियमित था।

➤ उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना

सिंहस्थ मेले की व्यवस्थाएं करने के लिए शासन ने स्थानीय एवं स्वशासी निकायों को सहायता-अनुदान के रूप में 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे (मार्च 2004)। इसमें से स्थानीय एवं स्वशासी निकायों को वास्तव में 29.79 करोड़ रुपये जारी किए गए थे (मार्च 2004)।

25.16 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्वीकृतियों के अनुसार सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र आयोजन(ईवेन्ट) पूर्ण होने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि यद्यपि सिंहस्थ मेला मई, 2004 में समाप्त हो गया था तथापि 8 संस्थाओं द्वारा 25.16 करोड़ रुपये \$\$\$\$\$\$ के उपयोगिता प्रमाणपत्र सितम्बर 2004 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

➤ सिंहस्थ निधियों का अवरुद्ध होना

कार्य के निष्पादन के लिए कोषालय से आहरित की गई (मार्च 2004) 2.76 करोड़ रुपये की राशि बैंक खाते में जमा कर दी गई (मार्च 2004)। इसमें से मात्र 0.54 करोड़ रुपये उपयोग किए गए थे (अप्रैल और मई 2004) तथा 2.22 करोड़ रुपये की शेष राशि बैंक में बिना उपयोग के पड़ी थी। सिंहस्थ मेला के मई 2004 में पूर्ण हो जाने के बावजूद भी राशि का शासन को वापिस प्रेषण नहीं किया गया।

इसे बताए जाने पर मेला अधिकारी ने उत्तर दिया कि सिंहस्थ मेला 2004 के दौरान निधियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशि बैंक में जमा की गई थी।

➤ राशि का कोषालय में जमा न किया जाना

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से प्राप्त (फरवरी, अप्रैल और जून, 2004) 1.10 करोड़ रुपये की राशि कोषालय में जमा नहीं की गई वरन् बैंक खाते में रखी गई, जिसमें से संकेतकों (साईनेजेज) के क्रय एवं स्थापन पर 0.76 करोड़ रुपये का भुगतान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया। 0.34 करोड़ रुपये की शेष राशि बैंक खाते में पड़ी हुई थी (सितम्बर, 2004)।

sssss नगर निगम, देवास 0.50 करोड़ रुपए, उज्जैन: 16.41 करोड़ रुपए, नगर पंचायत, ओंकारेश्वर: 0.30 करोड़ रुपए, महेश्वर: 0.30 करोड़ रुपए, बड़नगर: 0.22 करोड़ रुपए, उज्जैन विकास प्राधिकरण: 2.16 करोड़ रुपए, इन्दौर विकास प्राधिकरण: 5.00 करोड़ रुपए एवं जिलाधीश, उज्जैन: 0.27 करोड़ रुपए।

3.5.6. अधोसंरचना का सुधार – अस्पताल का निर्माण

➤ अस्पताल भवन के पूर्ण न होने के कारण निष्फल निवेश

मेलाक्षेत्र में अस्पताल भवन के निर्माण तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मंत्री-स्तरीय उप-समिति द्वारा 1.15 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी (जून 2002)।

अस्पताल भवन के पूर्ण न होने के कारण 1.03 करोड़ रुपये का निष्फल निवेश।

प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2004) में प्रकट हुआ कि अस्पताल भवन का निर्माण कार्य नियत समयावधि (अक्टूबर 2003) में पूर्ण नहीं हुआ था। निर्माण एजेन्सी को रूपांकन में परिवर्तनों तथा निर्माण क्षेत्र में 1094 वर्ग मीटर की वृद्धि के कारण 0.55 करोड़ की निधि की और आवश्यकता थी (अप्रैल 2004)। सिंहस्थ-2004 की अवधि के दौरान अस्पताल भवन के पूर्ण न होने से तीर्थ यात्री आयुर्वेदिक उपचार के लाभ से वंचित रहे, इसके अतिरिक्त 1.03 करोड़ रुपये का निवेश निष्फल रहा।

विभाग ने अस्पताल के निर्माण के पूर्ण न होने की पुष्टि की।

3.5.7 अधोसंरचना में सुधार – पेयजल का प्रदाय

➤ उज्जैन जल-प्रदाय आवर्धन योजना के निष्पादन में अनियमितताएं

वर्ष 2011 में उज्जैन शहर की 6.36 लाख की परियोजित जनसंख्या को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराने तथा सिंहस्थ मेला, 2004 में आने वाले तीर्थ यात्रियों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विद्यमान (56 मिलियन लीटर प्रतिदिन) जल-प्रदाय योजना (गम्भीर परियोजना चरण-II) के 27.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अतिरिक्त जल-प्रदाय हेतु आवर्धन को कमिशनर, उज्जैन तथा मुख्य अभियंता द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी रूप से 29.55 करोड़ रुपये हेतु अनुमोदित किया गया (दिसम्बर, 2001) तथा बाद में 23.93 करोड़ रुपये हेतु पुनरीक्षित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना 30 वर्षों के मानदण्डों के विरुद्ध मात्र 8 वर्ष हेतु रूपांकित की गई और भारत सरकार के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की अनुमति के बिना प्रारंभ कर दी गई। योजना पर जून 2004 तक 21.85 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी थी।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि योजना को तैयार करते समय केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की अभ्युक्तियों का अनुपालन किया गया था तथा अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूपांकित, यह एक आवर्धन योजना थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की अनुमति अनिवार्य थी एवं आवर्धन योजनाएँ भी कम से कम 30 वर्ष की अवधि हेतु रूपांकित की जाना आवश्यक है।

यह भी देखा गया कि विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार परियोजना की लागत को नगर निगम तथा राज्य शासन द्वारा 70:30 के अनुपात में वहन किया जाना था। तथापि यह देखा गया कि परियोजना की सम्पूर्ण लागत राज्य शासन द्वारा वहन की गई और सिंहस्थ मेला को प्रभारित की गई थी। मुख्य अभियंता ने बताया कि योजना सिंहस्थ मेला के लिए तैयार की गई थी और यह एक आवर्धन योजना नहीं थी। उत्तर गलत था क्योंकि योजना उज्जैन शहर को अप्रैल, 2004 से पेयजल उपलब्ध करा रही थी तथा निगम इस आवर्धन योजना से जल-प्रदाय कर राजस्व वसूली कर रहा था।

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, पूर्ण होने तथा चालू होने के उपरान्त योजना संचालन एवं संधारण के लिए नगर निगम को हस्तांतरित की जानी थी। सिंहस्थ मेला उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने योजना के संचालन एवं संधारण के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 1.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की माँग ठुकरा दी (जनवरी, 2004)। तथापि संभाग ने निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों को व्यवर्तित कर जनवरी से जुलाई, 2004 के दौरान 1.95 करोड़ रुपये का व्यय किया। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई तथा निधियों एवं जनशक्ति की अनुपलब्धता का कारण बताकर योजना को नगर निगम द्वारा अगस्त, 2004 तक नियंत्रण में नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त कमिश्नर, उज्जैन ने शासन से संचालन एवं संधारण के लिए अतिरिक्त अनुदान की माँग की थी (जुलाई, 2004) जो कि सितम्बर 2004 तक स्वीकृत नहीं हुई थी।

“विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और जल-प्रदाय तथा उपचार नियमावली” के अनुसार पम्पिंग-मेन के लिए पी.एस.सी. पाइप उपयुक्त थे एवं अनुशंसित किए गए थे (जून, 2001)। तथापि पी.एस.सी.पाइप का प्रावधान प्राक्कलनों में इस आधार पर डी.आई.पाइप से परिवर्तित कर दिया गया (दिसंबर, 2001) कि यह आंतरिक दबाव की अधिक घट-बढ़ व जल-प्रहार को सह सकते थे तथा इनकी संधारण लागत भी कम थी। विभाग ने 5.82 करोड़ रुपये की लागत वाले पी.एस.सी. पाइप के विरुद्ध 14.30 करोड़ रुपये की समग्र लागत पर 800 मि.मी. व्यास के 16794 मीटर तथा 600 मि0मी0 व्यास के 2349 मीटर डी.आई.पाइप क्रय किए थे। इस प्रकार पम्पिंग-मेन का निष्पादन पी.एस.सी. पाइप के मितव्ययी विकल्प के स्थान पर अधिक महंगे डी.आई.पाइप से कराने के परिणामस्वरूप पूंजीगत लागत में 8.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। मुख्य अभियंता ने बताया कि पी.एस.सी. पाइप के स्थान पर डी.आई.पाइप प्रयोग कराने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पी.एस.सी. पाइप के प्रयोग का निर्णय मंत्री-स्तरीय समिति जिसके प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री थे, द्वारा लिया गया था जिसे विभाग मंत्री-स्तरीय समिति के अनुमोदन के बिना डी.आई.पाइप के पक्ष में नहीं बदल सकता था।

**पम्पिंग-मेन का निष्पादन
अधिक महंगे
डी.आई.पाइप से कराने
के परिणामस्वरूप
पूंजीगत लागत 8.48
करोड़ रुपये बढ़ गई।**

दरों के त्रुटिपूर्ण ढंग से ह किए जाने के परिणामस्वरूप 22.85 लाख रुपये का अधिक भुगतान

डी.जी.एस.एण्ड डी. एजेन्सी का उपयोग न करने के कारण 11.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 7.35 लाख रुपये का अनियमित भुगतान।

एम.एस.स्टेन्डों के उच्चतर दरों पर क्रय से 15.96 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत।

प्रदाय आदेश की शर्तों के अनुसार फर्म को पाइप का प्रदाय सङ्क परिवहन के माध्यम से करना था लेकिन प्रदाय-कर्ता को उसका भुगतान 1874.20 रुपये प्रति मीट्रिक टन के रेल भाड़े से सीमित किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि भुगतान 2342.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 22.85 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

नियमों में प्रावधान है कि क्रय महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से किया जाना चाहिए। तथापि कार्यपालन यंत्री द्वारा नवम्बर 2003 में 1.08 करोड़ रुपये की लागत से (800 मि.मी. व्यास) डी.आई. पाइप की 1298 मीटर की अतिरिक्त मात्रा महानिदेशक लघु उद्योग निगम के माध्यम से महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान की दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर प्राप्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई। यह भी कि पाइप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त थे फिर भी प्रदायकर्ता को इसके लिए 7.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

3.5.8 पंचकोशी यात्रा के विभिन्न स्थलों पर जल-प्रदाय की व्यवस्था

कमिशनर, उज्जैन ने 14 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2004 के मध्य आयोजित हुई पंचकोशी यात्रा के विभिन्न स्थलों पर जल-प्रदाय की व्यवस्था के लिए नवम्बर 2003 एवं मार्च 2004 में 2.08 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग उज्जैन को 2003-05 के दौरान उपलब्ध कराया गया 1.90 करोड़ रुपये का आबंटन जून 2004 तक व्यय कर दिया गया तथा बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए 17.68 लाख रुपये का आबंटन और माँगा गया जो अगस्त 2004 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि एच.डी.पी.ई. जल संग्रहण टंकियों के लिए एम.एस.स्टेन्डों की मांग कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री द्वारा 12 नवम्बर 2003 को मुख्य अभियंता को भेजी गई तथा मुख्य अभियंता ने दिसंबर 2003 एवं जनवरी 2004 के मध्य मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को प्रदाय आदेश दिए। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम ने इसी क्रम में 9 फरवरी, 2004 को प्रदाय आदेश जारी किए जो वास्तव में 6 मार्च, 2004 को प्रेरित किए गए। परिणामतः फर्म निर्धारित समय में 8 मार्च 2004 तक स्टेन्डों को बनाने एवं प्रदाय करने में विफल रही। अधीक्षण यंत्री ने मुख्य अभियंता एवं मेला अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 17 मार्च 2004 एवं 22 मार्च 2004 के मध्य पुनरीक्षित प्रदाय आदेश जारी किए तथा उच्चतर विशिष्टियों वाले 122 एम.एस.स्टेन्ड 19.10 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स देवास उद्योग, देवास से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर प्राप्त किए। इस प्रकार मुख्य अभियंता एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम स्तर पर हुई इस विलम्बित कार्रवाई के परिणामस्वरूप 15.96 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि सामग्री लघु उद्योग इकाई से क्रय की गई थी तथा लघु उद्योग निगम के स्टेन्डों में आकस्मिक दुर्घटनाएँ टालने के लिए आवश्यक धारक क्षमता नहीं थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि मूल आदेश सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात दिए गए थे तथा स्टेन्डों की समय पर आपूर्ति न किए जाने के कारण ही आदेश निररत किए गए थे।

3.5.9 अधोसंरचना में सुधार – घाट

➤ घाटों का निर्माण एवं विस्तार

क्षिप्रा नदी के तटों पर कुल 3505 मीटर लम्बाई के घाटों के निर्माण, विस्तार एवं विकास तथा क्षिप्रा नदी में जल संग्रहण के लिए रोक बाँधों से सम्बन्धित 7.78 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के तिहत्तर कार्य निष्पादित किए गए थे तथा जून 2004 तक 7.36 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

➤ उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त लागत

क्षिप्रा के दायें तट पर गणेशघाट तथा रेलवे ओवर-ब्रिज के मध्य 12 घाटों के निर्माण के लिए 97.34 लाख रुपये एवं रामघाट पर आर.डी. 0 से 70 मीटर के मध्य एक घाट निर्माण के लिए 29.76 लाख रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन मई 2003 में दिया गया। इन कार्यों तथा सैयदानाघाट के निर्माण की निविदाओं की आमंत्रण सूचना 5 समूहों में 5 मई 2003 को जारी की गई। कार्यपालन यंत्री ने सैयदानाघाट के निर्माण हेतु एक समूह के लिए निविदा एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची से 1.45 प्रतिशत अधिक पर मई 2003 में स्वीकार की। शेष 4 समूहों में जिला योजना समिति ने कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर सैयदानाघाट के लिए स्वीकृत एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची से 1.45 प्रतिशत अधिक दर की तुलना में निविदाएं एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची से 19.23 से 19.46 प्रतिशत के मध्य की उच्चतर दरों पर अनुमोदित कीं (मई, 2003)। इसके परिणामस्वरूप 22.60 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि इन कार्यों को वर्षा-काल से पूर्व पूर्ण किया जाना था अतः निविदाओं के पुनः आमंत्रण के लिए समय नहीं बचा था तथा पूर्ण करने के लिए समय बहुत कम था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मेला समिति द्वारा संभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए काफी पहले 2001-02 में ही कह दिया गया था। तथापि संभाग ने प्रस्ताव मई 2003 में प्रस्तुत किए। इस प्रकार विभाग की ओर से किए गए असाधारण विलम्ब तथा निविदा की उच्चतर दरों पर स्वीकृति के परिणामस्वरूप 22.60 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

➤ खण्ड-कार्य (पीस वर्क) को अनियमित रूप से दिया जाना

जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त (जनवरी, 2002), कार्यपालन यंत्री ने कर्कराज एवं अंगारेश्वर रोक बाँधों के कार्य के लिए 42.59 लाख रुपये मूल्य के 27 कार्यादेश जनवरी, 2002 से सितम्बर, 2003 के दौरान निविदाएं आमंत्रित किए बिना खण्ड-कार्य प्रणाली(पीस-वर्क सिस्टम) पर जारी किए तथा 40.55 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

नियमावली (मैनुअल) के प्रावधानों के विपरीत और निविदा आमंत्रित किए बिना खण्ड-कार्य के आधार पर कार्य दिया जाना अनियमित था तथा इससे एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची - 1998 से 14.21 प्रतिशत कम की प्रचलित बाजार दरों (रुदाखेड़ा तालाब: 2002-03 का अनुबंध क्र.11) की तुलना में 18.02 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

**निविदा की उच्चतर दरों
मर स्वीकृति के कारण
22.60 लाख रुपये की
अतिरिक्त लागत**

**खण्ड-कार्य-कर्ताओं के
माध्यम से कार्य निष्पादन
पर 18.02 लाख रुपये
की अतिरिक्त लागत**

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त, 2004) कि ये कार्य अत्यावश्यकता के कारण तथा जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यान्वित किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला योजना समिति 42.59 लाख रुपये मूल्य के खण्ड-कार्य-आदेशों को अनुमोदित करने हेतु सक्षम नहीं थी। यह भी कि यद्यपि खण्ड-कार्य के लिए अनुमोदन जनवरी, 2002 में प्राप्त हो गया था, तथापि आदेश सितम्बर, 2003 तक जारी किए गए थे जो यह दर्शाता है कि कार्य की कोई अत्यावश्यकता नहीं थी। प्रकरण अनुमोदन के लिए मंत्री-स्तरीय उप-समिति को भी प्रस्तुत नहीं किया गया था (सितम्बर 2004)।

➤ अस्वीकार्य भुगतान

**वलय-बंधों के निर्माण हेतु
12.20 लाख रुपये का
अनियमित भुगतान**

घाटों के निर्माण एवं विकास के क्रमशः 1.84 करोड़ रुपये एवं 23.46 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत वाले कार्य दो ठेकेदारों को मद-दर निविदाओं पर फरवरी एवं अप्रैल 2002 में सौंपे गए थे। इन ठेकेदारों को सितम्बर 2003 तक 1.70 करोड़ रुपये एवं 21.13 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची के अनुसार संरक्षण कार्य इन ठेकेदारों का दायित्व था तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त दर निर्धारित नहीं थी। इन्हें खुदाई से प्राप्त सामग्री से निर्मित किया जाना था जिसके लिए गीली खुदाई एवं लीड की दर पहले ही दी गई थी। तथापि यह पाया गया कि वलय (रिंग) बंध^{*} का निर्माण एवं हटाया जाना एक पृथक मद के रूप में लिया गया था यद्यपि एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची में इसके लिए पृथक दर निर्धारित नहीं की गई थी। ठेकेदारों को वलय-बंध निर्माण के लिए 12.20 लाख रुपये का भुगतान किया गया था जो अस्वीकार्य था। जब लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाया गया तो कार्यपालन यंत्री ने बताया कि वलय-बंध का निर्माण और हटाना एक पृथक मद थी एवं कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक थी। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि वलय-बंध का निर्माण भी निर्माण कार्य के रूप में अंतर्निहित था और उक्त कार्य के लिए लीड सहित वांछित सामग्री संरक्षण कार्य के अन्तर्गत मद-दर-निविदा में पूर्व में ही सम्मिलित थी।

3.5.10 अधोसंरचना में सुधार – सड़कों का निर्माण

मेला के दौरान पूर्वानुमानित अभूतपूर्व यातायात से निपटने के लिए यह योजना बनाई गई थी कि (i) उज्जैन शहर के 10 कि.मी. एवं 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर बाहरी एवं भीतरी रिंग-रोडों का निर्माण एवं सुधार तथा, (ii) उज्जैन को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का सुधार। इसमें 61.22 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 37 सड़कों (320 किलोमीटर लम्बाई) का निर्माण, सुधार, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा डामरीकरण परिकल्पित था। जून 2004 तक 69.51 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका था।

➤ अनुपयुक्त योजनाकरण

1980 और 1992 सिंहस्थ से प्राप्त अनुभवों से सीख लेते हुए कमिश्नर उज्जैन ने अनुशंसा की थी कि सिंहस्थ मेला 2004 के लिए विभिन्न कार्यों के लिए प्रशासनिक

* वलय-बंध: प्रमुख खंभों/पायों की सुरक्षा के लिए निर्मित अस्थाई संरचना जो पानी में ढूबी रहती है।

स्वीकृतियाँ इस प्रकार जारी की जाएँ जिससे कि उनके समय पर निष्पादन के लिए कम से कम 3 वर्ष की अवधि मिल सके। तथापि विभिन्न सङ्कों के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निम्नांकित विवरणानुसार मेला प्रारम्भ होने के मात्र 1 से 26 माह पूर्व ही जारी की गई।

क्र.	प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति का माह	कार्यों का विवरण	कार्यों की संख्या	लम्बाई किलो मीटर में	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (करोड़ रुपये में)	पूर्ण करने के लिए उपलब्ध अवधि
1.	फरवरी, 2002	सङ्क कार्य	20	154.80	34.54	26 माह
2.	जून, 2002	सङ्क कार्य	12	131.10	22.26	21 माह
3.	फरवरी, 2004	सङ्क कार्य	1	7.00	2.04	2 माह
4.	मार्च, 2004	सङ्क कार्य	4	27.60	2.38	1 माह

यह कार्यान्वयन एजेंसियों पर गम्भीर तनाव का कारण बना तथा सङ्कों लक्षित माह जनवरी, 2004 के विरुद्ध अप्रैल 2004 में ही पूर्ण की जा सकी।

प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के साथ ही कार्यान्वयन एजेंसियों से निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब के कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु बहुत कम समय बचा था जिसके कारण नीचे की गई चर्चानुसार कार्य उच्चतर दरों पर आबंटित हुए:

➤ उच्चतर दरों पर कार्य आबंटन के कारण अतिरिक्त लागत

मुख्य अभियंता, पश्चिम क्षेत्र, इन्दौर ने 30.73 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के 5 पैकेजों के लिए प्राक्कलन नवम्बर 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य स्वीकृत होने के पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कर लीं (अप्रैल, 2002)। शासन ने अत्यावश्यकता के आधार पर मई 2002 में न्यूनतम निविदाएं जो दस-अनुसूची से 9 से लेकर 9.99 प्रतिशत के मध्य तक अधिक थीं, स्वीकार कर लीं। ठेकेदारों ने कार्य निष्पादित किया तथा मई, 2004 तक 36.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि मंत्री-स्तरीय उप-समिति ने 9 जून, 2001 की अपनी बैठक में लोक निर्माण विभाग को सङ्कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। तथापि विभाग ने प्रस्ताव 19 फरवरी 2002 अर्थात् 7 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किए। उच्चाधिकार-प्राप्त समिति ने प्रशासकीय अनुमोदन 20 फरवरी 2002 को दिया। कार्य सितम्बर 2003 एवं दिसंबर 2003 के मध्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों को अंततः जून 2002 में सौंपे गए। ये कार्य वास्तव में सिंहस्थ मेला प्रारंभ हो जाने के पश्चात 31 मार्च एवं 20 अप्रैल 2004 के मध्य पूर्ण हुए।

प्रस्तावों को अंतिम रूप देने एवं ठेका सौंपने में विभागीय स्तर पर हुए विलम्ब ने निष्पादन एजेंसियों के लिए सङ्कों के निर्माण हेतु मात्र 18 माह (जून, 2002 से दिसंबर, 2003) का समय ही छोड़ा। इस प्रकार सङ्कों के निर्माण हेतु कम से कम 36

माह की अवधि उपलब्ध कराने संबंधी लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं (अप्रैल, 2002) का अनुसरण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि प्रचलित दरें मूल्य-वृद्धि (एसकेलेशन) भुगतान के बिना दर-अनुसूची से 12.52 प्रतिशत कम से लेकर 1 प्रतिशत अधिक के मध्य थीं। इस प्रकार निविदाओं की मूल्यवृद्धि भुगतान सहित 9 प्रतिशत एवं 9.99 प्रतिशत पर स्वीकृति अधिक महंगी थी और परिणामस्वरूप परिशिष्ट-XL में दिए गए विवरणानुसार 3.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

मुख्य अभियंता ने बताया कि पैकेज 1 से 5 के कार्यों का स्थल तथा स्वीकार करने का समय भी बिल्कुल भिन्न है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग के पास अपर्याप्त समय बचने के कारण विभाग प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें पाने में असमर्थ रहा। यह भी कि कम दरों वाले कार्यों का स्थल उज्जैन जिले में ही था तथा निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने की अवधि भी समकालीन एवं एक जैसी ही थी (मई-जून 2002)।

➤ स्वीकृति में हुए विलम्ब के कारण निर्माण की निम्नस्तरीय गुणवत्ता

यह देखा गया कि विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए उनके स्वीकृत होने के उपरान्त उपलब्ध समय 36 माह से कम था। विलम्ब से हुई स्वीकृति के कारण सुसीमित (कार्यक्रम) समय-ढांचे ने निर्माण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाला। नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 30.27 करोड़ रुपये की लागत से निष्पादित 9 सड़क कार्यों की गुणवत्ता में नीचे दिए गए विवरणानुसार गंभीर कमियां पाई गईः-

क्र.	सड़क का नाम	स्वीकृति का दिनांक	आरंभ होने का दिनांक	पूर्णता का दिनांक	लम्बाई (कि.मी. में)	व्यय (लाख रुपयों में)
1.	उज्जैन-देवास-मकसी सड़क व्हाया लालपुर	20 फरवरी 2002	12 जून -02	20 अप्रैल 04	8.80	306.47
2.	उज्जैन- इन्दौर सड़क से उज्जैन-देवास सड़क	20 फरवरी 2002	13 जून, 02	31 मार्च-04	3.60	147.77
3.	जयसिंहपुरा - विचलन मार्ग	20 फरवरी 2002	30 दिसंबर 02	31 मार्च-04	3.60	63.47
4.	मकसी से आगर सड़क व्हाया पिंगलेश्वर	20 फरवरी 2002	12 जून 2002	20 अप्रैल 04	12.40	478.55
5.	आगर सड़क से उन्हेल सड़क व्हाया जैथल	20 फरवरी 2002	4 जून 02	25 मार्च 04	13.00	483.71
6.	उन्हेल सड़क से बड़नगर व्हाया धरम बालंदा	20 फरवरी 2002	4 जून 02	26 मार्च 04	15.40	496.43
7.	बड़नगर से जवासिया सड़क	20 फरवरी 2002	12 जून 02	31 मार्च 04	7.50	237.45
8.	जवासिया से इन्दौर सड़क	20 फरवरी 2002	12 जून 02	31 मार्च 04	11.20	408.59
9.	उन्हेल- उज्जैन सड़क	मार्च 2004	मार्च 2004	20 अप्रैल-04	26.60	405.00
				योग	102.10	3027.44

क्षतिग्रस्त सड़कों के उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:-

➤ अपर्याप्त गुणवत्ता निरीक्षण के कारण निष्फल व्यय

**अपर्याप्त गुणवत्ता
निगरानी के कारण 8
सड़कों के निर्माण में
26.22 करोड़ रुपये का
निवेश निष्फल सिद्ध
हुआ।**

सिंहरथ मेला 2004 के लिए कुल 75.50 कि.मी. लम्बाई की 8 सड़कों जिनका उपरोक्त सारणी में क्र.1 से 8 तक उल्लेख किया गया है, का निर्माण कार्य 26.22 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ (अप्रैल, 2004)। शासन ने निर्माण में गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस उद्देश्य के लिए एक निजी परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्देश दिया था (मार्च, 2002)। तदनुसार परामर्शदाता-सेवाओं का कार्य एक परामर्शदाता को निर्माण (सिविल) कार्य की लागत के 0.96 प्रतिशत पर सौंप दिया गया (सितम्बर, 2002)। परामर्शदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर भली-भाँति सुसज्जित प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नियत अंतरालों पर निर्माण सामग्री के साथ ही सिविल ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्यों के विभिन्न परीक्षण किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि परामर्शदाता ने निर्माण सामग्री एवं कार्यों पर निर्धारित परीक्षण नहीं किए परन्तु मापपुस्तिकाओं में अभिलिखित प्रमाणपत्रों के आधार पर उसे मार्च 2004 तक 41.43 लाख रुपये का भुगतान विमोचित कर दिया गया। लेखापरीक्षा जॉच में प्रकट हुआ कि सड़कें मानक गुणवत्ता की नहीं थीं एवं प्रथम वर्षा-काल के दौरान ही अनेक गड्ढे हो गये थे। निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की छानबीन करने के लिए शासन द्वारा गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में (सितम्बर, 2004) उद्घाटित किया कि सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं और सुधार योग्य नहीं थीं। यह भी कि मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) के प्रतिनिधि ने भी सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों की पुष्टि की।

इस प्रकार अपर्याप्त गुणवत्ता निगरानी के कारण सड़कों के निर्माण पर किया गया 26.22 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। परामर्शदाता के साथ किए गए अनुबंधों में भी न तो क्षति हेतु धारा (क्लाऊज) का प्रावधान था न ही सिविल ठेकेदारों और परामर्शदाताओं के विरुद्ध किसी कार्रवाई की पहल की गई थी।

➤ उन्हेल-उज्जैन सड़क पर निरर्थक व्यय

26.60 कि.मी.लम्बी उन्हेल-उज्जैन सड़क जिसका उपरोक्त सारणी के क्रमांक 9 पर उल्लेख है के चौड़ीकरण और सुधार कार्य के लिए 1.81 करोड़ रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन शासन द्वारा जुलाई, 2000 में दिया गया। कार्य 1.49 करोड़ रुपये की समग्र निविदत्त लागत पर एक ठेकेदार को 18 महीनों के अंदर पूर्ण करने के लिए अक्टूबर, 2000 और फरवरी, 2001 के मध्य तीन समूहों में सौंपा गया। ठेकेदार ने 1.97 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादित किया जिसके विरुद्ध दिसंबर 2001 तथा मार्च 2004 के मध्य 1.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

नव निर्मित
डब्ल्यू.बी.एम. पर
प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स
के निष्पादन के कारण
20.18 लाख रुपये की
अतिरिक्त व्यय

सङ्क की समय-पूर्व
विफलता के लिए
ठेकेदार तथा दोषी
अधिकारियों को दंडित
नहीं किया गया ।

अपर्याप्त गुणवत्ता
नियंत्रण और पर्यवेक्षण
के अभाव के
परिणामस्वरूप सङ्क का
समय से पूर्व विफल
होना

अनुमोदित रूपांकन के
बिना कार्य निष्पादन
21.16 करोड़ रुपये की
लागत से निर्मित सङ्कों
के क्षतिग्रस्त होने का
कारण बना

➤ अनुबंधों और प्राक्कलनों में 2 मीटर चौड़ाई के नवनिर्मित वाटर बाउन्ड मेकेडम चौड़ीकृत भाग में 20 मि.मी. ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट बिछाए जाने का प्रावधान था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सतह पर प्रोफाईल करेक्टिव कोर्स भी बिछाया गया था जो अवांछनीय था तथा प्राक्कलनों एवं अनुबंधों में प्रावधानित नहीं था तथा जिसके परिणामस्वरूप 20.18 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

➤ इन्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों पर आधारित स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार डब्ल्यू.बी.एम. एवं ब्लैक टॉपिंग का रूपांकन 15 एवं 5 वर्षों के लिए किया गया था । तथापि यह सूचित किया गया कि सङ्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कुछ हिस्सों (स्ट्रेचेज) में पूरी तरह बह गई थी । क्षति के कारणों की छानबीन के लिए नियुक्त अतिरिक्त जिलाध्यक्ष, उज्जैन ने बताया (मार्च, 2003) कि अनुपयुक्त जल निकास प्रणाली, निष्प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, तथा पर्यवेक्षण के अभाव के कारण सङ्क निर्माण के एक वर्ष के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गई । शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया (जुलाई, 2003) । तथापि उनके तथा ठेकेदारों के विरुद्ध आ-दिनांक (सितम्बर, 2004) तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

➤ त्रुटियों को दूर करने एवं सिंहस्थ मेला के दौरान सुगम यातायात की व्यवस्था करने के लिए कमिश्नर, उज्जैन ने उसी 26.60 कि.मी. लम्बी उज्जैन-उन्हेल सङ्क के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु मार्च, 2004 में 2.23 करोड़ रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया। कार्य (प्राक्कलित लागत 2.10 करोड़ रुपये) निविदा आमंत्रित किए बिना सिंहस्थ सङ्क पैकेज ॥ एवं IV का निष्पादन कर रहे इन्दौर मूल के दो ठेकेदारों को दर-अनुसूची से 9.50 एवं 9.99 प्रतिशत अधिक पर सौंप दिया गया । एक वर्ष की सामान्य अवधि की अपेक्षा के विरुद्ध कार्य एक माह की अवधि के अन्दर ही पूर्ण हो गया तथा ठेकेदारों को मई, 2004 तक 2.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। तथापि मुख्य अभियंता ने कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2004 तक प्रदान नहीं की थी । लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि सङ्क पहले ही वर्ष-काल में पुनः क्षतिग्रस्त हो गई । इस प्रकार सङ्क जिस पर जून 2002 से अप्रैल 2004 के मध्य 4.05 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव के कारण अपना रूपांकित जीवनकाल पूरा नहीं कर सकी । दोषियों के विरुद्ध सितम्बर, 2004 तक कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी ।

➤ बाहरी घेरा सङ्कों (रिंग-रोड्स) के निर्माण में रूपांकन परिवर्तन

लोक निर्माण विभाग ने 71.20 कि.मी. लम्बाई की सात बाहरी घेरा (रिंग) सङ्कों के निर्माण के लिए 29.69 करोड़ रुपये के प्रस्ताव फरवरी 2002 में सिंहस्थ की केन्द्रीय समिति को प्रस्तुत किए । प्रस्ताव शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उज्जैन द्वारा तैयार परत (क्रस्ट) रूपांकन पर आधारित थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि लागत कम करने के लिए जैसा कि समिति ने अनुशंसित किया था, सङ्क के एम्बेंकमेन्ट की ऊँचाई किनारे की ढलान 2:1 सहित 900 मि.मी. को कम कर किनारे की ढलान 1:1 सहित 600 मि.मी. कर दी गई, तथा 50 मि.मी. बी.एम. जिसके उपर एस.डी.बी.सी. बिछाया जाता को 20 मि.मी. मोटे ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट से बदल दिया गया । यह उस संस्था जिसने परत (क्रस्ट) का रूपांकन किया था, के अनुमोदन के बिना कर

दिया गया । यह पुनरीक्षण भी कमिश्नर, उज्जैन द्वारा 20.69 करोड़ रुपये के लिए प्रशासकीय रूप से अनुमोदित कर दिया गया (फरवरी 2002)। रूपांकन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 21.16 करोड़ रुपये की लागत से निष्पादित सङ्कें पहले वर्षा-काल में ही क्षतिग्रस्त हो गई(जुलाई-नवम्बर, 2004)।

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण 6.01 करोड़ रुपये का लागत-आधिक्य हुआ

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि लागत अक्टूबर 2003 में 24.38 करोड़ रुपये और पुनः मार्च 2004 में 26.70 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित की गई । आगे यह भी देखा गया कि यद्यपि कमिश्नर उज्जैन ने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दे दी थी तथापि निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। लागत में 6.01 करोड़ रुपये (26.70 - 20.69) की वृद्धि मुख्यतः भू-अर्जन एवं जल निकासी व्यवस्था हेतु प्रारम्भिक अपर्याप्त प्रावधान, जन-सुविधाओं (यूटिलिटीज) के स्थानांतरण का प्रावधान न करने तथा त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण हुई। शासन ने उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने प्राक्कलन तैयार किए थे, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया (मई 2003) । निर्देशों का सितम्बर 2004 तक पालन नहीं किया गया था।

➤ पंचकोशी सङ्कें के निर्माण में कमियाँ

कार्य के क्षेत्र (स्कोप) में अनभीष्ट कमी से मिट्टी कार्य और सब-बेस को क्षति पहुंची ।

पंचकोशी यात्रा के पैदल तीर्थयात्रियों के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था हेतु कमिश्नर, उज्जैन ने 7 पंचकोशी सङ्कें के निर्माण के लिए जून 2002 में 10.85 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। कार्य नवम्बर 2003 तक पूर्ण करने के लिए एक ठेकेदार को दिसंबर 2002 में सौंपे गए। ठेकेदार ने एम्बैकमेंट एवं ग्रेन्यूलर सब-बेस का निर्माण कार्य कर दिया जिसके लिए उसे मार्च 2004 में 4.55 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया । लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकों की विद्यमानता(करेंसी) के दौरान कार्य का क्षेत्र (स्कोप) कम कर दिया गया तथा कमिश्नर द्वारा अक्टूबर 2003 में डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण कार्य को कम करके तथा क्रास जल-निकासी कार्य को हटाते हुए 6.89 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया । कार्य के क्षेत्र (स्कोप) में कमी करने के कारण 4.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिट्टी कार्य तथा ग्रेन्यूलर सब-बेस के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कार्य का क्षेत्र (स्कोप) उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार कम किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्देश विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे तथा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति भी मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान नहीं की गई थी (फरवरी 2005) । मुख्य अभियंता ने आगे बताया (फरवरी 2005) कि शासन ने इन सङ्कें पर डब्ल्यू.बी.एम. तथा डामरीकरण कार्य निष्पादन की स्वीकृति प्रदान नहीं की थी ।

3.5.11 सड़कों के निर्माण में अनियमितताएं

- पैकड एवं खुले (बल्क) बिटुमिन की लागत के अंतर की वसूली न करना
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को बिटुमिन के सभी कार्यों में पैकड बिटुमिन का प्रयोग करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि दो ठेकेदारों ने फरवरी-मार्च 2004 में उन्हेल-उज्जैन सड़क पर पैकड बिटुमिन के स्थान पर 721.79 मी.टन खुले (बल्क) बिटुमिन का प्रयोग किया तथा पैकड बिटुमिन और खुले (बल्क) बिटुमिन में 3418.20 रुपये प्रति मी.टन की दर से 24.67 लाख रुपये के मूल्य अंतर की वसूली किए बिना भुगतान कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पैकड एवं खुले (बल्क) बिटुमिन के लिए भिन्न दरें लागू होती हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों ने अपनी दरें पैकड बिटुमिन जो खुले (बल्क) बिटुमिन से मंहगा था, पर विचार करते हुए प्रस्तुत की थीं।
- ठेके की शर्तों के अनुसार बिटुमिन के मूल्यों में अंतर की गणना बिटुमिन प्राप्ति की अवधि के दौरान प्रचलित मूल्यों के आधार पर की जानी थी। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ उज्जैन-मक्सी सड़क के कार्य निष्पादन के दौरान बिटुमिन के मूल्य में अंतर का भुगतान बिटुमिन की प्राप्ति दिनांक की अपेक्षा बिटुमिन की खपत की दिनांक में मूल्यों के अंतर के संदर्भ में किया गया। इसके परिणामस्वरूप 6.19 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। संभागीय अधिकारी ने अधिक भुगतान स्वीकार किया; वसूली लेखापरीक्षा में अगस्त 2004 तक प्रतीक्षित थी।
- टेक-कोट के कारण अधिक भुगतान
- जब ताजे बिछाए गए बिटुमिनस कोर्स पर दूसरा बिटुमिनस कोर्स बिछाना हो तो टेक-कोट लगाना आवश्यक नहीं है। इसलिए कार्य-योजना इस प्रकार बनानी थी कि मिक्स-सील सरफेसिंग ताजी बिछाई गई बिटुमिनस मेकेडम की परत पर सीधे ही बिछा दी जाय जिससे कि टेक-कोट का उपयोग टाला जा सके। इसके विपरीत उज्जैन-मक्सी सड़क के कार्य में बिटुमिन मेकेडम के तुरंत बाद और मिक्स-सील सरफेसिंग के वियरिंग कोर्स के पूर्व 52773 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अतिरिक्त टेक-कोट बिछाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4.31 लाख का अधिक भुगतान हुआ। इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने गलती स्वीकार की तथापि वसूली नहीं की गई थी (अगस्त 2004)।
- अनुदेशों के उल्लंघन के कारण अधिक भुगतान

खुले (बल्क) बिटुमिन के उपयोग के कारण 24.67 लाख रुपये का अधिक भुगतान

त्रुटिपूर्ण गणना के फलस्वरूप 6.19 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

अनावश्यक रूप से टेक-कोट को बिछाए जाने के फलस्वरूप 4.31 लाख रुपये का अधिक भुगतान

विभागीय आपूर्ति के प्रावधान का समावेश न किए जाने से 36.45 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

भण्डार-क्रय नियमों के अनुसार आर.सी.सी. ह्यूम पाइप केवल मध्यप्रदेश लघु-उद्योग निगम की एजेन्सी के माध्यम से क्रय किए जाने हेतु आरक्षित थे। प्रमुख अभियंता ने निर्देशित किया (फरवरी 2001) कि निविदा प्रलेखों में पाइप-पुलियों के निर्माण के लिए आर.सी.सी. ह्यूम पाइप की विभागीय आपूर्ति हेतु प्रावधान किया जाए।

तथापि कार्यपालन यंत्रियों ने 9 अनुबंधों में पाइप की विभागीय आपूर्ति का प्रावधान समिलित नहीं किया तथा ठेकेदारों ने पुलियों के निर्माण में मई 2002 से मार्च 2004

के दौरान 4225 मीटर पाइप की व्यवस्था की जिसके परिणामस्वरूप 36.45 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार पाइप का क्रय ठेकेदारों को ही करना था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंधों के प्रावधान प्रमुख अभियंता के अनुदेशों के अनुरूप नहीं थे । इसके अतिरिक्त दर-अनुसूची के प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश लघु-उद्योग निगम के माध्यम से पाइप लेने की शर्त का पालन नहीं किया गया ।

➤ इमल्शन के स्थान पर बिटुमिन से टेक-कोट लगाना

बिटुमिनस टेक-कोट लगाने के परिणामस्वरूप 81.23 लाख रुपये का अधिक भुगतान

लोक निर्माण संभाग क्र.। एवं ॥ उज्जैन ने 2002-2004 के दौरान 16.23 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर ड्रेक-कोट का कार्य सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार 2.5 कि.ग्राम तथा 4 कि.ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर इमल्शन के स्थान पर क्रमशः 5 कि.ग्राम और 10 कि.ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर बिटुमिन का उपयोग कर निष्पादित कराया । इस प्रकार इमल्शन से टेक-कोट के स्थान पर बिटुमिनस टेक-कोट प्रयुक्त करने के परिणामस्वरूप परिशिष्ट XLI में दिए गए विवरणानुसार 81.23 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

मुख्य अभियंता ने उत्तर में बताया कि दर-अनुसूची और अनुबंध के अनुसार टेक-कोट बिटुमिन से निष्पादित कराया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में किए गए प्रावधान विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे ।

➤ सरफेस-ड्रेसिंग का अनावश्यक निष्पादन

सरफेस-ड्रेसिंग के अनावश्यक निष्पादन के परिणामस्वरूप 23.07 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत

सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार सरफेस-ड्रेसिंग एक वियरिंग कोर्स है तथा सङ्क संरचना को सुदृढ़ नहीं करता । ऐसा होते हुए भी लोक निर्माण संभाग । एवं ॥, उज्जैन ने 2002-2004 के दौरान 23.07 लाख रुपये की लागत से तीन ठेकेदारों के माध्यम से बिटुमिनस मेकेडम और मिक्स-सील सरफेस के तुरन्त बाद 96928 वर्ग मीटर क्षेत्र में सरफेस-ड्रेसिंग कार्य निष्पादित कराया । यह एक परिहार्य एवं अतिरिक्त लागत थी । लेखापरीक्षा में इंगित जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि डब्ल्यू.बी.एम. सतह को खराब होने से बचाने के लिए सरफेस-ड्रेसिंग का इकहरा कोर्स किया गया था । उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि बिटुमिन मेकेडम और मिक्स-सील सरफेसिंग, सरफेस-ड्रेसिंग के तत्काल बाद किए गए थे, और सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार नहीं थे ।

* उज्जैन मक्सी सङ्क: 14245 वर्ग मीटर, महिदपुर मक्सी सङ्क: 31380 वर्ग मीटर तथा आंतरिक रिंग सङ्क: 51303 वर्ग मीटर

अनुबंध में प्रावधान के बिना भुगतान के परिणामस्वरूप 3.10 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता हुई

➤ ठेकेदार को अनधिकृत वित्तीय सहायता

अनुबंध के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई नष्ट न होने वाली सामग्री पर संभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिभूत अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा। नष्ट होने वाली सामग्री पर कोई भी अग्रिम देय नहीं था। तथापि लेखापरीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ कि संभागीय अधिकारी ने नष्ट होने वाली सामग्री पर मार्च 2003 और फरवरी 2004 के मध्य 6 ठेकेदारों को 3.10 करोड़ रुपये प्रतिभूत अग्रिम स्वीकृत कर भुगतान कर दिये। अगस्त 2004 तक 4.60 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए लंबित थी। नष्ट होने वाली सामग्री[#] पर 3.10 करोड़ रुपये के प्रतिभूत अग्रिम का भुगतान अनियमित था तथा इसके परिणामस्वरूप 353 दिवसों तक की अवधि के लिए अनधिकृत वित्तीय सहायता हुई (देखिए परिशिष्ट-XLII)। इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जो कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत करारनामे में दर्शाई गई दर थी, गणना करने पर शासन को 13.73 लाख रुपये की ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पैकड़ मैक्सफाल्ट एवं डाउन-ग्रेडेड गिट्टी नष्ट होने वाली मदों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार की मदों पर प्रतिभूत अग्रिम स्वीकार्य नहीं होता।

➤ समयवृद्धि हेतु अनुमोदन के अभाव में अनधिकृत भुगतान

यह देखा गया कि शासन ने निर्देश दिए थे (नवम्बर 2001) कि जब तक समयवृद्धि स्वीकृत न हो ठेकेदारों को कोई भी चल भुगतान न किए जायें। इसके विपरीत कार्यपालन यंत्रियों ने ठेकेदारों द्वारा बढ़े हुए समय के दौरान निष्पादित कार्यों के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा समयवृद्धि की स्वीकृति के बिना 14.87 करोड़ रुपये जारी कर दिए। जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया तो कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि भुगतान कार्य के हित में जारी किया गया था। उत्तर शासन के अनुदेशों के प्रतिकूल था इसलिए लेखापरीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

3.5.12 अधोसंरचनाओं का सुधार -- पुलों का निर्माण

➤ उच्चतर दरों पर निविदा स्वीकृत किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत

जयसिंहपुरा विचलन सड़क पर क्षिप्रा नदी के एक ओर से दूसरी ओर पुल के निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित लागत 1.99 करोड़ रुपये थी, की निविदा नवम्बर 2001 में प्रतिशत-दर पर आमंत्रित की गई थी। विभाग की अनुशंसा पर शासन ने जनवरी 2002 में एक ठेकेदार की निविदा दर अनुसूची से 2.34 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत की।

[#] मैक्सफाल्ट - 2302.31 मी. टन - 264.19 लाख रुपए तथा स्टोन क्रशर डस्ट एवं डाउन ग्रेडेड गिट्टी 24707 घनमीटर - 46.03 लाख रुपए।

उच्चतर दरों पर निविदा
स्वीकृत करने के
परिणामस्वरूप 34.55
लाख रुपये की
अतिरिक्त लागत आई ।

लेखापरीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ कि प्रचलित दरें दर-अनुसूची से 21.65 से लेकर 15.02^⑨ प्रतिशत के मध्य तक कम थीं। इस प्रकार दर-अनुसूची के 2.34 प्रतिशत अधिक पर निविदा स्वीकार करना अधिक महगा था तथा परिणामस्वरूप 34.55 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

इसे जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया तो कार्यपालन यंत्री ने बताया कि निविदा प्रतिशत-दर पर स्वीकार की गई थी जबकि प्रचलित दरें एक-मुश्त आधार पर थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दरों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन दर-अनुसूची के आधार पर किया गया था। यह भी कि बाद में नवम्बर एवं सितम्बर, 2002 में पुलों के लिए दरें दर-अनुसूची से 18.57 से लेकर 15.09 प्रतिशत कम तक के मध्य प्रतिशत-दर पर स्वीकार की गईं।

3.5.13 निष्कर्ष

कार्य-योजना से विचलन किए गए एवं मंत्री-स्तरीय उप-समिति की स्वीकृति के बिना कार्य निष्पादित किए गए। यद्यपि मेला मई, 2004 में समाप्त हो गया था तथापि कई प्रकरणों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। प्रदान किए गए अग्रिम समायोजित अथवा वसूल नहीं किए गए जिससे वित्तीय नियंत्रण का अभाव लक्षित होता है। अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षी अमले एवं परामर्शदाता द्वारा परिवीक्षण के अभाव के कारण सड़क अधोसंरचना की गुणवत्ता में कमी आई। स्थाई कार्य सिंहस्थ मेला प्रारंभ होने के बहुत पहले पूर्ण किए जाना आवश्यक थे लेकिन अधिकांश सड़क कार्य अप्रैल, 2004 में मेला प्रारंभ होने के बाद पूर्ण हुए थे।

प्रशासनिक स्वीकृतियाँ विलम्ब से जारी हुईं जो कार्यान्वयन एजेंसियों पर अत्यधिक तनाव का कारण बनीं और कार्यों को उच्चतर दरों पर आबंटित करना पड़ा। अनेकानेक तकनीकी एवं वित्तीय अनियमितताएं थीं जिन पर शासन ने प्रशासनिक कार्रवाई आदेशित की थी किन्तु अनेक प्रकरणों में ऐसी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

3.5.14 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा में ध्यान आई विभिन्न कमियों की दृष्टि से निम्नलिखित अनुशंसाएँ शासन के विचारार्थ सुझाई जाती हैं।

- लेखाओं के संधारण और उन्हें अंतिम रूप देने में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा अग्रिम भुगतानों के समय पर समायोजन के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

^⑨ प्रमुख अभियंता क्र.401 दिनांक 14.12.01-पार्वती नदी के ऊपर कि.मी.22/8-दर-अनुसूची से 21.65 प्रतिशत कम — शासन ज्ञापन क्र.53/131/19/2001 दिनांक 26.12.2001 काली सिंध नदी के ऊपर पुल दर-अनुसूची से 15.02 प्रतिशत कम— काई नदी के ऊपर सबमर्सिबल पुल— 15.09 प्रतिशत कम—उठावटी नदी के ऊपर उच्चस्तरीय पुल: दर-अनुसूची से 18.575 प्रतिशत कम।

- सभी निर्माण कार्यों में पर्याप्त गुणवत्ता-नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

आगामी सिंहस्थ के लिए स्थाई प्रकृति के विभिन्न कार्य आयोजन (इवेन्ट) के बहुत पहले ही निष्पादित किए जाने चाहिए।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोग/हानियाँ

महिला एवं बाल विकास विभाग

4.1.1 सरकारी धनराशि का गबन

संहितागत प्रावधानों के पालन में विफलता के कारण सरकारी धन के 21.70 लाख रुपये का गबन हुआ।

कोषालय नियमों में यह व्यवस्था है कि जैसे ही लेनदेन हों, सभी धनराशियों को रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाना चाहिये और उन्हें जाँच के संकेत के रूप में रोकड़ पुस्तक के प्रभारी अधिकारी से अभिप्राणित कराना चाहिये। रोकड़ पुस्तक प्रभारी अधिकारी को रोकड़ पुस्तक के योग सत्यापित करना अथवा उनकी सहायता हेतु रोकड़ लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अप्रैल 1963 में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को कोषालय से किये गये आहरणों का कोषालय प्रमाणक पर्चियों के संदर्भ में पाक्षिक सत्यापन करना अपेक्षित है और इस आशय का प्रमाण पत्र भी रोकड़ पुस्तिका में अंकित करना आवश्यक है। कोषालय से कपटपूर्ण आहरणों के रोकथाम की दृष्टि से सरकार ने आगे ऐसे आदेश जारी किये (दिसम्बर 2000) कि माह के दौरान आहरित किये गये सभी चैकों की एक सूची कोषालय अधिकारी द्वारा आहरण अधिकारी को आगामी माह की 10 तारीख तक भेजी जानी चाहिये और आहरण अधिकारी द्वारा इसमें सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकित करने के उपरान्त उसी माह की 20 तारीख तक कोषालयों को वापस भेजना आवश्यक है।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीना, जिला सागर (एतद् उपरान्त आहरण अधिकारी कहा जायेगा) के जनवरी 1998 से फरवरी 2004 अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2004) में परिलक्षित हुआ कि आहरणों का कोषालय प्रमाणक पर्चियों के संदर्भ में पाक्षिक सत्यापन नहीं किया गया था और तदआशय का प्रमाणपत्र रोकड़ पुस्तक में अंकित नहीं किया गया था। रोकड़ पुस्तक के योग की जाँच भी किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी ने नहीं की थी। रोकड़ पुस्तक में जनवरी 1998 से अक्टूबर 2000 अवधि की प्रविष्टियाँ अभिप्राणित नहीं की गई थीं। कोषालय अधिकारियों द्वारा आहरण अधिकारियों को चैकों की मासिक सूची प्रेषित करने और आहरण अधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करने की पद्धति भी प्रचलन में नहीं थी। 21.70 लाख रुपये की सरकारी धनराशि का गबन निम्नानुसार हुआ:

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

- अक्टूबर 1998 से जून 2003 के दौरान 104 देयकों से संबंधित 24 लाख रुपये की राशि रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति के रूप में दर्शाई गई जबकि कोषालय अभिलेख के अनुसार उक्त देयकों के विरुद्ध 43.96 लाख रुपये की राशि आहरित की गई थी। इस प्रकार कोषालय से 19.96 लाख रुपये (43.96-24.00 लाख रुपये) का अधिक आहरण कर गबन किया गया।
- कोषालय से आहरित 1,45,576 रुपये का एक चैक दिनांक 23 जनवरी 2003 रोकड़ पुस्तक में 25 जनवरी 2003 को प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया। उसी दिनांक को 1,12,839 रुपये की राशि भुगतान के रूप में दर्शाई गई (रोकड़ पुस्तक का पृष्ठ 187) जबकि उक्त दिनांक को सभी भुगतानों का वास्तविक योग केवल 62,839 रुपये था। इस प्रकार भुगतान पक्ष में योग का अभिवर्द्धन करते हुये 50,000 रुपये का गबन किया गया।
- इसी प्रकार एक चैक दिनांक 16 अक्टूबर 2002 पर कोषालय से आहरित 1,46,823 रुपये 19 अक्टूबर 2002 को रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति के रूप में दर्शाए गये थे। इसमें से 1,16,023 रुपये उक्त दिनांक पर भुगतान के रूप में दर्शाये गये किन्तु उक्त दिनांक पर सभी भुगतानों का सही योग केवल 66,023 रुपये संगणित किया गया। इस प्रकरण में भी रोकड़ पुस्तक के भुगतान पक्ष में संभावित वर्द्धन करते हुये 50,000 रुपये का गबन किया गया।
- मंहगाई भत्ता एवं वेतन के बकाया के रूप में 0.71 लाख रुपये फरवरी 1998 में (0.01 लाख रुपये- देयक क्रमांक 8 से 11) तथा दिसम्बर 2002 में (0.70 लाख रुपये- देयक क्रमांक 89 से 93) आहरित किये गये किन्तु इस राशि का लेखांकन रोकड़ पुस्तक में नहीं पाया गया।
- 31 मार्च 2003 को रोकड़ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में भुगतानों का योग 1,31,817 रुपये था किन्तु उक्त सीमा तक रोकड़ शेष को घटाते हुये आगामी पृष्ठ पर आंकड़ा 1,34,817 रुपये अग्रेनीत किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर जिलाध्यक्ष सागर ने मामले की जांच के लिये एक समिति का गठन किया (मार्च 2004)। समिति ने सरकारी धनराशि के उपरोक्त व्यपहरण की पुष्टि करते हुये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जून 2004) किन्तु कोई विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने अथवा मामला पुलिस आदि को सौंपने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई (जनवरी 2005)।

इस प्रकार संहितागत प्रावधानों तथा सरकार के अनुदेशों का पालन न होने की स्थिति में 21.70 लाख रुपये का गबन हुआ।

प्रकरण सरकार को मई 2004 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (जुलाई 2004)।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.1.2 अवास्तविक एवं संदेहास्पद भुगतान


सरदार सरोवर परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबद्ध कार्यों पर तथा रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना से संबंधित कार्यों में सर्वेक्षण कार्य, स्थल सफाई, नहर का रख-रखाव एवं लेखन सामग्री के क्रय आदि पर अप्रभावी वित्तीय नियंत्रण के कारण 15.78 करोड़ रुपये का अवास्तविक एवं संदेहास्पद भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 22 बड़वानी के महालेखाकार के कार्यालय में प्राप्त हुए प्रमाणकों (व्हाउचर्स) की लेखापरीक्षा में 5.63 करोड़ रुपये के अवास्तविक तथा संदेहास्पद भुगतान दर्शाने वाली वित्तीय अनियमितताएं देखने में आईं। इसे इंगित किए जाने पर शासन ने प्रकरण की जांच प्रारंभ की (अक्टूबर, 2004) तथा साथ ही साथ नर्मदा विकास प्राधिकरण की सभी क्षेत्रीय इकाइयों (फारसेशन) की विशेष लेखापरीक्षा हेतु निवेदन किया (दिसम्बर, 2004)। इसी क्रम में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के 36 संभागों से प्राप्त हुए अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2004 तक की अवधि से संबंधित प्रमाणकों की एक और नमूना जांच की गई। संहिता के प्रावधानों के अनुसार एक हजार रुपये से अधिक व्यय के प्रमाणक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त होते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नर्मदा विकास संभाग 22, बड़वानी के साथ ही दो अन्य नर्मदा विकास संभागों यथा रानी अवंतीबाई लोधी सागर वितरणी संभाग, पाटन (जबलपुर) एवं लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. सरदार सरोवर परियोजना, पुनर्वास संभाग बड़वानी ने उच्चतर प्राधिकारियों की स्वीकृति को टालने के लिए प्रमाणकों को विभाजित कर विपुल राशि का व्यय किया था। अधिकांश देयक साधारण लेटरहैड्स पर ठेकेदारों के पंजीयन क्रमांक अथवा कार्यादेश के संदर्भों के बिना तैयार किए गए। ऐसे देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान सर्वथा अनियमित है। ये देयक न तो यंत्र-क्रमांकित (मशीन-नंबर्ड) किए गए थे और न ही नर्मदा विकास संभाग क्र.22 बड़वानी में इन देयकों पर कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर ही किए गए थे। इन तीन संभागों में देखी गई यथोलिखित अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

रानी अवंतीबाई लोधी सागर वितरणी संभाग, पाटन

- किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिये प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति आधारभूत पूर्वापेक्षाएँ हैं। वितरणी संभाग पाटन में नाबाई सहायता से 9.64 करोड़ रुपये तथा 7.87 करोड़ रुपये संविदा मूल्य के दो बड़े अनुबंध चल रहे थे। तथापि इन कार्यों पर वास्तविक रूप से मात्र 6.71 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए तथा 8.51 करोड़ रुपये यद्यपि इन्हीं कार्यों पर प्रभारित किए गए तथापि इनका उपयोग नहरों के रख-रखाव, सर्वेक्षण कार्य, लेखन सामग्री आदि पर किया गया।



नाबाड के दिशानिर्देशों के अनुसार नाबाड सहायता के अंतर्गत आबंटित निधियों से नहरों के रखरखाव पर व्यय अनुमत्य नहीं है। विभाग ने भी इस प्रयोजन के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया था। तथापि संभागीय अधिकारी ने समस्त वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा अनुदेशों, दिशानिर्देशों एवं संहिता के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए बिना अनुमोदन के रखरखाव कार्यों पर एक बड़ी राशि व्यय की; इनमें से कुछ आवश्यक नहीं थे एवं कुछ कार्य तो अस्तित्व में ही नहीं थे। उच्चतर प्राधिकारियों की स्वीकृति को टालने के लिए 5000 रुपये से कम वाले हजारों प्रमाणकों के माध्यम से कुल 8.51 करोड़ रुपये^{*} का भुगतान किया गया। कार्यों के विभागीय स्तर पर निष्पादन के लिए 50,000 रुपये से कम के खंड-कार्य अनुबंधों का भी सहारा लिया गया।

- मुख्य अभियंता रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, जबलपुर ने कार्यपालन यत्री, पाटन को अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2004 के दौरान संभाग द्वारा प्रतिवेदित वास्तविक व्यय को कार्य की भौतिक प्रगति के साथ सहसंबंधित तथा समीक्षित

स.क्र.	कार्यों का नाम	लाख रुपये में	
		देयकों/प्रमाणकों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	नई नहरों के तटों की ऊपरी सतह का समतलीकरण	2727	115.89
2	लेखन-सामग्री, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टंकण, अमोनिया प्रिंटिंग/ ट्रेसिंग	3918	192.00
3	नालियों का निर्माण	3800	170.95
4	जंगल सफाई तथा सर्वक्षण कार्य	1444	74.14
5	सर्विस रोड तथा पथांतरों पर मुरम बिछाना	582	115.97
6	रखरखाव की अन्य मद्दें	2150	182.53
	योग		851.48
			या 8.51 करोड़ रुपये

किए बिना 16.86 करोड़ रुपये^④ के साथ पत्र जारी किए। इससे कार्यपालन यंत्री को निधि को उन कार्यों पर भी जो स्वीकृत नहीं थे, उनके विवेकाधिकार पर व्यय करना सुगम हो गया। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल/कार्यालय निरीक्षण, नाबार्ड प्रतिपूर्ति दावों के परिवीक्षण, मासिक व्यय की समीक्षा, बजट प्रावक्कलन तैयार करने आदि जैसी जाँच करते रहने के बावजूद भी अनियमितताएं लम्बी कालावधि तक जारी रहीं। वास्तव में, विभाग द्वारा दिए गए विवरणानुसार अगस्त 2004 के व्यय पत्रक की समीक्षा के समय मुख्य अभियंता निधियों के दुर्विनियोजन से अवगत थे परन्तु स्थिति में सुधार हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के स्तर पर परिवीक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण में विफलता थी।

- कार्यपालन यंत्री के मौखिक आदेशों पर 4.66 करोड़ रुपये के कार्य अ-पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराये गए जिनमें प्रमाणकों को 5,000 रुपये से कम में विभाजित कर 1.71 करोड़ रुपये लागत की नालियों का निर्माण सम्प्लिट था।
- 1.94 करोड़ रुपये लागत के रखरखाव कार्य 387 खंड-कार्य अनुबंधों पर संहितीय प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए बिना किसी बजट के निष्पादित किए गए। इनमें से 32.96 लाख रुपये की लागत के 69 कार्य बिना कोई अनुबंध किए ही निष्पादित किए गए। कार्यादेशों को जारी करने के लिए जावक पंजी की प्रविष्टियों में उप-क्रमांकों से कई कार्यादेश बीच में प्रविष्ट कर हेरा-फेरी की गई जो कार्यालय अभिलेखों में छेड़छाड़ दर्शाता है। प्रमाणकों पर ऐसे खंड-कार्य अनुबंधों के यथा-वांछित संदर्भ भी अभिलिखित नहीं किए गए थे।
- जैसा कि एकीकृत दर-अनुसूची में प्रावधान था, 6 प्रतिशत कम के बजाय एकीकृत दर-अनुसूची पर खंड-कार्य अनुबंध द्वारा कार्य के निष्पादन के कारण 39.60 लाख रुपये का अधिक भुगतान देखने में आया। अधिक भुगतान कार्यपालन यंत्री द्वारा स्वीकार किया गया।
- माप-पुस्तिका का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया था। अधिकांश प्रकरणों में कार्य का विवरण, रीच सहित कार्यस्थल की स्थिति, आयाम एवं माप अभिलिखित नहीं किए गए थे। प्रविष्टियाँ कालानुक्रम में नहीं की गई थीं। 4.66 करोड़ रुपये मूल्य के कार्यादेशों के विरुद्ध मापों का अभिलेखन तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा जाँच, देयकों की तिथि पर ही की गई। अधिकांश प्रकरणों में तटों की ऊपरी सतह के समतलीकरण की 1.16 करोड़ रुपये के मूल्य की मद को स्तरों के संदर्भ के बिना वर्ग मीटर में मापा गया। ये माप देयक की तिथि से 10 से 15 दिनों के पश्चात अभिलिखित किए गए एवं

9

करोड़ रुपये में

	2002-03	2003-04	2004-05 (12/2004 तक)	योग
रानीअवंतीबाई लोधी सागर वितरणी संभाग, पाटन	3.70	4.71	8.45	16.86

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)


जाँचे गए जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसप्रकार अभिलिखित मापों की प्रामाणिकता प्रश्न के दायरे में थी। माप-पुस्तिका 1053 के पृष्ठों पर उपयंत्री का इस आशय का प्रमाण पत्र कि "माप लिए गए एवं देयक दर्ज किए गए" अभिलिखित पाया गया, जबकि मापों की कोई प्रविष्टि विद्यमान नहीं थी। 01 जून 2004 को जारी अधिसूचना के अनुसार संभाग का नाम परिवर्तित किया गया तथापि कुछ प्रकरणों में संभाग के नाम परिवर्तन से पूर्व की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए नये नाम की मुद्रा का उपयोग किया गया। इसप्रकार मापों एवं माप-पुस्तिकाओं के संधारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दर्शाती है कि कार्यों के भुगतानों को मात्र न्यायसंगत ठहराने के लिए माप-पुस्तिकाएं गढ़ी गई थीं।

- संभागीय अधिकारी ने कार्यालयीन लेखन-सामग्री (33 लाख रुपये), अमोनिया प्रिंटिंग एवं ट्रेसिंग (55 लाख रुपये), फोटोकापी एवं टंकण (1.04 करोड़ रुपये) पर भी 1.92 करोड़ रुपये का असामान्य रूप से अधिक व्यय किया (अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2004)। म.प्र. भंडार क्रय नियमों की उपेक्षा करते हुए संपूर्ण लेखन सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय की जाना दर्शाया गया। लेखन-सामग्री पंजी (प्राप्ति एवं निर्गम) सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। 13 लाख रुपये के प्रदाय आदेश यद्यपि आपूर्ति आदेश पंजी में प्रदायकर्ताओं को जारी किया जाना दर्शाया गया था तथापि जावक पंजी के अनुसार भेजा जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अधिप्राप्ति एवं ऐसे उच्च परिमाप में किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराने के लिए आपूर्ति आदेशों को पश्चातवर्ती-विचार से तैयार किया गया।
- चूंकि कार्यादेश टुकड़ों में जारी किए गए थे अतः आयकर, वाणिज्य कर तथा रौयल्टी जो अन्यथा उद्गृहित होते, की कटौती नहीं की जा सकी। कलस्वरूप 34.67 लाख रुपये (आयकर 10.44 लाख रुपये, वाणिज्य कर 9.32 लाख रुपये तथा रौयल्टी 14.91 लाख रुपये) की राशि के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 22, बड़वानी

कार्यों के भुगतानों को, प्रत्येक प्रकरण में राशि 5000 रुपये से कम रखते हुए हजारे प्रमाणकों में विभाजित किया गया। संभाग में 5000 रुपये से कम वाले विभाजित प्रमाणकों के माध्यम से अप्रैल 2002 तथा दिसम्बर 2004 के मध्य 6.46 करोड़ रुपये का सकल व्यय हुआ।

स.क्र.	कार्यों के नाम	स्थलों की संख्या	ठेकेदारों की संख्या	देयकों/प्रमाणकों की संख्या	भुगतान की गई राशि (लाख रुपये में)
1	ठेकेदारों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य	25	10	4747	291.54
2	सर्वेक्षण कार्यों हेतु श्रमिकों का प्रदाय	25	10	1064	55.13
3	मुरम या भिट्टी की भराई	25	25	4649	231.91
4	वाहनों एवं श्रमिकों को किराये पर लिया जाना	25	15	1784	67.33
	योग				645.91
	छोटे भुगतान*	-	-		76.23



यह भी कि अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा इन कार्यों का निष्पादन कुछ चयनित टेकेदारों के माध्यम से करवाया गया। कार्यों का निष्पादन, प्राक्कलनों की स्वीकृति, निविदाओं का आमंत्रण एवं कोई अनुबंध किए बिना किया गया। कार्यों की प्रगति के कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे जबकि अन्य स्वीकृत कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित किए जा रहे थे। सर्वेक्षण एवं शिकायत निवारण के कार्यों के लिए प्रदत्त(अप्रैल-मई 2003) 12.60 लाख रुपये एवं 7.52 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृतियों के विरुद्ध क्रमशः 2.92 करोड़ रुपये एवं 67.33 लाख रुपये अनधिकृत रूप से व्यय किए गए; पुनरेक्षित तकनीकी स्वीकृतियाँ अभी तक प्राप्त नहीं की गई थीं। इस संभाग में देखी गई अनियमितताओं के अन्य प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

- जल-सिंचन एवं संधनन के साथ मिट्टी अथवा मुरम भराई के 196610 घनमीटर कार्य के लिए एक संयुक्त मद के रूप में 118 रुपये प्रति घनमीटर की उच्च दर पर 4649 प्रमाणकों के विरुद्ध 2.32 करोड़ रुपये का भुगतान अनियमित था। भिन्न मदें होने पर भी किसी दर-विश्लेषण के बिना एकल-दर पर उनका संयोजन तथा भुगतान न्यायसंगत नहीं था। निश्चित स्थान अथवा कार्य-स्थल विनिर्दिष्ट किए बिना इस प्रकार की मद का बड़ी मात्रा में निष्पादन भी बिलकुल अनियमित था तथा व्यय अवास्तविक प्रतीत होता है।
 - अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2004 की अवधि के दौरान फोटोकॉपी करना, पेट्रोल तेल एवं स्नेहक, टंकण इत्यादि के छोटे-मोटे भुगतानों पर, जिनके प्रमाणक (1000 रुपये से कम वाले) महालेखाकार को प्रेषित किए जाना आवश्यक नहीं है, असामान्य रूप से अधिक व्यय (76 लाख रुपये) किया गया।

* छोटे भुगतानों (एक हजार रुपये से कम) से संबंधित संभाग के मासिक लेखाओं के साथ महालेखाकार को प्रेषित नहीं किए जाते हैं।

- सर्वेक्षण एवं तल-मापन के शिकायत प्रकरणों तथा गृह संपत्ति सर्वेक्षण की पुनर्जांच के लिए वाहन तथा श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु 67.33 लाख रुपये का व्यय सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृतियों के बिना किया गया। इसमें मात्र निजी वाहनों को किराए पर लेने हेतु 21.11 लाख रुपये तथा ठेकेदारों की आद्धत (कमीशन) के रूप में 2.45 लाख रुपये सम्मिलित थे। विशेष बात यह कि किराये पर लिए गए वाहनों के संबंध में लॉग-पुस्तिकाएं संधारित नहीं की गई, यहाँ तक कि ऐसे वाहनों के पंजीकरण क्रमांक भी अभिलेख-बद्ध नहीं थे। निजी वाहनों के किराए पर लेने हेतु ऐसी बड़ी राशि का भुगतान किसी अभिलेख एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया जाना न केवल अनियमित अपितु संदेहास्पद भी था।
- चूंकि कार्यादेश टुकड़ों में जारी किए गए थे अतः आयकर, वाणिज्य कर तथा रॉयल्टी जो अन्यथा उद्गृहित होते, की कटौती नहीं की जा सकी। फलस्वरूप 48.59 लाख रुपये (रॉयल्टी 29.48 लाख रुपये, वाणिज्य कर 4.64 लाख रुपये एवं आयकर 14.47 लाख रुपये) की राशि के राजस्व से वंचित होना पड़ा।
- एकीकृत दर-अनुसूची 1998 के अनुसार, (अ) चेन तथा कम्पास सर्वेक्षण (ब) चेन तथा थ्योडोलाइट सर्वेक्षण, (स) अरथाई बैंचमार्क स्थापित करने के लिए फ्लाई लेवलिंग तथा (द) बैंचमार्क के स्थानांतरण के लिए लेवलिंग तथा दोहरी लेवलिंग जैसी कार्य-मदों का निष्पादन करते समय साधारण जंगल सफाई के लिए पृथक से कोई भुगतान अनुमत्य नहीं था। तथापि एकीकृत दर-अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए साधारण जंगल सफाई हेतु 17.51 लाख रुपये का पृथक भुगतान किया गया जिसके कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ। इराके अतिरिक्त उचित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अरथाई पहुँच(एप्रोच) सड़क के निर्माण के कारण 20.68 लाख रुपये की राशि का भुगतान भी हुआ।
- मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) न.घा.वि.प्रा. भोपाल ने कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 22, बड़वानी को किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के नामों को दर्शाये बिना, जैसा कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 1984 के अंतर्गत अपेक्षित था, 18.90 करोड़ रुपये* के साखपत्र जारी किए। इससे संभाग को ऐसे कार्यों पर निधियाँ व्यय करना सुगम हो गया जो या तो अनुमोदित नहीं थे या जिनके लिए निधियाँ आवंटित नहीं की गई थीं।

लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग, बड़वानी

- सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग, बड़वानी ने भी 5000 रुपये से कम वाले हजारों प्रमाणकों में भुगतानों को विभाजित करने की सनान प्रक्रिया अपनाई तथा इसप्रकार 63 लाख रुपये की राशि का अप्राधिकृत व्यय किया इसीप्रकार

	2002-03	2003-04	2004-05 (12/2004 तक)	योग
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 22, बड़वानी	5.60	8.10	5.20	18.90

अलग-अलग 50000 रुपये से कम मूल्य के खंड-कार्य अनुबंधों के निष्पादन के द्वारा, व्यय को विभाजित कर 18.08 लाख रुपये की राशि का अनधिकृत रूप से व्यय किया गया।

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 22, बड़वानी से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2004) कि संभाग में बड़े-पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। संलिप्त पाए गए कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर वितरणी संभाग, पाटन के संबंध में मुख्य अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2005) तथा चूकों के लिए कार्यपालन यंत्री को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने आगे बताया कि संभाग को कार्यपालन यंत्री की मांग तथा अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा पर साखपत्र जारी किए गए थे; विवरण में दर्शाये गए कार्यों के अंतर्गत कुल व्यय के आधार पर व्यय पर नियंत्रण किया गया था। मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया गया औचित्य स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे निधियों के दुरुपयोग से अवगत थे तथा उन्होंने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

4.2 निर्धक/निष्कल व्यय एवं अधिक भुगतान

जल संसाधन विभाग

4.2.1 मूल्य वृद्धि एवं कड़ी चट्टान की कम वसूली के कारण अधिक भुगतान

मूल्यवृद्धि की गलत गणना के कारण 5.50 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को दी गई कड़ी चट्टान की 11.39 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मड़ीखेड़ा पक्का बाँध (सिंध परियोजना चरण 1) निर्माण का कार्य 122.82 करोड़ रुपये की लागत पर वर्षा-काल सहित 60 माह में पूर्ण करने के लिए दिया गया (नवंबर 1993)। वन भूमि की अनुमति न मिलने के कारण, जो अंततः फरवरी 2000 में मिली, ठेकेदार निर्धारित अवधि में मात्र 2 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सका। मुख्य अभियंता द्वारा 7 वर्ष की समय वृद्धि स्वीकृत की गई (मई 2001)। कार्य प्रगति पर था एवं अगस्त 2004 तक 139.45 करोड़ रुपये (मूल्य वृद्धि के 53.95 करोड़ रुपये सम्मिलित करते हुए) का भुगतान किया गया था।

(क) अभिलेखों की जाँच में त्रुटिपूर्ण आधार सूचकांक अपनाने से मूल्यवृद्धि के कारण 5.50 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान प्रकट हुआ। ठेके की शर्तों के अनुसार मूल्यवृद्धि की गणना हेतु मूल्य-बोलियाँ खोलने की तिथि का आधार सूचकांक माना जाना था। तथापि सितंबर, 2003 तक संभाग ने मूल्य-बोलियाँ खोलने की तिथि सितंबर 1993 को ही संबद्ध आधार सूचकांक माना परंतु अक्टूबर 2003 में मूल्यवृद्धि की गणना के लिए आधार माह को परिवर्तित कर निविदा खोलने की तिथि मई, 1993 कर दिया।

इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (दिसंबर 2003) कि पुनरीक्षित प्रस्ताव की तिथि 22 मई 1993 थी जिस तिथि को ठेकेदार ने प्रथम समझौता वार्ता

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

उपरांत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था एवं इसी को मूल्य वृद्धि भुगतान के लिए अपनाया गया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 22 मई 1993 प्रथम समझौता-वार्ता-उपरांत प्रस्ताव की तिथि थी। संविदात्मक प्रावधान के अनुसार मूल्य वृद्धि की गणना के लिए मूल्य-बोली के माह को आधार सूचकांक माना जाना चाहिए था। विभाग ने पुनरीक्षित प्रस्ताव मांगा एवं तदनुसार ठेकेदार ने सितंबर 1993 में 3.46 प्रतिशत छूट प्रस्तावित की एवं अक्टूबर 1993 में और 4 प्रतिशत अतिरिक्त छूट हेतु सहमति दी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा अंतिम बोली अक्टूबर 1993 में प्रस्तुत की गई जिसे मूल्य वृद्धि की गणना के उद्देश्य से आधार सूचकांक माना जाना चाहिए था।

(ख) एकीकृत दर-अनुसूची के प्रावधान के अनुसार "खोदी गई कड़ी चट्टान(40 प्रतिशत वाइड्स सहित) के अपरिहार्य छीजन का उचित ध्यान रखते हुए लेखाकरण हेतु बहियों में अभिलिखित की जानेवाली उपयोगी चट्टान की मात्रा खुदाई में भुगतान की गई मात्रा (काटी गई ठोस चट्टान) की 1.30 गुना (16 प्रतिशत वाइड्स सहित) होगी। छीजन हेतु और कोई कटौती अनुमत्य नहीं है।"

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत विभाग ने 84991.61 घनमीटर(65378.213x1.30) के विरुद्ध 65378.213 घनमीटर कड़ी चट्टान की मात्रा अभिलिखित की थी जिसके परिणामस्वरूप 11.39 लाख रुपये (58.10 रुपये की दर से 19613.39 घनमीटर) की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (दिसंबर 2002) कि ठेकेदार एकीकृत दर-अनुसूची के प्रावधानों से बंधा नहीं था क्योंकि ऐसे प्रावधान के बारे में ठेके में कुछ नहीं है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एकीकृत दर-अनुसूची में निर्धारित माप की पद्धति सभी ठेकों पर लागू होती है।

मामला शासन को सूचित किया गया (अगस्त 2003) उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

लोक निर्माण विभाग

4.2.2 वास्तव में निष्पादित न किए गए कार्य के लिए भुगतान

खाई की खुदाई का भुगतान 86 रुपये प्रति घनमीटर की दर से करने के परिणामस्वरूप 37.89 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ

रायसेन जिले की 87.06 कि.मी.सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य (ठेके की संभावित राशि 32.14 करोड़ रुपये) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत तीन विभिन्न ठेकेदारों को प्रमुख अभियंता, म.प्र.लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर-अनुसूची (जून 2000) से 4.01 प्रतिशत से लेकर 7.20 प्रतिशत तक कम पर सौंपा गया(2001-2002)। इन ठेकेदारों को मई, 2004 तक चल-देयकों के माध्यम से 26.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

कार्य के प्राक्कलनों एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार ठेकेदारों को सङ्क सतह के चौड़ीकरण के लिए 86 रुपये प्रति घनमीटर की दर से खाइयों से 1,62,164 घनमीटर मिट्टी की खुदाई और संरचना के चौड़ीकरण के लिए 1,57,520 घनमीटर मिट्टी की पटरी का निर्माण भी करना पड़ा ।

दर-अनुसूची के “खाई में चौड़ीकरण के लिए खुदाई” मद हेतु दर विश्लेषण में दो कार्य सम्मिलित थे-(i) चौड़ीकरण के लिए खाई में खुदाई (43 रुपये प्रति घनमीटर की दर से) और (ii) पटरी निर्माण (43 रुपये प्रति घनमीटर की दर से)। इसलिए दोनों कार्यों के निष्पादन होने पर 86 रुपये प्रति घनमीटर की दर देय थी।

चल-देयकों की जाँच में प्रकट हुआ कि ठेकेदारों ने सङ्क सतह के चौड़ीकरण के लिए खाई में खुदाई की 98160.26 घनमीटर तक की मात्रा का निष्पादन किया था परंतु मिट्टी कार्य की समान मात्राओं से पटरी निर्माण नहीं किया था। ठेकेदार को मात्र खुदाई के लिए 43 रुपये प्रति घनमीटर की दर के स्थान पर 86 रुपये प्रति घनमीटर की पूर्ण दर से भुगतान कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप न किए गए कार्य के लिए 37.89 लाख रुपये का भुगतान हो गया।

यह भी कि मात्र 38898.03 घनमीटर पटरी का निर्माण ही किया गया था तथा अनुबंध में सम्मिलित कार्य की अन्य मद के अनुसार जिसका भुगतान अलग से किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने सूचित किया(नवंबर, 2004) कि 37.89 लाख रुपये में से 33.94 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी थी। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूली तो की गई परंतु चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रकरण अप्रैल 2003 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर जनवरी, 2005 तक प्रतीक्षित था।

4.2.3 पुलियों के निर्माण में न्यूनतर विशिष्टियों के ह्यूम पाइपों के उपयोग के कारण अधिक भुगतान

आई.एस.-458-1971 के स्थान पर आई.एस.-458-1988 के आर.सी.सी. ह्यूम पाइपों के उपयोग के कारण दरों का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 55.56 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

ह्यूम पाइप पुलियाओं/छिद्रयुक्त रपटों के निर्माण हेतु पांच लोक निर्माण संभागों(संभागों) द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (मध्यक्षेत्र) जबलपुर द्वारा जारी 1 अक्टूबर, 1990 से प्रभावशील पुल-निर्माण की दर-अनुसूची एवं प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश लो.नि.वि. द्वारा जारी 15 फरवरी, 2001 से प्रभावशील पुल-निर्माण की दर-अनुसूची पर आधारित प्रतिशत-दर निविदाएं आमंत्रित की गई। दोनों दर-अनुसूचियों में आई.एस.-458-1971 मानक के एन.पी.3 आर.सी.सी. ह्यूम पाइपों के उपयोग का प्रावधान था। यह आई.एस.कोड आई.एस.-458-1988 से बदल दिया गया। वर्तमान में आई.एस.-458-1971 ह्यूम पाइपों का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

यह देखा गया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि.) ने भी पुलियाओं एवं छिद्रयुक्त रपटों के निर्माण के लिए इन्हीं दर-अनुसूचियों को अपनाया था। मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण ने दोनों प्रकार के ह्यूम पाइपों के दर विश्लेषण के आधार पर यह पाया कि एन.पी.3 आई.एस.458-1971 की तुलना में एन.पी.3 आई.एस.-458-1988 हल्के थे तथा तय किया(मई 2002) कि ठेकेदारों को दर-अनुसूचियों की पूर्ण दरों से निम्नलिखित कटौती कर एन.पी.3 आई.एस.-458-1971 दर-अनुसूचियों पर आई.एस.-458-1988 ह्यूम पाइप उपयोग करने की अनुमति दी जाए-

क्रम सं.	दर-अनुसूची संदर्भ	प्रति घल-मीटर के लिए रुपयों में कटौती	
		1000 मि.मी.व्यास के पाइप	1200 मि.मी.व्यास के पाइप
I	पुल दर अनुसूची, 1990 पर किए गए अनुबंध	350.00	528.00
II	पुल दर अनुसूची, 2001 पर किए गए अनुबंध	452.00	722.00

लेखापरीक्षा में जांच करने पर प्रकट हुआ कि संभागों द्वारा 2000 से 2003 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए आर.सी.सी. ह्यूम पाइप पुलियाओं एवं छिद्रयुक्त रपटों के निर्माण के कार्य उपरोक्त संदर्भित दर-अनुसूचियों पर आधारित थे। कार्य आई.एस.458-1988 एन.पी.3 ह्यूम पाइपों से निष्पादित किए गए थे परंतु न्यूनतर विशिष्टियों के ह्यूम

पाइपों के उपयोग के कारण कोई कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 55.56 लाख रुपये^५ का अधिक भुगतान हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों(का.यं.)ने बताया (मई-अगस्त 2004) कि न तो दर-अनुसूचियां संशोधित की गई थीं, न ही ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंधों में दरों में किसी कटौती का प्रावधान था तथा विभाग द्वारा भी ऐसी कमी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि तथ्य यह है कि ठेकों में वर्णित विशिष्टियों के पाइप उपयोग में नहीं लाए गए थे; प्रमुख अभियंता द्वारा संशोधन जारी करने (मार्च, 2003) के उपरांत भी निविदा प्रलेख तदनुसार संशोधित नहीं किए गए थे।

क्र.	संभाग का नाम	कार्यों की संख्या	अधिक भुगतान
1.	लो.नि.वि.संभाग, देवास	18	21,87,818/- रुपये
2.	लो.नि.वि.संभाग, होशंगाबाद	05	2,72,688/- रुपये
3.	लो.नि.वि.संभाग, नीमच	05	8,85,241/- रुपये
4.	लो.नि.वि.संभाग, क्र.1 उज्जैन	02	2,39,803/- रुपये
5.	लो.नि.वि.संभाग, क्र.2 उज्जैन	07	19,70,930/- रुपये
	योग	37	55,56,480/- रुपये
			अर्थात् 55.56 लाख रुपये

प्रकरण सितंबर 2004 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.4 बढ़ाए गए त्रुटिपूर्ण मापों के कारण अधिक भुगतान एवं ठेकेदार के संसाधनों का सत्यापन न किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत

सूखी एवं गीली खुदाई सहित कार्य की विभिन्न मदों से संबंधित बढ़ाई गई मापों के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4.08 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदार के संसाधनों को सुनिश्चित किए बिना कार्य सौंपने के फलस्वरूप 22.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत भी आई।

मुख्य अभियंता (मु.अ.) अपर नर्मदा परिक्षेत्र, नर्मदा घाटी विकास विभाग(न.घा.वि.वि.) जबलपुर द्वारा बरगी दायीं तट मुख्य नहर के आर.डी.(-) 43 मी. से 50 कि.मी. तक मिट्टी कार्य, सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग तथा पक्की संरचनाओं के लिए 12 समूहों में (5 समूह दिसंबर 2001 और 7 समूह मार्च 2002 में) अर्हतापूर्व(प्रीक्वालिफिकेशन) बोलियों के साथ मद-दर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। कार्य नाबार्ड ऋण एवं भारत शासन के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (त्र.सिं.ला.का.) के अंतर्गत आरंभ किए गए थे।

अर्हताप्राप्त निविदाकर्ताओं की बोलियां खोली गई एवं 185 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध निविदाकर्ता “अ” के 10 समूहों में न्यूनतम प्रस्ताव 123.07 करोड़ रुपये(समग्रत: 22.33 से 39.49 प्रतिशत कम) की समग्र निविदत लागत पर फरवरी 2002 और मई 2002 के मध्य न.घा.वि.वि. द्वारा स्वीकार कर लिए गए। कार्यों को 12 माह (5 समूह) तथा 24 माह (5 समूह) में पूर्ण करने हेतु कार्यादेश मार्च से जुलाई 2002 के दौरान जारी किए गए।

लेखापरीक्षा जांच (मई-जून 2004) में प्रकट हुआ कि अर्हता-पूर्व स्थिति (प्रीक्वालिफिकेशन) के दौरान कार्य के प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक संयंत्र एवं उपकरणों की सूची मात्र 4 समूहों के लिए निर्दिष्ट की गई थी। आगे यह भी देखा गया कि ठेकेदार “अ” ने संयंत्र एवं उपकरणों की वही सूची सभी समूहों में प्रस्तुत की थी। स्पष्टतः ठेकेदार के पास प्रारंभ से ही सभी समूहों के कार्य एक साथ निष्पादन के लिए पर्याप्त संयंत्र एवं उपकरण नहीं थे जिसके कारण कार्यों की प्रगति धीमी हुई। परिणामतः कार्यपालन यंत्री (का.यं.) ने सभी ठेकों को समाप्त कर दिया (नवंबर 2003-फरवरी 2004)। ठेकों की समाप्ति तक ठेकेदार 51.74 करोड़ रुपये (42.04 प्रतिशत) के कार्य ही निष्पादित कर सका।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं ध्यान में आई :-

अधिक भुगतान

कड़ी चट्टान के अतिरिक्त सभी प्रकार की चट्टानों में सूखी एवं गीली खुदाई सहित कार्यों की विभिन्न मदों के बढ़ाए गए भाप अभिलिखित किए गए थे एवं तदनुसार

चल-लेरबा देयक पर भुगतान किए गए थे। आगे यह भी देखा गया कि इन नदों की प्रारंभ में अभिलिखित मापें संभाग में लंबित अंतिम देयकों में अत्यधिक कम कर दी गई। सभी पांच समूहों के ये पांच अंतिम देयक 4.08 करोड़ रुपये के ऋणात्मक भुगतान हेतु अभिलिखित किए गए जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को निम्नानुसार अधिक भुगतान हुआ:

क्र.	अनुबंध क्र./वर्ष	रीच	अपूर्ण अंतिम देयकों की राशि (लाख रुपयों में)	देयकों का संदर्भ
1	1/डीएल/2001-02	कि.मी.(-)0.043 से 5.50 कि.मी.	(-)111.80	8 वां एवं अंतिम देयक
2	2/डीएल/2001-02	कि.मी. 5.50 से 7.50 कि.मी.	(-)165.56	8 वां एवं अंतिम देयक
3	1/डीएल/2002-03	कि.मी. 7.50 से 9 कि.मी.	(-)06.57	7 वां एवं अंतिम देयक
4	3/डीएल/2001-02	कि.मी.9 से 12 कि.मी.	(-)93.87	13 वां एवं अंतिम देयक
5	3/डीएल/2002-03	कि.मी.36.50 से 42 कि.मी.	(-)30.36	7 वां एवं अंतिम देयक
		योग	(-)408.16 लाख रुपये अर्थात् 4.08 करोड़ रुपये	

अतिरिक्त लागत

आगे यह भी देखा गया कि समस्त शेष कार्यों के लिए निर्गमित (फरवरी से जून 2004) निविदाओं में से पांच समूहों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई तथा अन्य ठेकेदारों को उच्चतर दरों पर सौंपी गई (अप्रैल 2004 से अगस्त 2004)।

इस प्रकार ठेकेदार के पास कार्य के प्रत्येक समूह हेतु अलग से वास्तविक रूप से वांछित संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 10 समूहों के कार्य विवेकहीन तरीके से एक ही ठेकेदार को एक साथ सौंप देने के कारण ठेके की समाप्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप 5 समूहों में 22.17° करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के साथ ही परियोजना पूर्ण करने की लक्ष्यित अवधि में भी बढ़ोत्तरी हुई।

(लाख रुपये में)

क्र.	अनुबंध क्र./वर्ष	अपूर्ण अंतिम देयकों की राशि	रीच	शेष कार्य की लागत	शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु लागत	अतिरिक्त लागत
01	1/डीएल/2001-02	(-)111.80	कि.मी. (-)0.043 से 5.50 कि.मी.	632.31	1236.86	604.55
02	2/डीएल/2001-02	(-)165.56	कि.मी. 5.50 से 7.50 कि.मी.	510.82	935.43	424.61
03	1/डीएल/2002-03	(-) 06.57	कि.मी. 7.50 से 9 कि.मी.	489.05	870.49	381.44
04	3/डीएल/2001-02	(-) 93.87	कि.मी. 9 से 12 कि.मी.	493.74	799.04	305.30
05	3/डीएल/2002-03	(-) 30.36	कि.मी.36.50 से 42 कि.मी.	750.96	1252.00	501.04
	योग	(-) 408.16 अर्थात् 4.08 करोड़ रुपये				2216.94 अर्थात् 22.17 करोड़ रुपये

कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2004 एवं अक्टूबर 2004) कि अधिक भुगतान की वसूली विभाग के पास उपलब्ध बयाना राशि, जमा प्रतिभूति एवं निष्पादन(परफारमेन्स) प्रतिभूति को समायोजित करते हुए की जाएगी। ठेकों की समाप्ति के बारे में उन्होंने ठेकेदार के पास संयंत्र एवं उपकरणों की कमी के तथ्य को स्वीकार किया जिसके कारण कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि कार्य के पूर्ण हो जाने के उपरांत विभाग के पास उपलब्ध राशि को समायोजित कर अतिरिक्त लागत की वसूली कर ली जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 4.58 करोड़ की बयाना जमा राशि, प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन(परफारमेन्स) प्रतिभूति राशि अतिरिक्त लागत सहित अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

मामला अगस्त 2004 एवं नवम्बर 2004 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

वन विभाग

4.2.5 कार्य दरों के गलत अनुप्रयोग/निर्धारण के कारण अतिरिक्त/परिहार्य व्यय

खैर के वृक्षों के पातन तथा बोल्डर रोधक बांध के निर्माण के संबंध में वन मंडलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी, क्षेत्रीय निदेशक पेंच टाइगर रिजर्व तथा वन संरक्षक सिवनी में कार्य दरों के गलत अनुप्रयोग/निर्धारण के कारण 55.27 लाख रुपये का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय

विभागीय अनुदेशों (अप्रैल 1981) के अनुसार मापन योग्य वानिकी कार्यों की विभिन्न मदों के लिये कार्यदरों का निर्धारण संबंधित वृत्त के वन संरक्षक द्वारा विस्तृत तथा उचित कार्य अध्ययन के उपरान्त किया जाना था।

- तदनुसार वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी ने 38-60 सेंटीमीटर गोलाई समूह वाले खैर वृक्षों के पातन के लिये 0.141 मानव दिवस प्रति वृक्ष की कार्य दर निर्धारित (जनवरी 1999) की थी। वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के लिये प्रभावी दर क्रमशः 8.57 रुपये, 8.79 रुपये तथा 9.57 प्रति वृक्ष आंकलित की गई थी।

इसी प्रकार सिवनी वृत्त में इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की सिफारिश पर वन संरक्षक द्वारा एक मानव दिवस प्रति घनमीटर की कार्य दर निर्धारित की गई थी (नवम्बर 2003)। वर्ष 2003-04 के लिये बोल्डर रोधक बांध हेतु प्रभावी दर 70.80 रुपये प्रति घनमीटर आंकलित की गई थी।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

वन मंडलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2003) तथा क्षेत्रीय निदेशक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी से प्राप्त जानकारी (अप्रैल 2004) में पता चला कि कार्य दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण 96,137 खेर वृक्षों के पातन तथा अवरोध बांध के निर्माण हेतु 5521.408 घनमीटर के कार्य पर 25.79 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	मंडल का नाम	कार्य की मद	निष्पादन की अवधि	कार्य की मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये)	अनुमत्य व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
I.	शिवपुरी	खेर के वृक्षों का पातन	1999-00	4357	8.57 प्रतिवृक्ष	0.37	1.38	1.01
			2000-01	49774	8.79 प्रतिवृक्ष	4.37	14.65	10.28
			2001-02	42006	9.57 प्रतिवृक्ष	4.02	14.52	10.60
II	क्षेत्रीय संचालक पेंच टाइगर रिजर्व	बोल्डर अवरोध बांध का निर्माण	जनवरी 2004 से फरवरी 2004	5521.408 घनमीटर	70.80 प्रति घनमीटर	3.91	7.81	3.90
	योग-2					12.67	38.46	25.79

वन मंडलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी ने बताया (नवम्बर 2003) कि व्यय फस्वरी 1997 में मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा “खैर का राजकीय व्यापार” के अंतर्गत निर्धारित किये गये मानकों के भीतर था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा निर्धारित किये गये मानकों में आगारों के रखरखाव, निष्कासन मार्ग के निर्माण आदि पर व्यय सहित अधिकतम अनुमत्य व्यय सम्मिलित था। कार्य का निष्पादन वन संरक्षक द्वारा निर्धारित कार्य दरों के अनुसार किया जाना चाहिये था।

क्षेत्रीय निदेशक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी ने बताया कि उद्यान की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल के लिये दर संशोधित करने के लिये वन संरक्षक सिवनी को लिखा जा चुका है (दिसम्बर 2003)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विद्यमान कार्य दर के पुनरावलोकन हेतु गठित समिति की सिफारिश पर वन संरक्षक द्वारा कार्य दरों का निर्धारण किया गया है।

वन संरक्षक सिवनी, वृत्त सिवनी ने बोल्डर अवरोध बांध के निर्माण के लिये दो मानव दिवस प्रति घन मीटर की कार्य दर निर्धारित की थी जो 2002-03 तक प्रभावी थी। समीपवर्ती वृत्तों में उसी कार्य की प्रचलित कार्य दरें 0.58 मानव दिवस तथा एक मानव दिवस के मध्य थीं। वर्ष 2003 में वन संरक्षक ने विभिन्न वानिकी कार्यों की वर्तमान कार्य दरों की जाँच करने के लिये वृत्त के वन मंडलाधिकारियों की एक समिति का गठन किया। नवम्बर 2003 में कथित समिति की सिफारिश के आधार पर वन संरक्षक द्वारा बोल्डर रोधक बाँध के निर्माण की दर घटाकर एक मानव दिवस प्रति घनमीटर कर दी गई। इसके बाद कार्य का निष्पादन कम दरों पर किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि बोल्डर अवरोध बाँध के निर्माण के लिये कार्य दर अधिक निर्धारित (1998-99) की गई थी। बार बार रमरण पत्र भेजने के बाद भी विभाग ने 1998-99 में कार्यदरों के निर्धारण हेतु आधार से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।

क्षेत्रीय निदेशक, पैंच टाइगर सिवनी के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2003) तथा क्षेत्रीय संचालक पैंच टाइगर रिजर्व, सिवनी और वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) उत्तर तथा दक्षिण सिवनी के कार्यालय से प्राप्त आगामी जानकारी (अप्रैल 2004) से पता चला कि 1999-2000 से 2003-04 के दौरान बोल्डर अवरोध बाँध के 45706.687 घनमीटर के निर्माण पर 58.96 लाख रुपये का व्यय किया गया (अप्रैल 2004)। इस प्रकार इस व्यय में 29.48 लाख रुपये का परिहार्य व्यय सम्मिलित था।

इसके परिणामस्वरूप 29.48 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। यदि 1998-99 में कार्य दर का सही निर्धारण किया गया होता तो इस अधिक व्यय से बचा जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने पर क्षेत्रीय निदेशक पैंच टाइगर रिजर्व ने बताया (दिसम्बर 2003) के बोल्डर अवरोध बाँध के निर्माण के लिये भुगतान वन संरक्षक, सिवनी, वृत्त सिवनी द्वारा स्वीकृत कार्य दर के अनुसार किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार दर में संशोधन करने के लिये वन संरक्षक, सिवनी को भी लिखा गया था (दिसम्बर 2003)। वन संरक्षक सिवनी का निर्णय अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2004)। वन संरक्षक सिवनी से लेखापरीक्षा को कार्य अध्ययन प्रतिवेदन के साथ निर्णय/उत्तर भेजने के लिये भी अनुरोध किया गया था (मई तथा अगस्त 2004) लेकिन ये अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2004)। लेकिन यह देखा गया कि कार्य की कार्य दर में संशोधन के पश्चात वन मण्डल उत्तर तथा दक्षिण सिवनी में कार्य का निष्पादन घटी दर अर्थात् एक मानव दिवस प्रति घन मीटर की दर से किया गया।

प्रकरण की सूचना शासन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दी गई थी (मई 2004), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2004)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्वास विभाग

4.2.6 निष्क्रिय रसोई कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते

रसोई कर्मचारियों को 1.19 करोड़ रुपये राशि के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया जबकि अंतर्वर्ती रोगियों को पके हुये भोजन की कोई खुराक उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

चिकित्सालयों में अंतर्वर्ती रोगियों को पके हुये भोजन की खुराक उपलब्ध कराने हेतु अस्पतालों में रसोई कर्मचारी यथा रसोइया एवं भोजनकक्ष सेवक पदस्थि किये गये थे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन 7 स्वास्थ्य रक्षण इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (जनवरी से अप्रैल 2004) कि यद्यपि पका हुआ भोजन तैयार नहीं किया गया और अंतर्वर्ती रोगियों को उपलब्ध भी नहीं कराया गया तथापि रसोई कर्मचारियों को 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान वेतन एवं भत्तों के रूप में किया गया। उक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का आगे दर्शाये गये विवरण नुसार आहरित करना जारी रहा:

क्रम सं.	इकाई/विभाग का नाम	निष्क्रिय कर्मचारियों की संख्या	रसोई	निहित अवधि	प्रदत्त राशि (लाख रुपये में)	विभाग की टिप्पणी/उत्तर
1.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पठ संख्या	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	निहित अवधि	प्रदत्त राशि (लाख रुपये में)	
(i)	जिला चिकित्सा अधिकारी सह-चिकित्सालय अधीक्षक, सागर	2 4	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	1997 से 03/04	24.37	दुग्ध वितरण किया गया था तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य कर्मचारियों को सौंपा गया। मामला संचालक को भेजा गया।
(ii)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगोन	3 3	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	04/01 से 03/04	8.03	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य रसोई कर्मचारियों को सौंपा गया था।
(iii)	जिला चिकित्सा अधिकारी सह-चिकित्सालय अधीक्षक, इंदौर	3 4	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	12/01 से 07/04	10.04	मामला उच्च अधिकारियों को भेजा गया।
(iv)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन	3 8	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	4/01 से 10/03	31.67	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य रसोई कर्मचारियों को सौंपा गया था।
(v)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी	8	रसोईया	02/95 से 06/95 07/99 से 07/04	19.74	कम बजट प्राप्ति के कारण भोजनालय आरंभ नहीं हुआ। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य रसोई कर्मचारियों को सौंपा गया था।
(vi)	जिला चिकित्सा अधिकारी सह-चिकित्सालय अधीक्षक, बालाघाट	2	भोजन कक्ष सेवक	02/02 से 08/04	02.82	आया का कार्य रसोई कर्मचारी को सौंपा गया था।
2.	भोपाल गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्वास विभाग					
	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत) भोपाल	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	3 3	01/95 से 12/03	22.08	विद्यमान निर्धारित दरों में भोजन उपलब्धि संभव नहीं थी। दुग्ध/डबलरोटी का वितरण तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कार्य सौंपा गया था। कर्मचारियों के समायोजन एवं निर्णय का प्रकरण सरकार के विचाराधीन था।
	योग	रसोईया भोजन कक्ष सेवक	22 24		118.75 अथवा 1.19 करोड़ रुपये	

कर्मचारियों की सेवाओं का कम उपयोग करना तथा असंदर्शित कार्य जिसके लिये आवश्यक कर्मचारी अमला पूर्व में ही कार्यरत था, के लिये कर्मचारियों का कार्यवर्तन करना अनियमित था। पका हुआ भोजन प्रदाय करने संबंधी वर्तमान निर्धारित चिकित्सालय प्रक्रिया में सरकार ने कोई परिवर्तन भी नहीं किया।

मामला सरकार को जुलाई 2004 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है।

4.3 परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

जल संसाधन विभाग

4.3.1 अनुपयुक्त योजनाकरण के कारण निष्फल व्यय

वन विभाग एवं भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कलमोडा सिंचाई तालाब के कार्य-निष्पादन से 75.10 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया।

182 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हेतु रूपांकित कलमोडा तालाब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (नाबार्ड) की सहायता से 62.10 लाख रुपये की कुल लागत पर मध्यप्रदेश शासन (म.प्र.शा.) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशासकीय रूप से अनुमोदित किया गया (नवंबर 1997)। नाबार्ड द्वारा योजना को ग्राम अधोसंरचना विकास निधि (ग्रा.अ.वि.नि.)-चरण-III के अंतर्गत 87.52 लाख रुपये की पुनरीक्षित लागत पर अनुमोदित किया गया (जनवरी 1998) एवं इसे मार्च 2000 तक पूर्ण किया जाना था। जून 2004 तक 75.10 लाख रुपये व्यय करने के उपरांत शीर्ष कार्य एवं नहर की भौतिक प्रगति क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत थी।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यह निर्बन्धित है कि 25 अक्टूबर 1980 के उपरांत आरंभ किए गए समस्त कार्यों हेतु किसी भी वन भूमि के उपयोग के लिए भारत सरकार (भा.स.) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। नाबार्ड दिशानिर्देशों में भी प्रावधान था कि ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि विभाग ने उपरोक्त प्रावधानों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए वन भूमि की अंतर्निहितता सुनिश्चित किए बिना तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया (अक्टूबर 1998)। परिणामतः वन विभाग ने आपत्ति की (फरवरी 1999) तथा कार्य निष्पादन तत्काल रोकने को कहा। वन अनुमति (विल्यरेस) का प्रकरण मई 1999 में मध्यप्रदेश शासन को भेजा गया जो राज्य शासन के पास दिसंबर 2004 तक प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान वनभूमि की पहचान करने में असफलता के परिणामस्वरूप 75.10 लाख रुपये का व्यय निष्फल हुआ।

आगे योजना की लागत 62.10 लाख रुपये से 139.08 लाख रुपये पुनरीक्षित कर दी गई (नवंबर 2000)। समय वृद्धि के कारण 76.98 लाख रुपये की लागत-वृद्धि हो गई।

इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने बताया (सितम्बर 2004) कि चूंकि कार्यस्थल पर वन विभाग का कोई सीमांकन नहीं था अतः नाबार्ड द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

हेतु परियोजना के मूल्यांकन से लेकर अनुमोदन तक वनभूमि की अंतर्निहितता के तथ्य से विभाग अनभिज्ञ था। तथापि विभाग वनभूमि की अंतर्निहितता से नवंबर 1998 में ही अवगत हुआ जबकि वन विभाग के कर्मचारीण द्वारा ठेकेदार को कार्य बंद करने के लिए अनौपचारिक रूप से कहा गया।

मामला शासन को जून 2004 में सूचित किया गया। उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

लोक निर्माण विभाग

4.3.2 विशिष्टियों के प्रतिकूल निष्पादित की गई कार्य-मद पर अतिरिक्त व्यय

बिटुमिन इमल्शन के बजाय (पेविंग) बिटुमिन का उपयोग कर टेक-कोट निष्पादित करना विशिष्टियों के विपरीत था जिसके कारण 2.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई

सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विशिष्टियों में 1995 से टेक-कोट में पेविंग बिटुमिन का प्रयोग बंद करते हुए यह प्रावधानित है कि डामरीकृत एवं ग्रेनुलर सतह पर क्रमशः 2.5 कि.ग्रा.प्रति 10 वर्गमीटर एवं 4 कि.ग्रा.प्रति 10 वर्गमीटर बिटुमिनस इमल्शन प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बावजूद प्रमुख अभियंता द्वारा जारी (जून 2000) दर-अनुसूची में दोनों मद बने रहे; 5 कि.ग्रा. से 10 कि.ग्रा.प्रति 10 वर्गमीटर की दर से पेविंग बिटुमिन के साथ-साथ बिटुमिनस इमल्शन का उपयोग कर टेककोट जारी रहा।

सङ्क के डामरयुक्त नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए 8 संभागों¹ में वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान दिए गए मंडी बोर्ड निधि के अंतर्गत हुए ठेकों सहित प्रतिशत-दर के 69 ठेकों की जांच से प्रकट हुआ कि बिटुमिनस इमल्शन के बजाय पेविंग बिटुमिन का उपयोग करते हुए टेक-कोट के कार्य निष्पादित कराये गए तथा ठेकेदारों को इमल्शन के लिए भुगतान योग्य 4.30 रुपये से 7.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध 7.50 रुपये से 14.80 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया।

क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	निविदा प्रतिशतता सहित अतिरिक्त लागत (लाख रुपयों में)
1.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, टीकमगढ़	1	1.58
2.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग क्र.1, मंडला	16	42.41
3.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, होशंगाबाद	8	29.18
4.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, बैतूल	7	25.81
5.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, सिहोर	4	21.69
6.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग क्र.2 गुना	7	9.37
7.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, देवास	11	42.79
8.	लो.नि.वि.(भ/पथ) संभाग, शाजापुर	15	51.68
	योग	69	224.51

पेविंग बिटुमिन प्रयोग करते हुए टेक-कोट की मदन केवल अधिक महंगी थी वरन् सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के प्रतिकूल भी थी जिसके परिणामस्वरूप 2.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर अधिकांश कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि पेविंग बिटुमिन से टेक-कोट दस-अनुसूची, प्राक्कलन और अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया था। तथापि अनुबंधों के प्रावधान निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे।

प्रकरण मार्च एवं जून 2004 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2005)।

4.3.3 एक के ऊपर दूसरे वियरिंग कोर्स के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत

सील कोट सहित ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट बिछाने के पूर्व सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग का निष्पादन अनावश्यक था तथा परिणामस्वरूप 47.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियां विभिन्न प्रकार के वियरिंग कोर्स यथा सरफेस ड्रेसिंग (इकहरी या दोहरी परत) 20 मि.मी.ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट, (ओ.जी.पी.सी.) सेमीडेंस बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) आदि की अनुमति देती हैं। तकनीकी रूप से उचित किसी भी एक प्रकार के वियरिंग कोर्स का चयन किया जा सकता है तथा सड़क की अंतिम सतह पूर्ण करने के लिए पूर्व से तैयार आधार पर बिछाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि सड़कों के उन्नयन कार्य के तीन अनुबंधों के अंतर्गत दो प्रकार के वियरिंग कोर्स अर्थात इकहरी परत सरफेस ड्रेसिंग तथा सील कोट सहित 20 मि.मी. ओ.जी.पी.सी एक के ऊपर दूसरा बिछाया गया था। इन प्रकरणों में सीलकोट सहित ओ.जी.पी.सी. बिछाने से पूर्व सरफेस ड्रेसिंग की इकहरी परत का प्रावधान एवं निष्पादन अनावश्यक था जिसके परिणामस्वरूप 47.62 लाख रुपये* की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

*

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (म/प) संभाग क्र.1 गुना

अनुबंध क्र. निविदा प्रतिशत	कार्य का नाम	अनावश्यक वियरिंग कोर्स के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत		
		क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	दर रुपए/वर्गमी.	राशि (लाख रुपए में)
15/2002-03 3.71 प्रतिशत कम	राघवगढ़-रामनगर सागर पीलघाट सड़क (13 कि.मी.) का उन्नयन	35858. 25	23.50	8.11 (7वां और अंतिम)
37/2002-03 8.98 प्रतिशत अधिक	एम.एन.सड़क (20.40 कि.मी.) का उन्नयन	53748.25	उपरोक्तानुसार	13.77 (9वां चल-देयक)
70/2001-02 1.71 प्रतिशत कम	4 विभिन्न सड़कों का उन्नयन	111421.12	उपरोक्तानुसार	25.74 (18 वां और अंतिम)
योग				47.62

इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने उत्तर में बताया(दिसम्बर 2004) कि कार्य स्वीकृत प्राक्कलनों एवं ठेके के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया गया था । आगे यह भी कहा गया कि ओ.जी.पी.सी. बिछाने से पूर्व सरफेस ड्रेसिंग की इकहरी परत केवल वाटर बाउन्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) परत की सुरक्षा के लिए थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नई बिछाई गई वाटर बाउन्ड मेकेडम सतह स्वयं ही आधार(बेस) रूप थी एवं सरफेस ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि डब्ल्यू.बी.एम. तथा ओ.जी.पी.सी. साथ-साथ निष्पादित किए गए थे।

प्रकरण जुलाई 2004 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.3.4 अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कारण अतिरिक्त लागत

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कारण मात्राओं में घट-बढ़ हुई एवं 49.41 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई

सिंचाई परियोजनाओं की विशिष्टियों में प्रावधान है कि समुचित विस्तृत प्राक्कलन तक आने के लिए उप-सतह(सब सरफेस) का अन्वेषण प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर नहर की पूर्ण गहराई तक गड्ढे खोदकर किया जाना है। प्रमुख अभियंता (प्र.अभि.) जल संसाधन विभाग ने भी निर्देश जारी किए(सितम्बर 1988) कि मिट्टी/चट्टानों आदि की मात्राएं निकालने के लिए आधार तैयार करने हेतु मिट्टी की उप-परतों के लिए रूपांकित प्रक्रम(ग्रेड) तक या तो खुले परीक्षण गड्ढे (ट्रायल पिट्स) खोदकर अथवा यदि आवश्यक हो तो उचित अंतरालों (नहर में मामले में 100 मीटर) पर अन्वेषण छिद्रों द्वारा पर्याप्त जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

इंदिरा सागर परियोजना (इ.सा.पर.) नहर के 24.729 से 29.419 कि.मी. तक के मिट्टी कार्य के लिए 6.58 करोड़ रुपये का प्राक्कलन मुख्य अभियंता(मु.अ.) द्वारा एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची (ए.प्र.द.अनु.1998) पर स्वीकृत किया गया(मई1999)। निविदाएं आमंत्रित करने के पूर्व प्राक्कलन उसी एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची पर 7.21 करोड़ रुपये के लिए पुनरीक्षित कर दिया गया(नवम्बर 2000)। निविदाएं आमंत्रित करने के पहले उप-मिट्टी परत का आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल नहीं की गई थी। 7 संरचनाओं सहित इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के 27.285 से 29.419 कि.मी.तक का मिट्टी कार्य एकीकृत प्रचलित दर-अनुसूची 1998 से 22.92 प्रतिशत कम पर मूल्यांकित 3.85 करोड़ रुपये की निविदत्त लागत पर ठेकेदार 'अ' को 24 माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया था(मार्च 2001)। कार्य प्रगति पर था; ठेकेदार ने 3.47 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित किया था जिसका मूल्यवृद्धि के 9.17 लाख रुपये सहित जनवरी 2004 में भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि हर प्रकार की मिट्टी, मुरम एवं टूटी हुई मुलायम चट्टान में खुदाई की प्राक्कलित एवं अनुबंधित मात्राएं निष्पादन के दौरान क्रमशः 51.62 प्रतिशत (177625.40 घन मी. से 85930.133 घन मी.) एवं 54.63 प्रतिशत (241631.86 घन मी. से 109594.398 घन मी.) कम हो गई। कड़ी चट्टान की मात्राएं अनुबंधित मात्राओं से 320.03 प्रतिशत (56242.92 घन मी. से 236240.172 घन मी.) बढ़ गई। मात्राओं में घट-बढ़ स्वयं ही दर्शाती है कि पर्याप्त सर्वेक्षण एवं जांच-पड़ताल नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में निविदाओं के मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि यदि मात्राएं सही ढंग से प्राक्कलित की गई होतीं तो निष्पादित मात्राओं एवं निष्पादन हेतु शेष रहीं निविदत मात्राओं के आधार पर जैसा कि तृतीय न्यूनतम ठेकेदार 'स' ने उद्धृत किया था, संपूर्ण कार्य की लागत ठेकेदार 'अ' की 470.49 लाख रुपये की स्वीकृत दर के विरुद्ध 421.08 लाख रुपये होती। 49.41 लाख रुपये (परिशिष्ट XLIII) की अतिरिक्त लागत टल जाती।

जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (सितंबर, 2003), शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2004) कि क्षेत्र में भू-परत (स्ट्रेटा) विभिन्नता वाली थी एवं खुदाई के उपरांत ही भू-परत का यथातथ्य वर्गीकरण किया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मात्राओं में अत्यधिक घट-बढ़ अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त सर्वेक्षण का परिणाम थी।

प्रकरण जून 2004 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

4.3.5 भूखण्ड विकसित करने पर निष्फल व्यय

बाजार मांग का निर्धारण किये बिना भूखण्डों के विकास पर किये गये व्यय के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुए।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (मण्डल) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूखण्डों को विकसित कर आवास एवं दुकानों का निर्माण करता है और उन्हें मण्डल के संबंधित : सम्पदा अधिकारियों को हस्तांतरित करता है जो इनके विक्रय होने तक इन सम्पत्तियों की देखभाल करते हैं। विकास कार्य आरम्भ करने के पूर्व स्थानीय मांग का यथोपयुक्त निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है तथा भूखण्डों के विक्रय हेतु 50 प्रतिशत का पंजीयन सुनिश्चित होना चाहिये जैसा कि इस विषय में जारी किये गये दिशानिर्देशों में परिकल्पित है।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के संभाग गुना (फरवरी 2002) सागर (सितम्बर 2003), रीवा (जनवरी 2004), भोपाल संभाग क्रमांक 5 (जून 2004) व छतरपुर (जून 2004) के अभिलेखों की नमूना जांच में परिलक्षित हुआ कि गृह निर्माण मण्डल ने भूमि विकसित करने तथा विभिन्न आकार के भूखण्ड काट कर जन सामान्य को विक्रय हेतु 1980-81 से 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 21.955 हेक्टेयर सरकारी भूमि का

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

क्रय किया था। विभिन्न आकार एवं श्रेणियों के कुल 1108 भूखण्ड 1.59 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किये गये। उक्त 1108 विकसित भूखण्डों में से दिसम्बर 2004 तक केवल 167 भूखण्ड ही विक्रय किये जा सके और शेष 941 (85 प्रतिशत) भूखण्ड अभी भी अविक्रीत पड़े हुये हैं (दिसम्बर 2004) क्योंकि ये दूरदराज के स्थानों पर अवस्थित हैं तथा मुख्य नगर से अत्यन्त दूर हैं।

बिना स्थानीय मांग का निर्धारण किये तथा विक्रय हेतु 50 प्रतिशत भूखण्डों का पंजीयन सुनिश्चित किये बिना विकास कार्य आरम्भ करने का निर्णय लेने के कारण 1.44 करोड़ रुपये राशि की निधियाँ अवरुद्ध हो गई जैसाकि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है। पंजीयन हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होने के कारण गुना संभाग में खुली नालियों, निर्गत कूप (सम्पवेल) आदि के चालू विकास कार्य बंद कर दिये गये (मार्च 1999)।

(लाख रुपयों में)

संसाग का नाम	गुना	ज्ञागर	छतरपुर	रीवा	शोधाल	बोग
स्थल अवस्थिति	ग्राम मुनीपुर, तहसील राजगढ़-ब्यावरा, जिला राजगढ़	ग्राम घोलाखेड़ा तहसील हटा जिला दमोह	(i) ग्राम संकटमोर्चन जिला छतरपुर (ii) ग्राम कुंवरपुरा जिला-टीकमगढ़	(i) ग्राम घुरेटा (ii) ग्राम अमावा तहसील हनुमना	(i) ग्राम मल्सीपुर तहसील सिंरोज जिला-विदिशा	
1980-81 से 1991-92 के दौरान क्रय की गई सरकारी भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4.047	2.224	9.956	3.515	2.213	21.955
विकसित भूखण्डों की संख्या	281	199	230	241	157	1108
विकास कार्य पर किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	21.34	44.35	44.46	25.82	22.58	158.55
विक्रय किये गये भूखण्डों की संख्या	110	निरंक	03	52	02	167
अविक्रीत रहे भूखण्डों की संख्या	171	199	227	189	155	941
अविक्रीत भूखण्डों के विकास कार्य की लागत (लाख रुपयों में (आनुपातिक आधार पर)	12.99	44.35	43.88	20.25	22.29	143.76 (1.44 करोड़ रुपये)

आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल ने अपने प्रत्युत्तर (नवम्बर 2003) में स्थल के नगर से बहुत दूर अवस्थित होने तथा जल आदि के संसाधन की उपलब्धता न होने से जनता की मांग कम होना बताया।

इस प्रकार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुपयुक्त आयोजना के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये तक की निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला सरकार को सितम्बर 2004 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2005)।

4.4 नियामक मुद्दे व अन्य बिन्दु

राजस्व विभाग

4.4.1 केन्द्रीय सहायता राशि को लोक लेखे में रोके रखना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु राज्यांश का अंशदान न होना।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना का यथापरिकल्पित क्रियान्वयन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 5.01 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं हुआ।

राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु राज्य के 50 प्रतिशत के समनुरूपी अंशदान के आधार पर एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 7.44* करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया था(अगस्त 2001)। राजस्व एवं सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को अद्यतन कम्यूटर प्रोटोग्राफी प्रणाली एवं दृश्य-श्रव्य उपकरणों के साथ सुदृढ़ करने हेतु फरवरी 2000 में भारत सरकार ने 3* करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिये भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। 2001-02 के दौरान अनुमोदित मदों पर व्यय किया जाना था। राज्य सरकार को अपने बजट संसाधनों से 5.22 करोड़ रुपये का समनुरूपी अंशदान उपलब्ध कराना था। योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय अंश के साथ ही राज्यांश भी जारी किया जाना था।

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2003) तथा आयुक्त द्वारा दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त जानकारी से प्रकट हुआ कि भारत सरकार ने क्रमशः अगस्त 2001 एवं फरवरी 2002 में 5.22 करोड़ रुपये के अपने अंश (3.72 करोड़ एवं 1.50 करोड़ रुपये) का अंशदान किया था। इनमें से राज्य सरकार ने 3.22 करोड़ रुपये 2001-02 के दौरान आहरित किये तथा 3.02 करोड़ रुपये 2002 में सिविल जमाओं में जमा कर दिये। यद्यपि 1.99 करोड़ रुपये की

*

		लाख रुपयों में
1.	सागर, भुईना व सीहोर में पटवारी प्रशिक्षणशाला भवन का निर्माण	120.72
2.	ग्वालियर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान का नवीनीकरण	39.81
3.	विभागीय प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिक उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण	31.04
4.	हवाई फोटो चित्रण की शेष राशि का भुगतान	83.08
5.	विभागीय पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	19.00
6.	डिस्ट्रीमेट सहित 45 थोड़ोलाइट मशीनों का क्रय (प्रति मशीन 10 लाख रुपये)	750.00
		1043.65

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

शेष केन्द्रीय सहायता राशि भारत सरकार ने 2001-02 में राज्य सरकार के लेखे में जमा कर दी थी, तथापि कोषालय से उसका आहरण नहीं किया गया और नवम्बर 2004 तक उपयोग भी नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पटवारी प्रशिक्षण शाला भवन के निर्माण पर 2001-02 के दौरान केन्द्रीय निधियों (5.22 करोड़ रुपये) में से 20.12 लाख रुपये और राज्य निधियों से 20.12 लाख रुपये का व्यय किया गया, तथापि 5.02 करोड़ रुपये का शेष समनुरूपी अंश राज्य सरकार ने जारी नहीं किया था।

आयुक्त ने अगस्त 2003 व दिसम्बर 2004 में प्रत्युत्तर में बताया कि व्यय वित्त समिति, परियोजना छानबीन समिति और मंत्री परिषद के अनुमोदन के अभाव में राज्य सरकार के समनुरूपी अंश का अंशदान/आहरण नहीं किया जा सका तथापि अनुमोदन जून 2003 में दिया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि यथाकल्पित योजना 2001-02 में क्रियान्वित की जानी थी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय निधियों के समान समनुरूपी अंशदान उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा समनुरूपी अंशदान न किये जाने तथा अयथौचित योजनाकरण के कारण 5.22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि की उपलब्धता के बाबजूद भी पटवारी प्रशिक्षण शाला पर किये गये 40.24 लाख के व्यय को छोड़कर, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू अभिलेखों को अद्यतन रखने की योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुये (दिसम्बर 2004) बताया कि निधियों के आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण 5.02 करोड़ रुपये का शेष समनुरूपी राज्यांश नवम्बर/दिसम्बर 2004 तक आहरित नहीं किया गया।

सामान्य

4.4.2 जवाबदेही पर बल देने एवं शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

महालेखाकार^{*} निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य बातों के साथ ही लेनदेनों की नमूना जांच तथा लेखाकरण संबंधी एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव के सत्यापन हेतु शासकीय विभागों के नियतकालिक निरीक्षण संचालित करने की व्यवस्था करते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है तो निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई एवं कमियों, चूकों आदि हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन(नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं त्रुटियों, चूकों का अविलंब सुधार तथा इनके अनुपालन से महालेखाकार को अवगत कराना कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों से अपेक्षित होता है। महालेखाकार गंभीर अनियमितताएं विभाग प्रमुखों के ध्यान में भी लाते हैं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की

* महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्यप्रदेश

परिवीक्षा(मॉनीटरिंग) सुगम करने हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का एक अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजा जाता है।

दिसंबर 2003 तक जारी किए गए वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अन्य निर्माण विभागों⁵ के 521 संभागों/कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 3506 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 13346 कंडिकाएं 1991-92 से जून 2004 के अंत तक लंबित रहीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.	विभाग	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	वन	758	2412	60	533.83
2.	जल संसाधन विभाग	1120	3804	170	2386.47
3.	लोक निर्माण	858	4200	139	2249.02
4.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	463	1999	82	1412.71
5.	नर्मदा घाटी विकास (I) सिंचाई	201	561	57	464.82
	(II) भवन/सड़क	48	106	07	97.85
6.	आवास एवं पर्यावरण (राजघानी परियोजना निर्माण इकाईयों)	47	211	05	96.78
7.	भोपाल गैस राहत (निर्माण कार्य इकाईयाँ)	11	53	01	16.86
	योग	3506	13346	521	7258.34

इनमें से 7602 कंडिकाओं को समाहित करने वाले 2088 निरीक्षण प्रतिवेदनों का 10 से अधिक वर्षों से निराकरण नहीं किया गया था। जनवरी 2003 एवं दिसंबर 2003 के मध्य जारी 404 संभागों और कार्यालयों से संबंधित 2007 कंडिकाओं को समाहित करने वाले 404 निरीक्षण प्रतिवेदनों के आरंभिक उत्तर भी जो जारी होने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित थे, प्राप्त नहीं हुए थे।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यालय प्रमुखों (जिनके अभिलेखों का महालेखाकार द्वारा निरीक्षण किया गया था) एवं विभाग-प्रमुखों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के कोई उत्तर नहीं दिए थे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई त्रुटियों, चूकों और अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ करने में उनकी विफलता को दर्शाता है। विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति सूचित की गई थी, ने भी विभाग के संबंधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समय पर कार्रवाई की जाना सुनिश्चित नहीं किया।

⁵ अन्य निर्माण विभागों में नर्मदा घाटी विकास, आवास एवं पर्यावरण तथा भोपाल गैस राहत(सहायता एवं पुनर्वास) विभाग सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2004 को समाप्य वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था किन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं शासन को हानि की निरंतरता बनी रही। यह अनुशंसा की जाती है कि शासन निर्धारित समय-सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल रहे अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण करने की प्रणाली का पुनर्परीक्षण करें। हानियों, बकाया अग्रिमों, अधिक भुगतानों आदि की समय-बद्ध ढंग से वसूली करने और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का समुचित प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने की प्रणाली नवीकृत करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

5.1 शिक्षा विभाग (संचालनालय स्कूल शिक्षा) में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विशेषताएं

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रचालन सम्बन्धी एवं वित्तीय मामलों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सुरक्षा करती है। यह विभागीय नियमों एवं प्रक्रिया के अनुपालन के स्तर की जांच एवं मूल्यांकन करती है। यह विभाग में जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण रचना की पर्याप्तता पर वरिष्ठ प्रबंधन को सुनिश्चित भी करती है। स्कूल शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण तन्त्र की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। “ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना” के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान के तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायतानुदान के अनियमित भुगतान के प्रकरण दृष्टिगत हुए। नमूना जांच किए गए 8 जिलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त किए बिना बैंक खाते खोले। जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के किए जाने वाले विभागीय निरीक्षणों में अत्यधिक कमी पाई गई।

समीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

2000-04 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त ब्लॉक ग्रांट में से अध्यापक अंशदायी भविष्य निधि के लिये 1.24 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.1.8)

जिला भुरेना में केन्द्र प्रायोजित योजना “ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड” के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किए बिना उनका वेतन 1200 से बढ़ाकर 4000 रुपए करके 70.97 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.1.8)

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (9) ने सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त किए बिना बैंक खाते खोले तथा मार्च 2004 तक इन खातों में 54.82 लाख रुपए की सरकारी निधियां जमा कीं।

(कंडिका 5.1.6)

विभागीय अधिकारी ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्यालयों एवं कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया।

(कंडिका 5.1.8)

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी पाई गई।

(कंडिका 5.1.9)

5.1.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण तंत्र किसी संगठन का एक अनिवार्य अंग होता है जो वरिष्ठ प्रबंधन को उस विभाग की आंतरिक नियंत्रण संरचना की पर्याप्तता की स्वयंसेव गारंटी देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के सहज निष्पादन हेतु संहिता नियमपुस्तक एवं नियमावली के प्रावधान सुस्पष्ट हैं तथा प्रावधानों का यथार्थ आशय के अनुरूप अनुपालन किया गया है। नियम एवं नियम पुस्तकें विभागीय वित्तीय सूचनाओं तथा कार्य प्रचालन की प्रभावकारिता और दक्षता की विश्वसनीयता का पोषण करते हैं। इन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष को कार्य प्रचालन एवं वित्तीय मामलों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं से बचने हेतु एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा उपलब्ध कराई गई है।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रमुख सचिव होते हैं। स्कूल शिक्षा संचालनालय का प्रबंधन एवं नियंत्रण आयुक्त लोक शिक्षण करते हैं, जिनकी सहायता जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा संकुल स्तर पर सरकारी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (10+2) के प्राचार्य (प्रभारी संकुल¹ केन्द्र) करते हैं।

5.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य निम्नांकित की उपयुक्तता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है

- बजट संबंधी नियंत्रण
- व्यय नियंत्रण
- लेखा नियंत्रण
- प्रचालन नियंत्रण एवं
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

5.1.4 लेखापरीक्षा समावेशन

मई से दिसम्बर 2004 के दौरान भोपाल में आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय तथा 45 जिलों में से 8 में स्थित 8 जिला शिक्षा अधिकारियों², 8 विकासखण्ड शिक्षा

¹ संकुल 8-10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का समूह है। यह प्रणाली राज्य में 01.03.1998 से आरंभ की गई है।

² भोपाल, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, मुरैना, शहडोल और उज्जैन।

अधिकारियों² तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 30 प्राचार्यों³ के कार्यालयों के 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। नमूना जाँच के परिणाम आगामी कंडिकाओं में दिए गए हैं।

5.1.5 बजट संबंधी नियंत्रण

स्कूल शिक्षा विभाग के 1999-2000 से 2003-04 तक की अवधि हेतु विनियोग लेखे के अनुसार बजट एवं वार्तविक व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	अनुदान संख्या	प्रावधान	व्यय	(करोड़ रुपए में)				
				1	2	3	4	5
1999-2000	27	1762.86	2216.35					(+) 453.49
	80	168.25	145.25					(-) 23.00
	81	22.01	19.56					(-) 2.45
	योग	1953.12	2381.16					(+) 428.04
	27	2058.39	2016.58					(-) 41.81
2000-01	80	231.86	145.67					(-) 86.19
	81	36.03	21.46					(-) 14.57
	योग	2326.28	2183.71					(-) 142.57
	27	1761.91	1584.43					(-) 177.48
	80	163.08	126.38					(-) 36.70
2001-02	81	22.55	15.52					(-) 7.03
	योग	1947.54	1726.33					(-) 221.21
	27	1798.36	1630.72					(-) 167.64
	80	163.62	156.32					(-) 7.30
	81	26.17	20.22					(-) 5.95
2002-03	योग	1988.15	1807.26					(-) 180.89
	27	1803.05	1628.42					(-) 174.63
	80	13.45	11.80					(-) 1.65
	81	39.84	24.60					(-) 15.24
	योग	1856.34	1664.82					(-) 191.52
महायोग		10,071.43	9763.28					(-) 308.15

अधिक व्यय का नियमन नहीं कराया गया।

अपर्याप्त बजट नियंत्रण के परिणामस्वरूप सतत बचतें हुईं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि अधिक व्यय का नियमन विधान मण्डल द्वारा कराया जाय। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान संख्या 27 के अंतर्गत 453.49 करोड़ रुपए के अधिक व्यय का विधानमण्डल से नियमन कराया जाना अपेक्षित है जो अब तक नहीं कराया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण ने सूचित किया (जनवरी 2005) कि अधिक व्यय 2247 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से मासिक व्यय विवरणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुओं और 2000-2004 के दौरान समस्त तीन अनुदानों (27, 80 और 81) के अंतर्गत बचत रिक्त पदों तथा प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के उपरांत कोषालय से आहरणों पर वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हुईं।

³

भौपाल:5, गुनाः3, होशंगाबाद:5, जबलपुर:4, इंदौर:4, मुरैना:3, शहडोल:2 एवं उज्जैन:4

➤ सतत बचतें

अपरिचालित केन्द्रीय योजनाओं के कारण सतत बचतें हुईं।

स्कूल शिक्षा विभाग में यह देखा गया कि बजट अनुपयुक्त धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए थे क्योंकि मार्च 2004 को समाप्त विगत चार वर्षों के दौरान समर्त तीन अनुदानों अर्थात् 27,80 एवं 81 में सतत बचतें बनी रहीं जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है। इसके साथ ही निम्नांकित योजनाओं में बचतों का प्रतिशत 87.5 एवं 100 के मध्य था जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)				
	अनुदान संख्या	योजना/विस्तृत शीर्ष	बचत राशि	बचत की प्रतिशतता
1999-2000	27	447 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	8.90	100 %
		8768 राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन हेतु राज्यांश	34.39	100%
		8783 1960 नए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	6.89	100%
	80	8823 प्राथमिक शिक्षा हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	91.50	100%
2000-01	27	447 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	14.99	100%
		1131 औपचारिकेटर शिक्षा	5.25	87.5%
		8403 शिक्षा कर्मियों को अनुदान	11.39	90.4%
2001-02	80	8403 --तदैव--	8.50	93.9 %
		5056 11वां वित्त आयोग	8.26	100%

➤ बजट अनुमानों की विलंब से प्राप्ति

आगामी वर्षिक बजट अनुमान चालू वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर माह में तैयार किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान तैयार करना अपेक्षित है तथा उनके समेकन एवं आगे वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने हेतु उन्हें सितम्बर से पूर्व विभागाध्यक्ष को भेजा जाता है। 2003-04 में यह देखा गया कि एक भी जिला शिक्षा अधिकारी ने नियत दिनांक पर बजट अनुमान प्रस्तुत नहीं किए। वर्ष 1999-2003 हेतु ऐसी ही जानकारी आयुक्त लोक शिक्षण ने भी उपलब्ध नहीं कराई। यह भी देखा गया कि व्यय पर उचित नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक जिले से मासिक व्यय विवरण पत्रक प्राप्त किए जाने थे परंतु ये कभी भी समयानुसार प्राप्त नहीं हुए। आयुक्त लोक शिक्षण ने वर्ष 2003-04 के लिए बजट अनुमान काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किए तथा इन्हें वित्त विभाग को प्रस्तुत किया।

5.1.6 व्यय नियंत्रण

➤ सरकारी धन अनधिकृत रूप से बैंक खातों में जमा करना तथा उनका लेखाकरण न करना

कोई भी सरकारी अधिकारी कोषालय से आहरित राशि बैंक खाते में उस समय तक जमा नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए सरकार की त्वरित संस्थीकृति न हो, 45 जिलों में से 8 की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 39 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 9 ने बिना किसी प्राधिकार के विभिन्न बैंकों में चालू अथवा सेविंग

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से बजट अनुमान विलंब से प्राप्त होने के कारण बजट अनुमान काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये।

उचित संस्थीकृति के बिना बैंक खाते खोले गए।

बैंक खाते रखोले तथा रोकड़ पुस्तकों के अनुसार इन खातों में 31 मार्च 2004 तक 54.82 लाख रुपए जमा किए तथापि संबद्ध बैंकों की पासबुकों एवं विवरणपत्रों से यह परिलक्षित हुआ कि उस दिनांक को इन खातों में कुल शेष 1.88 करोड़ रुपए का था (परिशिष्ट XLIV) बैंकों एवं संबद्ध रोकड़ पुस्तकों के मध्य अधिशेष का समाधान नहीं किया गया जो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों में रोकड़ एवं लेखे के प्रबंधन पर नियंत्रण में पूर्णतः कमी दर्शाता है। इन खातों में 1.33 करोड़ रुपए के समाधान नहीं किए गए अंतर के अलावा पाँच आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के ऐसे ही अन्य बैंक खाते थे जिनके विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

➤ सिविल जमाओं में निधियों का अंतरण

केन्द्रीय निधियां सिविल जमाओं में रखी जाने के कारण वे अप्रयुक्त रहीं।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खण्ड 1 के नियम 284 में यह व्यवस्था है कि कोई भी राशि उस समय तक कोषालय से आहरित न की जाय जब तक कि उसकी तुरन्त संवितरण की आवश्यकता न हो, फिर भी 21.81 करोड़ रुपए आहरित किए गए एवं निमानुसार सिविल जमाओं में जमा किए।

(करोड़ रुपये में)

माह/वर्ष जिसमें राशि आहरित की गई तथा इसे 8443 सिविल जमा में जमा किया गया	योजना का नाम	मार्च 2004 तक सिविल जमा में जमा की गई राशि
31 मार्च 2001	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्रियों एवं उपकरणों का क्रय	10.32
30 मार्च 2002	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (10+2) विद्यालयों में कार्यशालाओं का निर्माण	1.74
31 मार्च 2003	संशोधित क्लास परियोजना 345 नए विद्यालयों में कम्प्यूटरों का क्रय	9.75
	योग	21.81

निधियां राज्य सरकार की अर्थोपाय की स्थिति को सहारा देने हेतु सिविल जमाओं के अंतर्गत रखी गई थीं। चूंकि 21.18 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया था इसलिये इसे भारत सरकार को वापस किया जाना था। जानकारी मांगे जाने पर आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि जनवरी 2005 तक यह राशि सिविल जमा में थी तथा 9.75 करोड़ रुपए भारत सरकार को वापस किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त लोक शिक्षण ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित 10.32 करोड़ रुपए के संबंध में बताया (जनवरी 2005) कि निधियां नए माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु उपलब्ध कराई गई थीं परंतु पठन-पाठन सामग्री के क्रय में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के कारण माध्यमिक विद्यालय खोले नहीं जा सके। यह देखा गया कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास लंबित प्रकरण को अक्टूबर 2002 में अंतिम रूप दिया गया। जनवरी 2005 तक निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

➤ असमाधानित व्यय

विभाग ने स्कूल शिक्षा पर किये गये व्यय का समाधान कार्य नहीं किया।

लेखाओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करने त्रुटियों, छूकों एवं गलत वर्गीकरण का पता लगाने तथा जालसाजी का पता लगाने इत्यादि हेतु वित्तीय नियमों में विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में लेखाकरण किए गए आंकड़ों से समय-समय पर समाधान कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। 1999-2004 के दौरान कुल मिलाकर 9763.28 करोड़ रुपए के सम्पूर्ण व्यय का समाधान कार्य नहीं किया गया। आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया (अगस्त 2004) कि समाधान कार्य नियमित रूप से किए जाने हेतु कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

➤ रोकड़ एवं भण्डार का कार्य करने वाले व्यक्तियों से प्रतिभूति जमा प्राप्त न करना।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता खंड 1 के नियम 282 के अनुसार रोकड़ एवं भण्डार का कार्य करने वाले व्यक्तियों से प्रतिभूति जमा के रूप में 1000 रुपए जमा कराए जाने थे परंतु नमूना जांच किए गए 8 जिलों के रोकड़ एवं भण्डार का कार्य करने वाले किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति से यह प्रतिभूति जमा नहीं कराई गई। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2004) कि संबंधित व्यक्तियों से प्रतिभूति जमा प्राप्त कर ली जायेगी।

➤ आकस्मिक व्यय पूरा करने हेतु निधियों का अनधिकृत अधिक आबंटन

जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में प्राप्त आबंटन एवं उसमें से किए गए पुनराबंटन को दर्शाने वाली पंजी संधारित की जानी चाहये। यह देखा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में ऐसी पंजी संधारित नहीं की गई, परिणाम यह हुआ कि परियोजना अधिकारी के स्थित पद के विरुद्ध कार्य कर रहे व्याख्याता ने कई विद्यालयों को फर्नीचर, लेखन सामग्री एवं पुस्तकों इत्यादि के क्रय जैसे आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अनधिकृत रूप में 2000-01 में 44.84 लाख रुपए एवं 2001-02 में 20.61 लाख रुपए की राशि आबंटित कर दी। अधिक आबंटन समय पर जानकारी में नहीं आया तथा आबंटित राशियां संकुल के प्राचार्यों ने आहरित कीं तथा उनका व्यय कर लिया। जब प्रकरण जानकारी में आया तब सरकार ने व्याख्याता को निलंबित कर दिया (फरवरी 2004) तथा विभागीय जांच की कार्यवाही की गई (अगस्त 2004)। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2004)।

➤ अशासकीय निधियों का दुरुपयोग तथा अग्रिमों का समायोजन न करना

स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से मासिक/वार्षिक शुल्क वसूल करते हुए “खेल निधि”, “परीक्षा निधि”, “रेडक्रॉस निधि”, एवं “स्काउट निधि” के रूप में जानी जाने वाली कतिपय अशासकीय निधियों सृजित कीं। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार (जून 2000) उक्त निधियों में से राशियां उन्हीं क्रियाकलापों पर व्यय की जानी चाहिए जिनके लिए ये सृजित की गई थीं। नमूना जांच किए गए जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अनुदेशों के प्रतिकूल 1999-2004

अनधिकृत अधिक आबंटन

अशासकीय निधियों का कार्यालय
आकस्मिकताओं को पूरा करने में उपयोग किया गया।

के दौरान 5 जिला शिक्षा अधिकारियों¹ एवं 15 संकुल प्राचार्यों² ने 35.59 लाख रुपए की अशासकीय निधियों का विद्युत, जल एवं टेलीफोन प्रभारों की पूर्ति करने पर बड़ी मात्रा में दुरुपयोग किया जिसका कार्यालय आकस्मिकताओं में से भुगतान किया जाना चाहित था। कोर्ट फीस, वकीलों के प्रभार तथा सम्बद्ध टायपिंग/फोटोकॉपी प्रभार भी उक्त निधियों में से पूरे किए गए। जानकारी मांगने पर जिला शिक्षा अधिकारियों/संकुल प्राचार्यों ने बताया कि कार्यालय आकस्मिकताओं हेतु निधियां प्राप्त न होने के कारण जल/विद्युत एवं टेलीफोन सेवाएं नियमित बनाए रखने हेतु उन्हें उक्त निधियों में से व्यय करना पड़ा। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु उक्त निधियां सृजित की गई थीं निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वह उद्देश्य लगभग पूर्णतः विफल हो गया।

➤ अस्थाई अग्रिमों का असमायोजन

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खंड-1 के नियम 53(iv) में यह निर्धारित है कि अस्थाई अग्रिम यथासंभव शीघ्र समायोजित कर लिये जाने चाहिए तथा ये तीन माह से अधिक तक बकाया नहीं रहने चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सरकारी निधियों (9.25 लाख रुपए³) तथा अशासकीय निधि (1.30 करोड़ रुपए⁴) में से दिए गए 1.39 करोड़ रुपए के अस्थाई अग्रिम मार्च 2004 के अंत तक समायोजित नहीं किये गये। ये अग्रिम जिन कर्मचारियों को संस्वीकृत किए गए थे उनके द्वारा मुख्यतः लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण बकाया थे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों (जुलाई 2004) के अनुसार यदि संबंधित कर्मचारी तीन माह के भीतर लेखा प्रस्तुत नहीं करते तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके वेतन से बकाया अग्रिम वसूल कर लिया जायगा परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं की गई।

5.1.7 लेखा नियंत्रण

➤ रोकड़ पुस्तक एवं बिल पंजी का दोषपूर्ण संधारण

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खण्ड I के नियम 53 के अनुसार रोकड़ पुस्तक प्रभारी प्रत्येक माह के अंत में अपने दिनांकित हस्ताक्षर करके रोकड़ शेष का विश्लेषण अंकित करेगा तथा व्यक्तिगत रूप से इसका सत्यापन करेगा, रोकड़ पुस्तक के वैनिक योगों की जांच की जायेगी तथा कोषालय प्रमाणक पर्चियों के संदर्भ में आहरणों की पाक्षिक जांच एवं सत्यापन किया जायगा। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खण्ड I के नियम 197 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रत्येक माह बिल पंजी की समीक्षा

¹ जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल, इन्डौर, जबलपुर मुरैना और उज्जैन।

² भोपाल-2, इन्डौर-2, होशंगाबाद-4, जबलपुर-4, एवं मुरैना-3।

³ आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल: 1.86 लाख रुपए, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर 0.27 लाख रुपए, जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना 4.73 लाख रुपए तथा जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल 2.39 लाख रुपए (16-20 वर्ष पुराने 3.21 लाख रुपये, 11-15 वर्ष पुराने 0.06 लाख रुपए, 6-10 वर्ष पुराने 1.41 लाख रुपए तथा 1-5 वर्ष पुराने 4.57 लाख रुपए)

⁴ 8 जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत परीक्षा निधि 41.75 लाख रुपए, खेल निधियां 87.99 लाख रुपए (11-15 वर्ष पुरानी 2.90 लाख रुपए: 6-10 वर्ष पुरानी 12.50 लाख रुपए तथा 1-5 वर्ष पुरानी 114.34 लाख रुपए)

करेगा तथा अपने द्वारा की गई ऐसी समीक्षा के परिणाम अंकित करेगा। 8 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 27 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों* ने उपर्युक्त संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया, यहां तक कि आयुक्त लोक शिक्षण की रोकड़ पुस्तक में भी यह कमी पाई गई। लेखापरीक्षा में समाविष्ट अवधि के दौरान प्रति माह एक से दो लाख रुपए तक के बड़ी मात्रा में रोकड़ शेष वास्तविक हस्तेन राशि के विवरण दर्शाए बिना पड़े हुए थे तथा उनका भौतिक सत्यापन भी अंकित नहीं था।

5.1.8 प्रचालन नियंत्रण

➤ विभागीय नियमपुस्तकों में संशोधन कर अद्यतन करना

शिक्षा संहिता के नाम से एक विभगीय “शिक्षा संहिता” 1 अगस्त 1973 से लागू की गई थी। तब से विशेषकर विगत वर्षों में विभाग में कई परिवर्तन हुए परंतु “शिक्षा संहिता” जिसमें विभाग परिचालन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है अगस्त 2004 तक संशोधित नहीं की गई। आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया (सितम्बर 2004) कि “शिक्षा संहिता” के संशोधन का कार्य चल रहा है तथा शीघ्र ही पूरा कर लिया जायगा।

➤ अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर अनियमित भुगतान

मध्यप्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुदेश जारी किए (मार्च 2000) कि अंशदायी भविष्य निधि से अंशदान सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अंशदायी भविष्य निधि के अनुरूपी अंशदान की राशि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराने का उत्तरदायित्व नियोक्ता का है। अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण में अंशदायी भविष्य निधि के अनुरूपी अंशदान के भुगतान का उत्तरदायित्व स्कूल प्रबंधन नियोक्ता होने के कारण उसका है। निम्नांकित 5 जिला शिक्षा कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 2000-01 से 2003-04 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में उक्त अनुदेशों के प्रतिकूल उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं को अध्यापकों द्वारा आहरित मूल वेतन के 8 प्रतिशत की दर पर अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान सहित सहायतानुदान जारी किए गए। इसके परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ रुपए के संहायतानुदान का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान जारी सहायतानुदान	सहायतानुदान में समाविष्ट अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की राशि
गुना	2000-01	78.15	2.16
	2001-02	78.37	2.16
	2002-03	77.52	2.14
	2003-04	46.77	1.29
	योग	280.81	7.75
होशंगाबाद	2000-01	82.81	2.29
	2001-02	66.68	1.84
	2002-03	85.63	2.36
	2003-04	72.40	2.00
	योग	307.52	8.49

जबलपुर	2000-01	1013.95	27.99
	2001-02	622.28	17.17
	योग	1636.23	45.16
मुरैना	2000-01	256.99	7.09
	2001-02	44.56	1.23
	2002-03	417.27	11.52
	2003-04	1008.23	27.83
	योग	1727.05	47.67
उज्जैन	2000-01	195.91	5.41
	2001-02	163.88	4.52
	2002-03	180.67	4.99
	योग	540.46	14.92
	महायोग	4492.07	123.99

वर्ष 2000-01 हेतु सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायतानुदान जारी करते समय जिला शिक्षा अधिकारियों को मार्च 2000 में जारी सरकारी आदेशों के अनुपालन में 1 मार्च, 2000 को इन संस्थाओं के मान्यता प्राप्त अध्यापकों द्वारा आहरित मूल वेतन के 8 प्रतिशत तक सहायतानुदान कम करना अपेक्षित था। जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत संकुल प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करना था कि संयुक्त खाते में जमा ब्लॉक ग्रांट से अंशदायी भविष्य निधि का प्रबंधकीय अंश आहरित नहीं किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालयों में पदस्थ लेखापरीक्षकों को इन लेन-देनों की जांच करनी थी। चूंकि उक्त प्राधिकारियों में से किसी ने भी सहायतानुदान की संस्वीकृति एवं आहरण पर वांछित नियंत्रण नहीं रखा इसलिये प्रशासकीय के साथ ही व्यय नियंत्रण पूर्णतः विफल रहा। जब मामला लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी में लाया गया तब आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए अध्यापकवार एवं संस्थावार अधिक भुगतान की संगणना करने हेतु तथा आगामी महिनों में जारी किए जाने वाले ब्लॉक ग्रांट में से उसकी वसूली करने हेतु राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुदेश जारी किये (अगस्त 2004)।

➤ केन्द्र प्रायोजित “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड” योजना के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान

सरकार ने “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड” की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1993-95 के दौरान सहायक अध्यापक नियुक्त किए थे। उनके नियुक्ति आदेशों की शर्तों के अनुसार वे अध्यापक 1200 रुपए प्रतिमाह के निश्चित वेतन पर नियुक्त किए गए थे। उन्हें यह वेतन 24 माह की अवधि हेतु भुगतान किया जाना था उन्हें जब परिवीक्षा अधीन माना गया था। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत उन्हें 1200-2400 रुपए के नियमित वेतनमान की पात्रता प्राप्त हो जाती। अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि मुरैना जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 24 प्राचार्य तथा 4 विकासखंड अधिकारियों ने उनका वेतन 1200 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। 110 अध्यापकों को वेतन के बकाया अंतर का भुगतान भी किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति दिनांक (जुलाई 1995) से 24 माह की अवधि में 70.97 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया। जब मामला जिला शिक्षा अधिकारियों की जानकारी में लाया गया तब आयुक्त लोक शिक्षण ने स्पष्ट किया (जून 2004) कि उन अध्यापकों को 1200 रुपए के निश्चित वेतन हेतु पात्रता प्राप्त थी क्योंकि उन्हें ऑपरेशन

निश्चित वेतन पर नियुक्त अध्यापकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन एवं भत्तों का अनियमित अधिक भुगतान

ब्लेक बोर्ड योजना के अंतर्गत 1200 रुपए के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने संकुल प्राचार्य, जिन्होंने सरकारी आदेशों के प्रतिकूल ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया था, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की (जून 2004)।

➤ संस्वीकृत कर्मचारी एवं विद्यमान कर्मचारी पंजी का संधारण न करना

संस्वीकृत कर्मचारी एवं उनके विरुद्ध विद्यमान कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने हेतु उचित पंजी संधारित न करना।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सूचित संस्वीकृत पदों की संख्या सही थी अथवा नहीं इसका सत्यापन करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में समय-समय पर संस्वीकृत पदों की संख्या दर्शाने वाली गार्ड फाइल अथवा जिलावार पंजियों के रूप में कोई आंतरिक नियंत्रण तंत्र नहीं था, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास भी उनके जिलों में अध्यापकों के संस्वीकृत पदों से संबंधित सरकारी आदेश नहीं थे। इस प्रकार वस्तुतः संस्वीकृत पदों से संबंधित संख्या का सत्यापन नहीं किया जा सकता था।

➤ विभागीय निरीक्षण

जिला शिक्षा अधिकारियों विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालयों के विभागीय निरीक्षणों की अपर्याप्तता।

विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता से परिचित होने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी साधन माना जाता है। नमूना जांच किए गए जिलों एवं आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालयों में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य और तदनुसार निरीक्षणों की संख्या, वस्तुतः किए गए निरीक्षण एवं दृष्टिगत कमियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा वर्ष में एक बार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में किए जाने वाले निरीक्षण			जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार विकास खण्ड एवं शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किए जाने वाले निरीक्षण		
	नियत निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कमी (एवं कमी की प्रतिशतता)	नियत निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कमी (एवं कमी की प्रतिशतता)
2001-02	45	09	36 (80)	43	12	31 (72)
2002-03	45	32	13 (29)	43	23	20 (47)
2003-04	47	13	34 (72)	43	20	23 (53)

आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा तैयार की गई नामावलियों के अनुसार संकुल प्राचार्यों को भी उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक था। यह देखा गया कि 1999-2004 के दौरान 30 संकुल प्राचार्यों में से 24 प्राचार्यों (जिनके संबंध में जानकारी उपलब्ध है) को 4868 विद्यालयों का प्रतिवर्ष दो बार निरीक्षण करना था परंतु समय की कमी एवं कार्यभार के कारण 2624* विभागीय निरीक्षण नहीं किए गए। ऐसे प्राचार्य जिन्होंने यह बताया कि उपर्युक्त अवधि के दौरान उन्होंने निरीक्षण किए हैं, के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जो यह दर्शाए कि निरीक्षण कब किए गए। इन संकुल प्राचार्यों ने निरीक्षण टिप्पणियां अथवा प्रतिवेदन तैयार नहीं किए। इस प्रकार निरीक्षण प्रणाली का उद्देश्य व्यावहारिक रूप में विफल हो गया।

* 1999-2000; 580, 2000-01; 580, 2001-02; 555, 2002-03; 506 और 2003-04; 403

आंतरिक लेखापरीक्षा
शाखा में कर्मचारियों की
कमी

5.1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय में संयुक्त संचालक (वित्त) के पर्यवेक्षण में एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई थी जिसकी सहायतार्थ एक लेखा अधिकारी, 11 कनिष्ठ लेखा अधिकारी, 5 वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं 5 कनिष्ठ लेखापरीक्षक थे। आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु कर्मचारियों की उपलब्धता की वर्षावार स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष में दिन को	संस्थीकृत संख्या			लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कर्मचारी			कर्मचारियों की कमी		
	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
1-4-1999	11	5	5	--	4	1	11	1	4
1-4-2000	11	5	5	--	4	1	11	1	4
1-4-2001	11	5	5	--	3	1	11	2	4
1-4-2002	11	5	5	--	1	2	11	4	3
1-4-2003	11	5	5	11	1	1	निरंक	4	4

आंतरिक लेखापरीक्षा में कर्मचारियों की कमी से लेखापरीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	लेखापरीक्षा समावेशन की स्थिति		कमी वाली इकाईयों की संख्या (प्रतिशत)
	इकाईयों (जि.शि.अ.) की कुल संख्या	समावेशित इकाईयां	
99-2000	45	निरंक	45/(100)
2000-01	45	निरंक	45/(100)
2001-02	45	निरंक	45/(100)
2002-03	45	13	32/(71)
2003-04	45	11	21/(64)

➤ लेखापरीक्षा समावेशन योजना एवं नियतकालिकता की उपयुक्तता

लेखापरीक्षा की नियतकालिकता इकाईयों के व्यय एवं आकार पर आधारित होना चाहिए तथापि यह दृष्टिगत हुआ कि इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा किसी विवरणिका, चक्र एवं निर्धारित समय का पालन किए बिना तदर्थ आधार पर की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को लेखापरीक्षा दिशा निर्देश यथा आंतरिक लेखापरीक्षा इकाईयों के चयन के लिए आधार, लेखापरीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा में जांच लेखापरीक्षा दल के प्रत्येक सदस्य को सौंपे गये विस्तृत कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व आदि नहीं दिये गये। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा राज्य संचालनालय के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा करनी थी। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा शाखा ने संचालनालय की ही लेखापरीक्षा कभी भी नहीं की। 2002-04 के दौरान 45 जिला शिक्षा अधिकारियों में से 24 की ही लेखापरीक्षा की गई। शेष 21 जिला शिक्षा अधिकारियों की लेखापरीक्षा मार्च 2004 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान एक बार भी नहीं की गई। आयुक्त लोक शिक्षण ने सूचित किया (जनवरी 2005) कि लक्षित इकाईयों की लेखापरीक्षा कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं की गई। उन जिला अधिकारियों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा प्राथमिकता के आधार पर आरंभ की गई जो सेवानिवृत्त होने वाले थे। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि वे समस्त 11 कनिष्ठ लेखा अधिकारी जो आयुक्त, कोषालय एवं

इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना का अभाव।

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

लेखा कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर आए थे उन्हें आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में नियुक्त न कर विभिन्न अन्य अनुभागों में काम पर लगाया गया था।

➤ आंतरिक लेखापरीक्षा की समग्र प्रभावकारिता

आंतरिक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन जारी कराने में
विलंब।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभावकारी नहीं पाई गई क्योंकि 296 कंडिकाओं में से अगस्त 2004 तक 273 कंडिकाएं (92 प्रतिशत) अनुपालन के अभाव में अनिराकृत रहीं। यह भी दृष्टिगत हुआ कि लेखापरीक्षा कार्य पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने में तीन माह से अधिक का विलंब हुआ जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाईयों (जिला शिक्षा कार्यालय) की संख्या	ऐसी इकाईयों की संख्या जहां निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार विलंब से जारी किए गए	
1.	2002-03	13	3 से 6 माह 07	7 से 12 माह 04
2.	2003-04	11	07	03
	योग	24	14	07
				एक वर्ष से अधिक 01

आयुक्त लोक शिक्षण ने निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाने में विलंब के कारण सूचित नहीं किए तथापि उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किए जाएंगे।

5.1.10 निष्कर्ष

राज्य के सबसे बड़े संचालनालय में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अत्यधिक शिथिल है। अध्यापकों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को अधिक भुगतान बिना किसी प्राधिकार के सरकारी धन रखे जाने हेतु बैंक खाते खोलना, दीर्घ समय तक अस्थाई अग्रिमों की वसूली न होना/समायोजन न होना तथा अशासकीय निधियों के दुरुपयोग के प्रकरण आंतरिक नियंत्रण तंत्र कार्यवाहियों में कमी के परिचायक हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रत्यक्षतः न तो कोई महत्व दिया गया और न विभागीय अधिकारी कार्यक्रम सूची के अनुसार निरीक्षण कार्य कर रहे हैं।

5.1.11 अनुशंसाएं

- संचालनालय के साथ ही जिला स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम सूची के अनुसार विद्यालयों/कार्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए तथा निर्धारित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
- बिना सक्षम प्राधिकारी की संस्थीकृति के खोले गए बैंक खातों को बंद कर देना चाहिए तथा इन खातों में अप्रयुक्त पड़ी सरकारी निधियों को कोषालय में जमा करा देना चाहिए।

- तीन माह से अधिक की अवधि तक बकाया अग्रिम को समायोजित करने और यदि आवश्यक हो तो चूककर्ता कर्मचारियों के वेतनों से वसूल किए जाने की आवश्यकता है।
- मूल वेतन के 8 प्रतिशत की दर पर भविष्य निधि आयुक्त को भुगतान योग्य अंशदायी भविष्य निधि की राशि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत संकुल प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंशदायी भविष्य निधि का प्रबंधन अंश संयुक्त खाते में जमा ब्लॉक ग्रांट से आहरित नहीं किया जायेगा।

गवालियर
दिनांक

(जयनारायण गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्रनाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I
(संदर्भ : कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्र

1. वार्षिक लेखाओं का प्रारूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में तैयार किये जाते हैं। वित्त लेखे शासकीय लेखाओं में सम्यक् वर्गीकरण के अधीन प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किये गये ब्याज के विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किये गये किसी प्रकार के व्यय के लिये विधान मण्डल द्वारा नियमन की आवश्यकता होती है।

भाग 2- पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की सूची और उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
मानदण्डों की उत्पादकता	मानदण्डों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि
मानदण्ड (भ) की अन्य मानदण्ड (म) के संदर्भ में उत्पादकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]*100
प्रवृत्ति/औसत	5 वर्ष की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति (एल.ओ.जी.ई.एस.टी.) (1997-98 की राशि: 2002-03 की राशि-1)*100
शेयर अंतरण/मानदण्ड की अंतरण दर	राजस्व अथवा व्यय जैसा भी प्रकरण हो में मानदण्डों के पाँच वर्षों की अवधि पर प्रतिशतता शेयर की प्रवृत्ति
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवायें
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान/[पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
फैला हुआ ब्याज	सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारित ब्याज दरें
दिये गये ऋण के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण तथा अग्रिमों का प्रारंभिक शेष+अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-कमी अथवा त्याज्य ऋणों हेतु विनियोग के अंतर्गत विकलनों को छोड़कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व प्राप्तियाँ

परिशिष्ट-II

(संदर्भ: कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2004 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये में)

मर्दे	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I- देयताएं-					
1. लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	4, 16 एवं 17
2. निष्केप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	4 एवं 16
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46(ख)	4 एवं 16
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19(ग)	16
II-परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	4950.27	1484.59	9325.71	2 एवं 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2187.44(घ)	5 एवं 18
गारंटीयां	9709.60	39.56	3.68	10836.32(ड)	6

टिप्पणी: और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें।

- (क) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(i) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार कुल 657.94 करोड़ रुपये में से 498.44 करोड़ रुपये छाप लग दिये गये।
- (ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (ग) विवरण के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (घ) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।
- (ङ)
 - (i) मध्यप्रदेश को आबंटित 39.56 करोड़ रुपये।
 - (ii) छत्तीसगढ़ को आबंटित 3.68 करोड़ रुपये।
 - (iii) पुरानी गारंटी के प्राप्त 425.33 करोड़ रुपये।
 - (iv) निरस्त पुरानी गारंटी के 26.42 करोड़ रुपये के कारण 2002-2003 के 10480.65 करोड़ रुपये के आंकड़ों में 355.67 करोड़ रुपये तक अंतर।

परिशिष्ट III
(संदर्भ: कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

31 मार्च 2004 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

31.03.2003 को	देयताएं	31.03.2004 को
10664.24	आंतरिक ऋण	18601.89
5573.09	ब्याज सहित बाजार कर्जे	7845.83
2.89	ब्याज रहित बाजार कर्जे	2.63
1153.73	अन्य संस्थाओं से कर्जे (स्वशासी निकाय)	4123.08
-	अर्थोपाय पेशगियां	266.78
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--
3934.53	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	6363.57
9483.05	केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	9208.75
291.53	1984-85 से पूर्व के कर्जे	255.31
1815.53	योजनेतर कर्जे	299.90
7221.33	राज्य आयोजनागत योजना हेतु कर्जे	8500.96
39.10	केन्द्रीय आयोजनागत योजना हेतु कर्जे	36.20
115.56	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु कर्जे	116.38
39.95	आकस्मिक व्यय निधि	39.00
7034.50	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	6861.34
2631.20	निक्षेप	2231.49
527.13	आरक्षित निधियां	881.86
69.11	उचन्त तथा विविध शेष	(-)200.65
30449.18		37623.68

टिप्पणी: मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के निर्धारित दिवस अर्थात् 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋणों को छोड़कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के बटवारे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

31.03.2003 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2004 को
18787.69	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	21466.32
1702.38	कंपनी, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1737.30
17085.31	अन्य पूँजीगत परिव्यय	19729.02
2439.90	कर्जे एवं पेशगियां	2608.42
858.08	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे	984.41
1531.37	अन्य विकास कर्जे	1583.21
50.45	सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा विविध कर्जे	40.80
-	आरक्षित निधि निवेश	--
4.14	पेशगियां	6.17
459.24	प्रेषण शेष	457.61
(-) 91.30	रोकड़-	94.21
(-) 37.51	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 5.18
(-) 113.41	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	69.50
13.99	स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	11.69
45.63	रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधियों का निवेश	18.20
8849.51	सरकारी लेखे में घाटा	12990.95
7679.47	(i) अग्रेनीत संचित घाटा	8849.51
1169.40	(ii) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	4475.76
-	(iii) अन्तर्राज्यीय निपटारा	--
0.64	(iv) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	(-) 334.32 \$
30449.18		37623.68

\$ छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अन्तरण के (-) 334.38 करोड़ रुपये (264.93 करोड़ रुपये, अत्य बचत एवं भविष्य निधि, 69.45 करोड़ रुपये, बीमा एवं पेंशन निधि, 2001-02 में प्रोफार्मा अन्तरण के 3.08 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

परिशिष्ट IV

(संदर्भ: कंडिका 1.4 घृष्ण 5)

वर्ष 2003-04 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपये में)

2002-03			2003-04	2002-03		2003-04		
						योजनेतर	आयोजना	योग
		अनुभाग: क राजस्व						
13390.40	I.	-राजस्व प्राप्तियाँ	14288.96		I. राजस्व व्यय			
6164.55		-कर राजस्व	6788.86	5444.68	सामान्य सेवायें	6536.49	37.09	6573.58
				5284.26	सामाजिक सेवायें	3785.13	1536.52	5321.65
1635.48		-कर भिन्न राजस्व	1479.82	2295.58	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2021.65	333.69	2355.34
				760.61	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	531.19	229.64	760.83
3728.73		-संघ करों का राज्यांश	4247.14	397.38	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	267.07	191.68	458.75
301.16		-योजनेतर अनुदान	376.38	24.31	सूचना एवं प्रसारण	19.70	0.63	20.33
				831.36	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	439.25	437.07	876.32
815.90		-राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	776.40	56.21	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	48.16	9.32	57.48
				909.49	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	448.07	333.59	781.66
744.58		-केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	620.36	9.32	अन्य	10.04	0.90	10.94
				3424.70	-आर्थिक सेवायें	5036.06	1242.52	6278.58
				1225.59	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	787.33	360.72	1148.05
				632.31	ग्रामीण विकास	153.51	452.41	605.92

2002-03			2003-04	2002-03		2003-04		
						योजनेतर	आयोजना	योग
			-	-	-	-	--	--
			250.59	-	-	202.56	67.57	270.13
			979.77	-	-	3661.26	293.08	3954.34
			66.18	-	-	31.75	34.79	66.54
			224.00	-	-	172.82	17.46	190.28
			4.06	-	-	1.25	2.82	4.07
			42.20	-	-	25.58	13.67	39.25
			406.16	-	-	590.91	--	590.91*
1169.40	II.	अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा	4475.76	-	II.- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			
14559.80		योग	18764.72	14559.80	योग	15948.59	2816.13	18764.72
		अनुभाग-ख						
331.03	III	स्थाई पेशागियां तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	91.30	-	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
			2454.90	-	IV. -पूंजीगत परिव्यय	5.99	2672.65	2678.64
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		36.28	-सामान्य सेवायें	--	36.25	36.25
			535.84	-	-सामाजिक सेवायें	1.94	533.40	535.34
			16.56	-	-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		20.43	20.43
			18.29	-	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.37	38.02	38.39

* स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 22.38 करोड़ रुपये का सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया।

2002-03			2003-04	2002-03		2003-04		
						योजनेतर	आयोजना	योग
				394.13	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	1.45	359.75	361.20
				-	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				105.24	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	102.99	102.99
				1.21	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.12	11.98	12.10
				0.41	अन्य सामाजिक सेवायें	--	0.23	0.23
				1882.78	आर्थिक सेवायें	4.05	2103.00	2107.05
				33.86	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	3.80	46.40	50.20
				222.77	ग्रामीण विकास	--	226.59	226.59
				950.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	1081.32	1081.32
				347.54	ऊर्जा	--	328.22	328.22
				9.62	उद्योग एवं खनिज	0.23	7.79	8.02
				314.92	परिवहन	--	407.37	407.37
				3.93	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.02	5.31	5.33
			योग	2454.90	योग	5.99	2672.65	2678.64

			(करोड़ रुपयों में)		
2002-03			2003-04	2002-03	2003-04
42.71	V	कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियाँ	35.84	480.70	V. संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ 204.36
1.34		-विद्युत परियोजनाओं से	--	181.66	-विद्युत परियोजनाओं के लिये 126.33
11.44		-सरकारी कर्मचारियों से	10.30	1.35	-सरकारी कर्मचारियों को 0.66
29.93		-अन्य से	25.54	297.69	-अन्य को 77.37
-	VI	अन्तर्राज्यीय निपटारा		-	VI. अन्तर्राज्यीय निपटारा -
-	VII	अधनीत राजस्व बचत		1169.40	VII. अधनीत राजस्व घाटा 4475.76
4949.30	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	9938.42	1493.61	VIII. लोक ऋण का प्रतिभुगतान 2275.08
3168.69		-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	7948.72	152.87	-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण 277.85
1780.61		-केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ	1722.92	1340.74	-केन्द्र सरकार को कर्जे तथा पेशगियों का प्रतिभुगतान 1997.23
-		-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियाँ के अधीन निवल लेन देन	266.78	-	-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियाँ के अधीन निवल लेन देन --
-	IX	आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग	--	-	IX. आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग --
-	X	आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि	0.05	0.05	X. आकस्मिक निधि से व्यय 1.00
20119.55	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	22285.06	19935.23	XI. लोक लेखा संवितरण 22439.02
1108.88		-लघु बचतें एवं भविष्य निधि	1200.18	1016.81	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ 1108.41
169.79		-आरक्षित निधियाँ	366.51	11.33	-आरक्षित निधियाँ 11.78
10763.80		-उचंत एवं विविध	12155.79	10992.29	-उचंत एवं विविध 12425.60
4286.52		-प्रेषण	4436.76	4274.17	-प्रेषण 4435.12
3790.56		-जमा एवं पेशगियाँ	4125.82	3640.63	-जमाएं एवं पेशगियाँ 4458.11
-	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		(-) 91.30	XII. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष 94.21
				(-) 37.51	-कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण -5.18
				(-) 113.41	-रिजर्व बैंक में जमा 69.50
				13.99	-स्थाई नकद अप्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष 11.69
				45.63	-रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधि निवेश 18.20
25442.59		योग	32168.07	25442.59	महायोग 32168.07

परिशिष्ट- V
(संदर्भ: कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)
निधियों के स्रोत एवं उपयोग

2002-03		स्रोत	(करोड़ रुपये में)	
राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
13390.40	75.55	राजस्व प्राप्तियाँ	14288.96	63.69
42.71	0.24	कर्जे एवं पेशेगियों की वसूलियाँ	35.84	0.16
3455.69	19.50	लोक ऋण में वृद्धि	7663.35	34.16
412.81	2.33	लोक लेखे से प्राप्तियाँ	448.14	1.99
92.07		क- अत्य बचतों में वृद्धि	91.78	--
149.93		ख- जमा एवं पेशेगियों में वृद्धि	--	--
158.46		ग- आरक्षित निधियों एवं आरक्षित निधि निवेश में वृद्धि	354.73	--
12.35		घ- प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	1.63	--
--		ड- उचंत एवं विविध में वृद्धि	--	--
422.33	2.38	अंतिम रोकड़ शेष में कमी	--	--
17723.94	100	योग	22436.29	--
उपयोग				
14559.80	82.15	राजस्व व्यय	18764.72	83.64
480.70	2.71	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना	204.36	91
2454.90	13.85	पूंजीत व्यय	2678.64	11.94
0.05		आकस्मिक निधि लेन देनों का निवल प्रभाव	0.95	--
		अंतर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव	--	
228.49	1.29	लोक लेखे से उपयोग	572.38	2.55
228.49		क- उचंत एवं विविध का निवल प्रभाव	240.09	
-		ख- विविध शासकीय लेखे	--	
-		ग- जमा एवं अग्रिमों में कमी	332.29	
-		घ- प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	--	
-		अंतिम रोकड़ शेष में वृद्धि	215.24	0.96
17723.94	100	योग	22436.29	--

विवरण पत्र 1, 2 एवं 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जायें।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण विवरण पत्र 1 में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्य लेखे में उपर्युक्त आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आंकड़ों इत्यादि में मूल्यहास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।
- उचंत एवं विविध शेषों में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अंतर्राज्यीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 22.38 करोड़ रुपये का सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत (आयोजना) व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया।
- 'रिजर्व बैंक में निक्षेप' के अंतर्गत लेखे में दर्शाये गये 6949.63 लाख रुपये (आकलन) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 7321.38 लाख रुपये (विकलन) के आंकड़ों में 371.75 लाख रुपये (आकलन) का अंतर था। जून 2004 का लेखाबंद करने के उपरान्त समाधान किया जाने वाला निवल अंतर 171.20 लाख रुपये (आकलन) का था।

परिशिष्ट VI

(संदर्भ: कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000 [®]	2000-01			2001-02	2002-03	2003-04
		अप्रैल अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000- मार्च 2001	योग			
1. राजस्व प्राप्तियाँ	13204	7136	5703	12839	11211	13391	14289
(i) कर राजस्व	5795 (44)	3225	2415	5640 (44)	4679(42)	6165(46)	6789(48)
विक्रय व्यापार आदि पर कर	2555 (44)	1568	1198	2766 (49)	2361(50)	2906(47)	3293(49)
राज्य आबकारी	1073 (19)	674	301	975 (17)	705(15)	890(15)	1086(16)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	470 (8)	298	179	477 (8)	445(10)	535(9)	614(9)
वाहनों पर कर	402 (7)	257	149	406 (7)	393(8)	429(7)	455(6)
अन्य कर	1295(22)	428	588	1016(19)	775(17)	1405(22)	1341(20)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2469 (18)	1020	704	1724 (13)	1602(14)	1635(12)	1480(10)
(iii) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	3262 (25)	2318	1637	3955 (31)	3439(31)	3729(28)	4247(30)
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	1678 (13)	574	946	1520 (12)	1491(13)	1862(14)	1773(12)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	--	--
3. कुल राजस्व एवं ऋणतेर पूँजीगत प्राप्तियाँ	13204	7136	5703	12839	11211	13391	14289
4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली	314	(-) 6	19	13	1588	43	36
4 क अंतर्राज्यीय निपटारा					--		
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3462	2171	930	3101	3281	4949	9938
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकष छाड़कर)	2104(61)	1308	568	1876(61)	1830(56)	3169(64)	7949(80)
भाउत्तु सरकार से कर्जे एवं पेशगियों	1358(39)	632	362	994(32)	1451(44)	1780(36)	1722(17)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकष में निवल लेन देन	--	231	-	231(7)	--	--	267(3)
6. समोकेत निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	16980	9301	6652	15953	16080	18383	24263
7. आकस्मिक व्यय निधि प्राप्तियाँ	--	7	-	7	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	17170	9882	6638	16520	15013	20120	22285
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	34150	19190	13290	32480	31093	38503	46548
10. राजस्व व्यय	16136(93)	8938	6047	14985 (91)	14369(87)	14560(83)	18765(87)
आयोजनागत	2727(17)	1217	1466	2683 (18)	2516(18)	3520(24)	2816(15)
योजनेतर	13409(83)	7721	4581	12302 (82)	11853(82)	11040(76)	15949(85)
सामान्य सेवाये (व्याज भुगतान सहित)	5244(33)	3364	1959	5323 (36)	5049(35)	5445(37)	6574(35)
सामाजिक सेवाये	6210(38)	3639	2197	5836 (39)	4583(32)	5284(36)	5322(28)
आर्थिक सेवाये	4033(25)	1585	1713	3298 (22)	4364(30)	3425(24)	6278(34)
सहायतानुदान एवं अशदान	648(4)	350	178	528 (3)	373(3)	406(3)	591(3)
11. पूँजीगत व्यय	950(5)	524	536	1110 (7)	1471(9)	2455(14)	2679(12)
आयोजनागत	946 (100)	518	537	1105(100)	1466(100)	2449(100)	2673(100)
योजनेतर	4	06	(-) 01	05	05	6	6
सामान्य सेवाये	16 (2)	05	11	16(2)	22(1)	36 (1)	36(1)
सामाजिक सेवाये	195 (20)	38	98	136(12)	172(12)	536(22)	535(20)
आर्थिक सेवाये	739 (78)	481	477	958(86)	1277(87)	1883(77)	2108(79)

- जारी.

परिशिष्ट VI (जारी)

(करोड़ रुपये में)

	1999- 2000*	2000-01			2001-02	2002-03	2003-04
		अप्रैल- अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च 2001	योग			
12. कर्जे एवं पेशगियों का वितरण	343 (2)	33	263	296(2)	599(4)	481 (3)	204(1)
12 क. अंतर्राज्यीय निपटारा		-	-		5-	-	--
13. कुल व्यय (10+11+12)	17429	9495	6896	16391	16444	17496	21648
14. लोक ऋण का प्रति भुगतान अंतर्रिक्ष ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	549	271	547	818	522	1494	2275
15. - अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	135	51	72	123	150	153	278
पेशगिया भारत सरकार से कर्जे एवं	21	-	294	294	--	-	--
16. आकस्मिक व्यय निधि विनियोग	--	-	-	--	--	-	--
17. -समेकित निधि से कुल संवितरण	17978	9766	7443	17209	16966	18990	23923
18. -आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	7	13	(-) 13	--	--	-	--
19. -सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	16040	9690	6146	15836	13569	19935	22439
भाग- ग- घाटा	34025	19469	13576	33045	30535	38925	46362
20. -राजस्व घाटा (1-10)	2932	1802	344	2146	3158	1169	4476
21. -राजकोषीय घाटा (3+4+13)	3911	2365	1174	3539	3645	4062	7323
22. -प्रारंभिक घाटा (21-23)	1772	858	270	1128	1391	1560	4117
भाग- घ - अन्य आंकड़े							
23. -स्थाज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2139	1507	904	2411	2254	2502	3206
24. -राजस्व बकाशा (कर एवं कर मिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	465 (6)	-	-	347 (5)	204(3)	839 (11)	758 ⁵ (9)
25. -स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1505	224	589	813	2304	525	3324
26. -लौगंडी अर्थोपाय पेशगिया/अधिविकर्ष (दिन)	165/100	70/9	95/38	165/47	117/172	103/176	200/60
27. - अर्थोपाय पेशगियाँ/अधिविकर्ष पर व्याज	10/3	6/2	2/1	8/3	11/5	11/7	13/4
28. -सकल राज्य धरेलू उत्पाद	98768(थ)	-		88445(@)	81286(थ)	83011(थ)	101027(थ)
29. -बकाया ऋण (वर्षान्त)	25948	-	22548	22548	26487	30340	37785
30. -बकाया गारंटीयाँ (वर्षान्त)	142	-	-	467	472	585	974
31. -गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9671	-	-	9673	9701	11572	12131
32. - अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	237	-	-	185	180	301	453
33. - अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	5957	-	-	4983	5589	6459	7447

(थ) उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य हेतु त्वरित अनुमान।

(त)- अनंतिम

(ए) उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य हेतु पूर्ण वर्ष के लिये सकल राज्य धरेलू उत्पाद के अनंतिम आंकड़े (73165 करोड़ रुपये) तथा अप्रैल- अक्टूबर 2000 हेतु छत्तीसगढ़ के लिये उसकी आनुपातिक राशि (15280 करोड़ रुपये)।

(ए) संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में।

(स) राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के राजस्व संबंधी आंकड़े।

परिशिष्ट VII

(संदर्भ : कंडिका 1.6.2 (च)पृष्ठ 13)

निधियाँ बैंक खाते/डाकखाने में रखने के कारण हुये अप्राधिकृत अवरोध दर्शाने वाला विवरण पत्र

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	आहरित राशि	उद्देश्य	अप्रयुक्त राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण	अन्युक्ति
1	सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास धार (मई 2003)	599.39 233.26	निर्माण कार्यों हेतु -- तदैव --	599.39 (बैंक में) 233.26 (डाकखाने में)	वित्त विभाग की यथोचित स्वीकृति के उपरान्त जिलाध्यक्ष के आदेशांतर्गत जिलाध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त व्यक्तिक जमा खाते में जमा।	विभाग ने सावधि जमा की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की।
2	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण सतना (जून 2004)	112.25	निर्माण कार्यों एवं विकास योजनाओं हेतु	112.25 (बैंक एवं डाकखाने में)	वित्त वर्ष के अंत में बजट व्यपगत होना टालने हेतु। विभाग ने भविष्य हेतु टीप किया।	
3	सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास सिवनी (फरवरी 2003)	219.77	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण अनुसूचित जाति क्षेत्र, मांजराटोला में एकल बत्ती संयोजन हेतु अनुसूचित आदिमजाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन डालना व विद्युत लाइन विकास कार्य	61.87 (बैंक)	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण जिलाध्यक्ष के आदेशों के अनुसार।	
4	सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास छिंदवाड़ा (अप्रैल 2003)	238-51	निर्माण कार्यों हेतु तथा योजनाओं हेतु अग्रिम	45-91 (बैंक)	भविष्य में अनुपालन करने हेतु विभाग ने अनियमितता को टीप किया।	
	योग	1403.18 अथवा 14.03 करोड़ रुपये		1052.68 अथवा 10.53 करोड़ रुपये		

परिशिष्ट- VIII

(संदर्भ: कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार आंकड़े

क्रम संख्या	मुख्यशीर्ष एवं विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपयों में)	संवर्ग	अम्बुक्सेत्र
1.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	136	1,19,32,260.80	दुर्विनियोग व्यपहरण हानियाँ आदि	
2.	2245- प्राकृतिक आपदाएं तथा सहायता	2	46,83,536.05	“ “	
3.	2051- लोक सेवा आयोग	1	23,109.71	“ “	
4.	2040- विक्रय कर	1	85,518.50	“ “	
5.	2014- न्याय प्रशासन	27	12,40,429.22	“ “	
6.	2054- कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	11	33,13,906.85	“ “	
7.	2029- भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त	24	8,52,504.24	“ “	
8.	2053- वित्त तथा सामाज्य प्रशासन	9	3,48,291.94	“ “	
9.	2058- मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1	66,739.00	“ “	
10.	2211- परिवार कल्याण विभाग	69	16,65,668.06	“ “	
11.	2853- अलौह खनन	3	58,923.30	“ “	
12.	2403- पशुपालन विभाग	20	1,16,2076.01	“ “	
13.	2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	51	25,22,661.51	“ “	
14.	2030- मुद्रांक तथा पंजीयन	1	95,980.00	“ “	
15.	2055- पुलिस	217	73,27,675.78	हानियाँ	
16.	2041- परिवहन	1	5,63,756.00	दुर्विनियोग, व्यपहरण हानियाँ आदि	
17.	2235- पंचायत तथा समाज कल्याण	7	1,63,666.85	“ “	
18.	2235- महिला एवं बाल कल्याण	8	3,20,521.00	“ “	
19.	2235- पुनर्वास विभाग	5	30,460.49	“ “	
20.	2401- कृषि विभाग	23	8,89,033.88	“ “	
21.	2402- कृषि विभाग	11	2,15,089.57	“ “	
22.	2851- ग्रामोदयोग	8	3,67,212.40	“ “	
23.	2230- श्रम	14	9,63,470.36	“ “	
24.	2039- राज्य उत्पाद कर	13	5,10,303.72	“ “	
25.	2408- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	58,419.85	“ “	
26.	2425- सहकारिता	2	1,11,774.00	“ “	
27.	2202- स्कूल शिक्षा विभाग	144	5,47,5724.90	“ “	
28.	2202- उच्च शिक्षा विभाग	23	13,11,198.49	“ “	
29.	2203- तकनीकी शिक्षा विभाग	5	3,22,931.67	“ “	
30.	2205- कला एवं संस्कृति विभाग	1	13,12,117.70	“ “	
31.	2405- मछली पालन विभाग	2	63,323.09	दुर्विनियोग व्यपहरण हानियाँ आदि	
32.	2501, 2505, 2515 ग्रामीण विकास विभाग	16	8,18,981.77	“ “	
	योग	858	4,88,77,266.71		

परिषिक्षा IX

(संदर्भः कांडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुविनियोग, व्यपहण इत्यादि के विभागवार/वर्षवार विवरण

(राशि रूपयों में)

क्र. सं	मुख्य शीर्ष एवं विभाग का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-04		कुलयोग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	134	11769770.80	2	162490.00	--	--	--	--	--	--	--	11932260.80
2.	2245- प्राकृतिक आपदाएं तथा सहायता	2	4683536.05	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4683536.05
3.	2051- लोक सेवा अयोग	1	23109.71	--	--	--	--	--	--	--	--	1	23109.71
4.	2040- विकाय कर	1	85518.50	--	--	--	--	--	--	--	--	1	85518.50
5.	2014- न्याय प्रशासन	24	695338.91	3	545090.31	--	--	--	--	--	--	27	1240429.22
6.	2054- कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	11	3313906.85	--	--	--	--	--	--	--	--	11	3313906.85
7.	2029- भू अभिलेख एवं बन्दोबरत	23	772504.24	1	80000.00	--	--	--	--	--	--	--	852504.24
8.	2053- तित तथा सामाचर प्रशासन	8	236791.94	1	111500.00	--	--	--	--	--	--	9	348291.94
9.	2058- मुद्रण तथा लेखन रामग्री	1	66739.00	--	--	--	--	--	--	--	--	1	66739.00
10.	2211- परिवार कल्याण विभाग	69	1665668.06	--	--	--	--	--	--	--	--	69	1665668.06
11.	2853- अलौह खनन	1	1669.30	2	57254.00	--	--	--	--	--	--	3	58923.30
12.	2403- पशुपालन विभाग	17	1126850.38	--	1	609.00	1	24853.00	1	9763.63	20	1162076.01	
13.	2225- अमृसूचित जाति/अमृसूचित आदिमजाति तथा पिछड़ वर्ग कल्याण	51	2522661.51	--	--	--	--	--	--	--	51	2522661.51	
14.	2030- पुराक तथा पंजीयन	1	95980.00	--	--	--	--	--	--	--	1	95980.00	
15.	2055- पुरिस	114	3856159.98	17	789521.30	41	1165949.00	40	1112444.50	5	403601.00	217	7327675.78
16.	2041- परिवहन	1	563756.00	--	--	--	--	--	--	--	1	563756.00	

क्र. सं	मुख्य शीर्ष एवं विभाग का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004		कुल योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
17.	2235- पंचायत तथा समाज कल्याण	7	163666.85	--	--	--	--	--	--	--	--	7	163666.85
18.	2235- महिला एवं बाल कल्याण	8	320521.00	--	--	--	--	--	--	--	--	8	320521.00
19.	2235- पुनर्वास विभाग	5	30460.49	--	--	--	--	--	--	--	--	5	30460.49
20.	2401 कृषि विभाग	18	522863.88	--	--	1	95000.00	1	4292.00	3	266878.00	23	889033.88
21.	2402 कृषि विभाग	8	116201.57	--	--	1	5388.00	1	90000.00	1	3500.00	11	215089.57
22.	2851- ग्रामीण	2	18605.05	1	274682.35	2	11400.00	1	1525.00	2	61000.00	8	367212.40
23.	2230- श्रम	4	136725.76	5	*737152.00	--	--	4	26126.00	1	63466.60	14	963470.36
24.	2039- राज्य उताद कर	8	449160.72	1	22083.00	2	30431.00	2	8629.00	--	--	13	510303.72
25.	2408- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	58419.85	--	--	--	--	--	--	--	--	2	58419.85
26.	2425- सहकारिता	--	2	111774.00	--	--	--	--	--	--	--	2	111774.00
27.	2202- स्कूल शिक्षा विभाग	130	3782023.69	1	44276.00	2	425287.00	9	772559.21	2	451579.00	144	5475724.90
28.	2202- सेच्य शिक्षा विभाग	20	1288638.49	--	--	2	16130.00	--	1	6430.00	23	1311198.49	
29.	2203- तकनीकी शिक्षा विभाग	1	63710.47	--	--	4	259221.20	--	--	--	5	322931.67	
30.	2205- कलात् एवं संस्कृति विभाग	1	1312117.70	--	--	--	--	--	--	--	1	1312117.70	
31.	2405- मछली पालन विभाग	1	2723.09	--	--	--	--	--	1	60600.00	2	633323.09	
32.	2051, 2505, 2515 ग्रामीण विकास विभाग	14	678950.77	--	--	1	7031.00	1	133000.00	--	--	16	818981.77
	योग	688	40424750.61	36	2936822.96	57	2016446.20	60	2173428.71	17	1326818.23	858	48877266.71

परिशिष्ट X

(संदर्भ: कंडिका 1.7.3 पृष्ठ 17)

हानियों आदि का अपलेखन

क्रम संख्या	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपयों में)
1.	विक्रय कर	2	27570.00
2.	खनन	1	80442.00
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	12	286867.01
4.	पुलिस	20	411271.90
5.	परिवहन	1	18019.20
6.	पंचायत एवं समाज कल्याण	3	12507.80
7.	पुनर्वास	1	12617.00
8.	ग्रामोद्योग	2	10000.00
9.	उद्योग	1	52611.00
10.	कृषि	1	2340.00
11.	स्कूल शिक्षा	25	189004.02
12.	ग्रामीण विकास	3	132425.95
13.	मछली पालन	1	36803.26
14.	उच्च शिक्षा	1	14800.00
	योग	74	1287279.14

परिशिष्ट XI
 (संदर्भ: कंडिका 1.8.3 पृष्ठ 18)

वित्तीय वर्ष 2003-04 के 31 मार्च के अंत में हानि में चल रहे सांचिक निम्नों/सरकारी कम्पनियों की 15.12.2004 को वित्तीय स्थिति

क्रम संख्या	कम्पनी/निगम का नाम	वर्ष के अंत में निवेश की गई (प्रदत्त) राशि				वर्ष के अंत में 31 मार्च को संचित हानि(-)	वर्ष जिस तक लेखा प्रस्तुत किया गया	अध्यक्षित (लाख रुपये में)
		राज्य	केन्द्र	अन्य	योग			
		3	4	5	6			
1	कम्पनी							
2		लाख रुपये में						
3.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल	209.50	120.00	--	329.50	(-32.15	2001-02	
4.	म.प्र.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित भोपाल	1.70	52.00	72.46	126.16	(-208.63	2000-01	
5.	म.प्र. पुलिस आवास निगम मर्यादित भोपाल	600.00	--	--	600.00	(-94.68	2002-03	
6.	म.प्र.ओद्योगिक केन्द्र विकास निगम (शीव) मर्यादित भोपाल	--	--	80.00	80.00	(-464.33	1999-2000	
7.	म.प्र. पिछा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम भोपाल	644.85	--	--	644.85	(-16.44	1997-98	
8.	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल	2497.29	--	--	2497.29	(-41.23	2001-02	
9.	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित भोपाल	8109.18	--	--	8109.18	(-31064.18	2002-03	
10.	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित भोपाल	68.92	--	--	68.92	(-)131.75	2002-03	
11.	बंद कंपनियाँ							
12.	म.प्र.उद्यवहन सिंचाई निगम मर्यादित भोपाल	592.29	--	--	592.29	(-623.76	1991-92	
13.	आपेल टेलिकम्यूनिकेशन मर्यादित जिला रायसेन	--	--	1500.00 निजी अंशधारक	2396.71 896.71	(-)6480.94	2002-03	
14.	म.प्र.राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल	1511.67	--	--	1511.67	(-6990.35	2001-02	
15.	म.प्र.राज्य वरत्रेयोग निगम मर्यादित भोपाल	685.95	--	--	685.95	(-9528.80	2001-02	
16.	म.प्र.राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	500.00	(-205.04	1989-90	

31 मार्च 2004 को समाय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

ग.	619 -ख- कंपनियाँ	126.00	24.00	--	150.00		
14.	म.प्र.विद्युत यंत्र मर्यादित भौपाल					(-)378.00	1989-90
घ.	निगम						
15.	म.प.राज्य विद्युत माडल	16961.71	--	--	16961.71	(-)221998.00	2002-03
16.	म.प.परिवहन निगम	14140.34	4096.38	--	18236.72	(-)86452.81	2002-03 upto (31.12.2003)
17.	म.प्र.वित्त निगम	6253.91	--	2554.45	8808.36	(-)23871.51	2002-03
	योग	52903.31	4292.38	5103.62	62299.31	(-)388582.6	

टिप्पणी:- 1. कॉलम 5 धारक सरकारी कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश से संबंधित है।

2. इस शाखा द्वारा अप्रमाणीकृत लेखाओं की नवीनतम स्थिति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस शाखा में अनंतिम लेखे प्राप्त नहीं होते।

परिशिष्ट XII

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.1, पृष्ठ 31)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक कम तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कम रहा।

कम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम/विनियोग	(करोड़ रुपये में)	
		कुल प्रावधान	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क- राजस्व- दत्तमत 01- सामान्य प्रशासन	84.47	18.38 (21.8)
2	03- पुलिस	987.59	124.14 (12.6)
3	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.98	3.76 (34.2)
4	05- जैल	69.80	10.67 (15.3)
5	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	320.58	55.24 (17.2)
6	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	23.92	3.95 (16.5)
7	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	55.71	16.12 (28.9)
8	13-कृषि	324.18	92.59 (28.6)
9	15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	192.66	25.92 (13.5)
10	16-मछली पालन	11.47	2.43 (21.2)
11	17-सहकारिता	49.20	16.90 (34.3)
12	18-श्रम	47.53	13.96 (29.4)
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	626.75	137.30 (21.9)
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	220.76	26.58 (12)
15	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	52.04	22.13 (42.5)
16	24-लोक निर्माण-सड़क एवं पुल	249.13	80.54 (32.3)
17	25-खनिज संसाधन से संबंधित व्यय	9.67	2.80 (29)
18	26-संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	19.59	3.66 (18.7)
19	28-राज्य विधान मण्डल	24.42	4.91 (20.1)
20	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	185.99	60.11 (32.3)
21	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	16.95	2.45 (14.5)
22	32-जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	41.13	5.64 (13.7)
23	34-समाज कल्याण	23.30	3.93 (16.9)
24	36-परिवहन	20.77	2.80 (13.5)
25	37-पर्यटन	5.81	1.84 (31.7)
26	40-कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	5.09	3.51 (69)
27	43-खेल एवं युवा कल्याण	10.99	3.82 (34.8)
28	44-उच्च शिक्षा	318.12	52.61 (16.5)
29	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	58.28	20.89 (35.8)
30	47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	137.42	33.88 (24.7)
31	48-नर्मदा घाटी विकास	9.21	3.97 (43.1)

(1)	(2)	(3)	(4)
32	49-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	42.12	6.75 (16)
33	50-बीस सूत्रीय कार्टनियन विभाग से संबंधित व्यय	3.06	1.21 (39.5)
34	51-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	10.09	2.10 (20.8)
35	52-कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	5.23	1.29 (24.7)
36	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	321.26	89.74 (27.9)
37	56-ग्रामोद्योग	29.98	7.44 (24.8)
38	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	8.00	8.00 (100)
39	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	401.15	118.07 (29.4)
40	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	68.78	8.43 (12.3)
41	71-जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित व्यय	5.00	4.61 (92.2)
42	72-गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	38.91	18.32 (47.1)
43	74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	22.17	22.17 (100)
44	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	179.22	20.22 (11.3)
45	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु विशेष सहायता	718.03	89.97 (12.5)
46	81-शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	886.44	160.33 (18.1)
47	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजनाओं के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	300.88	50.44 (16.8)
48	85-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- पुलिस	7.62	7.15 (93.8)
49	88-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्यायिक	4.83	3.18 (65.8)
50	90-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60	6.60 (100)
51	91-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा	11.05	1.86 (16.8)
52	92-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	10.98	8.56 (78)
53	93-त्वरित ऊर्जा विकास से संबंधित व्यय	52.50	28.98 (55.2)
54	94-सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	47.37	7.93 (16.7)
	योग (क)	7394.78	1530.78
	ख. राजस्व भारित		
55	01-सामान्य प्रशासन	6.64	1.06 (16)
56	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1.70	1.51 (88.8)
	योग (ख)	8.34	2.57
	ग. पूँजीगत-दत्तमत		
57	03-पुलिस	9.76	2.51 (25.7)
58	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	16.71	8.71 (52.1)
59	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	10.15	6.38 (62.9)
60	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.41	5.64 (76.1)
61	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	17.59	12.00 (68.2)

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
62	17-सहकारिता	110.81	53.53 (48.3)
63	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24.76	5.11 (20.6)
64	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	14.17	2.75 (19.4)
65	23-जल संसाधन विभाग	446.27	84.01 (18.8)
66	27-स्कूल शिक्षा	14.13	14.13 (100)
67	37-पर्यटन	9.74	4.43 (45.5)
68	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.01	19.26 (48.1)
69	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- कमान क्षेत्र विकास	8.25	2.59 (31.4)
70	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	367.47	44.76 (12.2)
71	42- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	96.60	34.85 (36.1)
72	45-लघु सिचाई कार्य	36.89	19.61 (53.2)
73	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	25.90	14.42 (55.7)
74	56-ग्रामोद्योग	2.10	1.71 (81.4)
75	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	104.50	25.48 (24.4)
76	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	84.00	41.01 (48.8)
77	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनाएं	186.80	39.88 (21.3)
78	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.70	1.07 (62.9)
79	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	54.87	29.94 (54.6)
80	72-गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	3.27	2.78 (85)
81	73-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	25.00	2.61 (10.4)
82	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	127.10	14.57 (11.5)
83	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5.38	1.34 (24.9)
84	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	20.26	8.53 (42.1)
85	84-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व	23.90	14.13 (59.1)
86	85-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस	9.49	3.96 (41.7)
87	86-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	3.33	1.10 (33)
88	87-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	9.50	7.75 (81.6)
89	93-त्वरित-उर्जा विकास से संबंधित व्यय	52.50	28.98 (55.2)
	योग (ग)	1970.32	559.53
	वृहदयोग (क+ख+ग)	9373.44	2092.88

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 31)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)

क- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-7557-क्षेत्र सुधार योजना	1.00
2	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल	5054-03-337-0701-7085-सङ्केत निर्माण कार्य	40.00
3	27-स्कूल शिक्षा	2202-02-109-0701-7817-क्लास परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर व्यवस्था	3.25
4	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय -कमान क्षेत्र विकास	2705-207-0701-6305-सिंचाई सहयोग प्रबंधन समितियों को अनुदान	1.00
5	56-ग्रामोद्योग	2851-108-0701-6611-वस्त्र उद्योग आधारभूत विकास परियोजना (बुरहानपुर)	3.68
6	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	25-अ.जा./अ.ज.जा.कल्याण विभाग 4059-60- 789- 800-0703-5172- अ.जा./अ.ज.जा. हेतु पुलिस थाने की स्थापना	1.14
7	67-लोक निर्माण- कार्य भवन	2059-80-001-0701-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को भुगतान	1.00
8	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0701-7716-अधीनस्थ न्यायालयों (परिवार न्यायालय) में भवन निर्माण	1.40
9	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-01-800-0701-5198-इंदिरा आवास योजना	1.08
10	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-01-001-0701-9106-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	10.78
		योग-(क)	64.33
	(ख)- केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ		
11	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917-भू-अभिलेख विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	9.00
12	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-8717-सोलहवीं पशु गणना	1.00
13	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0801-705-औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में विकास एवं निर्माण कार्य	3.00

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
14	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-परिवार नियोजन के पारम्परिक साधनों की आपूर्ति	7.00
15	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	10.00
16	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-परिवार नियोजन के पारम्परिक साधनों की आपूर्ति	13.34
17	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	9.64
18	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु जीवन एवं प्रसूति कार्यक्रम	26.97
19	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2215-02-106-0801-8872-राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	1.00
20	24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	5054-04-800-0801-8803-अशोक नगर से ईशागढ़ तक सारस खेड़ी धकौनी सड़क	1.00
21	27-स्कूल शिक्षा	2202-01-101-0801-7515-मदरसा बोर्ड को अनुदान	4.60
22	27-स्कूल शिक्षा	2202-01-102-0801-6344-मदरसों का आधुनिकीकरण	6.41
23	27-स्कूल शिक्षा	4202-01-201-0801-8742-प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना	8.37
24	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2408-01-102-0801-8844-विकेन्द्रीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान	150.00
25	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा. कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0802-7769-Special विभागीय शिक्षण संस्थाओं में विशेष मरम्मत कार्य अनुच्छेद 275(i)	3.54
26	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-5356-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत)	8.08
27	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-7543-संचार रणनीति	3.05
28	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	4.95
29	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-277-0801-9026-मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2.00
30	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-800-0801-3673-राज्य छात्रवृत्ति	1.00
		योग (ख)	273.95

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
ग आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार की संयोजी निधियों में से वित्तपोषित योजनाएं			
31	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	14-कृषि विभाग 2401-794-103-0602-5081-सूरज धारा योजना	1.25
32	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-277-0602-8836-मध्यप्रदेश आवासीय स्कूल समिति	3.10
33	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7771-आदिमजाति भूमि पर सेवाओं का उपयोगी विस्तार	3.45
34	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7772-आदिमजाति कृषकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम	1.15
35	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7773-कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत आदिमजाति परिवारों को बीज, उर्वरक, मिनीकिट एवं कीटनाशक का वितरण	2.30
36	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7774-आदिवासी कृषक परिवारों के खेतों पर व्यावसायिक फसल कार्यक्रम	1.15
37	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7775-अनुसूचित आदिमजाति कृषक परिवारों की भूमि पर भूमि सुधार	1.75
38	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7776-आदिमजाति हितग्राहियों की भूमि पर फलों एवं सब्जियों का पौधरोपण	1.15
39	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7777-फलों एवं सब्जियों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु आदिमजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण	1.15
40	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7778-लघु पौध रोपण एवं बीज फार्म	1.15

(करोड़ रुपये में)			
(1)	(2)	(3)	(4)
41	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7782-कृषि भूमि की वापसी हेतु आदिमजाति हेतु लोगों को आर्थिक सहायता	12.24
42	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7783-आदिमजाति समुदाय हेतु रोक बांध, कुओं, नलकूपों, नहरों, जल छिड़काव की संरचना आदि	11.49
43	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7784-आदिमजाति हितग्राहियों को कुओं, नलकूपों, सिचाई पंपों एवं कृषि तालाबों हेतु आर्थिक सहायता	10.10
44	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7785-आदिमजातियों की भूमि पर भूमि संरक्षण के उपाय के रूप में अनाज एवं फलों की प्रजातियों का पौधरोपण	10.90
45	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7786-आदिमजाति परिवारों को दूध देने वाले पशु, मुर्गियों, बकरियों, भेड़ों, सुअरों एवं बतखों आदि की आपूर्ति	3.45
46	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7789-आदिमजाति दुग्ध एवं मुर्गी पालन सहकारी समितियों को आर्थित सहायता	1.15
47	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7790-आदिमजाति क्षेत्रों में लघु वनोपज का पौधरोपण तथा जड़ीबूटियों का संग्रहण	8.09
48	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7793-आदिमजाति युवाओं में उद्यमिता का विकास	1.03
49	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	14-कृषि विभाग 2401-793-103-0603-8769-अन्नपूर्णा योजना	2.25
		योग (ग)	78.30
		वृहद योग (क+ख+ग)	416.58

परिशिष्ट XIV

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 32)

योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर आधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या का नाम/विविधोग	योजना का नाम	आधिक्य की राशि	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5
क-राजस्व दत्तमत				
1	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	2039-001-122-अधीक्षण	168.50	10657.7
2	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-नकद दान सहायता	37.45	749
3	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	2245-02-101-747-ओलावृष्टि पीड़ितों को सहायता	15.25	305
4	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	25-अ.जा./अ.आ.जा.कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0803-5089-सफाई कर्मचारियों के युक्तिकरण एवं पुनर्वास की प्रतिष्ठा योजना	8.29	82895900 सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य
5	67-लोक निर्माण कार्य-पुल	2216-80-001-2300-निर्देशन एवं प्रशासन (अनुदान संख्या 67-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक अंश)	6.18	123.5
		योग (क)	235.67	
ख- राजस्व भारित				
6	-- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6417-8.50% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण (नीलामी)-2011.	22.24	608.5
7	--ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6419- नवीन बाजार ऋण	254.28	2382.4
8	--ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7110-6.94% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2012.	13.16	329
9	--ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6235- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मण्डल से ऋणों पर ब्याज	11.64	837.3
		योग (ख)	301.32	

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5
	(ग) पूंजीगत-दत्तमत-			
10	41 -आदिम क्षेत्र उपयोजना	27 -नर्मदा घाटी विकास 4701-03-796-201-0102-5223 -मान परियोजना (नाबाई)	7.25	164.9
11	48-नर्मदा घाटी विकास	4801-01-206-0101-7058-इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I से एन एच डी सी को अंश का भुगतान	39.06	100.3
		योग (ग)	46.31	
	घ- लोक ऋण- भारित-			
12	लोक ऋण	6003-109-6236 -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ¹ योजना मण्डल से ऋण	12.16	905.6
		योग (घ)	12.16	
		वृहद योग (क+ख+ग+घ)	595.46	

परिशिष्ट XV

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 32)

योजना के अंतर्गत बड़ी बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम/विनियोग	योजना का नाम	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क-राजस्व-दत्तमत				
1	3-पुलिस	2055-109-1816-दस्यु उन्मूलन कार्यवाही	8.99	83.6
2	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय	97.56	100
3	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-6409-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु एकमुश्त प्रावधान	10.00	100
4	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-7735-ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसाएं	75.00	100
5	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-7738-पेंशन पर राहत	33.28	100
6	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-7859-नये जिलों के गठन के कारण प्रशासनिक व्यवस्था	30.00	100
7	6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-102-3080-भारत में संराशिकृत पेंशन मूल्य का भुगतान	117.90	93.6
8	7-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	2039-800-4034-विभागीय शारब दुकानों का चालन	176.12	99.5
9	8-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917-भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	9.00	100
10	8-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0101-5045-केडेस्ट्रल सर्वे नक्शों का अंकन	7.68	100
11	12-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2801-80-101-0101-7656-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	5.00	100
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-1201-7099-राजीव गाँधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन	22.86	100
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-800-0801-1801-टी. सी. ए. कार्यक्रम के अधीन सामग्री तथा साजसज्जा की लागत	9.73	100
14	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-101-0801-1200-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा- प्रत्यक्ष व्यय	34.31	86.3
15	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-200-0801-6216-जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	5.36	85.1
16	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-पारंपरिक गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति	7.00	100

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	10.00	100
18	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-गर्भनिरोधक पारम्परिक साधनों की आपूर्ति	13.34	100
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	9.64	100
20	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशुजीवन एवं सुरक्षित प्रसूति कार्यक्रम	26.97	100
21	23-जल संसाधन विभाग	2701-01-800-6360-चयनित कृषक संस्थानों हेतु निधियों का प्रबंध	5.75	88.5
22	27-स्कूल शिक्षा	2202-01-102-0801-6344 -मदरसों का आधुनिकीकरण	6.41	100
23	27-स्कूल शिक्षा	2202-02-105-0801-3504-अपंग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा योजना	24.28	83
24	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2408-01-102-0801-8844-विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान	150.00	100
25	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.आ.जा./अ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7782-कृषि भूमि की बहाली हेतु आदिवासियों को आर्थिक सहायता	12.24	100
26	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.आ.जा./अ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7783-आदिवासी समुदाय हेतु रोकबाँध, कुओं, नलकूपों, जल मार्गों, जल एकत्रीकरण संरचना आदि	11.49	100
27	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.आ.जा./अ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7784-आदिवासी हितग्राहियों को कुओं, नलकूपों, सिंचाई, पंपो एवं कृषि तालाबों हेतु आर्थिक सहायता	10.10	100
28	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.आ.जा./अ.जा.कल्याण विभाग 2225-02-794-800-0602-7785-आदिवासियों की भूमि पर भूमि संरक्षण के उपाय रूप में अनाज एवं फलों की प्रजातियों का पौध रोपण	10.90	100

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	25-अ.आ.जा./अ.जा.कल्याण विभाग -2225-02-794-800-0602-7790-आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज एवं जड़ी-बूटियों के संग्रह हेतु पौध रोपण	8.09	100
30	45-लघु सिंचाई कार्य	2702-80-800-7051-बाँध सुरक्षा	22.86	91.4
31	55-महिला एवं बाल कल्याण पर व्यय	2235-02-102-0801-5356-एकीकृत बाल विकास सेवा (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत) का पर्यवेक्षण	8.08	100
32	55-महिला एवं बाल कल्याण पर व्यय	2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना	5.25	87.5
33	55-महिला एवं बाल कल्याण पर व्यय	2236-02-101-0801-7098-राष्ट्रीय पूरक पोषाहार निशन	7.19	89.9
34	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाराहत पर व्यय	2245-01-800-7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	23.78	100
35	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2501-01-800-1201-7755-मध्यप्रदेश ग्रामीण जीवनयापन परियोजना	8.00	100
36	74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2052-091-0101-8451-राज्य पुनर्गठन निधि (राज्य पुनर्निर्माण निधि) की स्थापना	22.17	100
37	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-01-001-0701-9106-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	10.78	100
38	90-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-800-1301-5049-स्वास्थ्य सेवाये	5.28	100
		योग (क)	1062.39	
	ख-राजस्व प्रभारित			
39	... ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3752 -राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण पर ब्याज	17.21	95.6
40	... ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	13.93	87.6
41	... ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-807-कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	5.81	100
42	... ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	67.81	100
43	... ब्याज की अदायगी और सेवा	2049-60-701-4209-सरकारी कर्मचारी परिवार लाभ (कल्याण) निधि पर ब्याज	25.98	100
		योग (ख)	130.74	

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ग) पूँजीगत- दत्तमत				
44	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6860-01-190-0101-6777-म.प्र.विद्युत मण्डल को बकाया बिल का भुगतान	10.09	100
45	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	4801-06-190-1201-7697-एशियन डिलपमेन्ट बैंक से प्राप्त परियोजना ऋणों की अंशपूजी के रूप में अनुदान अंश का भुगतान	120.00	100
46	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6801-800-0101-2967-विद्युत विभाग को अन्य ऋण	512.19	83.3
47	17-सहकारिता	4425-107-0101-2754-प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, कृषक सेवा, वृहद बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश	32.41	133.3*
48	23-जल संसाधन विभाग	4701-01-215-0101-2884-नहर एवं सम्बद्ध कार्य	6.28	83.7
49	23-जल संसाधन विभाग	4701-03-800-0101-2339-निर्देशन एवं प्रशासन	22.04	98.7
50	24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	5054-03-337-0701-7085-सड़क निर्माण कार्य	40.00	100
51	27-स्कूल शिक्षा	4202-01-201-0801-8742-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	8.37	100
52	27-स्कूल शिक्षा	4202-01-201-0101-8742-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	5.76	100
53	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515-800-0701-6655-मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	250.90	80.9
54	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 4215-01-796-102-0702-9489-राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	7.25	90.6
55	45-लघु सिंचाई कार्य	4702-800-0101-2339-प्रशासन एवं निर्देशन	17.97	99.9
56	48-नर्मदा घाटी विकास	4701-01-233-2428-कार्यपालन स्थापना	90.00	100
57	48-नर्मदा घाटी विकास	4701-80-800-0101-6399-इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I	100.93	92
58	48-नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-6401-इंदिरा सागर नहर -खराब विद्युत गृह	11.97	98.5
59	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-0101-2339-निर्देशन एवं प्रशासन	8.00	100
		योग (ग)	1244.16	
		वृहद योग (क+ख+ग)	2437.29	

* ऋणात्मक व्यय के कारण

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.2 पृष्ठ 32)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम/विनियोग	बचत की राशि (बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2001-02	2002-03	2003-04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क-राजस्व दत्तमत				
1.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.59 (33.9)	2.16 (30.9)	3.76 (34.2)
2	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	9.16 (27.1)	12.19 (28.6)	16.12 (28.9)
3	16-मछली पालन	2.41 (20.6)	2.45 (20.2)	2.43 (21.2)
4	17-सहकारिता	7.82 (20.7)	14.19 (29)	16.90 (34.3)
5	18-श्रम	12.73 (29.3)	11.35 (24.6)	13.96 (29.4)
6	25-खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	1.82 (22.8)	1.79 (20.8)	2.80 (29)
7	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	28.24 (25.3)	48.64 (33.4)	60.11 (32.3)
8	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	42.73 (23.2)	58.93 (22)	171.17 (73)
9	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	3.90 (45.3)	3.56 (69)	3.51 (69.1)
10	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	104.31 (28.8)	159.53 (32.1)	268.41 (41.5)
11	48-नर्मदा धाटी विकास	8.17 (90.8)	3.81 (45.7)	3.97 (43.1)
12	51-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	2.13 (40.7)	1.12 (20.7)	2.10 (20.8)
13	52-कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.86 (32.5)	1.93 (37.1)	1.29 (24.7)
14	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	76.38 (31.5)	69.99 (23.8)	89.74 (27.9)
15	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	85.51 (32.6)	70.55 (22)	118.07 (29.4)
16	72-गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	13.05 (40)	16.51 (45.2)	18.32 (47.1)
17	74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	83.68 (33.5)	56.72 (37.8)	22.17 (100)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	88-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्यायिक	9.52 (100)	3.05 (64.1)	3.18 (65.9)
19	90-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60 (50)	6.60 (100)	6.60 (100)
20	92-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	3.48 (50.1)	3.37 (87.1)	8.56 (78)
ख-राजस्व- भारित				
21	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	12.50 (62.1)	4.22 (66.8)	8.71 (52.1)
22	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	5.76 (73.2)	4.97 (67.2)	5.64 (76.1)
23	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6.46 (30.9)	3.80 (23.6)	12.00 (68.2)
24	17-सहकारिता	66.58 (85)	22.63 (56.5)	53.53 (48.3)
25	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.04 (98)	76.64 (87.4)	5.11 (20.6)
26	24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	178.20 (52.1)	57.13 (20.2)	178.81 (37.5)
27	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	252.78 (94.9)	254.88 (84.6)	250.91 (80.9)
28	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	6.04 (23.9)	6.36 (20.5)	19.26 (48.1)
29	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- कमान क्षेत्र विकास	3.11 (50.9)	6.09 (63.6)	2.59 (31.4)
30	42-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण- सड़कें एवं पुल	25.22 (36.5)	46.04 (47.4)	34.85 (36.1)
31	45-लघु सिंचाई कार्य	30.00 (58.1)	27.13 (53.4)	19.61 (53.2)
32	48-नर्मदा घाटी विकास	164.40 (31.2)	476.52 (42.5)	507.32 (39.8)
33	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	58.98 (77.6)	39.78 (47.4)	41.01 (48.8)
34	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	87.00 (56.7)	58.48 (28.3)	39.88 (21.3)
35	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	35.30 (51.4)	37.95 (68.6)	29.94 (54.6)
36	84-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व	12.44 (98.7)	9.22 (44.2)	14.13 (59.1)
37	86-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	1.77 (83.4)	3.83 (84)	1.10 (33)

परिशिष्ट XVII

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.5 पृष्ठ 34)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या/विनियोग	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क-राजस्व-दत्तमत					
1.	01-सामान्य प्रशासन	83.32	1.15	66.09	18.38
2.	03-पुलिस	986.21	1.37	863.44	124.14
3.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1476.24	212.50	1249.91	438.83
4.	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	323.55	1.10	298.53	26.12
5.	08-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	320.46	0.12	265.34	55.24
6.	10-वन	490.70	0.10	484.81	5.99
7	13-कृषि	310.86	13.32	231.59	92.59
8.	14-पशुपालन विभाग पर व्यय	140.96	1.72	128.58	14.10
9.	15-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	179.37	13.29	166.74	25.92
10.	16-मछली पालन	11.41	0.06	9.04	2.43
11.	17-सहकारिता	48.91	0.29	32.30	16.90
12.	18-श्रम	47.38	0.15	33.57	13.96
13.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	556.21	70.54	489.45	137.30
14.	20-लोक स्वास्थ्य	213.92	6.84	194.17	26.59
15.	27-स्कूल शिक्षा	1780.63	22.42	1628.42	174.63
16.	28-राज्य विधान मण्डल	24.04	0.37	19.50	4.91
17.	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	182.03	3.95	125.87	60.11
18.	36-परिवहन	18.73	2.04	17.97	2.80
19.	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	545.61	100.91	378.11	268.41
20.	44-उच्च शिक्षा	318.09	0.02	265.50	52.61
21.	47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	134.50	2.91	103.53	33.88
22.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	295.57	25.69	231.52	89.74
23.	56-ग्रामोद्योग	22.55	7.43	22.54	7.44

24.	59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	निरंक	8.00	निरंक	8.00
25.	64-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	395.12	6.02	283.08	118.06
26.	65-विमानन विभाग	24.37	0.63	23.08	1.92
27.	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	207.22	3.42	200.22	10.42
28.	72-गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	35.65	3.25	20.58	18.32
29.	77-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशिष्ट समस्याएं- खेल एवं युवा कल्याण	2.00	0.46	1.96	0.50
30.	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	178.12	1.09	158.99	20.22
31.	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	659.77	58.26	628.06	89.97
32.	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	264.90	35.97	250.43	50.44
33.	85-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस	6.76	0.85	0.47	7.14
34.	86-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	0.18	0.02	0.01	0.19
35.	92-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	8.56	2.42	2.42	8.56
	योग (क)	10293.90	608.68	8875.82	2026.76
	(ख)-राजस्व- भारित				
36.	01 -सामान्य प्रशासन	6.50	0.14	5.58	1.06
37.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.21	1.49	0.20	1.50
38.	19 -लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.30	0.10	0.02	0.38
	योग (ख)	7.01	1.73	5.80	2.94
	(ग) पूंजीगत -दत्तमत				
39.	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	4.75	5.40	3.77	6.38
40.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	7.50	10.09	5.59	12.00
41.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	616.00	120.00	102.81	633.19
42.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	174.40	3.50	171.66	6.24

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल).

43	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	13.82	0.35	11.42	2.75
44	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल	422.34	54.00	297.53	178.81
45	41-आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	333.81	33.67	322.72	44.76
46	42-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सङ्केत एवं पुल	92.60	4.00	61.75	34.85
47	48-नर्मदा धाटी विकास	986.19	287.09	765.96	507.32
48	56-ग्रामोद्योग	1.64	0.46	0.40	1.70
49.	57-जल संसाधन विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100.00	4.50	79.02	25.48
50.	60-जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	87.89	1.12	81.84	7.17
51.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	186.24	0.56	146.92	39.88
52.	66-पिछङ्गा वर्ग कल्याण	1.20	0.50	0.63	1.07
53.	67-लोक निर्माण कार्य- सङ्केत एवं पुल	50.34	4.54	24.94	29.94
54.	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	115.75	11.35	112.53	14.57
	योग (ग)	3194.47	541.13	2189.49	1546.11
	वृहदयोग (क+ख+ग)	13495.38	1151.54	11071.11	3575.81

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.5, पृष्ठ 34)

प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या/विनियोग	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क-राजस्व- दत्तमत					
1.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	563.69	3457.65	3907.42	113.92
2.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	27.94	24.10	29.91	22.13
3.	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्काल एवं पुल	124.13	125.00	168.59	80.54
4.	51-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	7.64	2.45	7.99	2.10
5.	58-प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	234.46	23.78	255.27	2.97
6.	66-पिछळा वर्ग कल्याण	48.97	19.81	60.36	8.42
7.	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	673.26	213.18	726.11	160.33
8.	94-सिंहस्थ मेला-2004 से संबंधित व्यय	2.37	45.00	39.44	7.93
	योग (क)	1682.46	3910.97	5195.09	398.34
ख-राजस्व- भारित					
9.	--- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3001.09	456.00	3206.50	250.59
	योग (ख)	3001.09	456.00	3206.50	250.59
ग-पूँजीगत-दत्तमत					
10	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	5.71	11.00	8.00	8.71
11	17-सहकारिता	31.39	79.42	57.28	53.53
12	23-जल संसाधन विभाग	313.52	132.75	362.26	84.01
13	44-उच्च शिक्षा	2.90	1.00	3.40	0.50
14	86-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	0.98	2.35	2.23	1.10
15	88-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्यायिक	0.11	0.29	0.27	0.13
	योग-(ग)	354.61	226.81	433.44	147.98
घ-पूँजीगत-भारित					
16	-- लोक ऋण	6158.09	3177.55	8422.09	913.55
	योग-(घ)	6158.09	3177.55	8422.09	913.55
	बृहदयोग (क+ख+ग+घ)	11196.25	7771.33	17257.12	1710.46

अतिरिक्त मांग: 17257.12 करोड़ रुपये (-) 11196.25 करोड़ रुपये = 6060.87 करोड़ रुपये

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.5, पृष्ठ.34.)

वे प्रकरण जिनमें पूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या तथा नाम/विनियोग	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग 1	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क-राजस्व-दत्तमत				
1.	68-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत तथा ग्रामीण विकास	51.56	2.72	55.51	1.23
	योग- (क)	51.56	2.72	55.51	1.23
	(ख)-राजस्व-भारित				
2	67 -लोक निर्माण कार्य-भवन	0.05	0.05	0.15	0.05
	योग-(ख)	0.05	0.05	0.15	0.05
	ग-पूंजीगत-दत्तमत				
3	35 -पुनर्वास	0.14	0.08	0.23	0.01
4.	94-सिंहस्थ मेला-2004 से संबंधित व्यय	89.99	15.00	106.16	1.17
	योग (ग)	90.13	15.08	106.39	1.18
	वृहदयोग (क+ख+ग)	141.74	17.85	162.05	2.46

परिशिष्ट XX

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.7, पृष्ठ.34)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पूर्व में ही लेखे में प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था फिर भी पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियों का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	--- लोक ऋण- 6003-110-637-अर्थोपाय पेशागियाँ	4599.04	5063.48	464.44	(-) 5.00	469.44
2.	23 -जल संसाधन विभाग 2701-80-001-0101-3556-मुख्यालय स्थापना इकाई-I	24.00	25.53	1.53	(-) 1.15	2.68
3.	23-जल संसाधन विभाग 2701-80-799-0101-9191-स्टॉक	13.50	16.55	3.05	(-) 9.90	12.95
4.	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल 5054-04-800-0101-1513-जिले की मुख्य सङ्केतों का निर्माण	7.37	7.62	0.25	(-) 1.23	1.48
5.	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-3828-लघु सिंचाई योजना	12.52	15.15	2.63	(-) 1.08	3.71

(ख) कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत की तुलना में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियाँ अधिक आहरित की गई, परिणामस्वरूप 5 लाख रुपये से अधिक की बचत हुई।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष का विवरण	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	01-सामान्य प्रशासन 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग	3.99	2.89	1.10	(-) 1.33	0.23
2.	05-जेल 2056-101-938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें	65.22	55.56	9.66	(-) 10.91	1.25
3.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 2801-02-800-0101-7023-मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को वित्तीय सहायता	486.00	240.22	245.78	(-) 403.36	157.58

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	15-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.20	1.39	0.81	(-) 1.10	0.29
5	17-सहकारिता 2425-001-0101-123-अधीक्षण	14.91	11.38	3.53	(-) 3.67	0.14
6.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय 4217-01-051-0101-284-गैर आवासीय भवन	3.50	2.55	0.95	(-) 1.23	0.28
7.	33-आदिमजाति कल्याण 2225-02-277-3492-माध्यमिक शालायें	98.99	93.24	5.75	(-) 5.82	0.07
8	34-समाज कल्याण 2235-02-001-2322-निर्देशन एवं प्रशासन	10.23	8.97	1.26	(-) 1.32	0.06
9.	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0702-8810-सर्वशिक्षा अभियान	135.86	45.31	90.55	(-) 93.14	2.59
10.	48-नर्मदा घाटी विकास 2402-102-0701-7625-निर्माण कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों में न्यूनता पूर्ति-सम्पूरकता(मैको मेनेजमेन्ट)	7.00	3.10	3.90	(-) 3.98	0.08
11.	48-नर्मदा घाटी विकास 4701-01-233-0101-2433-कार्यपालन स्थापना	5.93	4.98	0.95	(-) 1.80	0.85
12.	48-नर्मदा घाटी विकास 4801-01-204-0101-2344-निर्माण कार्य	2.85	0.61	2.24	(-) 2.42	0.18
13.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त योजना के अधीन)	120.75	84.19	36.56	(-) 44.67	8.11
14.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना	6.00	0.75	5.25	(-) 5.76	0.51
15.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 4235-02-102-0701-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	25.60	8.48	17.12	(-) 25.60	8.48
16.	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं 4701-01-211-1201-541-उच्चता	2.00	0.34	1.66	(-) 1.81	0.15

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 07-राजस्व विभाग 2029-789-800-0103-8823-भूमि विकास के लिये चरनोई भूमि के आवाइयों को अनुदान	1.66	0.81	0.85	(-) 1.40	0.55
18.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 25-अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-4717 -अनुसूचित जाति छात्रावास	6.97	5.28	1.69	(-) 2.24	0.55
19.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-8829-अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति के प्रतिभाशाली छात्रों के लिये आवासीय शालायें	2.83	0.60	2.23	(-) 2.50	0.27
20.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 31-जल संसाधन विभाग 4702-789-800-0103-3828-लघु सिंचाई योजना	4.97	3.06	1.91	(-) 3.00	1.09
21.	67-लोक निर्माण कार्य-भवन 2216-01-106-184-अन्य संधारण कार्य	2.45	0.91	1.54	(-) 2.19	0.65
22.	72-गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय 2210-01-001-6016-जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय	5.00	4.00	1.00	(-) 1.09	0.09
23	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 3604-107-8018-नगरीय स्थानीय निकायों को प्रवेश कर से प्राप्त आय के बराबर सहायता अनुदान	354.71	308.86	45.85	(-) 56.75	10.90

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

(ग) बचत होने पर भी निधियों का अनावश्यक आवर्धन

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष का विवरण	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	(करोड़ रुपयों में)	
					(1)	(2)
1.	03 -पुलिस 2055-104-4492 -सामान्य व्यय(विशेष पुलिस)	202.66	183.56	19.10	+ 3.72	22.82
2.	03- Police 2055-109-4491-सामान्य व्यय(जिला प्रशासन)	442.00	409.37	32.63	+ 2.00	34.63
3.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 2801-02-800-7023-मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को वित्तीय सहायता	856.83	807.17	49.66	+ 194.00	243.66

(घ) आधिक्य की पूर्ति के लिये पुनर्विनियोग द्वारा आवश्यकता से अधिक निधियों का आवर्धन

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष का विवरण	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	(करोड़ रुपयों में)	
					(1)	(2)
1	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 2801-80-101-5855-एक बत्ती कनेक्शन तथा 5 हॉर्सपावर कृषि घंपों/थ्रेसरों हेतु निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को सहायता	60.00	104.73	44.73	+ 60.00	15.27
2	33-आदिमजाति कल्याण 2225-02-277-1395-छात्रावास	21.62	23.89	2.27	+ 2.76	0.49
3	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-2773-प्राथमिक शालायें	31.44	36.82	5.38	+ 6.84	1.46
4	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 27-नर्मदा धाटी विकास विभाग 4701-03-796-201-0102-5223-मान परियोजना (नाबाई)	4.40	11.65	7.25	+ 10.09	2.84

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-03-796-202-0102-4647-जोबट परियोजना (नाबांडे)	43.05	45.18	2.13	+ 3.12	0.99
6	48-नर्मदा घाटी विकास 4701-01-241-0101-2428-कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II.	4.03	5.92	1.89	+ 9.81	7.92
7	48-नर्मदा घाटी विकास 4801-01-206-0101-3419-मशीनरी तथा उपकरण	3.72	8.47	4.75	+ 5.81	1.06
8	48-नर्मदा घाटी विकास 4801-80-800-0101-2422-कार्यपालन स्थापना (मुख्ययंत्री लोअर नर्मदा परियोजना)	1.00	1.80	0.80	+ 1.75	0.95
9	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-102-0801-9130-एकीकृत बाल विकास सेवा का पर्यवेक्षण	0.59	2.85	2.26	+ 2.35	0.09
10	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0803-5089-सफाई कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की गरिमा योजना	सांकेतिक	8.29	8.29	+ 9.29	1.00
11	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबांडे सहायता प्राप्त परियोजनाएं 4701-03-243-0101-2897-बांध तथा संबद्ध निमार्ण कार्य	5.00	6.91	1.91	+ 2.00	0.09
12	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-1392-छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति	5.75	7.36	1.61	+ 2.61	1.00
13	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को आर्थिक सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-2773-प्राथमिक शालायें	15.06	16.65	1.59	+ 3.21	1.62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25-अनुसूचित आदिमजाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-5095-आश्रम/छात्रावासों का रखरखाव तथा सज्जित करना	0.90	5.76	4.86	+ 5.32	0.46
15	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25-अनुसूचित आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-8805-प्राथमिक स्तर तक छात्राओं को छात्रवृत्ति	9.95	10.79	0.84	+ 1.54	0.70

परिशिष्ट- XXI

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 34)

महत्वपूर्ण बचतें अभ्यर्पित न करना (5 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम/विनियोग	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
(1)	(2)	(3)	(4)
क- राजस्व- दत्तमत			
1.	01-सामान्य प्रशासन	18.38	7.76 (42.2)
2.	03-पुलिस	124.14	119.47 (96.2)
3.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	438.83	438.54 (99.9)
4	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	26.12	13.06 (50)
5	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	55.24	55.01 (99.6)
6.	11-वाणिज्य तथा उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	16.12	16.07 (99.7)
7.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	113.92	113.49 (99.6)
8.	13-कृषि	92.59	92.59 (100)
9	14-पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	14.10	14.10 (100)
10	15-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25.92	12.72 (49.1)
11	18-श्रम	13.96	7.48 (53.6)
12.	19-लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	137.30	112.20 (81.7)
13	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	26.58	26.58 (100)
14	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्गठकों एवं पुल	80.54	80.54 (100)
15	29-न्याय प्रशासन तथा निर्वाचन	60.11	17.36 (28.9)
16.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	10.43	6.92 (66.3)
17.	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	268.41	134.62 (50.2)
18.	44-उच्च शिक्षा	52.61	52.61 (100)
19.	47-तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	33.88	11.76 (34.7)
20.	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	118.07	27.54 (23.3)
21	66-पिछळा वर्ग कल्याण	8.43	8.43 (100)
22	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	10.42	7.22 (69.3)
23.	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	20.22	20.22 (100)
24.	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	89.97	48.15 (53.5)
25.	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	160.33	18.54 (11.6)

(करोड़ रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	82-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं	50.44	21.35 (42.3)
27	85-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन	7.15	6.29 (88)
28	93-त्वरित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	28.98	28.98 (100)
29	94-सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	7.93	7.93 (100)
	योग (क)	2111.12	1527.53
	ख-राजस्व-भारित		
30	-- ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	250.58	250.47 (99.9)
	योग (ख)	250.58	250.47
	ग- पूँजीगत दत्तमत		
31	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	8.71	7.96 (91.4)
32	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	6.38	6.17 (96.7)
33	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	12.00	11.34 (94.5)
34.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	633.19	633.19 (100)
35	17-सहकारिता	53.53	8.36 (15.6)
36.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.11	5.11 (100)
37	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6.23	6.23 (100)
38	23-जल संसाधन विभाग	84.01	70.82 (84.3)
39	24-लोक निर्माण कार्य- सड़क एवं पुल	178.81	166.33 (93)
40.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	250.91	250.90 (99.9)
41	42-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	34.85	31.61 (90.7)
42	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	19.61	17.85 (91)
43	48-नर्मदा धाटी विकास	507.32	138.89 (27.4)
44	60-जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	7.17	7.17 (100)
45	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	39.88	24.37 (61.1)
46	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	29.94	29.94 (100)
47	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबांड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	14.57	13.24 (90.9)
48	84-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- राजस्व	14.13	14.13 (100)
49	93-त्वरित ऊर्जा विकास से संबंधित व्यय	28.98	28.98 (100)
	योग (ग)	1935.33	1472.59
	घ- पूँजीगत-भारित		
50	-- लोक ऋण	913.55	913.55 (100)
	योग (घ)	913.55	913.55
	वृहदयोग (क+ख+ग)	5210.58	4164.14

परिशिष्ट XXII

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 35)

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पणों के प्रकरण

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम/विनियोग	(करोड़ रुपये में)	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
क- राजस्व-दत्तमत				
1	05-जेल	10.67	11.46	
2	23-जल संसाधन विभाग	13.89	17.48	
3	26-संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	3.66	3.80	
4	27-स्कूल शिक्षा	174.63	191.39	
5	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	171.17	171.21	
6	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	20.89	21.12	
7	48-नर्मदा धाटी विकास	3.97	3.98	
8	55-महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	89.74	96.75	
9	56- ग्रामोद्योग	7.44	8.22	
10	61-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	0.12	0.33	
11	65-विमानन विभाग	1.92	2.10	
12	72-गैस त्रासदी राहत निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय	18.32	18.42	
	योग (क)	516.42	546.26	
ख- राजस्व- भारित				
13	01 -सामान्य प्रशासन	1.06	1.07	
	योग (ख)	1.06	1.07	
ग- पूंजीगत दत्तमत				
14	41-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	44.76	46.04	
15	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	14.42	25.90	
	योग (ग)	59.18	71.94	
घ- पूंजीगत-भारित				
16	45 -लघु सिंचाई निर्माण कार्य	0.01	0.04	
	योग (घ)	0.01	0.04	
	वृहदयोग (क+ख+ग+घ)	576.67	619.31	

परिशिष्ट XXIII

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.9, पृष्ठ 35)

अविवेकपूर्ण/अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	प्रावधान से अधिक व्यय	(करोड़ रुपये में) अभ्यर्पित राशि
क- राजस्व-दत्तमत			
1.	68-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1.24	0.15
ख-पूँजीगत-दत्तमत			
2	35-पुनर्वास	0.01	0.02
3	94-सिंहस्थ मेला-2004 से संबंधित व्यय	1.17	0.04
योग-ख			
	वृहदयोग (क+ख)	1.18	0.06
		2.42	0.21

परिशिष्ट XXIV

(संदर्भ: कंडिका 2.3.10, पृष्ठ 35)

बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र. संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम/विविधोग	लेखाशीर्ष	व्यय की राशि
क- पूंजीगत-दत्तमत			
1	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7610-202-5297 -अन्य सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम	51.57
2	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7610-203-9267-अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	0.46
3	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7610-800-0525-अन्य विविध अग्रिम	17.42
4	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7610-800-8086-चिकित्सा अग्रिम	0.68
योग (क)			70.13
ख-पूंजीगत -भारित			
5	... लोक ऋण	6003-106-5044 -क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्र (5% नगरीय भूमि परिसीमन, 1976)	1.75
योग (ख)			1.75
वृहदयोग (क+ख)			71.88

परिशिष्ट- XXV
 (संदर्भ:कण्डिका 2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष 2003-04 के लिये मिलान न किये गये व्यय के आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान समाधान न किये गये व्यय की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	2030	07	60.37
2.	2053	08, 50	13.53
3.	2054	06, 32, 89	27.48
4.	2059	01, 67	109.91
5.	2202	15, 27, 32, 41, 44, 64, 67, 80, 81, 91	2230.32
6.	2203	32, 41, 47, 64, 67, 87	78.78
7.	2204	27, 41, 43, 67, 77	24.81
8.	2205	26, 27, 32, 41, 64, 92	21.43
9.	2210	15, 18, 19, 32, 41, 61, 64, 72, 79, 80, 82	383.24
10.	2235	01, 02, 04, 15, 34, 35, 41, 55, 64, 72, 80, 81, 82	414.10
11	4202	41, 44, 47, 64, 67, 92	20.43
12	6202	87	1.75
योग	मुख्यशीर्ष-12	अनुदान संख्या-33	3386.15

परिशिष्ट XXVI

(संदर्भ: कंडिका 2.5, पृष्ठ 36)

पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों के लिये दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	अनियमितताओं का विवरण
1	11	3, 4, 6, 39, 64, 84	31.03	वित्त वर्ष 2003-04 की समाप्ति के उपरान्त संस्वीकृतियाँ जारी की गई।
2	11	1, 21, 40, 41, 43, 51, 66, 77, 94	20.26	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति/अप्राप्ति यथा लेखाओं को बंद करने एवं अंतिम रूप देने से पूर्व)
3	4	1, 7, 17, 41	1.17	उन शीर्षों के अधीन प्रावधान की अनुपलब्धता जिनसे पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की अनुमति दी गई थी।
4	5	7, 19, 41, 56, 79	1.16	उन योजनाओं का विवरण प्रेषित न करना जिनसे अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी गई थी।
5	3	3, 7	0.87	अधिक व्यय की मदों के विरुद्ध बचत की मदों के लिये पृथक अभ्यर्पण स्वीकृति और पुनर्विनियोग स्वीकृति जारी न करना।
6	1	3	0.10	प्रभारित से दत्तमत को पुनर्विनियोग
7	1	13	0.03	राजस्व से पूंजी में पुनर्विनियोग
8	1	29	0.39	पुनर्विनियोग संस्वीकृति के दोनों ओर के योगों का मिलान न होना।
9	1	29	0.15	आबंटन विलम्ब से अर्थात् वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोग की राशि का व्यपगत होना
10	6	7, 29, 33, 36, 56, 66	0.09	पुनर्विनियोग द्वारा 'कार्यालय व्यर्थ' शीर्ष में निधियों की वृद्धि और 'वेतन एवं मजदूरी' शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग
योग	44	25	55.25	

परिशिष्ट XXVII

(संदर्भ: कंडिका 2.6, पृष्ठ 36)

मार्च 2004 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या/विनियोग	कुल प्रावधान	तक व्यय			मार्च 2004 तक कुल व्यय	मार्च 2004 में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च के व्यय का प्रतिशत
			6/ 2003	9/ 2003	12/ 2003			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17-सहकारिता	160.02	7.17	14.44	20.48	89.58	68.79	76.79
2	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	274.51	26.96	37.53	42.56	84.05	38.80	46.16
3	70-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं-पर्यटन	11.45	--	2.39	6.11	11.36	5.13	45.16
4	84-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं-राजस्व	23.95	1.08	2.59	4.54	9.87	4.50	45.59
5	89-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं-वित्त	2.87	--	--	--	2.87	2.87	100
6	92-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं-संस्कृति	20.48	--	2.32	6.27	11.92	5.65	47.40
7	94-सिंहरथ मेला 2004 से संबंधित व्यय	152.36	16.50	29.51	45.78	145.59	78.09	53.64

टिप्पणी:-अनुदान संख्या 89 एवं 92 के रूपमें (7) में दर्शाये गये व्यय में क्रमशः 2.81 करोड़ रुपये एवं 5.72 करोड़ रुपये की राशियाँ सम्मिलित हैं जिनका योग 8.53 करोड़ रुपये है और जिन्हें मुख्य शीर्ष 8443- सिविल निक्षेप 800-अन्य निक्षेप में जमा किया गया था।

परिशिष्ट XXVIII

(संदर्भ: कंडिका 2.7, पृष्ठ 37)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें

(करोड़ रुपयों में)

क्रम क्रमांक	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)		
		2003-04	2002-03	2001-02
	23 -जल संसाधन विभाग			
1.	4701-01-202-0101 -बाँध तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	30.36 (21.7)	12.02 (19.8)	10.95 (21.5)
2.	4701-01-214-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	5.15 (22.5)	6.24 (20.8)	12.14 (42.6)
3.	4701-01-215-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	6.28 (83.7)	4.57 (93.8)	2.72 (90.7)
4.	4701-03-800-0101-2339-निर्देशन एवं प्रशासन	22.04 (98.8)	22.21 (100)	18.71 (98.5)
5	4701-03-800-0101-3368-मध्यम सिंचाई के निर्माण कार्य	2.42 (73.3)	3.20 (62.6)	3.18 (56.9)
	36 -परिवहन			
6	2041-001-7638-स्मार्ट कार्ड योजना	2.09 (29)	0.81 (18)	2.25 (100)
7	2041-101-4280-संग्रहण प्रभार	2.28 (28.8)	12.29 (64.6)	5.80 (49.6)
	45 -सिंचाई निर्माण कार्य			
8	2702-80-800-7051-बाँध सुरक्षा	22.86 (91.4)	--	--
9	4702-101-0101-3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजना	3.80 (25.8)	आधिक्य	आधिक्य
10	4702-800-0101-2339-निर्देशन एवं प्रशासन	17.97 (99.9)	16.92 (99.7)	--
	59 -ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
11	4515-800-1201-8765-डी. पी.आई.पी.योजना	41.01 (48.8)	39.78 (47.4)	58.98 (77.6)
	92 -ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन			
12	2205-800-1301-5062-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत संग्राहलयों का उन्नयन	8.56 (78)	3.37 (87)	3.48 (100)
	94 -सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय			
13	4217-60-800-0101-7400-सिंहस्थ मेला हेतु व्यवस्था	3.25 (65)	38.45 (34.8)	--
		योग	168.07	159.86
				118.21

परिशिष्ट XXIX

(संदर्भ: कण्डिका 2.7, पृष्ठ 37)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशतता)		
		2003-04	2002-03	2001-02
	23 -जल संसाधन विभाग			
1.	4701-01-210-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	2.26 (104.6)	0.28 (2.4)	6.11 (101.8)
2	4701-01-216-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	1.17 (1.2)	बचत	22.45 (52.2)
3	4801-01-201-0101-2897-बाँध तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	2.48 (826.7)	बचत	बचत
	36 -परिवहन			
4	3055-190-6579 -रियायती पासों के कारण हानि की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम को विशेष अनुदान	2.00 सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध	--	बचत
	45 -लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
5	2702-80-800-207 -अन्य लघु सिंचाई निर्माण	2.80 (10.6)	1.79 (6.9)	बचत
6	4702-800-0101-6361-उद्धवहन सिंचाई योजना	1.53 (765)	बचत	---
	94 -सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय			
7	4217-03-800-0101-7400-सिंहस्थ मेला हेतु व्यवस्था	4.42 (4.4)	--	--
		योग	16.66	2.07
				28.56

परिशिष्ट XXX

(संदर्भ: कण्डिका 2.7, पृष्ठ 37)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों के अधीन पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान तथा योजना का विवरण	अप्रयुक्त पूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
	23 -जल संसाधन विभाग	
1.	4701-01-215-0101-2884 -नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	2.50
	36 -परिवहन	
2.	2041-001-7638 -स्मार्ट कार्ड योजना	2.04
	92 -ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	
3.	2205-800-1301-5062 -ग्यारहवें वित्त आयोग के अधीन संग्रहालयों का उन्नयन	2.42
	योग	6.96

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ।
(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत (-)
	23 -जल संसाधन विभाग				
1	4701-01-202-0101-2897 -बाँध तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	55.00	85.00	109.64	-30.36
	86 -ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- जेल				
2	4059-01-051-1301-6405-जेल भवनों का निर्माण	0.98	2.35	2.23	-1.10
	94 -सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय				
3	4217-60-800-0101-7400-सिंहस्थ मेला हेतु प्रबंध	निरक	5.00	1.75	-3.25
	योग-	55.98	92.35	1,13.62	-34.71

(ग) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	आघिक्य (+)
	23 -जल संसाधन विभाग				
1	4701-01-216-0101-2884 - नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	80.38	19.75	101.30	+1.17
	94 -सिंहस्थ मेला 2004 से सम्बंधित व्यय				
2	4717-03-800-0101-7400 - सिंहस्थ मेला हेतु प्रबंध	89.99	10.00	104.41	+4.42
	योग	1,70.37	29.75	2,05.71	+5.59

परिशिष्ट XXXI

(संदर्भ : कंडिका 3.2.7..., पृष्ठ 56)

1999-2004 के दौरान चिकित्सालयों में संखीकृत, उपलब्ध बिस्तरों आदि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	चिकित्सालय का नाम	संखीकृत बिस्तर संख्या	उपलब्ध बिस्तर कराए गए/अकार्यशील बिस्तर संख्या का प्रतिशत	दिनों में उपलब्ध बिस्तर क्षमता	दिनों में वास्तविक बिस्तर अधिवास	31 मार्च 2004 को कर्मचारियों की स्थिति		कुल हुआ व्यय (लाख रुपयों में)						
						विकित्सक	संस्कृकृत कर्मचारी	सहायक कर्मचारी	कार्यरत कर्मचारी	अन्य कर्मचारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(क)	9(ख)	9(ग)	9(घ)	9(ङ.)	9(च)	10
1	आयुर्वेद बैहर (बालाघाट)	30	निरंक	100	निरंक	-	3	7	10	1	2	2	2	39.65
2	आयुर्वेद, बैठूल	30	10	67	18250	10232	44	3	7	1	3	5	1	55.30
3	आयुर्वेद (महाविद्यालय में संयोजित) भोपाल	30	25	17	45625	24266	47	4	7	16	4	7	14	62.55
4	होम्योपेथी (महाविद्यालय में संयोजित) भोपाल	50	25	50	45625	9714	79	14	22	59	13	12	47	220.54
5	होम्योपेथी, नवगांव (छिन्दवाड़ा)	40	6	85	10950	2470	77	2	4	11	2	1	11	41.58
6	आयुर्वेद, तामिया (छिन्दवाड़ा)	30	6	80	10950	766	93	3	5	11	1	1	11	37.85

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

क्रम संख्या	विकितसालय का नाम	संस्थीकृत बिस्तर संख्या	उपलब्ध बिस्तर	उपलब्ध न कराए गए/अकार्यशील बिस्तर संख्या	दिनों में उपलब्ध बिस्तर का प्रतिशत	दिनों में वास्तविक बिस्तर का प्रतिशत	अप्रयुक्त उपलब्ध क्षमता का प्रतिशत	31 मार्च 2004 को कर्मचारियों की स्थिति			कुल हुआ क्या (लाख रुपयों में)
								चिकित्सक	संरक्षक	कार्यरत कर्मचारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(क)	9(ख)	9(ग)	9(ड.)
7	आयुर्वेद, दमोह	30	4	87	7300	7171	2	4	7	10	3
8	आयुर्वेद, दमोह (महाविद्यालय में संयोजित) गवालियर	90	48	47	87600	27519	69	5	15	13	4
9	आयुर्वेद, होशंगाबाद	30	8	73	14600	51	99	4	7	9	4
10	आयुर्वेद, झाझुआ	30	15	50	27375	निरंक	100	3	7	12	3
11	आयुर्वेद, खरगोन	30	30	निरंक	54750	निरंक	100	3	7	11	3
12	आयुर्वेद, मंडला	30	10	67	18250	3248	82	4	7	9	1
13	आयुर्वेद, मुरेना	30	10	67	18250	660	96	6	5	12	6
14	आयुर्वेद, शहडोल	30	15	50	27375	7153	74	3	7	9	3
	महायोग	510	212	58	386900	93250	76	61	114	193	52
										63	151
											1112.86

परिशिष्ट XXXII

(संदर्भ : कंडिका 3.3.5 एवं 3.3.10, पृष्ठ 68)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु निधियों की प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति

(करोड रुपये में)

योजनाएं	अवधि	प्राप्त निधियां		अन्य प्राप्तियां	उपलब्ध कुल निधि	व्यय	सूचित रोजगार (लाख मानव दिवस में)
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश				
सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम	1999 से 2004 तक	14.70	4.90	1.01	20.61	19.44	अनुपलब्ध
ईंदिरा आवास योजना	1999 से 2004 तक	12.48	4.16	0.38	17.02	16.81	15.81
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1999 से 2002 तक	11.08	3.52	0.02	14.62	14.61	13.12
रोजगार आश्वासन योजना	1999 से 2002 तक	9.55	3.19	0.09	12.83	12.24	17.69
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	2002 से 2004	17.84	5.70	0.55	24.09	23.40	26.48
स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	1999 से 2004 तक	6.34	2.10	2.33	10.77	10.46	--
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास योजना)	2001 से 2004 तक	0.87	--	0.00	0.87	0.84	--
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापना	2000 से 2004 तक	1.35	0.43	0.28	2.06	2.05	--
महायोग		74.21	24.00	4.66	102.87	99.85	73.10

प्रतिवर्ष मानव दिवस = 73.10 लाख / 87148 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार / 5वर्ष 16.77 मानवदिवस अर्थात् 17 मानव दिवस गरीबी रेखा से नीचे के परिवार

परिशिष्ट- XXXIII

(संदर्भ : कंडिका 3.3.6 , पृष्ठ 71)

छ: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की स्थिति

क्रम संख्या	पदों के नाम	मानदंड के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वांछित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संख्या			संस्वीकृति के संदर्भ में आधिक्य/कमी
			मानक के अनुसार वांछित	संस्वीकृत	कार्यरत	
1	2	3	4	5	6	7
1	नर्स एवं मिडवाइफ	7	42	25	24	(-)1
2	ड्रेसर	1	6	12	11	(-)1
3	फार्मेसिस्ट/कंपाउंडर	1	6	12	3	(-)9
4	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	6	18	13	(-)5
5	रेडियोग्राफर	1	6	8	3	(-)5
6	वार्डबॉय	2	12	41	38	(-)3
7	धोबी	1	6	6	—	(-)6
8	स्वीपर	3	18	41	31	(-)10
9	माती	1	6	3	—	(-)3
10	चौकीदार	1	6	9	6	(-)3
11	आया	1	6	13	9	(-)4
12	चपरासी	1	6	39	39	—

बिना किसी मानक के छ: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्वीकृत एवं कार्यशील पदों की संख्या

क्रम संख्या	पदों की संख्या	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृति के संदर्भ में आधिक्य/कमी
1	2	3	4	5
1	चिकित्सा अधिकारी	8	8	—
2	महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम	10	10	—
3	बी.ई.ई.	5	3	(-)2
4	लेखापाल	7	5	(-)2
5	कम्प्यूटर	6	5	(-)1
6	एल.एच.बी.	5	5	—
7	नेत्र चिकित्सा सहायक	6	6	—
8	एम.एच.डब्ल्यू.	14	11	(-)3
9	पर्यवेक्षक	11	8	(-)3
10	दंतचिकित्सा सहायक	1	निरंक	(-)1
11	वाटरमेन	16	15	(-)1
12	शल्य क्रियाकला सहायक	3	3	—
13	सफाईवाला	2	—	(-)2
14	डी.जी.एस.	7	6	(-)1

परिशिष्ट- XXXIV

(संदर्भ : कंडिका 3.3.6, पृष्ठ 71)

34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की स्थिति

क्रम संख्या	पदों का नाम	मानक अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र में वांछित	के प्रत्येक केन्द्र में	34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संख्या			संस्वीकृति के संदर्भ में आधिक्य/कमी
				मानक के अनुसार	संस्वीकृत	कार्यरत	
1	2	3	4	5	6	7	
1	चिकित्सा अधिकारी	1	34	43	34	(-9)	
2	कंपाउंडर/फार्मेसिस्ट	1	34	31	15	(-16)	
3	नर्स (एस.एन.)	1	34	6	6	—	
4	स्वास्थ्य कर्मी(महिला) (बी.ई.ई.)	1	34	10	10	—	
5	स्वास्थ्य शिक्षक (बी.ई.ई.)	1	34	5	5	—	
6	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	1	34	36	31	(-5)	
7	स्वास्थ्य सहायक (एल.एच.बी.)	1	34	47	39	(-8)	
8	उच्च श्रेणी लिपिक / लेखापाल	1	34	6	4	(-2)	
9	निम्न श्रेणी लिपिक	1	34	13	13	—	
10	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	34	14	13	(-1)	
11	चालक	1	34	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	
12	चतुर्थ श्रेणी	4	136	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिना किसी मानक के संस्वीकृत एवं कार्यशील पदों की स्थिति

क्रम संख्या	पदों की संख्या	संस्वीकृत	कार्यरत	संस्वीकृति के संदर्भ में आधिक्य/कमी
1	2	3	4	5
1	कम्प्यूटर	4	3	(-1)
2	नेत्रोगचिकित्सा सहायक	7	4	(-3)
3	रेडियोग्राफर	1	—	(-1)
4	ड्रेसर	33	31	(-2)
5	पर्यवेक्षक	16	13	(-3)

परिशिष्ट XXXV

(संदर्भ : कंडिका 3.3.9, पृष्ठ 73)

नगरों में पेयजल की उपलब्धता तथा जनसंख्या की स्थिति

क्रम संख्या	नगर का नाम	जनगणना के अनुसार जनसंख्या		प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता	
		1991	2001	1993	2004
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)
1	बेतूल	63694	83524	38.60	46.76
2	आमला	28245	29553	30.20	48.00
3	मुलताई	19789	21423	25.00	21.00
4	भैसदेही	14074	15766	28.50	29.50
5	बेतूल बाजार	9605	9646	42.50	68.18
	महायोग	135407	159912		

परिशिष्ट-XXXVI

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5 पृष्ठ 85)

एक सड़क पर हुई बचत का अन्य पूर्ण सड़कों पर उपयोग दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(परियोजना कार्यान्वयन इकाई सागर का 6/2004 का प्रगति प्रतिवेदन)

पैकेज	सड़क	ठेके की अनुमानित राशि (लाख रुपये में)	वास्तविक भुगतान/लागत	ठेके का प्रीमियम छोड़ते हुए भुगतान	आधिक्य(+) बचत(-) लाख रुपये में
4801	सागर रहली से पथरिया जाट	10.2	12.63	11.48	(+) 1.28
10%	सागर बॉयपास से भैंसा	1.34	3.23	2.94	(+) 1.60
अधिक	सागर रहली सड़क से हिलगन	70.42	65.99	59.99	(-) 10.43
	सागर बॉयपास से बम्होरी रंगुआ	6.07	8.42	7.65	(+) 1.58
	राज्य राजमार्ग 43 से डुगरसरा	11.46	13.89	12.63	(+) 1.17
	राज्य राजमार्ग 43 से गिरवर	27.83	44.03	40.03	(+) 12.20
	पहुँच मार्ग हीरापुर	30.3	41.32	37.56	(+) 7.26
	मुख्य जिला मार्ग से पडरई	7.57	9.75	8.86	(+) 1.29
	मुख्य जिला मार्ग से महुआखेड़ा	35.83	48.35	43.95	(+) 8.12
	मुख्य जिला मार्ग से टोडा-तरफदार	113.26	112.16	101.96	(-) 11.30
	सागर खुरई मार्ग से चंदनमऊ जलंधर	82.74	102.98	93.62	(+) 10.88
	सागर खुरई मार्ग से ईशुरवारा	33.78	31.71	28.83	(-) 4.95
4802	राष्ट्रीय राजमार्ग, 26 से मढ़ी जमुनिया	32.18	17.67	16.07	(-) 16.11
9.99%	राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से जैतपुर कछैया	55.75	82.29	74.82	(+) 19.07
अधिक	राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से गुगवारा	13.59	10.08	12.36	(-) 1.23
	चाँदपुरा से अनन्तपुरा	31.42	42.26	38.42	(+) 7.00
	राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से बरकोटीकलाँ	18.79	14.62	13.29	(-) 5.50
	मुख्य जिला मार्ग से पटनाखुद्द	51.75	48.11	43.74	(-) 8.01
	नारायणपुर से केवलारी	47.56	54.36	49.42	(+) 1.86
	गुनजोरी से बाल्य	78.41	103.10	93.74	(+) 15.33
	चनुआ से हरदी	40.04	53.21	48.38	(+) 8.34
3303	मंजला से ढाबोली	28.17	55.00	50.00	(+) 21.83
9.99%	बुढाखेड़ा से बर्धना	179.95	181.00	164.56	(-) 15.39
अधिक	किरवाना से धूगर	45.68	42.00	38.19	(-) 7.49
	बरेठा मार्ग से बगरोही	32.00	35.00	31.82	(-) 0.18
	राजमार्ग 86 से तिगोड़ा	44.16	45.00	40.91	(-) 3.25
	टीकमगढ़ मार्ग से नरूआ	18.78	23.00	20.91	(+) 2.13
	राजमार्ग 86 से पापेट	51.69	57.00	51.82	(+) 0.13
	बरेठा मार्ग से तारपोह	31.79	33.50	30.46	(-) 1.33
	बरेठा मार्ग से बराज	12.96	22.00	20.00	(+) 7.04

पैकेज	सड़क	ठेके की अनुमानित राशि (लाख रु.में)	वास्तविक भुगतान/लागत	ठेके का प्रीमियम छोड़ते हुए भुगतान	आधिक्य(+) बचत(-) लाख रुपये में
3304	कंजिया से देनारी	73.52	64.00	55.65	(-)17.87
15%	राज्य राजमार्ग 14 से सतोरिया	149.31	195.00	169.57	(+)20.26
अधिक	बसारी पहुँच मार्ग	14.99	14.00	12.17	(-)2.82
	खुरई सागर से गडोला जागीर	51.11	65.00	56.52	(+)5.51
	करइया गूजर से कठेली	132.30	130.00	113.04	(-)19.26
3306	खुरई रजवास से रोड़ा	141.4	118.00	107.28	(-)34.12
9.99%	पहुँच मार्ग से अलतालिया	24.08	34.00	30.91	(+)6.83
अधिक	राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से सागोनी	136.58	150.00	136.38	(-)0.20
3307	देवरी से बीनाबराह	146.54	250.00	227.79	(+)81.17
9.79%	भुसौरा से बरकोटीकलाँ	242.63	294.00	267.78	(+)25.15
अधिक	टड़ा उमराव से गढ़ाकोटा	264.48	371.00	337.92	(+)73.44
3308	घुगरा से रजाओ	123.43	104.00	94.73	(-)28.7
9.79%	मोहनागुजर से राष्ट्रीय राजमार्ग 86	53.92	48.00	43.72	(-)10.2
अधिक	राष्ट्रीय राजमार्ग 86 से बधौना	33.74	26.00	23.68	(-)10.06
	राज्य राजमार्ग 14 से पगारा	49.45	70.00	63.76	(+)14.31
			योग		
			बचत		(-) 208.40
			आधिक्य		(+) 354.78
			मार्गों की संख्या		बचत -20
					आधिक्य - 25

परिशिष्ट-XXXVII

(संदर्भ: कंडिका 3.4.6 पृष्ठ 85)

स्वीकृत लागत से अनधिकृत अधिक व्यय दर्शानेवाला विवरण-पत्र

(लाख रुपये में)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज	अनुमोदित लागत	अंतिम भुगतान का माह	निविदा प्रीमियम को छोड़कर व्यय	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के विरुद्ध अनधिकृत व्यय
उज्जैन	4301	395.67	01/2003	419.42	23.75
	3102	940.23	01/2004	975.72	35.49
देवास	1301	275.25	12/2003	292.86	17.61
	5502	448.73	12/2003	545.94	97.21
होशंगाबाद	3903	442.90	09/2003	452.39	9.49
	3905	413.03	12/2003	457.97	44.94
	2001	241.31	09/2003	296.85	55.54
ब्यावरा	4401	408.88	11/2003	460.25	51.37
	4504	362.62	12/2003	369.65	7.03
गुना	1801	268.14	12/2003	297.54	29.40
	1802	495.05	12/2003	549.45	54.40
छिंदवाड़ा	1303	408.19	02/2004	408.48	0.29
	1305	395.78	09/2003	439.26	43.48
	0901	95.39	05/2003	170.45	75.06
शहडोल	0707	436.89	01/2004	454.23	17.34
	6001	284.52	04/2004	337.28	52.76
सागर	3803	471.65	02/2004	492.75	21.10
	3802	220.76	01/2004	290.04	69.28
धार	3804	301.58	03/2004	324.35	22.77
	4402	656.67	01/2004	697.13	40.46
झाबुआ	4801	407.40	08/2003	449.96	42.56
	4802	377.00	09/2003	387.04	10.04
भोपाल	3307	331.34	12/2003	806.81	475.47
	5101	457.33	07/2004	492.87	35.54
शिवपुरी	1105	476.78	06/2004	675.70	198.92
	5601	561.31	01/2004	579.86	18.55
मुमुक्षु	5301	386.22	07/2004	467.96	81.74
	4005	406.44	06/2004	471.96	65.52
मुमुक्षु	4007	263.03	07/2004	298.36	35.33
	4008	339.00	12/2003	401.77	62.77
मुमुक्षु	3702	105.65	07/2004	258.83	12.83
	कुल	12526.74	11/2004	206.00	1.83
				108.14	2.49
				14339.1	1812.36

परिशिष्ट-XXXVIII
 (संदर्भ: कंडिका 3.4.9 पृष्ठ 88)
सड़कों का त्रुटिपूर्ण चयन दर्शनेवाला विवरण-पत्र

0.5 कि.मी.से कम लम्बाई

स.क्र	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज क्र.	सड़क	वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख रुपये में)
1	ब्यावरा	4401	मेनरोड से बैरसिया	0.44	7.16
2			मेनरोड से मंडावर	0.21	2.90
3			मेनरोड से पिपलियारासोदा	0.18	4.43
4	गुना	1801	ईसागढ़ अशोकनगर से बम्नावड	0.45	6.28
5	सिवनी	3603	मेनरोड से डोलीं छतरपुर	0.46	13.90
6		2602	रा.रा.26 से खामतरा	0.25	2.68
7		2603	गोटेगाँव जबलपुर सड़क से कोन्जाई	0.40	3.28
8		2606	चिन्कुईमानिया सड़क से रामपिपरिया	0.50	6.96
9	सागर	4801	सागर बॉयपास से भैंसा	0.13	3.23
कुल					50.82

वन्य क्षेत्र से होकर जानेवाली सड़कें

स.क्र	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज क्र.	सड़क	व्यय (लाख रुपये में)
1	ब्यावरा	4506	सांगुल से वर्धा	60.79
2	गुना	1307	मांगौलीकेरिया मार्ग से मदनखेड़ी	66.32
3		1308	देहरदा-राजघाट-मैमों	60.18
4	सागर	3310	सेवान से बंदारी	188.22
5		3313	खैजरामोती से बहादुरपुर	प्रारंभ नहीं
6		3315	मदावनगौरी से बरोदिया	प्रारंभ नहीं
7	शहडोल	3804	दुमारकेचर से पुलबारीटोला	प्रारंभ नहीं
कुल				375.51

अतिक्रमण या भूमि-विवाद

स.क्र.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज क्र.	सड़क	व्यय (लाख रुपये में)
1	सागर	3309	तोड़ाकाढ़ी से बड़ोदिया	41.06
2			देवाल से प्रमुख जिला सड़क	103.20
3		3314	बाह्मनी से पटनाखुद	15.02
4			नयानगर से प्रमुख जिला सड़क	08.70
5		3317	सिंगपुर से बीना तिगड़ा	12.91
6		.	गढ़ाकोटा से पिपरियागोपाल	भुगतान नहीं
7	ब्यावरा	3004	सेधावत से मूँडला	79.25
8		4401	उदनखेड़ी से सरेली	55.37
9		3005	खिलचीपुर से चापीहेडा	34.91
10	गुना	1307	तराई-डोंगन	भुगतान नहीं
11		1310	मकरुदन-नजीराबाद से परवनिया	31.46
12	सिवनी	2603	गोटेगाँव से जमुनिया	166.00
13	शहडोल	3807	गलहटा से बलभद्रपुर	12.09
कुल				559.97

मुख्य जिला सड़कें

स.क्र.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	पैकेज क्र.	सड़क	व्यय (लाख रुपये में)
1	छिदवाड़ा	0714	नंदनवाड़ी-चांगोबा से कोडिया-अनीखापा	164.57
2	सिवनी	3609	जोबादेगांव से पहाड़ी	108.50
3	शहडोल	6001	चांदिया-अखरार रोड	223.36
4	सागर	4801	चांदनमऊ-जलधर	102.98
5		3307	टड़ा उमराव-गढ़ाकोटा	370.09
कुल				969.5

परिशिष्ट-XXXIX

(संदर्भ: कंडिका 3.5.5 पृष्ठ 104)

मंत्री-स्तरीय उप-समिति की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्यों का निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	विभाग का नाम	अन्य कार्यों की बचत से निष्पादित कार्य	बजट प्रावधानों के बिना निष्पादित कार्य		कुल	
			कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	3	2.37	-	-	3
2	लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग)	-	-	2	0.48	2
3	लो.स्वा.यां.(परियोजना संभाग)	3	1.52	-	-	3
4	नगरनिगम, उज्जैन	2	0.10	16	9.16	18
5	जल संसाधन संभाग, उज्जैन	30	1.88	-	-	30
6	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उज्जैन	-	-	1	0.05	1
7	पुलिस विभाग, उज्जैन	25	4.10	-	-	25
8	स्कूल शिक्षा, उज्जैन	2	0.13	5	0.07	7
9	आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उज्जैन	1	0.20	-	-	1
10	मेला प्रशासन, उज्जैन	9	1.14	3	2.27	12
11	जिलाध्यक्ष, खंडवा (ऑकारेश्वर)	1	0.28	2	.07	3
12	जिलाध्यक्ष, देवास	1	0.09	-	-	1
13	नगरसेना, उज्जैन	-	-	1	1.24	1
14	धर्मस्व विभाग, उज्जैन	1	0.003	-	-	1
15	संस्कृति विभाग, उज्जैन	1	1.00	-	-	1
16	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	0.35	-	-	5
कुल		84	13.16	30	13.34	114
						26.50

परिशिष्ट XL

(संदर्भ: कांडिका 3.5.10 यूल 112)

उच्च दरों पर निविदा स्वीकृत करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शानेवाला विवरण-पत्र

(लाख रुपये में)

पेकेज क्र.	सङ्क का नाम	अनुबंध क्रमांक (कार्यदिश)	टेके की अनुमानित राशि	टेकेदार दर-अनुसूची से अधिक प्रतिशत	छोड़कर, किए गए कार्य का मूल्य	प्रचलित बाजार प्रति०ति के आधार पर अतिरिक्त भुगतान		
					अंतर प्रतिशत में	राशि	गई मूल्यवृद्धि	कुल अतिरिक्त भुगतान
I	उज्जैन-देवास	5/02-03 (2/6/2002)	509.68	9.81%	520.94	8.81%	45.89	10.27
II	मवर्सी-आगर सङ्क							56.16
	उज्जैन-आगर तथा	1/02-03 (4/6/02)	711.19	9.50%	812.71	8.50%	69.08	15.47
	उज्जैन-उन्हेल सङ्क							84.55
III	बहनगर-जवासिया सङ्क	4/02-03 (12/6/02)	575.35	9.27%	563.11	8.27%	46.57	12.98
	इंदौर-देवास सङ्क							59.55
IV	आंतरिक रिंग रोड	2/02-03 (4/6/02)	720.87	9.99%	828.27	8.90%	74.46	19.73
V	उज्जैन-मवर्सी सङ्क	3/02-03 (4/6/02)	555.72	9%	551.86	8%	44.15	94.19
							23.69	67.84
	कुल		3072.81		3276.89		280.15	82.14
							362.29	

परिशिष्ट XLI

(संदर्भ: कॉडिका 3.5.11 युर्ज 117)

इमल्शन टेक-कोट के स्थान पर बिटुमिन टेक-कोट प्रयुक्त करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण-पत्र

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक/वर्ब	टेकेदार का नाम	कार्प का नाम/पैकेज क्रान्तकारी क्रा.क्र./दिनांक	भुगतान का संदर्भ	भुगतान की गई राशि	टेक-कोट के निषादन का विवरण	कुल अंतर की राशि	जोड़े टेकेदार की प्रतिशतता	जोड़े टेकेदार की अतिरिक्त लागत की कुल राशि
1	लो.नि.सं.क्र. ॥	5/02-03	मे. ओ.पी. गर्म	सड़कों का उन्नयन 13/31.3.04 (पैकेज - I)	582.31	5 कि.मा./10 वर्ष मी.	अंतर की राशि डब्लू.बी.एम.सतह 10 कि.मा./10 वर्ष मी.	7.80-रु. की दर से अंतर की राशि		973828
2	लो.नि.सं.क्र. ॥	1/02-03	मे. पी.डी. अग्रवाल	सड़कों का उन्नयन 3/20.5.04 (पैकेज - II)	905.39	37612	120358.00	140400 1095120 1215478	9.81% अधिक /80160 /115470/8208	1330948
3	लो.नि.सं.क्र. ॥	4/02-03	मे. शिव कर्मदशन कं.	सड़कों का उन्नयन 95/31.3.04 (पैकेज - III)	628.29	27000	86400.00	122385	86400 954603 954603	9.27% अधिक /88492 1043095
4	लो.नि.सं.क्र. ॥	2/02-03	मे. प्रकाश एस्पाल्टिंग	सड़कों का उन्नयन 4/21.5.04 (पैकेज - IV)	930.76	251.102	803526.00	46573	363269 1166795 1166795	9.99% अधिक /116562/3822 1283357
5	लो.नि.सं.क्र. ॥	10/02-03	मे. एम.डी.एल. कर्मदशन कंपनी	सड़कों का उन्नयन 12/30.3.04 (पैकेज - V)	284.02	36417	116534.00	10994	38256 85753 85753	202287 1% अधिक /2023 42078 204310
6	लो.नि.सं.क्र. ॥	11/02-03	मे. एम.डी.एल. कर्मदशन कंपनी	सड़कों का उन्नयन 96/31.3.04 (पैकेज - VI)	171.34	30500	97600.00	2721	21224 118824 118824	1% कम /(-) 117636 1188
7	लो.नि.सं.क्र. ॥	3/02-03	मे. बालकुमा रामनारायण	सड़कों का उन्नयन 8/3.2.2004 गोयल	625.22	405100	1296320.00		1296320	9% अधिक / 116669 1412989
8	लो.नि.सं.क्र. ॥	4/1/02-03	मे. जे.जे. पटेल	सड़कों का उन्नयन 208/31.3.04 (पैकेज - VII)	480.32	153449	491037.00	33400	260520 751557 751557	4.92% अधिक /37052 788609
9	लो.नि.सं.क्र. ॥	56/02-03	मे. दीप एंटरप्राइजेस	सड़कों का उन्नयन 2/8/31.3.04 (पैकेज - IX)	325.55	145842	4666594.00	13959	108880 575574 575574	1% अधिक / 40290 615864
10	लो.नि.सं.क्र. ॥	43/02-03	मे. तिळपति कंस्ट्रक्शन	सड़कों का उन्नयन 15/29.3.04 कंपनी	61.14	20835	66672.00	17090	133302 199974 199974	4.99% अधिक / 9979 209953
									महायोग	8123275 अर्थात् 81.23 लाख रुपये

परिशिष्ट XLII

(संदर्भ: कांडिका 3.5.11 तुल 118)

प्रतिभूत अग्रिम की अनियमित स्थिकृति दर्शाने वाला विवरण-पत्र

स.क्र	ऐकेज क्रमांक	सङ्क का नाम	मैक्सफल्ट पर प्रतिभूत अग्रिम					गिट्टी पर प्रतिभूत अग्रिम					शेष	
			दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	राशि (लाख रुपये में)	वसूली का दिनांक	राशि उपयोग की गई राशि	दिनांक	मात्रा (घनमीटर)	राशि (लाख रुपये में)	वसूली का दिनांक	राशि		
1	V	उज्जैन-मवर्सी सङ्क	31.3.03	70.00	7.22	13.5.03	7.22	43 दिन	31.3.03	3500	4.86	13.5.03	4.86	43 दिन निरंक
2	VIII	महीदपुर-मकरी सङ्क	31.3.03 से 24.1.04	388.98	37.33	14.5.03 से 26.2.04	37.33	44 दिन से 335 दिन से 4.6.03	13.3.03	11207	21.17	14.5.03 से 26.2.04	20.05	62 दिन से 353 दिन 1.12
3	IX	जग्नेल-खाचण्ड सङ्क	24.10.03 से 28.1.04	314.18	45.25	14.11.03 से 31.3.04	43.86	21 दिन से 160 दिन	14.5.03	10000	20.00	10.6.03 से 31.3.04	18.16	20 दिन से 296 दिन 1.39 1.84
4	VI	पंचकोशी सङ्क	2.2.04	70.87	7.74	21.2.04 से 5.3.04	7.74	19 दिन से 32 दिन						
5	IV	आंतरिक सङ्क	30.9.03 से 31.12.03	1372.48	156.90	23.12.03 से 31.3.04	156.90							
		कुल	31.3.03 से 28.2.04	2302.31	264.19	13.5.03 से 31.3.03	262.55	19 से 335 दिन	13.3.03 से 4.6.03	24707	46.03	13.5.03 से 31.3.04	43.07	43 दिन से 353 दिन 4.60

परिशिष्ट -XLIII

(संदर्भ: कंडिका 4.3.4, पृष्ठ 143)

ठेकेदार "अ" एवं "स" द्वारा निष्पादित कार्य लागत की तुलना, जिसके कारण अतिरिक्त लागत आई, दर्शाने वाला विवरण-पत्र

मद संख्या	विवरण	ठेकेदार "अ"	ठेकेदार "स"
	अनुबंधित मात्राएं	इकाई	निष्पादित मात्रा
1	सभी प्रकार की मिट्टी, कड़ी मुस में उत्थनन	177625.4 घनमीटर	66589.49
2	ग्रस चट्टान, विधित चट्टान में उत्थनन	241631.86 घनमीटर	109594.40
3	सभी प्रकार की कठोर चट्टान में उत्थनन	56242.92 घनमीटर	61867.21
			120
		174372.96	7424065
4	50 मि.मी. व्यास छिंद्रों वाली लाइन फ्रीलिंग	10747 र.मी.	10747.00
5	मुदा कार्य का जलीकाण एवं संहतीकरण	39751 घनमीटर	39751.00
6	क्षेत्रज तथा ढालू फिल्टर अ) रेत ब) 40 मि.मी. मिट्टी	0.84 घनमीटर 0.84 घनमीटर	0.84 0.84
7	इलास्टोमेटिक बियसिंस	244800 घनमीटर	244800.00
8.1	एम-10 कांकरीट अधिकतम आकार 40 मि.मी.	1474.57 घनमीटर	900
8.2	एम-10 कांकरीट अधिकतम आकार 63 मि.मी.	1384.11 घनमीटर	950
8.3	एम-10 कांकरीट अधिकतम आकार 40 मि.मी.	266.91 घनमीटर	1000
8.4	एम-15 कांकरीट अधिकतम आकार 20 मि.मी.	36.77 घनमीटर	1500
8.5	एम-15 कांकरीट अधिकतम आकार 40 मि.मी.	1065.78 घनमीटर	1065.78
8.6	एम-15 कांकरीट अधिकतम आकार 20 मि.मी.	235.64 घनमीटर	1700
8.7	एम-20 कांकरीट अधिकतम आकार 20 मि.मी.	1416.57 घनमीटर	1416.57
8.8	एम-15 कांकरीट अधिकतम आकार 20 मि.मी.	60.47 घनमीटर	60.47
8.9	एम-15 कांकरीट अधिकतम आकार 63 मि.मी.	566.45 घनमीटर	1400
8.10	एम-25 कांकरीट	22 घनमीटर	22.00
		48400	22,00
			52800

मद संख्या	विवरण	अनुबंधित मात्रा	इकाई	निष्पादित मात्रा	दर	राशि	निष्पादित मात्रा	दर	राशि
							ठेकेदार "स"		
9	रटील प्रबलीकरण छड़े (अ) माइल्ड स्टील छड़े	131457.63	कि.ग्र.		20	2629153	131457.63	26	3417898
	(ब) शीतलित स्टील उच्च शक्ति छड़े	52436	कि.ग्र.	52436.00	20	1048720	52436.00	26.5	1389554
10	25 मि. मी. व्यास की माइल्ड स्टील डॉवल छड़े	586	संख्या	586.00	400	234400	586.00	150	87900
11	12 मि. मी. मोटे पूर्व डलित फिल्टर	299.05	घनमीटर	299.05	500	149525	299.05	200	59810
12	225 मि. मी. चौड़े पी.वी.सी.जल जोड़	163.05	र.मी.	163.05	500	81525	163.05	60	9783
13	ए.सी.पाइप 100 मि.मी.व्यास	507.31	र.मी.	507.31	70	35512	507.31	90	45658
14	जल-सिंचाव के लिए 150 मि.मी.व्यास के ए.सी.पाइप	24	संख्या	24.00	120	2880	24.00	150	3600
15	नींव को 1:5:8 सीमेंट कांकरीट से भरना	19.99	घनमीटर	19.99	700	13993	19.99	120	23988
16	नींव को स्पैशिल्स से भरना	1871.9	घनमीटर	1871.90	20	37438	1871.19	50	93560
17	30 से.मी.मोटी हरतमति रसेन पिंगिंग	112.82	घनमीटर	112.82	120	13538	112.82	40	4513
18	एकल खण्ड में स्टील कार्ब	210.98	कि.ग्र.	210.98	20	4220	210.98	20	4220
19	गोल्वेनीकृत माइल्ड स्टील नलिकाएं	18	र.मी.	18.00	180	3240	18.00	35	630
20	1 मी. ऊँची सांपूर्ण पाइप रेलिंग	8.25	र.मी.	8.25	400	3300	8.25	600	4950
21	1250 मि.मी. X1000 मि.मी.आकार का एफ.आर.पी.नहर द्वारा	1	संख्या	1.00	180000	180000	1.00	300	30000
22	संकुचन जोड़े पर तोंबे की सीलबंदी पटियाँ	62.9	र.मी.	62.90	700	44030	62.90	600	37740
23	एकत्रित बोल्डरों से नींव का भरना	34.2	घनमीटर	34.20	80	2736	34.20	50	1710
						47049061			42107737

अतिरिक्त लागत=470.49 लाख रुपये-421.08 लाख रुपये =49.41 लाख रुपये

परिशिस्त- XLIV

(संदर्भ : कंडिका 5.1.6 पृष्ठ 153)

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी से संस्थीकृति प्राप्त किए बिना खोले बैंक खातों में जमा की गई राशि तथा रोकड़ पुस्तक एवं बैंक विवरण पत्रों में दर्शाए शेष के अंतरों का विवरण।

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31 मार्च 2004 की रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक खाते में दर्शाया गया शेष	31 मार्च 2004 को बैंक पासबुक/विवरण पत्रों में दर्शाया गया शेष	(लाख रुपये में) रोकड़ पुस्तक तथा बैंक पासबुक/ विवरण पत्र में दर्शाए अनुसार शेष में अंतर
1	2	3	4	5
1.	जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल	9.45	23.42	13.97
2.	जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर	3.91	9.42	5.51
3.	जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल	31.13	31.70	0.57
4.	जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन	00.002	110.96	110.96
5.	विकास खंड शिक्षा अधिकारी इन्दौर	1.00	2.91	1.91
6.	विकास खंड शिक्षा अधिकारी उज्जैन	1.47	1.87	0.40
7.	प्राचार्य मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहजानाबाद भोपाल	0.15	0.15	--
8.	प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन क्षेत्र भोपाल	0.11	0.31	0.20
9.	जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर	7.60	7.60	--
	महायोग	54.82	188.34	133.52